खण्ड-164, अंक-8
बुधवार, 28 पौष, शक संवत् 1877
(18 जनवरी, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 164 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १८ जनवरी, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३४)

अजीज इमाम , श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशवराम, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेंद्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्याम दास, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री

जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री

नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री

भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री

रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप,श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह काश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदाबख्श सिंह, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सहदेव सिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री

हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल दास, श्री

सदस्य का शपथ ग्रहण करना

श्री शारदाबख्श सिंह ने शपथ ग्रहण की।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १८ जनवरी, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मूल्य स्थिरीकरण हेतु केन्द्रीय सरकार के आदेश से प्रदेशीय सरकार द्वारा खरीदे गेहूं को बेचने के लिए पत्र-व्यवहार

**१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "मूल्य स्थिरीकरण" हेतु गत वर्ष जो गेहूं केंद्रीय सरकार के आदेश से प्रदेशीय सरकार द्वारा खरीदा गया था, पुनः केन्द्रीय सरकार ने उस गेहूं को सम्प्रति गेहूं के भाव को स्थिरीकरण हेतु बेचने का आदेश दिया है ?

**नियोजन मंत्री के सभा-सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—जी नहीं। यह समस्या अभी विचाराधीन है।

**२—श्री रामसुन्दर पांडेय—यदि हां, तो क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किस भाव से कितना गेहूं कहां-कहां बेचा जा रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार को मालूम है कि प्रदेश के बाजारों में गेहूं महंगा बिकने लगा है ? यदि हां, तो इस समय गेहूं का क्या भाव है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, पहले से गेहूं कुछ महंगा है, लेकिन स्थिति इतनी चिन्ताजनक नहीं है जो इस पर तुरन्त विचार किया जाय ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेशीय सरकार ने केंद्रीय सरकार से इस संबंध में कोई लिखा पढ़ी की है ? यदि हां, तो वह क्या है और कब की है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इस संबंध में प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार से लिखा पढ़ी कर रही है। केंद्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार को यह लिखा है कि यहां पर जो ३५,००० टन गेहूं केंद्रीय सरकार का जमा है उसमें से १५,००० टन गेहूं तो बम्बई भेजा जा रहा है, शेष के लिये यह आदेश है कि दो महीने तक जमा रहे और यदि स्थिति खराब हुई तो उस समय केंद्रीय सरकार की अनुमति से इस गेहूं को यहां इस्तेमाल में लाया जा सकेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गेहूं प्रदेश के बाजारों में किस भाव बिक रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—गेहूं का भाव अलग-अलग जिलों में अलग-अलग होगा। मेरे पास सब जिलों की एक लम्बी सूची है, अगर माननीय अध्यक्ष इजाजत दें तो मैं पढ़कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, अगर वह चाहें तो उनको दफ्तर में बतला दें।

श्री वंशीदास धनगर (जिला मैनपुरी)—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चिन्ताजनक भाव की जो स्थिति है, उससे उनका क्या अभिप्राय है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—मेरा अभिप्राय यह था कि अगर भाव कुछ तेज हो जाय तब विचार करने की बात हो, जैसे दिसम्बर के प्रथम पखवाड़े में १३ रु० १० आ० मन का भाव गेहूं का था और दूसरे पखवाड़े में १४ रु० २ आने का भाव हो गया, इससे यह जाहिर नहीं होता है कि बहुत ज्यादा भाव बढ़ा है, इसलिये चिन्ता की बात नहीं मानी जा सकती है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या यह सत्य है कि प्रदेश के बाजारों में इस समय एवरेज गेहूं का भाव १८ रुपये मन है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस वक्त एवरेज गेहूं का भाव प्रदेश के बाजारों में क्या है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—अलग-अलग जिलों में अलग अलग भाव है और आमतौर से भाव जाड़ों में थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सब से कम भाव कितना है और सब से अधिक तेज भाव कितना है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सबसे तेज भाव १५ रुपये मन का है और सब से कम भाव १४ रुपये मन का है।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार को यह मालूम है कि आज का हापुड़ का भाव १७ रुपये मन तक का है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं। ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन बढ़ते हुये भावों को स्थिर करने के लिये सरकार क्या-क्या उपाय कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस का जवाब पहले दिया जा चुका है। यह उसी में आ जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह समस्या कब तक विचाराधीन रहेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जैसी आवश्यकता होगी उसी के मुताबिक विचार होगा।

श्री अलबर्ट मेयर, नियोजन सलाहकार, उत्तर प्रदेश सरकार, के संबंध में पूछताछ

****३—श्री भगवानसहाय** (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Planning Department ने अमरीका विशेषज्ञ श्री अलबर्ट मेयर्स को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में सलाह देने के लिये बुलाया है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)—जी हां, श्री अलबर्ट मेयर उत्तर प्रदेश सरकार के नियोजन सलाहकार हैं। वे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अतिरिक्त नियोजन एवं विकास की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर समय-समय पर सरकार को परामर्श देते रहते हैं। इस वर्ष भी उन्हें बुलाया गया है, परन्तु अभी यह निश्चित नहीं है कि वे आ सकेंगे अथवा नहीं, और यदि आ सकेंगे तो कब ?

****४—श्री भगवानसहाय**—यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्हें किन terms पर बुलाया गया है ?

श्री फूलसिंह—श्री मेयर वर्ष में लगभग चार महीने के लिये ही उत्तर प्रदेश में आ पाते हैं। उन्हें न्यूयार्क से यहां आने और वापस पहुंचने का व्यय दिया जाता है, किन्तु यदि वे किसी अन्य राज्य के लिये भी सलाहकार की भांति कार्य करते हैं तो व्यय की धनराशि को उत्तर प्रदेश तथा संबंधित राज्य द्वारा उसी अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त श्री मेयर को १,००० डालर प्रतिमास वेतन तथा ३२० रु० प्रतिमास मुआवजी भत्ते के रूप में दिया जाता है।

श्री भगवानसहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि श्री अलबर्ट मेयर्स की नशनैलिटी क्या है और उनको जो चुना गया वह किस तरीके से चुना गया ?

श्री फूलसिंह—श्री अलबर्ट मेयर्स अमेरिकन हैं और मैं समझता हूं कि पिछले सात आठ सालों से मुतवातिर वह देश में आते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन बहुत यूजफूल होता है।

श्री भगवानसहाय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री अलबर्ट मेयर्स नियोजन विभाग में किस चीज के विशेषज्ञ हैं ?

श्री फूलसिंह—मुख्तलिफ समस्याओं को उनके सामने रखा जाता है और उनसे मशविरा लिया जाता है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि श्री अलबर्ट मेयर्स अब तक कितनी बार उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं ?

श्री फूलसिंह—प्रायः हर साल ही आते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सह-अस्तित्व (को-एक्जिस्टेंस) के सिद्धांत को मानते हुये प्रदेशीय सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सलाह देने के हेतु और श्री अलबर्ट मेयर्स को सलाह देने के हेतु कोई रूसी विशेषज्ञ को बुलाने का विचार कर रही है ?

श्री फूलसिंह—आवश्यकता होगी तो विचार किया जायगा।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री अलबर्ट मेयर्स की विशेष क्वालीफिकेशन नियोजन के बारे में क्या है जिसके कारण उन्हें इस संबंध में सलाह देने के लिये बुलाया जाता है ?

श्री फूलसिंह—एकेडेमिक क्वालीफिकेशन मैं नहीं बतला सकता हूं, लेकिन उनका मशविरा बहुत मुफीद होता है।

श्री भगवानसहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री अलब मेयर्स को ५ हजार के करीब जो रुपया दिया जाता है वह तनख्वाह है या भत्ता है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो जवाब में दिया हुआ है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सलाहकार सरकार के कब से नियुक्त हुये और न्यूयार्क से यहां तक आने-जाने में सरकार को क्या व्यय देना पड़ा है ?

श्री फूलसिंह---आने जाने का वेतन ४,५ हजार के बीच पड़ जाता है और मैं समझता हूं यह ७,८ साल से यहां आते हैं।

श्री भगवानसहाय---क्या यह बात सही है कि श्री अलबर्ट मेयर्स शुरू शुरू में टाउन प्लानिंग एक्सपर्ट की हैसियत से बुलाये गये थे ?

श्री फूलसिंह---संभवतः।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि केंद्रीय सरकार की सलाह पर उनको बुलाया गया था स्वयं प्रदेशीय सरकार ने लिखा पढ़ी करके बुलाया ?

श्री फूलसिंह---यह तो बहुत पुरानी बात है, मैं कह नहीं सकता। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि जितने फारेनर्स यहां आये हैं और जिनका संबंध इस विभाग से हुआ है वह सब मुफीद साबित हुये हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री अलबर्ट मेयर्स पर जो खर्चा होता है उसमें केंद्रीय सरकार भी कुछ देती है ?

श्री फूलसिंह---जी नहीं।

प्रदेश में पीलिया रोग का फैलाव

****५---श्री रामचन्द्र विकल**---क्या सरकार को पिछले कुछ महीनों में पीलिया रोग के फैलने के कुछ समाचार प्रदेश से प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो किस-किस जिले से ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां, इस बीमारी के फैलने के समाचार कुछ जिलों से प्राप्त हुये हैं। उन जिलों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७०५ पर)

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह समाचार सरकार को कब से प्राप्त हुये और सरकार ने इसकी रोकथाम के लिये क्या-क्या उपाय किये ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इसकी सूचना सरकार को कब प्राप्त हुई, यह तो सूचना मेरे पास मौजूद नहीं है लेकिन जो जो समाचार जिलों से पहुंचे हैं उसी के आधार पर इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से हर जिले में और हर कस्बे में जो चिकित्सालय हैं वहां इस बीमारी के इलाज की व्यवस्था की गयी है ?

श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार ने एकाएक इस बीमारी के फैलने के कारणों की भी जांच की है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---यह बीमारी तो हर साल होती रहती है, इसलिये इसके कारणों की जांच करने की कोई खास आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मुख्यतः किन जिलों में यह बीमारी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जो सूचना प्राप्त हुई है वह तो इन जिलों में होने के समाचार मिले हैं। इलाहाबाद, सहारनपुर, वृन्दावन, देहरादून, हाथरस, गोरखपुर, फैजाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, लखनऊ और रामपुर।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार को विदित है कि तेल में अडल्टरेशन होना भी इसका एक कारण बताया गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इसकी तो कोई सूचना नहीं है कि यह भी एक कारण है।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किस-किस जिले से कितने-कितने केसेज होने की सूचना मिली है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इलाहाबाद १०, सहारनपुर ३३, वृन्दावन १, देहरादून १, हाथरस १, गोरखपुर १, फैजाबाद ३, शाहजहांपुर २, कानपुर १२, लखनऊ ३६३, रामपुर ३।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---अभी तक कितनी मृत्युएं इससे हो चुकी हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को सूचना मिली है कि पीलिया अधिकतर उन्हीं को हुआ है जो यहां से दिल्ली गये थे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---यह भी एक कारण हो सकता है, पर वैसे कोई सूचना नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन जिलों में पीलिया रोग है उन जिलों के अस्पतालों के लिये कोई विशेष ग्रान्ट भी दी गई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी नहीं। इसके लिये कोई अलग से ग्रान्ट नहीं दी गई।

रामपुर जिले के खास विभाग के अन्तर्गत क्षेत्रों में जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम लागू करने का विचार

**६---श्री कृष्णशरण आर्य---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर जिले के खास विभाग के अन्तर्गत क्षेत्रों में जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम लागू करने का सरकार ने निश्चय कर लिया है ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)---जी हां।

**७---श्री कृष्णशरण आर्य---यदि हां, तो कब से सरकार का उक्त निश्चय कार्यान्वित होगा तथा क्या मंत्री जी तत्सम्बन्धी जारी किये गये आदेश एवं बनाये गये नियमों की प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम रामपुर जिल के खास विभाग के अन्तर्गत क्षेत्रों में २६ जनवरी, १९५६ से लागू होगा। तत्-सम्बन्धित आदेश शीघ्र ही सरकारी गजट में सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित कर दिये जायंगे। इस सम्बन्ध में कोई विशेष नियम नहीं बने हैं, वर्तमान नियम ही वहां आवश्यकतानुसार लागू होंगे।

श्री कृष्णशरण आर्य---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस नियम के लागू होने से रामपुर के कितने गांवों पर असर पड़ेगा और उन गांवों से सरकार की रेवेन्यू की आमदनी क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार ने यह निश्चय, इस प्रकार का, केवल रामपुर के लिये ही किया है या दूसरे जिलों के लिये भी किया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—अभी तो रामपुर का ही सवाल है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या रामपुर में जो बड़े-बड़े हजारों एकड़ के फार्म हैं उन सबको भूमिधरी का अधिकार मिल जायगा?

श्री जगनप्रसाद रावत—अगर इस नियम के मातहत आवेंगे तो मिल जायगा।

श्री तेजप्रताप सिंह—वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से अभी तक खाम विभाग में ऐसा कानून लागू नहीं किया जा सकता है?

श्री जगनप्रसाद रावत—अब तो लागू होने वाला है।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या रामपुर जिले के खाम इलाके के किसानों को भी १० गुना देकर भूमिधरी के अधिकार मिलेंगे, जब कि वहां कोई मध्यवर्ती सरकार का प्रतिकर देने के लिये नहीं है?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह तो अधिनियम देखने से पता चल सकता है। जैसे भी नियम हैं वे लागू होंगे।

बलिया जिले की बांसडीह टाउन एरिया के उपनिर्वाचन के विजयी उम्मीदवार का गजट में नाम न छपने की शिकायत

**८—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि जिला बलिया की बांसडीह टाउन एरिया का उपनिर्वाचन हुये कितना समय बीत गया?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—यह उप-निर्वाचन सितम्बर ५, १९५५ को हुआ था।

**९—श्री उमाशंकर—क्या यह सच है कि उक्त टाउन एरिया के विजयी उम्मीदवार का नाम अब तक सरकारी गजट द्वारा घोषित नहीं किया गया?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, विजयी उम्मीदवार का नाम सरकारी गजट दिनांक सितम्बर १०, १९५५, पार्ट ३ (Part III), पृष्ठ ३४६ पर छप चुका है।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि इस विजयी उम्मीदवार ने कोई प्रार्थना-पत्र सरकार के पास दिया है कि अब तक वह किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया है?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि इस निर्वाचन की तारीख क्या थी?

श्री सैयद अली जहीर—मैंने बतलाया कि ५ सितम्बर, १९५५ बाई-इलेक्शन को थी।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार को पता है कि इस उम्मीदवार ने अखबारों में यह प्रचार किया है बयान देकर कि उन्हें किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया?

श्री अध्यक्ष—अखबार की खबर के ऊपर प्रश्न नहीं हो सकता है।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के बाहर कुटीर उद्योग विभाग द्वारा खोले गये स्टालों का आय-व्यय

*१—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या यह सत्य है कि कुटीर उद्योग विभाग ने प्रदेश के बाहर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य बड़े-बड़ नगरों में स्टाल्स खोले हैं? यदि हां, तो किन नगरों में और उन पर वार्षिक क्या व्यय होता है?

नियोजन मंत्री के सभा-सचिव (श्री बनारसीदास)—जी हां, दिल्ली के अतिरिक्त नागपुर में गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्रैफ्ट की शाखा खोली गई है। कलकत्ता और हैदराबाद में शाखायें खोलने के लिये सरकारी आज्ञा दी जा चुकी है। चूंकि नागपुर में इसी महीने शाखा खोली गई है अतः वार्षिक व्यय का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

*२—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन स्टालों से अलग-अलग प्रतिवर्ष कितनी आय होती है?

श्री बनारसीदास—दिल्ली शाखा पर वित्तीय वर्ष १९५४-५५ में ३५,१७३ रुपये की आय हुई। अन्य शाखाओं से वार्षिक व्यय का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नागपुर शाखा खोलने से पहले आय-व्यय का तखमीना लगाया गया था? यदि हां, तो उसका कैपिटल एक्सपेन्डीचर क्या हुआ?

श्री बनारसीदास—इस वित्तीय वर्ष में नागपुर, कलकत्ता और हैदराबाद के लिये डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज को कुल ५५,७४३ रुपये की स्वीकृति दी गई है। चूंकि नागपुर में अभी शाखा खुली है, इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि कितनी आय और खर्चा होगा।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—नागपुर शाखा में मासिक कितना रैंकरिन्ग खर्चा होता है?

श्री बनारसीदास—यह तो एक प्रकार से कार्मशियल व्यय होता है, इसके आंकड़े भी अभी सरकार के पास नहीं आये हैं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—दिल्ली का स्टाल फायदे पर चल रहा है या हानि पर?

श्री बनारसीदास—जैसा कि अभी बतलाया गया है, ५४-५५ का विवरण हमको प्राप्त है, जिसमें कुल आय ३५,१७३ रुपये की हुई। खर्चा काट कर नेट इनकम ४,७७२ रुपये हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह बात सही है कि नागपुर में जो हैन्डीक्राफ्ट की दूकान जनवरी में खुली बताई है वह ६ महीने पहले से किराये पर ली गई थी और उसका ६ महीने का किराया दिया गया बिना वहां कोई स्टाल खोले हुये?

श्री बनारसीदास—इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि वह दूकान कब किराये पर ली गई, लेकिन यह सही है कि जनवरी में उसे खोला गया।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—नागपुर शाखा का स्टाफ किस तिथि से नियुक्त हुआ?

श्री बनारसीदास—वह स्टाफ तो डाइरेक्टर द्वारा ही नियुक्त होता है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तिथि का प्रश्न किया था।

श्री बनारसीदास—वैसे इन स्थानों पर नये केन्द्र खोलने की आज्ञा तो सरकार ने सितम्बर में दी थी और उसके बाद डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज ने कदम उठाया होगा, लेकिन किस तिथि से नियुक्त किया गया स्टाफ, इसकी इत्तिला तो बाद में यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो मंगा कर दी जा सकती है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या यह सही नहीं है कि नागपुर में दूकान अभी तक भी नहीं खुली है और उसमें कोई भी स्टाफ अभी तक यहां से नहीं गया है ?

श्री बनारसीदास---जी नहीं, वह ९ जनवरी से खुल गई है।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या यह सत्य नहीं है कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन के द्वारा कुटीर उद्योग विभाग ने एक स्टाल बम्बई में खोला हुआ है ?

श्री बनारसीदास---यह सही है कि बम्बई में प्राविन्शियल मार्केटिंग फेडरेशन की तरफ से उनकी वहां एक एम्पोरियम है। इंडस्ट्रियल विभाग की तरफ से हैन्डीक्राफ्ट का माल उसमें दिया जाता है। इसके लिये उनको १० हजार रुपया सहायता भी दी गयी है।

कानपुर शहर में स्टेट इन्श्योरेंस कारपोरेशन की ओर से खुलने वाला अस्पताल

*३---**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (जिला कानपुर)---क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट इन्श्योरेंस कार्पोरेशन की ओर से कानपुर शहर में कोई अस्पताल बनने जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां, आशा है कि आगामी वर्ष में अस्पताल बनने का कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

*४---**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित**---क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह अस्पताल किस कीमत से बनेगा और उसमें कितनी चारपाइयां होंगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इस अस्पताल के निर्माण कार्य में २७·५६ लाख रुपया व्यय होगा। इसमें १६४ चारपाइयां (Beds) होंगी।

*५---**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित**---क्या मंत्री महोदय ने उक्त अस्पताल के लिये किसी भूमि को चुन लिया है ? यदि हां, तो कहां पर ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां। लाजपतराय अस्पताल के निकट ग्रांड ट्रंक रोड के पास डेवलपमेन्ट बोर्ड की भूमि मोल लेने का निश्चय किया गया है।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह अस्पताल कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---यह उत्तर में बता दिया गया है कि आगामी वर्ष में इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायगा। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितनी जल्दी वह तैयार हो सकता है।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जमीन डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के आफिस के पास में ली गयी है या किसी दूसरी जगह ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---यह बताया जा चुका है कि वह लाजपतराय अस्पताल के करीब ग्रान्ड ट्रंक रोड पर डेवलपमेंट बोर्ड से यह जमीन ली जा रही है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---यह जो अस्पताल कानपुर में खोला जायगा उसमें प्रादेशिक सरकार का रुपया लगेगा या केन्द्रीय सरकार का या दोनों सरकारों का ? यदि हां, तो कितना-कितना ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---खर्चा तो प्रान्तीय सरकार का ही होगा । इसकी कोई सूचना नहीं है कि केन्द्रीय सरकार का भी उसमें कोई हिस्सा होगा।

फैजाबाद नियोजन समिति को श्रमदान से निर्मित सड़कों को पक्का करने के लिए स्वीकृत धन

*६---**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फैजाबाद की नियोजन समिति ने तीन माह पहले जिले में श्रमदान द्वारा निर्मित सड़कों को पक्का करने के लिये ९८,००० रुपये की स्वीकृति के लिये एक पत्र डेवलपमेंट कमिश्नर के पास भेजा ?

श्री फूलसिंह---जी हां ।

*७---**श्री रामनारायण त्रिपाठी**---यदि हां, तो यह स्वीकृति कब दी गई और यदि आज तक नहीं दी गई, तो क्यों ?

श्री फूलसिंह---स्वीकृति १२ दिसम्बर, १९५५ को प्रदान कर दी गई है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र डेवलपमेंट कमिश्नर को किस तारीख को प्राप्त हुआ था और उसकी स्वीकृति में देर क्यों हुई ?

श्री फूलसिंह---गालिबन अक्तूबर में यह पत्र आया था ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी संबंधित अधिकारियों को इस बात की हिदायत देंगे कि यह रुपया इसी बजट वर्ष में खर्च कर दिया जाय जिससे रद्द न हो जाय ?

श्री फूलसिंह---ऐसा तो शायद संभव न हो सकेगा क्योंकि सड़कों के निर्माण में पहले प्लान बनाये जाते हैं फिर एप्रूवल आदि होते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ९८ हजार रुपया जो सड़कों को पक्का करने के लिये दिया गया है वह किस फंड से दिया गया है ?

श्री फूलसिंह---मेरे ख्याल से यह रुपया उन सड़कों को पक्का करने के लिये दिया गया है जो श्रमदान से बनी थीं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह पी० डब्ल्यू० डी० के सेंकशन्ड वर्क में से हैं अथवा लोकल डेवलपमेंट वर्क्स में ?

श्री फूलसिंह---सेंक्शन्ड वर्क्स वह वर्क्स हैं जो प्लानिंग विभाग में रखे जाते हैं। यह रुपया जो पहले खर्च नहीं हुआ था उसके लिये यह आदेश जारी किये गये कि उसको अब खर्च कर दिया जाय।

राज्य के मेटरनिटी सेंटर्स

*८---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि राज्य में कुल कितने मेटरनिटी सेंटर्स हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इस समय राज्य में निम्नलिखित ५४० मैटरनिटी सेन्टर्स हैं :---

१---सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित	..	३७६
२---सरकार के कम्युनिटी प्रोजेक्ट द्वारा संचालित ..	..	६२
३---जिला बोर्ड द्वारा संचालित ..	..	२३
४---म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा संचालित ..	..	४३
५---रेड क्रास द्वारा संचालित ..	..	२३
६---विभिन्न ट्रस्टों द्वारा संचालित ..	..	१३
कुल	..	५४०

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इन सेन्टरों पर प्रत्येक वर्ष कितना व्यय होता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह पूरे प्रदेश में जो ५४० मेटरनिटी सेन्टर्स हैं उनमें से शहरों में कितने हैं और गांवों में कितने हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न यह पूछा था कि राज्य में कुल कितने सेन्टर्स हैं इसलिये जो सूचना वह चाह रहे हैं उनकी तफसील मेरे पास नहीं है। अगर वह उसके सम्बन्ध में अलग प्रश्न करेंगे तो उनको बता दिया जायगा।

*९-१०---श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---[स्थगित किये गये।]

हैण्डीक्रैफ्ट के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गए धन का वितरण

*११---श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी---क्या यह सत्य है कि हैन्डीक्रैफ्ट के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष कोई ग्रान्ट दी है ? यदि हां, तो किस किस योजना पर और किस आधार पर उसे बांटा जा रहा है ?

श्री बनारसीदास---(अ) जी हां।

(ब) इस ग्रान्ट को निम्नलिखित योजनाओं के विकास के लिये प्रयोग में लाया जा रहा है :---

१---हार्न योजना
२---विद्री योजना
३---प्राइवरी योजना
४---लकड़ी तथा अन्य संबंधित उद्योगों की योजना
५---क्वालिटी मार्किंग योजना
६---चिकन एम्ब्राइडरी योजना
७---तारकशी योजना

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि कुल कितनी ग्रान्ट और किस रूप में केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुई है ?

श्री बनारसीदास—वह तो बताया जा चुका है कि वह किन किन चीजों के विकास के लिये मिला और कुल आवर्त्तक और अनावर्त्तक ग्रान्ट जो मिली है, वह १,१७,५८७ रुपये की है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो ग्रान्ट बांटी जाती है उस को बांटने में किस दृष्टिकोण से फैसला होता है कि किस हैन्डीक्रैफ्ट में कितने खर्च की आवश्यकता होती है ?

श्री बनारसीदास—वह तो जैसी आवश्यकता होती है उसके लिये उतने रुपये की ही स्वीकृति दी जाती है, और जो यह ७ उद्योग हैं उनको निम्न आवर्त्तक और अनावर्त्तक ग्रान्ट दी जाती है :—

	आवर्त्तक	अनावर्त्तक	योग
	रु०	रु०	रु०
हार्न उद्योग	१६,०६८	२,७५०	१८,८१८
बिद्री उद्योग	१२,६३४	१,०००	१३,६३४
आइवरी	५,७१०	३,०००	८,७१०
वुड ऐण्ड अदर एलाइड उद्योग इंस्पेक्शन डिपो ऐट मुरादाबाद	२६,२३४	८,०००	२४,२३४
फार पक्की कलई ..	२२,९४५	७,०००	१९,९४५
चिकन एम्ब्रायडरी ..	११,८४६	१,०००	१२,८४६
तारकशी ..	७,९००	१,५००	९,४००
योग ..	९३,३३७	२४,२५०	१,१७,५८७

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो ग्रान्ट दी जाती है क्या वह उद्योग के रोजगारी लोगों से परामर्श कर के दी जाती है ?

श्री बनारसीदास—जहां तक हेन्डीक्रैफ्ट्स के विभाग का सवाल है वह उद्योग विभाग के मातहत और तमाम योजनायें उद्योग विभाग के संचालक के द्वारा जाती हैं और उसी आधार पर ग्रान्ट मिलती हैं।

जौनपुर जिले के विकास ब्लाक

*१२—**श्री बाबूनन्दन**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिला में किन-किन तहसीलों में विकास ब्लाक खुलने जा रहा है ?

श्री फूलसिंह—जौनपुर जिले में तीन एन० ई० एस० ब्लाक खुल चुके हैं इसलिये इस साल अब कोई और ब्लाक नहीं खुलेगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त (सन् १९६१ ई०) तक जौनपुर की सभी तहसीलों में खुल जावेगा।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ये ब्लाक्स किस सन् में खोलने जा रहे हैं ?

श्री फूलसिंह---इसी साल।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या जौनपुर में जितने भी एन० ई० एस० ब्लाक्स खोले जा रहे हैं इन पांच सालों के अन्दर उनके लिये तारीखें निश्चित हो चुकी हैं और जगहें भी निश्चित हो चुकी हैं?

श्री फूलसिंह---सब ब्लाक्स बन चुके हैं और उनकी डेट्स तो नहीं मगर टाइम हो गया है तमाम प्रान्त के लिये कि उस जिले में कितने-कि ने खुलेंगे?

बस्ती जिले के जोगिया उदयपुर में एलोपैथिक अस्पताल खोलने की प्रार्थना

*१३---श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के जोगिया उदयपुर स्थान पर एलोपैथिक अस्पताल खोलने के लिये सरकार के पास जिले के प्रमुख एम० पी०, एम० एल० ए०, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तथा नियोजन समिति के सदस्यों का प्रार्थना-पत्र आया है? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री बनारसीदास---जी हां, इस पर अगले वर्ष विचार किया जायेगा।

श्री प्रभुदयाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की जिला बोर्ड ने और मेडिकल बोर्ड ने इसके लिये सरकार को लिखा है?

श्री बनारसीदास---यह सही है कि वहां जिला परामर्शदात्री समिति ने इसकी सिफारिश की है और यह प्रश्न वहां की जिला बोर्ड ने भी चलाया था।

श्री प्रभुदयाल---क्या सरकार को यह मालूम है कि बहुत पिछड़े हुये इलाके वहां हैं उसको देखते हुये, और उस जिले की मांग को देखते हुये जल्दी से जल्दी अब तक इस अस्पताल को खोल दिया जायगा?

श्री बनारसीदास---जी हां, इसी वजह से अगले वर्ष इस पर विचार किया जायगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने कहा है कि अगले साल इस पर विचार किया जायगा। क्या यह अस्पताल खोलने की योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखी गयी है या नहीं?

श्री बनारसीदास---जी हां, पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार के सभी स्थान शामिल हैं और किसी भी जगह पर अस्पताल खोला जाय या नहीं इसका प्रत्येक वर्ष निर्णय किया जायगा। यहां पर कुछ भवन आदि की कठिनाइयां थीं जिसकी वजह से इस वर्ष विचार नहीं किया जा सकता। अगले वर्ष विचार किया जायगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा-सुविधायें देने के लिये एलोपैथिक व होम्योपैथिक डाक्टरों तथा हकीमों व वैद्यों को सहायता

*१४---श्री तेजप्रताप सिंह---क्या स्वास्थ्य मंत्री मेरे प्रश्न संख्या १७, दिनांक २८-९-५५ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि इस स्कीम के अन्तर्गत अब तक कितने एलोपैथिक व होम्योपैथिक डाक्टरों को सहायता दी गई है और वे डाक्टर किन स्थानों पर काम कर रहे हैं और कब से?

श्री बलदेवसिंह आर्य---आवश्यक सूचना संलग्न सूची 'क' 'ख' में है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७०६ पर)

*१५—श्री तेजप्रताप सिंह—तारीख २८-६-५५ के प्रश्न संख्या १७ के सम्बन्ध में सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक कितने वैद्यों व हकीमों को इस योजना के अन्तर्गत सहायता दी है ? और यह कहां रक्खे जा रहे हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—७ वैद्यों व २ हकीमों को सहायता दी गई। संलग्न सूची ग में स्थानों के नाम दिये हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७०७ पर)

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि एलोपैथिक और होम्योपैथिक डाक्टरों के कुल कितने प्रार्थना-पत्र सबसिडी के लिये आये हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एलोपैथिक डाक्टरों को जो सबसिडी दी गई थी वह सन् १९४८ में दी गई थी। क्या उसके बाद से कोई सबसिडी उनको नहीं दी गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं, यह स्कीम सन् ४८ से आरम्भ हुई थी।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या होमियोपैथिक डाक्टरों को जो सबसिडी दी गई थी वह सन् ५५ में दी गई थी और क्या इसके पहले स्कीम नहीं चली थी ; इस वजह से नहीं दी गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां। सन् ५५ से दी गई है।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि वैद्यों और हकीमों की ओर से बहुत से प्रार्थना-पत्र सबसीडी के लिये पड़े हुये हैं और उन पर कोई विचार नहीं हुआ है ? केवल ९ ही व्यक्तियों को सबसिडी दी गई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं। ऐसा तो नहीं है। जैसे-जैसे प्रार्थना-पत्र आते रहते हैं उसी के हिसाब से बजट को देखते हुये विचार होता रहता है। यह भी देखा जाता है कि वह कहां पर अपना चिकित्सालय खोलना चाहते हैं और आया उस स्थान पर कोई दूसरा अस्पताल है या नहीं ? दूसरी बात यह है कि वह रूरल एरियाज में जाकर काम करना चाहते हैं या नहीं ? इन सब बातों पर विचार करते हुए इन प्रार्थना-पत्रों का निर्णय किया जाता है।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे जो जांच इस प्रकार की कराई जाती है वह किस अधिकारी के द्वारा कराई जाती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—डिप्टी डायरेक्टर जो आयुर्वेद के हैं या संचालक चिकित्सा विभाग के हैं वे अपने मातहत अधिकारियों द्वारा या स्वास्थ्य अधिकारी जो जिले में हैं उनके द्वारा जांच-पड़ताल कराई जाती है।

बस्ती जिले में चरखे के सूत पर दो आने प्रति गुण्डी बढ़ोत्तरी

*१६—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी जो चर्खे के सूत के ऊपर दो आना बढ़ोत्तरी प्रति गुण्डी सूत पर घोषित किया गया है वह आदेश जिला बस्ती में भी लागू है ? यदि नहीं ? तो क्यों, यदि हां, तो कब से ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—(अ) जी हां।

(ब) २४ सितम्बर, १९५५ से।

प्रदेश में खुलने वाले आयुर्वेदिक औषधालय तथा एलोपैथिक अस्पताल

*१७—श्री धनुषधारी पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष किन-किन जिलों में एलोपैथिक अस्पताल तथा आयुर्वेदिक औषधालय खोला जा रहा है, तथा उन जिलों में पूर्व से कितने अस्पताल तथा औषधालय रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूची सदस्यों की मेज पर रख दी गई है। †

आजमगढ़ जिले में कुष्ट रोग औषधालय खोलने की मांग

*१८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में कुष्ट रोग दूर करने का कोई केन्द्र है ? यदि हां, तो कहां ?

श्री बनारसीदास—आजमगढ़ जिले में कोई कुष्ट चिकित्सालय नहीं है।

*१९—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार को जानकारी है कि घोसी तथा आजमगढ़ सदर अस्पताल द्वारा कुष्ट रोग के कुछ रोगियों की दवाई होती है ?

श्री बनारसीदास—जी हां।

*२०—श्री रामसुन्दर पांडेय—यदि हां, तो सन् १९५३-५४ और ५५ में अलग-अलग इन अस्पतालों में कितना-कितना व्यय हुआ है ?

श्री बनारसीदास—इन अस्पतालों में कुष्ट रोगियों के चिकित्सा पर खर्च का ब्योरा उपलब्ध नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन दोनों अस्पतालों में कितने रोगियों की दवाई होती है ?

श्री बनारसीदास—इन अस्पतालों के अन्दर कितने रोगियों का इलाज हुआ यह सूचना तो मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि इन दोनों अस्पतालों के आसपास के गांवों में अधिक कुष्ट रोग के रोगी हैं। यदि हैं, तो ऐसा क्यों ?

श्री बनारसीदास—यह सही है कि आजमगढ़ के अन्दर उस रोग के काफी रोगी हैं और इसलिये सरकार का इरादा है कि वहां पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक आश्रम खोले।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में यह आश्रम खोला जायगा या कब तक खोला जायगा ?

श्री बनारसीदास—इस सम्बन्ध में अभी तक संचालक से और हेल्थ आफिसर्स से यह रिपोर्ट मांगी है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद यह निर्णय किया जायगा।

*२१-२३—श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)—[स्थगित किये गये।]

---

† सूची छापी नहीं गयी है।

नोट—तारांकित प्रश्न १६-१७ श्री राजाराम शर्मा ने पूछे।

देवरिया जिले के कुशीनगर अस्पताल के खिलाफ शिकायत

*२४--श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुशीनगर (कसिया) देवरिया में अस्पताल है ? यदि हां, तो उसमें कितने मरीजों की रहने की जगह है और कितने मरीज रोज दवा लेते हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--कसिया, जिला देवरिया में एलोपैथिक चिकित्सालय है जिसमें १० मरीजों के रहने की जगह है। लगभग ५५ मरीज रोज दवा लेते हैं।

*२५--श्री रामसुभग वर्मा (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि अस्पताल में दवा न होने के कारण डाक्टर चिट्ठा बना देते हैं या अपने क्वार्टर पर निजी दवाइयों का दाम लेकर देते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार की सूचना इसके विपरीत है।

राज्य में मलेरिया से मृत्युयें

*२६--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रान्त में २ मार्च, ५३ से २० मार्च, सन् ५५ तक मलेरिया में कितनी मृत्यु हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--१ मार्च, १९५३ से ३१ मार्च तक मलेरिया से २,०७,०७० मृत्यु हुई ।

श्री रामेश्वरलाल--क्या माननीय मंत्री के पास ऐसे आंकड़े मौजूद हैं और वे बतला सकते हैं कि मलेरिया के रोगियों की देवरिया, गोरखपुर और आजमगढ के जिलों में कितनी संख्या है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

राज्य के तपेदिक क्लिनिक

*२७--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रान्त में कितने अस्पताल ऐसे हैं जिनमें तपेदिक क्लिनिक का काम होता है ?

श्री बनारसीदास--सूचना संलग्न तालिका में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७०८ पर)

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि जिन अस्पतालों में बिजली का काम हो रहा है वहां और भी मरीज रक्खे जाते हैं ?

श्री बनारसीदास--जहां टी० बी० के अस्पताल हैं वहां तो टी० बी० के ही मरीज रक्खे जाते हैं लेकिन जहां क्लीनिक्स हैं तो उन अस्पतालों के कम्पाउन्डस में टी० बी० के मरीज भी रहते हैं और दूसरे मरीजों के रहने की भी व्यवस्था होती है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में जो क्लिनिक है उसमें इनडोर पेशेन्ट रखने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री बनारसीदास--जहां तक इलाहाबाद क्लिनिक का सम्बन्ध है वहां इनडोर पेशेन्ट की व्यवस्था नहीं है लेकिन इलाहाबाद के अन्दर एक नया अस्पताल टी० बी० के मरीजों [illegible]या जा रहा है और जो गालिबन जल्दी ही शुरू होने वाला है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो सूची उन्होंने बतलायी है उनमें कितने अस्पतालों में रोगियों के लिए शैय्याएं हैं और कितने में बाहरी मरीजों का इलाज होता है ?

नोट--तारांकित प्रश्न २४-२५ श्री रामेश्वर लाल ने पूछे।

श्री बनारसीदास---अध्यक्ष महोदय, वह सूची काफी लम्बी है। इसमें जिलेवार दिया गया है और काफी जिले हैं जिनमें शय्याओं का प्रबन्ध है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उत्तर दूं।

श्री अध्यक्ष---वह पूरी संख्या चाहते हैं।

श्री बनारसीदास---पूरी संख्या तो जोड़ लगा कर बतायी जा सकेगी। लेकिन मुख्यतः सबसे अधिक शैय्याएं भुवाली के अन्दर हैं जिनकी संख्या ३२० है। गोठिया में ६५, डाकपत्थर में ८८, ब्रजसेवा समिति में ५६, टी० बी० क्लिनिक, लखनऊ में ६० और इस प्रकार से और करीब-करीब सात स्थान हैं। करीब १० ऐसे स्थान हैं जहां तीन से लेकर २५ तक शय्याएं हैं और क्लिनिक्स हैं जहां पर प्रायः प्रत्येक के अन्दर चार शैय्याएं हैं।

सोहवल ग्राम, जिला गाजीपुर में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की योजना

*२८---श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले के देहाती क्षेत्रों में इस वर्ष (५५-५६) कितने आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक अस्पताल कहां-कहां खोलने की योजना है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---एक राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय सोहवल ग्राम में खोला जा रहा है।

झांसी डिवीजन में ग्राम सेवकों के चुनाव के लिये प्रार्थना-पत्र

*२९---श्री तेजप्रताप सिंह---क्या सरकार बतायेगी कि झांसी डिवीजन के लिये होने वाले ग्रामसेवकों के चुनावों में सन् ५४-५५ में पृथक-पृथक कितने प्रार्थना-पत्र आये? इन प्रार्थियों की क्या योग्यता थी और इनमें से किस योग्यता के लोग चुने गये?

श्री फूलसिंह---झांसी डिवीजन के ग्रामसेवकों के चुनाव में सन् १९५४ में ४०४ और १९५५ में १,८२५ प्रार्थना-पत्र आये। न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल थी और इसी योग्यता तथा इससे अधिक योग्यता के प्रार्थियों को चुना गया था।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि इस चुनाव के लिए ऐसा विज्ञापन निकला था कि केवल वही हाई स्कूल विद्यार्थी एप्लाई कर सकेंगे जिन्होंने सेकेंड डिवीजन प्राप्त किया हो?

श्री फूलसिंह---प्रार्थना-पत्रों की संख्या जब अधिक होती है तो थर्ड डिवीजनर्स को इंटरव्यू में आने का कष्ट नहीं दिया जाता।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस विज्ञापन की वजह से बहुत से थर्ड डिवीजनर्स एप्लाई नहीं कर सके और उससे वंचित रह गये?

श्री अध्यक्ष---यह तो नतीजा आप खुद निकाल सकते हैं। वह तो मान लेते हैं।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस चुनाव में बहुत से थर्ड डिवीजनर्स भी सेलेक्ट किये गये?

श्री फूलसिंह---मैं नहीं कह सकता इस बात को। लेकिन डी० ओ० के सम्बन्ध में मालूम है कि सेकेंड डिवीजनर्स को लिया गया और एक्सेप्शन उन थर्ड डिवीजनर्स के लिये किया जो पोलिटिकल सफरर्स, हरिजन या सर्विसमेन हों। गालिबन इसमें भी यह बात हुई होगी।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि झांसी डिवीजन में जो ग्राम सेवकों का चुनाव हुआ इसके लिए कोई बोर्ड था ? यदि हां, तो उसके मेम्बर कौन कौन थे ?

श्री फूलसिंह---हर डिवीजन में ग्राम सेवकों के चुनाव के लिए एक बोर्ड होता है जिसमें डी० डी० ओ०, डी० एम० और डी० डी० सी० होते हैं।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या यह सही है कि पहले जिलों में चुनाव होता है और बाद में डिवीजन में होता है ?

श्री फूलसिंह---जिलों में कोई बोर्ड नहीं बैठता । उम्मीदवार वहीं से कम कर दिये जाते हैं।

रामपुर जिले की शाहाबाद तहसील में मलेरिया की रोकथाम के अपनाये गये साधन

*३०---श्री कृष्ण शरण आर्य---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जिले में तहसील शाहाबाद के रामगंगा के पार वाले ग्रामों तथा शाहाबाद कस्बे में इस वर्ष मलेरिया का प्रकोप जुलाई मास के अन्त से बहुत अधिक हो रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---हां, मलेरिया रामपुर जिले में तहसील शाहाबाद के राम गंगा के पार वाले ग्रामों तथा शाहाबाद कस्बे में अगस्त, १९५५ में अधिक रहा ।

*३१---श्री कृष्ण शरण आर्य---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मलेरिया के इस भीषण प्रकोप से जनता के प्राण एवं स्वास्थ्य रक्षार्थ चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य विभागों की ओर से क्या क्या उपाय और कब कब किये गये ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---मलेरिया के फैलने की सूचना के मिलने पर तुरन्त ही इसको रोकने की पूरी योजना चालू कर दी गई । Paludrine tablets, Quinarcrine tablets. Avloclor tablets, and Quinine Sulph---जिनका ब्योरा संलग्न सूची "अ" में दिया हुआ है, उन ग्रामों तथा शाहाबाद कस्बे में स्वास्थ्य विभाग, ग्राम सभाओं, लेखपाल, पुलिस विभाग तथा प्रमुख लोगों द्वारा बांटे गये। यह कार्य क्रम नवम्बर, १९५५ के मध्य तक चलता रहा इसके अलावा शाहाबाद अस्पताल में भी मरीजों के चिकित्सा का पूरा इन्तजाम किया गया। इस सम्बन्ध में जितनी दवाइयां उक्त अस्पताल में प्रयोग की गईं उनका ब्योरा सूची "ब" में दिया गया है।

डी० डी० टी० के छिड़काव का भी प्रबन्ध किया गया था परन्तु बाढ़ की वजह से यह कार्य न हो सका ।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ ७०९ पर)

श्री कृष्णशरण आर्य---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय लोग होते हैं उसके जरिये से जिला स्वास्थ्य अधिकारी को सबसे पहले कब सूचना मिली कि वहां मलेरिया फैल रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इसकी तो सूचना मेरे पास नहीं है कि स्वास्थ्य अधिकारी को इसकी सूचना कब मिली। लेकिन यह सूचना है कि जैसे ही उनको खबर हुई उन्होंने तुरन्त ही मलेरिया रोकने की कार्यवाही उस क्षेत्र में प्रारम्भ कर दी।

श्री कृष्ण शरण आर्य---क्या यह सही नहीं है कि जून के आखीर से वहां मलेरिया शुरू हो गया था तेजी के साथ और जिला स्वास्थ्य अधिकारी को सबसे पहले ४ सितम्बर को इसकी सूचना मिली और वह भी अपने जरिये से नहीं बल्कि स्थानीय एम० एल० ए० के जरिये से ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---यह बात तो जो मेरे पास सूचना है उससे सही मालूम नहीं पड़ती । लेकिन माननीय सदस्य अगर ऐसा कहते हैं तो मुमकिन है उनकी सूचना सही हो ।

श्री कृष्ण शरण आर्य---क्या यह सही है कि ४ सितम्बर को सूचना मिलने पर भी जिला स्वास्थ्य अधिकारी वहां पर नहीं गये थे और ६ अक्तूबर को गये जब कि एक स्थानीय एम० एल० ए० सूचना ले कर गये थे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी नहीं, बात ऐसी नहीं है । तहसील शाहाबाद में रामगंगा के पार गांव है वहां बाढ आ जाने से रास्ता बिल्कुल बन्द हो गया था, इसलिये वहां के स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्त्ता ठीक समय पर नहीं पहुंच सके, बाढ़ की वजह से यही कारण था ।

श्री कृष्ण शरण आर्य---क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जहां इतना अधिक मलेरिया रहा और जहां कई गावों में लगभग १०० आदमी मरे मलेरिया से उसको ऐन्टी मलेरिया स्कीम के अन्तर्गत शामिल कर लिया जाय ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां, रामपुर तथा बरेली जिलों में एक नेशनल मलेरिया कन्ट्रोल यूनिट कार्य कर रही है जो इन जिलों में मलेरिया निरोधक का कार्य करती है । ऐसी यूनिटें बड़े क्षेत्रों में डी० डी० टी० के छिड़काव का कार्य कर रही हैं। इससे १० लाख व्यक्तियों को लाभ होता है । यह कार्य तो वहां पर हो ही रहा है और उसके लिये सरकार की ओर से व्यवस्था कर दी गई है ।

गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील के देहाती क्षेत्रों में औषधालय खोलने की मांग

*३२---श्री गौरीराम (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के फरेंदा तहसील के देहाती क्षेत्रों में इस वर्ष कितने आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक चिकित्सालय कहां कहां खोलने की योजना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस साल तो कोई न खोला जा सका । अगले वर्ष कुछ स्थानों पर विचार होगा ।

*३३---श्री गौरीराम (अनुपस्थित)---[स्थगित किया गया ।]

श्रमदान द्वारा निर्मित सड़कों का रख-रखाव

*३४---श्री अवधेशचन्द्र सिंह (जिला फर्रुखाबाद)---क्या नियोजन मंत्री कृपा कर यह बतायेंगे कि प्रदेश में श्रमदान द्वारा बनी हुई कच्ची व पक्की सड़कों के रख-रखाव की क्या व्यवस्था है ?

श्री फूलसिंह---श्रमदान द्वारा निर्मित सड़कों का रखरखाव श्रमदान द्वारा ही होता है, जब तक कि किसी सड़क को जिला बोर्ड, पी० डब्ल्यू० डी० या अन्य किसी संस्था के हवाले नहीं कर दिया जाता ।

श्री अवधेश चन्द्र सिंह---क्या सरकार का इरादा भविष्य में इन तमाम सड़कों के रखरखाव के लिये जिला बोर्ड या पी० डब्ल्यू० डी० के अन्तर्गत ले लेने का है ?

श्री फूल सिंह---पी० डब्ल्यू० डी० के अन्तर्गत सब सड़कों के लेने का अभी विचार नहीं है और न सम्भव ही है । जिला बोर्ड अगर ऐसी ख्वाहिश जाहिर करे तो उस पर विचार हो सकता है ।

श्री अवधेश चन्द्र सिंह---क्या सरकार के पास द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ऐसी कोई योजना है कि वह श्रमदान द्वारा बनी हुई १०० मील सड़कों को अपने नियन्त्रण में ले लेवे ?

श्री फूलसिंह---जी नहीं।

श्री रामेश्वर लाल---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि श्रमदान से बनी हुई सड़कें बरसात में प्रायः नष्ट हो जाया करती हैं और यदि हां, तो मंत्री जी ने कैसे यह कहा कि श्रमदान से ही उनकी रक्षा होती है ?

श्री फूलसिंह---बरसात में तो कच्ची सड़कें सभी चाहे श्रमदान से बनी हों और चाहे सरकार की हों खराब होती हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार ने कोई ऐसा निश्चय किया है कि केवल उन्हीं श्रमदान की सड़कों को अनुदान दिया जायगा जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल होंगी ?

श्री फूल सिंह---यह भी एक बात ध्यान में रखी जाती है अनुदान देते समय।

फैजाबाद जिले में ग्रामोद्योगों की अवनति के कारण

*३५---**श्री मदनगोपाल वैद्य** (जिला फैजाबाद)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत ५ वर्षों में फैजाबाद जिले में किन-किन ग्रामोद्योगों की उन्नति तथा अवनति हुई है ?

श्री बनारसी दास---इस जिलें में गत ५ वर्षों में मुख्यतः निम्नलिखित उद्योगों की उन्नति हुई :

हाथ करघा उद्योग, खादी उद्योग, काष्ठ उद्योग, छपाई उद्योग, गुड़ उद्योग, ईंट बनाने का उद्योग। कम्बल बनाने तथा बर्तन बनाने का काम हल्का हो गया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि करघा उद्योग की अवनति होने के कारण पिछले दो वर्षों में सैकड़ों कारीगर पाकिस्तान भाग गये ?

श्री बनारसी दास---इस प्रकार की कोई सूचना सरकार को तो नहीं है कि वहां से लोग पाकिस्तान चले गये हैं। इन दो सालों के अर्से के अन्दर वैसे करघा उद्योग की तो काफी उन्नति हुई है।

श्री मदनगोपाल वैद्य---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले में जो औद्योगिक विद्यालय बन्द हो गये हैं उनको वह पुनः खोलना चाहती है ?

श्री बनारसीदास---जहां पर आवश्यकता होगी और जिनको खोला जा सकता होगा, उसके खोलने पर अवश्य विचार किया जायगा।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि कम्बल उद्योग की अवनति का कारण ऊन का प्राप्त न होना है ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी उसकी उन्नति के लिए ऊन वहां सप्लाई करने की व्यवस्था पर विचार करेंगे ?

श्री बनारसी दास---वह व्यवस्था तो की जा सकती है लेकिन वास्तव में इस कार्य में कमी आने की वजह तो यह है कि इसके मार्केट में थोड़ी मन्दी आ गई है, और जगह से बेहतर किस्म के कम्बल आ सकते हैं।

गोंडा तथा बस्ती जिलों में नेशनल मलेरिया कण्ट्रोल यूनिट के क्षेत्र को बढ़ाने का विचार

*३६--श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को पता है कि मलेरिया निरोधक कार्य जो बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के उत्तरी क्षेत्र में हो रहा है वहां करीब १०० गांव ककरहवा बाजार के पूरब तरफ जो कि राज नैपाल से मिले हुए हैं और जिन गांवों में मलेरिया का प्रकोप जोरों से रहता है इस कार्य से छूट गए हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में ककरहवा बाजार के पूरब में सिर्फ १६ ही ग्राम ऐसे हैं जो कि मलेरिया निरोधक योजना में नहीं शामिल हैं।

*३७--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)--क्या सरकार उन छूटे हुए गांवों में मलेरिया निरोधक कार्य शीघ्र शुरू कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार गोंडा-बस्ती जिले में एक नेशनल मलेरिया कन्ट्रोल प्रोग्राम की यूनिट कायम करने का विचार कर रही है । जब यह यूनिट कायम हो जावेगी तो यह बचे हुए ग्राम भी मलेरिया निरोधक योजना में सम्मिलित कर लिए जावेंगे ।

बांदा जिले में बरगढ़ के निकट शीशे का कारखाना खोलने की मांग

*३८--श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री (जिला बांदा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले के बरगढ़ स्टेशन के पास शीशा (कांच) तैयार करने वाली बालू पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है ?

श्री बनारसीदास--जी हां ।

*३९--श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री--यदि हां, तो क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उसके उपयोग के लिये कोई ग्लास फैक्टरी खोलने का विचार कर रही है ?

श्री बनारसी--जी नहीं ।

श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री--क्या माननीय उद्योग मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग विभाग इस बात की जांच कराने की कृपा करेगा कि उस स्थान पर कांच का उद्योग शुरू किया जा सकता है ?

श्री बनारसी दास--यानी इस तरह का क्षेत्र एक तो शंकरगढ़ में है और एक बांदा जिले के अन्दर बरगढ़ है जो मानिकपुर लाइन पर पड़ता है। यहां पर सैंड पाया जाता है जो कि ग्लास के लिए काफी उपयुक्त होता है । इसलिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार चाहती है कि सैंड को साफ करने के लिये एक कारखाना खोले लेकिन वह शंकरगढ़ के अन्दर ही खोला जा सकता है क्योंकि बरगढ़ में जो सैंड पाया जाता है वह उतना अच्छा नहीं है इसलिए वहां ग्लास का कारखाना नहीं खोला जा सकता। दूसरे ग्लास का कारखाना खोलने के लिए यह भी आवश्यकता होती है कि मार्केट नजदीक होना चाहिये, केवल यही नहीं कि सैंड अच्छी होनी चाहिए ।

सरकारी सीमेंट फैक्टरी, मिर्जापुर को चूना के लिये उचित पत्थर न मिलना

*४०--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ) (अनुपस्थित) --क्या यह सही है कि सरकारी सीमेन्ट फैक्टरी (जिला मिर्जापुर) में क्वायरीज मैनेजर न होकर केवल एक जियोलोजिस्ट ही उस पद पर कार्य कर रहे हैं ?

नोट:-- तारांकित प्रश्न ३६--३७ श्री राजाराम शर्मा ने पूछे ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां,। जियोलाजिस्ट ही क्वेरीज मैनेजर का कार्य संभाल रहे है। क्वेरीज मैनेजर की नियुक्ति का प्रश्न सरकार के विचारधीन है।

*४१—**श्री झारखंडे राय** (अनुपस्थित)—क्या सरकार को सूचना प्राप्त हुई है है कि सीमेन्ट फैक्टरी को पूरी मात्रा में पत्थर खदान से नहीं प्राप्त होता ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—लगभग ८५ प्रतिशत चूने का पत्थर कारखाने के लिये मिल रहा है। ऊपरी तह से प्राप्त पत्थर में मिट्टी और शेल (shale) की मात्रा अधिक है पत्थर का उत्पादन बढ़ाने के लिये अतिरिक्त श्रम तथा खदान सज्जा का प्रबन्ध किया जा रहा है।

*४२—**श्री झारखंडे राय** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि जिस खदान से पत्थर सीमेन्ट फैक्टरी को जाता है उसमें उत्तम श्रेणी का पत्थर नहीं मिल रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, किन्तु पत्थर में मिट्टी व शैल अधिक मात्रा में है।

कुष्ठ रोग की रोक थाम के लिये कार्य

*४३—**श्री जगदीश सरन** (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कुष्ट रोगियों की संख्या कितनी है, जिसमें बरेली जिले में कितने हैं?

श्री बनारसी दास—निश्चित संख्या उपलब्ध नहीं है। अनुमानतः उत्तर प्रदेश में करीब २ या ३ लाख कुष्ठ रोगी हैं। बरेली जिले के लिये कोई निश्चित सूचना प्राप्त नहीं है।

*४४—**श्री जगदीश सरन**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस भयानक संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्तियों की रक्षा के लिए एवं शेष जनता को उससे बचाने के लिये सरकार ने अब तक क्या किया है और क्या और करने का विचार कर रही है ?

श्री बनारसी दास—कुष्ठ से ग्रसित रोगियों का रक्षा एवं जनसाधारण को उससे बचाने के लिये जो कुछ भी सरकार ने अब तक किया है या निकट भविष्य में करने का विचार रखती है उसका विवरण सदन की मेज पर सदस्यों के सूचनार्थ रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७१०—७११ पर)

देवरिया सदर के सब-रजिस्ट्रार की अदालत में रजिस्ट्री के मामले

*४५—**श्री रामेश्वर लाल**—क्या मादक-कर मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि देवरिया जिला के देवरिया सदर के सब रजिस्ट्रार की अदालत में कितने रजिस्टी के मामले सन् १९५४ में दाखिल हुये और रजिस्टर्ड हुये ?

मादक-कर मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—सन् १९५४ में ३३८४ लेखपत्र (documents) दाखिल तथा रजिस्टर किये गये। सन् १९५३ के शेष ६९० लेखपत्र भी १९५४ में रजिस्टर किये गये।

नोट :—तारांकित प्रश्न ४४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

लखनऊ राजकीय अकूपेशनल इन्स्टीट्यूट के विद्यार्थियों को स्टाइपेण्ड न मिलने की शिकायत।

*४६—श्री रामेश्वर लाल—क्या सरकार लखनऊ राजकीय आकूपेशनल इन्स्टीट्यूट में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को २५ रु० स्टाइपेंड देती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

*४७—श्री रामेश्वर लाल—क्या सरकार के पास ऐसी शिकायत आई है कि उक्त विद्यालय के कुछ विद्यार्थियों को ९ माह का स्टाइपेंड नहीं दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्लास पोलीटेक्नीक और रेफ्रीजरेशन और एअर कंडीशनिंग क्लास, गवर्नमेंन्ट टेक्निकल इन्स्टीटयूट, लखनऊ के विद्यार्थियों को पिछले वर्ष १९५४-५५ में स्टाइपेंड नहीं दिया गया, क्योंकि यह दो क्लासेज नये खोले गये थे। इनके बजट में स्टाइपेंड का अनुदान नहीं किया गया था, इसलिये प्रत्येक विद्यार्थियों से, जो इन दोनों कक्षाओं में भर्ती किया गया था, साफ-साफ कह दिया गया था कि वे लोग स्टाइपेंड के अधिकारी नहीं होंगे और इसी शर्त पर उन लोगों को भर्ती किया गया था ।

*४८-५०—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—[स्थगित किये गये ।]

मिर्जापुर जिले की धुरमाक्वैरी फैक्टरी में मजदूरी के संबंध में पूछताछ

*५१—श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि धुरमा क्वैरी मिर्जापुर में प्रति व्यक्ति तथा मशीन से पत्थर खोदाई का खर्च प्रति टन क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस प्रश्न का इस समय उत्तर देना उचित नहीं होगा क्योंकि यह फैक्टरी एक व्यावसायिक संस्था है और इस बारे में आजकल हाई कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है ।

एन० ई० एस० ब्लाक आवागढ़, जिला एटा का सिंचाई का कार्य

*५२—श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)—क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एन० ई० एस० ब्लाक आवागढ जिला एटा में कितना क्षेत्रफल असिंचित था और उस क्षेत्रफल का कितना भाग अब तक ब्लाक द्वारा सिंचित में परिवर्तित किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस ब्लाक का लगभग १२१२९ एकड़ क्षेत्र असिंचित था जिसमें से ६३० एकड़ नवम्बर मास तक सिंचित में परिवर्तित कर दिया गया है ।

*५३—श्री चिरंजीलाल जटाव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि असिंचित क्षेत्र में किन साधनों द्वारा सिंचाई का प्रबन्ध किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस काम के लिये कुएं, रहट, बोरिंग तथा पम्पिंग सेट आदि सिंचाई साधनों का प्रबन्ध किया गया है ।

*५४—श्री चिरंजीलाल जाटव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि ब्लाक तीन साल की अवधि में असिंचित क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र में बदलने के लक्ष को पूरा करने का विचार रखती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, प्रत्येक ब्लाक में सिंचाई के लिये १ लाख रुपये तक व्यय हो सकते हैं। इस लागत में जितना काम हो सकेगा किया जायगा।

*५५–श्री व्रजविहारी मिश्र---[१६ जनवरी, १९५६ को प्रश्न १८ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

श्रमदान से बनी भीमताल-रानीबाग मोटर रोड के लिये जिला प्लानिंग कमेटी नैनीताल को अनुदान के लिये अस्वीकृति

*५६--श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि जिला प्लानिंग कमेटी नैनीताल ने सर्वसम्मति से सरकार से निवेदन किया है कि श्रमदान से बनाई जा रही भीमताल-रानीबाग मोटर रोड को विकास कमिश्नर महोदय के फंड से २५,००० रु० का अनुदान दिया जाये ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस सड़क को देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि अभी इस पर इतनी रकम व्यय करना ठीक न होगा, क्योंकि यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है। इसलिये २५,००० रुपये का अनुदान देने के विषय में सरकार ने मंजूरी प्रदान नहीं की है ।

गाजीपुर जिले में ग्राम सेवकों की भर्ती में पिछड़ी जाति के लोग

*५७--श्री शिवपूजन राय---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गाजीपुर जिले में कुल कितने ग्राम सेवकों की भर्ती की गई है तथा उसमें कितने हरिजन और कितने पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---३८, इनमें हरिजन कोई भी नहीं हैं तथा पिछड़ी जाति के है ।

डुमरियागंज तहसील के विस्कोहर तथा खंडसरी के निकट कालाजार के रोकथाम की मांग

*५८---श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह ज्ञात है कि तहसील डुमरियागंज के उत्तर राप्ती भाग स्थान विस्कोहर तथा खंडसरी के पास पड़ोस में कालाजार का विशेष प्रकोप है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस हिस्से में कालाजार की बीमारी है लेकिन पहिले से कम-क्योंकि इस भाग में लगभग सभी ग्राम एन्टी मलेरिया स्कीम में सम्मिलित हैं जिसकी वजह से सैंड फ्लाई (Sand-fiy) जो कि कालाजार बीमारी की विक्टर (Vector) है उसका भी नाश हो जाता है ।

*५९---श्री रामलखन मिश्र---क्या स्वास्थ्य मंत्री उपर्युक्त स्थानों पर कुछ काल के लिये डाक्टर भेज कर परिचर्या कराने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी हाल में ही जनवरी, ५५ से लेकर जून, ५५ तक विस्कोहर में एक कालाजार यूनिट कार्य करती रही और इसके अन्तर्गत ४४२, कालाजार के मरीजों का इलाज किया गया यही नहीं बल्कि मेडिकल आफीसर, इन्चार्ज इटावा बटनी जिनको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कालाजार बीमारी के लिये दवाइयां प्राप्त होती हैं, ऐसे मरीजों में उन दवाइयों को बाटते हैं ।

पीलीभीत जिले की ग्राम सभा अमराकरोड को नियोजन से स्वीकृत धन

*६०---श्री हरि प्रसाद (जिला पीलीभीत)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला पीलीभीत में ग्राम सभा अमराकरोड को कितना-कितना रुपया १९५२, ५३,५४ तथा ५५ ई० में प्लानिंग से मंजूर हुआ और उस रकम में से कितनी दे दी गई और कितनी देना बाकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—*सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है।

*सूची छापी नहीं गयी।

*६१—**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)—[स्थगित किया गया।]

कोआपरेटिव बीवर्स सोसाइटी छितही, जिला बस्ती के विरुद्ध शिकायत

*६२—**श्री रामनारायण त्रिपाठी**—क्या उद्योग मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि कोआपरेटिव सोसाइटी छितही, जिला बस्ती (मगहर स्टोर से सम्बन्धित) के विरुद्ध सरकारी रिवेट के धन के गबन तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में उनको दिसम्बर, ५४ में कोई शिकायती पत्र मिला था ?

श्री चन्द्रभान गुप्त—जी हां, मिला था।

*६३—**श्री रामनारायण त्रिपाठी**—यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच करायी जा रही है।

लखनऊ और आगरा मेडिकल कालेजों को सहायता का ब्योरा

*६४—**श्री देवकीनन्दन विभव**—क्या स्वास्थ्य मंत्री कोई ऐसा तुलानात्मक विवरण सदन में उपस्थित करेंगे जिससे यह ज्ञात हो कि गत चार वर्ष में लखनऊ और आगरा के मेडिकल कालेजों को किस-किस मद में कितनी सहायता मिली ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आवश्यक सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७१२ पर)

आगरा अस्पताल के नेत्र विभाग में शय्याओं की संख्या

*६५—**श्री देवकीनन्दन विभव**—क्या मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि आगरा अस्पताल के नेत्र विभाग में कितनी शैय्याएं हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—साठ।

गवर्नमेंट हैण्डी क्राफ्ट्स एम्पोरियम, लखनऊ को माल सप्लाई करने में भुगतान के सम्बन्ध में शिकायत

*६६—**श्री मुश्ताक अली खां** (जिला बदायूं)—क्या सरकार को यह मालूम है कि गवर्नमेन्ट हैन्डीक्राफ्ट्स] एम्पोरियम लखनऊ में जो माल दूसरी जगह से आता है या जो काम दूसरी जगह से कराया जाता है उसकी कीमत छै-छै, आठ-आठ महीने तक अदा नहीं होती ? इसका क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक सरकार को ज्ञात है मूल्य चुकाने में इतना समय नहीं लगता।

जौनपुर जिले में गृह-उद्योगों के लिये सहायता

*६७—**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में मुख्यतः कौन-कौन गृह उद्योग चल रहे हैं और उनकी उन्नति के लिये गत तीन वर्षों में सरकार ने किस-किस रूप में कितनी-कितनी सहायता दी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "ज" आगे पृष्ठ ७१३ पर)

नैनीताल जिले में गृह-उद्योगों की उन्नति के लिए सहायता

*६८--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नैनीताल जिले में कौन-कौन मुख्य गृह-उद्योग चल रहे हैं और उनकी उन्नति के हेतु गत दो वर्षों में सरकार द्वारा किस रूप में कितनी-कितनी सहायता दी गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस जिले में निम्नलिखित मुख्य उद्योग चल रहे हैं:--

करघा उद्योग, ऊन उद्योग, ताड़ गुड़ उद्योग, काष्ठ उद्योग, क्रीडा वस्तु उद्योग, चर्म उद्योग ।

गत दो वर्षों में सरकार द्वारा निम्नलिखित सहायता दी गई :--

१--११,२५० रुपये की आर्थिक सहायता दी गई ।

२--४ करघा सहकारी समितियों का संगठन किया गया ।

३--ऊन योजना के अन्तर्गत १ रंगाई तथा बुनाई केन्द्र और ६ कताई केन्द्र खोले गये हैं ।

४--क्रीडा वस्तुयें बनाने, काष्ठकला तथा पेन्सिल बनाने, सिलाई तथा कढ़ाई और बुनाई में प्रशिक्षण के लिये ४ औद्योगिक शिक्षालय चल रहे हैं तथा दो सहकारी समितियां संगठित की गई हैं।

५--ताड, गुड़ उद्योग की ट्रेनिंग के लिये एक केन्द्र चल रहा है जिसमें १६ व्यक्तियों को शिक्षित किया गया ।

*६९--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुमायूं के सीमावर्ती इलाकों में ऊन उद्योग को बढ़ाने की योजना में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वांछित सूचना एकत्र की जा रही है । उपलब्ध होने पर माननीय सदस्य को भेज दी जायगी ।

आजमगढ़ जिले में बुनकरों की आर्थिक दशा सुधारने के कार्य

*७०--श्री ब्रज बिहारी मिश्र--क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले में कोपागंज, बड़ागांव, मऊ, मुबारकपुर, नरियांव, अतरौलिया तथा बूढनपुर के बुनकरों की दशा सुधारने के लिये गत दो वर्ष से उनके सहायतार्थ कौन से कार्य किये गये हैं और आगामी वर्ष में क्या-क्या कार्य करने का सरकार का विचार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--गत दो वर्षों में एक बुनकर सहकारी समिति अतरौलिया में और दो उत्पादक सहकारी समितियां मऊ में स्थापित की गईं । बुनकर सहकारी समितियों को ९६, ५५८ रु० १४ आ० ९ पाई की आर्थिक सहायता दी गई । कोपागंज व मुबारकपुर में एक-एक बिक्री केन्द्र खोला जा रहा है । मऊ में एक बिक्री केन्द्र खुल चुका है ।

आगामी वर्ष में आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता दी जायगी तथा अन्य प्राप्य सुविधायें, जैसे बिक्री पर छूट, बिक्री केन्द्र चलाने का व्यय तथा उन्नतशील यंत्रों का वितरण, दी जायेंगी ।

फर्रुखाबाद जिले में गृह उद्योगों के लिए सहायता

*७१--श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद में मुख्यतः कौन-कौन गृह-उद्योग चल रहे हैं और उनको वित्तीय वर्ष १९५३-५४ तथा १९५४-५५ में सरकार से अलग-अलग कितनी-कितनी सहायता दी गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ७१४ पर)

बस्ती जिले के गृह उद्योगों के लिये सहायता

*७२--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की प्रत्येक तहसील में मुख्यतः कौन-कौन गृह उद्योग चल रहे हैं और उनकी उन्नति के लिये गत दो वर्षों में सरकार से किस रूप में कितनी-कितनी सहायता दी गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वांछित सूचना एकत्र की जा रही है । उपलब्ध होने पर माननीय सदस्य को भेज दी जायगी ।

गोंडा जिले के धानेपुर बाजार अस्पताल में डाक्टर न होने की शिकायत

*७३--श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में धानेपुर बाजार के अस्पताल में कितने दिनों से डाक्टर नहीं है और उनकी अनुपस्थिति में उक्त अस्पताल में रोगियों की देखभाल कौन करता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---डाक्टर काम कर रहा है ।

हाथ से बने कागज पर सरकारी खर्च

*७४--श्री रामेश्वर लाल---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि राज्य में हाथ से बना कागज प्रतिवर्ष कितना तैयार होता है और कितने व्यक्ति इस उद्योग में लगे है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---राज्य में लगभग ६८,०००रु० के मूल्य का हाथ का बना कागज प्रति वर्ष तैयार होता है । इस उद्योग में लगभग १२० परिवार लगे हैं।

*७५---श्री रामेश्वर लाल---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कितने रुपयों का हाथ का बना कागज सरकार ने अपने इस्तेमाल के लिये सन् १९५४-१९५५ में खरीदा या आर्डर दिया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सन् १९५४-५५ में राज्य सरकार ने अपने प्रयोग के लिये १५,२७५ रुपये का हाथ का बना कागज खरीदा ।

देवरिया जिले में रेशम उद्योग को पनपाने के कार्य

*७६---श्री रामेश्वर लाल---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या देवरिया जिला में रेशम उद्योग को पनपाने के लिये प्रयास किया जा रहा है ? यदि हां, तो चालू वर्ष में कितने व्यक्तियों को कीड़े बांटे गये एवं प्रशिक्षित किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---(अ) जी हां ।

(ब) ३५ कीड़े पालने वालों को कीड़ों के अंडे दिये गये ।

३० शिक्षार्थियों को रेशम के कीड़े पालने की शिक्षा दी गई ।

गोंडा जिले के मलाऊ स्थान पर ए० डी० ओज० की ट्रेनीज की नौकरी के सम्बन्ध में पूछ ताछ

*७७--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गत वर्ष जो गोंडा जिले के मलाऊ, स्थान पर ए० डी० ओज० की ट्रेनिंग हुई उसमें कितने व्यक्तियों ने ट्रेनिंग पाई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--७७ व्यक्तियों ने ।

*७८--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार यह बतायेगी कि उनमें से कितने व्यक्ति अभी तक सर्विस पर नहीं लगाये गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--१ व्यक्ति ।

*७९--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार बतायेगी कि उनमें हरिजन व पिछड़ी जाति के कितने थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--१ व्यक्ति हरिजन था। पिछड़ी जाति का कोई न था।

एन० ई० एस० ब्लाक बाह, जिला आगरा के बजट में ऋण तथा सहायता के लिये धन

*८०--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एन० ई० एस० ब्लाक बाह, जिला आगरा के बजट में कितना रुपया विविध प्रकार के (loan) और (subsidy) के लिये निश्चित है और उसमें से अभी तक प्रत्येक मद में कितना-कितना दिया जा चुका है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इसकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ७१५ पर)

एन० ई० एस० ब्लाक बाह, जिला आगरा म श्रमदान के कार्यों से संबंधित अनुदान

*८१--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस ब्लाक में कितना कार्य श्रमदान द्वारा हुआ और उसके सम्बन्ध में कितना अनुदान देय था और कितना अभी तक दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस ब्लाक में श्रमदान द्वारा होने वाले कामों की सूची भी सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी है। इस सम्बन्ध में सरकार को ६,८१५ रु० अनुदान देना था जो दिया जा चुका है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ७१६ पर)

गोरखपुर जिला अन्तर्गत चौरी-चौरा में चमड़ा सिझाने का कारखाना खोलने की आवश्यकता

*८२--श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार गोरखपुर जिले में चौरी-चौरा गांव में कोई चमड़ा एकत्र करने एवं उसको सिझाने (ट्रेनिंग) का कारखाना खोलने जा रही है ?

श्री चन्द्रभान गुप्त--जी नहीं ।

सामुदायिक विकास योजना केन्द्र भटहट, जिला गोरखपुर में कलात्मक शिक्षण कक्षाओं पर व्यय

*८३--श्री केशव पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सामुदायिक विकास योजना केन्द्र भटहट के अन्तर्गत इस समय कितने कलात्मक शिक्षण स्कूल चल रहे हैं और इन स्कूलों पर सरकार का क्या खर्च पड़ता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सामुदायिक विकास योजना केन्द्र भटहट में निम्नलिखित कलात्मक शिक्षण कक्षायें चल रही हैं और उनका व्यय निम्नलिखित है :--

		रु०
१--- बढ़ईगीरी कक्षा २---चर्मकला कक्षा	..	९,७८०
३---बटन उत्पादन कक्षा ४---लोहारी कक्षा	..	२२,१५०
५---महिला सिलाई कक्षा	..	५,१७२
	योग ..	३७,१०२

आजमगढ़ जिले में मऊनाथभंजन तथा सरायमीर में लेदर टैनिंग सेंटर खोलने का विचार

*८४--श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के मऊनाथभंजन तथा सरायमीर में चमड़े सिझाने एवं जूता तैयार करने का कारखाना कब से खुलने जा रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इन स्थानों में चालू वित्तीय वर्ष में लेदर टैनिंग सेन्टर खोलने का विचार है ।

समाचार-पत्रों में १७ जनवरी, १९५६ की कार्यवाही के प्रकाशन के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री रामकृष्ण आर्य (जिला रामपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, कल की कार्यवाही के सम्बन्ध में अखबारों में जो रिपोर्ट छपी है उसकी ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं मेरे कमरे में आकर आप उसको बता दीजियेगा।

राज्य पुनस्संगठन आयोग के प्रतिवेदन पर भारत सरकार के उत्तर प्रदेश संबंधी निर्णय के विषय में पूछताछ

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं इस बात की प्रतीक्षा में था कि मुख्य मंत्री शायद आज या कल यहां रहें लेकिन चूंकि वे नहीं हैं और आज सदन का अन्तिम दिन है इसलिये एक प्रश्न जानना चाहता हूं। राज्य पुनस्संगठन के सम्बन्ध में

केन्द्रीय सरकार ने कुछ निश्चय ले लिये हैं जो कि अखबारों में प्रकाशित हुये हैं। उसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश जैसा है वैसा ही रहेगा। जो हमने यहां प्रस्ताव पास किया था उसमें कुछ माइनर ऐजस्टमेंट्स की बात थी और रिहैन्ड डैम के आस-पास कुछ क्षेत्र को मिलाने की बात भी थी। माननीय न्याय मंत्री यहां बैठे हुये हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि हमारे इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निश्चय किया है इसके बारे में उनको कुछ सूचना है या केन्द्रीय सरकार से बातचीत चल रही है। अगर वह गोपनीय है तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे सदन को उससे अवगत करायें।

श्री अध्यक्ष---माननीय न्याय मंत्री कुछ सूचना देना चाहते हैं आप ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मुझे कुछ खास सूचना तो देना नहीं है, सिर्फ यह है कि तय यह हुआ था कि जो डिबेट हाउस में हुई है वह केन्द्रीय सरकार के पास भेज दी जायगी और उस पर वह कार्यवाही करेगी और अपना फैसला देगी। किन्तु आखिरी फ़ैसला क्या हुआ है इसकी कोई आफिशल इन्फ़ार्मेशन अभी गवर्नमेंट के पास नहीं आयी है। वह जब आयेगी तो मुझे यकीन है कि वह हाउस के सामने रख दी जायगी।

प्रश्न संख्या ७० का उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न संख्या ७० सूची में दिया हुआ है परन्तु इसका उत्तर मुझे नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं अब तो प्रश्नों का समय निकल गया है। अगर आप को उत्तर नहीं मिला है तो मेरे दफ्तर से ले लें अगर यहां से गलती हुई है और अगर सरकार के यहां से न आया हो तो मैं मंगवा के आप को दे दूंगा। (कुछ क्षण पश्चात्) इसमें दस्तखत मौजूद हैं। यह आप को दिया जा चुका है। मैं समझता हूं शायद आप से कहीं खो गया है या किसी ने उठा लिया है।

हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर की परामर्शदात्री समिति के लिए एक सदस्य के निर्वाचन की घोषणा

श्री अध्यक्ष---अब मैं यह घोषणा करता हूं कि हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर की परामर्शदात्री समिति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में नाम वापसी के लिये कल ५ बजे तक का समय निर्धारित किया गया था और क्योंकि उक्त समिति के लिये केवल श्री तेज प्रताप सिंह का नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुआ था जो समय के भीतर वापस नहीं लिया गया, अतः श्री तेज प्रताप सिंह विधिवत् निर्वाचित घोषित किये जाते हैं।

स्थानीय स्वशासन स्थायी समिति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन की घोषणा

श्री अध्यक्ष---मैं घोषणा करता हूं कि स्थानीय स्वशासन संबंधी संस्थायें स्थायी समिति में श्री मलखान सिंह द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये निर्वाचन के सम्बन्ध में नाम वापसी के लिये कल ४ बजे तक का समय निर्धारित किया गया था और क्योंकि उक्त समिति के लिये केवल श्री गज्जूराम झा का नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुआ था, जो समय के भीतर वापस नहीं लिया गया, अतः श्री गज्जूराम विधिवत् निर्वाचित घोषित किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का विधेयक, १९५५ खण्ड ६ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---अब २,३ और ४ नम्बर पर, जो आइटम्स कार्यक्रम में दिये हुये हैं उसके बारे में यह विधेयक अभी तक छप कर नहीं आया है और चूंकि सदन में नहीं आया है इसलिये मैं इसकी इजाजत तो दूंगा नहीं। इसलिये आइटम नम्बर ५ अर्थात् उत्तर-प्रदेश राज्य विधान मन्डल के अधिकारियों और सदस्यों मन्त्रियों, उप-मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों का) विधेयक, १९५५, पर विचार जारी रहेगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, कल श्री जयरामजी वर्मा का जो संशोधन था कि क्लाज ६ का उपखंड पहला और दूसरा निकाल दिया जाय और उसकी जगह केन्द्रीय सरकार की अनुमति से प्रथम श्रेणी के रेलवे पास की व्यवस्था की जाय। इस सम्बन्ध में विचार विनिमय चल रहा था। मैं जब माननीय जयराम जी वर्मा के संशोधन के विरोध में बोल रहा था तो इस संशोधन के विरोध में बोलने की आवश्यकता इस प्रकार से थी कि यदि हर यात्रा के लिये चाहे वह सदन में उपस्थित होने के लिए हो या किसी सरकारी कमेटी में उपस्थित होने के लिए हो, उसी समय के लिए इस पास का प्रयोग नहीं हो पायेगा, बल्कि हर यात्रा के लिये, जो विधान सभा के सदस्य करने लगें उसमें भी प्रयोग हो सकेगा। इसलिये यदि इसका खर्चा जोड़ा जायगा तो वर्तमान समय में जो खर्चा पड़ रहा है उससे कई गुना ज्यादा खर्चा बढ़ सकता है केवल इसी खर्च को सामने रखते हुए कि उसमें खर्चे की वृद्धि होती जायगी हम इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं। यों तो यदि खर्च की वृद्धि न हो और जो रुपया सदस्यों को किराये के रूप में दिया जा रहा है, उससे कम खर्च की व्यवस्था हो तो पुनः इस पर विचार किया जा सकता है और उस समय विरोध की रूपरेखा दूसरे प्रकार की हो सकती है। मगर इस समय जो सरकारी विधेयक प्रस्तुत है वह इतना ही कह रहा है कि जहां ड्योढ़ा मिलता है उसको दुगुना कर दिया जाय और सरकार के पक्ष के लोग कहते हैं कि ड्योढ़े में जो रकम दी जाती थी दुगुने में उससे कम होगी तो माननीय जयराम जी वर्मा का संशोधन मान लिया जाय तो सरकारी रूप में जैसा कि विधेयक प्रस्तुत है उससे कई गुनी रकम बढ़ जायगी।

श्रीमन्, मुझे मालूम नहीं है कि इस रकम की वृद्धि की बात माननीय जयराम जी वर्मा के संशोधन प्रस्तुत करते समय उनके सामने थी या नहीं। इसलिए मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि तनिक वह इस ओर देखें कि जब यह विधेयक इसी तरह से पास हो जायगा और हर विधान सभा का सदस्य पास से यात्रा करेगा और खर्चा जोड़ा जायगा तो वर्तमान व्यवस्था से कहीं ज्यादा खर्चा होगा या नहीं। मैं समझता हूं कि वह हमारे तर्क से सहमत होंगे और सोचेंगे कि यदि पास की व्यवस्था हर यात्रा के लिए कर दी जाय तो उसका खर्चा वर्तमान व्यवस्था से ज्यादा हो जायगा। यों तो सरकार द्वारा क्लाज ६ के उपखंड (क) को देखा जाय तो उसमें सत्रकाल लिखा हुआ है और इस अवधि में दस दिन से कम यदि विधान सभा के सदस्य उपस्थित हों और जो यात्रा करें उसके लिए उनको दस दिन का दैनिक भत्ता १०० रुपये के बराबर किराये का पैसा मिल सकता है। इस तरह से सरकारी विधेयक का अर्थ निकलता है। हमने श्रीमन्, पहले ही बता दिया था कि जिस रूप में आज यह सरकारी विधेयक यहां प्रस्तुत हुआ है वह निहायत ही गलत है और उसमें से एक गंध आती है। गंध ही नहीं सत्य बात है .....

---

†१२ दिसम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह प्रश्न सामने नहीं है। आप अपना भाषण सीमित रखें। जो संशोधन है आपके सामने उसी पर आप रहें।

श्री राजनारायण---इसके लिए तो मैं कह रहा हूं और इसके साथ-साथ मैं विरोध में भी बोलता जाता हूं।

श्री अध्यक्ष---इस समय तो आपके सामने संशोधन है। विरोध के लिए तो आप फिर बोलेंगे, जब पूरे क्लाज का आप विरोध करें। उसके लिये मैंने इजाजत नहीं दी।

श्री राजनारायण---तो मेरा इतना ही कहना है श्रीमन्, कि माननीय मंत्री जी द्वारा जो क्लाज रखा गया है उसके हम विरोध में हैं और आपने जैसा कहा कि उसका विरोध करने के लिए हमको मौका मिलेगा....

श्री अध्यक्ष---वह तो अन्त में जब आवेगा जब कि इस क्लाज के खिलाफ आप .....

श्री राजनारायण---वह तो है ही और इस सदन के हर सम्मानित सदस्य को इसका विरोध करना चाहिए। तो जब हम माननीय मंत्री जी के क्लाज के ही विरोध में हैं तो माननीय जयराम वर्मा जी को समझना चाहिए कि जिसके पास में कोई अवधि भी नहीं है, किसी यात्रा की संख्या भी नहीं, जिसमें यह भी नहीं कि यहां के सदन की बैठक में या कमेटियों में आने जाने के लिए ही इसका प्रयोग होगा, तो उनके ऐसे पास के विरोध में तो हमें जाना ही पड़ेगा। मैंने पहले कह दिया कि यदि इसको वे किन्हीं शर्तों के साथ रखें तो उन पर सोच विचार किया जा सकता है, लेकिन जिस रूप में यह संशोधन है वह तो यहां के खजाने पर बड़ा बोझ लादेगा। तो जब हम वर्तमान धाराओं के विरोध में हैं, तो उस हिसाब से उनके संशोधन के तो और विरोध में हैं। इतना ही कह कर मैं प्रार्थना करूंगा सदन के सदस्यों से कि जो सरकार के द्वारा प्रस्तुत विधेयक की धारायें हैं उनका वह विरोध करें और श्री जयराम जी अपना यह संशोधन वापस लें।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, प्राचीन समय में विधायक का स्थान बहुत ऊंचा था और वह बहुत महत्व का स्थान माना जाता था। अर्वाचीन काल में भी जब कि प्रजातांत्रिक पद्धति चल रही है, तो भी, उसके पद का स्थान कोई नीचा नहीं हुआ है। अभी भी विधायक का स्थान उतने ही महत्व का है और प्रजातांत्रिक तरीके को सफलतापूर्वक चलाने के लिये यह आवश्यक है कि उसके स्थान को वही महत्व दिया जाय और उस महत्व के स्थान से संबंधित जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करने के लिए उसको उसी तरह की सुविधायें प्रदान की जायं। अगर सुविधायें प्रदान नहीं की जाती हैं तो इस पद से संबंधित जो जिम्मेदारी है उसका ठीक तरीके से वहन नहीं हो सकता है। मेरे साथी श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने कहा कि इसको मंजूर करने से करोड़ों रुपया व्यर्थ में खर्च होगा जो पैसा दूसरे उपयोगी कामों में खर्च होता। श्री राजनारायण जी का इतना ही कहना है कि रुपया ज्यादा खर्च होगा। मैं समझता हूं कि अगर इस प्रस्ताव का यह परिणाम होने वाला है कि जिससे करोड़ों रुपया व्यर्थ में खर्च हो जायगा तो मैं इसके लिये तैयार नहीं हूं और मैं इसको वापस कर लूंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसी व्यवस्था के लिये कारण बनूं कि जिसके कारण करोड़ों रुपया व्यर्थ में खर्च हो जाया। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर वह इसको जरा ठीक से सोचें तो जो मैंने प्रस्ताव उपस्थित किया है उससे वह समझेंगे कि करोड़ों रुपया व्यर्थ में खर्च होने वाला नहीं है। जो व्यवस्था वर्तमान विधेयक में है उन दोनों सुविधाओं के स्थान पर मैंने पास की व्यवस्था की मांग की है।

[श्री जयराम वर्मा]

जो वर्तमान विधेयक है उसमें हर यात्रा के लिए अधिवेशन में आने के लिए फर्स्ट क्लास का दुगना किराया मिलेगा। हर सत्रकाल में और विधान मंडल की किसी उपसमिति का अधिवेशन होगा तो उसमे आने जाने के लिए अगर सदस्य १० दिन से कम के लिए अनुपस्थित रहता है तो इस प्रदेश में जहां वह जायगा उसको वहां तक आने जाने का किराया मिलेगा। अगर वह किराया ज्यादा होता है तो १० दिन का दैनिक भत्ता मिलेगा। इस प्रकार से जो खर्चा अधिवेशन में आने के लिये और अधिवेशन से अनुपस्थिति के लिये वर्तमान व्यवस्था की हैसियत से होगा उससे पास देने में खर्चा कभी भी ज्यादा नहीं होगा। इसी सन् ५५ को देखा जाय तो मार्च तक ६ सत्र होंगे। तो ६ सत्र के प्रत्येक सदस्य को १२ फर्स्ट क्लास किराया मिलेगा और यह व्यवस्था जब हो जायगी तो १० दिन तक वह अगर बाहर जायगा और फिर आयेगा तो उसके लिये भी उसको फर्स्ट क्लास का दुगुना किराया मिलेगा या दैनिक भत्ता मिलेगा। इस प्रकार से ६ सत्रकाल में ६ बार अगर मान लिया जाय कि वह अनुपस्थित रहता है तो ६ बार फर्स्ट क्लास का दुगुना किराया उसको मिलेगा और ६ बार अधिवेशन में आने जाने के लिए किराया मिलेगा इस तरह से २४ फर्स्ट क्लास किराया मिलेगा। मैं नहीं समझता हूं कि २४ बार से ज्यादा उनकी यात्रा होगी। बहुत से सज्जन बेकार में रोज यात्रा करने वाले नहीं हैं। सदस्यों को जब जरूरत होगी किसी भी स्थान पर जाने की अपनी जिम्मेदारी को निभाने के सम्बन्ध में तो तभी वह यात्रा करेगा। वैसे उसके पास इतना बेकार समय नहीं है कि चूंकि पास मिल गया है इस लिए वह इधर-उधर जाता फिरे, कारण इससे कोई आर्थिक लाभ होने वाला नहीं है। फिर जिम्मेदारी को निभाने के लिए उसको कहीं जाना पड़ेगा। हमारे प्रदेश में बहुत सी योजनायें चल रही हैं, बड़े-बड़े काम हो रहे हैं। हम उनको देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है और कैसे काम हो रहा है। उनके बारे में हमको आलोचना भी करनी पडती है। उनके आधार की सब बातें सुनी सुनायी हुआ करती हैं। अपनी निजी जानकारी नहीं हुआ करती। लेकिन हम अपने व्यय से जानकारी करना चाहें तो उसके लिए अपने पास से पैसा खर्च करके जाने के लिये बहुत कम सदस्य तैयार होंगे। हां, ऐसे सदस्य हो सकते हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो, वह जा सकते हैं और अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु सारे सदस्यों के लिए यह कठिन है कि २०० रुपये में से इतना रुपया निकाल कर जहां कहीं भी उनको जाने की आवश्यकता हो वहां पर जांय। आज ही एक नहर का उद्घाटन हो रहा है उसमें बहुत से सदस्य जाना चाहते थे लेकिन वह नहीं गये क्योंकि उनको पैसा अपने पास से देना पड़ेगा और दैनिक भत्ता भी कट जायगा और वह इतना खर्चा स्वयं बरदाश्त नहीं कर सकेंगे। हालांकि विधायक के लिए यह आवश्यक है कि अपने प्रदेश में जो काम होता है उनके बारे में जानकारी सही तरीके से उसके उस पर विवाद कर सके। मैं समझता हूं कि हमारे विरोधी दल के नेता भी इस बात को महसूस करते हैं कि अगर उनको ऐसी सुविधा प्राप्त हो कि वह प्रदेश के कोने-कोने में जा सकें तो वह सरकार का विरोध ठीक प्रकार से कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि अगर इस बात को महसूस करते हैं तो दूसरे विधायक भी इस बात को महसूस करते होंगे कि यदि वह सुविधा उनको भी प्राप्त हो तो वह प्रदेश के कोने २ में जाकर ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ठीक ढंग से अपनी जिम्मेदारी को निभा सकेंगे, जो विधेयक हमारे सामने आयें उनके बारे में अपनी सही राय दे सकें। इस तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिये हमने इस व्यवस्था की मांग है। मैं समझता हूं कि अगर श्री राजनारायण जी इसका हिसाब लायेंगे तो वह देखेंगे इससे खर्चा बढ़ने वाला नहीं है। जो व्यवस्था इस बिल के अन्दर रखी गयी है, अगर वह चाहते हैं कि वह व्यवस्था इस बिल के अन्दर न रहे तो जैसा मैंने बतलाया है तो जरूर उससे खर्चा बढ़ने वाला है मैं यह समझता हूं कि अगर वे चाहते हैं कि विधायकों के लिये इस प्रकार की व्यवस्था न की जाय तो मेरा ऐसा खयाल है कि वे जनंतात्रिक तरीके को चलने देना नहीं चाहते। महज खर्च घटाकर जनतंत्रात्मक तरीका नहीं चल सकता। जो जनरल इलेक्शन्स होते हैं उसमें बहुत सा रुपया खर्च होता है।

अब राजनारायण जी यह कहें कि खर्चा घटाने के लिये दूसरा तरीका चुनाव का रक्खा जाय, या एक आदमी बैठकर या एक ऐसा नेता जिसको सभी लोग मानते हों जिसका स्थान सभी की निगाह में अच्छा हो, बैठकर सब सदस्यों को नामजद कर दे, तो मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूंगा। अगर वह इस तरीके से नामजदगी करेगा तो उसमें खराबी भी हो सकती है। अगर सब कामों में खर्चा बचाना ही हमारा उद्देश्य हो तो सब काम ही चौपट हो जायगा। चाहे विधेयक अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकें अथवा न कर सकें केवल खर्चा घटाने की दृष्टि से ही सब काम किये जायं तो फिर बहुत से काम हमें बदलने होंगे और हमारे प्रजातन्त्र का जो तरीका है वह चल न सकेगा। यह तरीका तभी चल सकता है जब कि आवश्यक खर्चे न घटाये जायं। जैसे जनरल इलेक्शन होता है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत आदि के इलेक्शन्स् होते हैं तो क्या मैं अपने माननीय साथी से यह पूछ सकता हूं कि क्या वे इस खर्चे को घटाने के लिये तैयार हैं? जितना खर्चा पंचायत के चुनावों में हुआ है अगर उतना रुपया पंचायतों की भलाई के लिये खर्चा किया जाता तो बहुत काम हो जाता। लेकिन मैं जानता हूं कि श्री राजनारायण जी इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हो सकते। इसलिये केवल खर्चे की बात कहना ठीक नहीं है। अगर वे समझते कि उसका दुरुपयोग होता तब तो ठीक है। लेकिन जो सुविधा दी गयी है उससे ज्यादा खर्चा उसमें होने वाला नहीं है। अभी तो यह कहा जाता है कि सदस्यगण सेकिंड और थर्ड क्लास में चलते हैं और किराया फर्स्ट क्लास का दुगुना दिया जाता है लेकिन इसके हो जाने से इस प्रकार जो उंगली उठायी जाती है उसका भी मौका नहीं आयेगा और हर एक विभाग अपनी जिम्मेदारी भी भली प्रकार से निभा सकेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन पर पुनः विचार करेंगे और इस सुविधा को मंजूर करेंगे क्योंकि इसके मंजूर करने में उनके रास्ते में कोई अड़चन नहीं है। वे केन्द्रीय सरकार से पास दिलाने की बातचीत कर सकते हैं और जब तक केन्द्रीय सरकार उसको स्वीकार नहीं करती है तब तक दूसरे तरीके से वे सुविधा प्रदान कर सकते हैं जिससे हम लोग अपनी जिम्मेदारी को, जिस तरीके से हमको निभाना चाहिये, उस तरीके से उसको निभा सकें।

न्यायमंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस रेलवे पास का ताल्लुक है, इसके मुताल्लिक इस सदन में कई दफा गवर्नमेंट के विचारों को बतला दिया गया है। जहां तक प्रान्तीय सरकार का मामला है उसको इस बात पर कोई ज्यादा एतराज नहीं था लेकिन किसी न किसी वजह से केन्द्रीय सरकार ने बावजूद कई बार कहने के, नहीं माना, इसलिये इस किस्म की कोई चीज इस ऐक्ट में रखना मुनासिब नहीं है। जैसा पहले भी अर्ज किया जा चुका है, मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ को निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय :

"उत्तर प्रदेश विधान मंडल के प्रत्येक सदस्य को उत्तर प्रदेश राज्य में कहीं भी जाने के लिये उसके कार्यकाल की पूरी अवधि के लियें केन्द्रीय सरकार की अनुमति से प्रथम श्रेणी का एक रेलवे पास दिया जायगा और जब उक्त व्यवस्था न की जा सके तब तक अन्य प्रकार से उक्त प्रकार की सुविधा प्रदान की जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (२) में प्रस्तावित धारा २–क की पंक्ति ४ में शब्द "दस दिन से कम" के स्थान पर शब्द "दस दिन या उससे कम समय" रख दिये जांय।

श्रीमान् जी, इसमें दस दिन से कम की अनुपस्थिति में आने जाने के किराये की बात कही गई है वह 'दस दिन से कम" यह शब्द निश्चित नहीं है और विधान में निश्चित शब्द होने चाहिए, अगर मतलब ९ से होता तो यह कह दिया जाता कि ९ या उससे कम लेकिन चूंकि दस

[श्री जयराम वर्मा]

की संख्या अच्छी है इसलिए ठीक यही होगा कि अगर वास्तव में यही करना है तो "दस दिन या उससे कम समय" ही रख दिया जाय जिससे मतलब साफ हो जाय। आशा है कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री सैयद जाफरी जहीर---अध्यक्ष महोदय, मुझे यह मालूम होता है कि यह अलफाज जो रखे गये हैं वह अमदन रखे गये हैं इस लिहाज से कि दस दिन तक कोई मेम्बर गैरहाजिर न रहे, लेकिन अगर यह तरमीम मंजूर हो गयी तो उसके मानी यह होंगे कि अगर कोई दस दिन भी गैरहाजिर रहेगा तो उसको वह सुविधायें मिल जायंगी।

श्री अध्यक्ष---मालूम होता है वह यही गलतफहमी से समझते थे।

श्री सैयद जाफरी जहीर---ऐसा ही मालूम होता है। इसकी जरूरत नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय जयराम वर्मा ने पेश किया है, मैं उसका विरोध करता हूं। जो धारा पेश है उसमें कोई बात ऐसी दिखलाई नहीं पड़ती है, हम सिद्धान्ततः उसके खिलाफ हैं। इस सदन में सब जानते हैं कि बहुत बार कोरम के लिए घंटी बजाई जाती है और हमसे बहुत से लोग जो अक्सर बाहर किसी जरूरी काम से जाते हैं, अगर इस संशोधन को मान लिया जाय तो हा उस में हम लोग चाहे आवें या न आवें दस दिन तक हम गैरहाजिर रह सकते हैं और उसके बाद एक दिन आकर फिर गैर हाजिर रह सकते है और इस तरह से तो सदन में और भी अधिक कोरम की घंटी बजानी पड़ेगी। मुझे अफसोस इस बात का है कि आज न मालूम किस उद्देश्य से सरकार इस काम को कर रही है कि दस दिन तक हमें बाहर जाने की इजाजत देने की कोशिश कर रही है और पैसा भी देने को तैयार है। हमारे बहुत से साथी कहेंगे कि हम तो प्लानिंग कमेटी में....

श्री अध्यक्ष---आप संशोधन के खिलाफ बोलिए।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---मैं उसके खिलाफ ही बोल रहा हूं, उसमें जो है आखिर में जो दिया हुआ है जगन्नाथ मल्ल जी का.....

श्री अध्यक्ष---ठीक है, आप उसी वक्त बोल सकते हैं इस वक्त नहीं बोल सकते हैं। इस वक्त जो संशोधन है उस पर बोलना चाहिये और आप उसी पर बोलें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---संशोधन पर ही मैं बोल रहा हूं लेकिन सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि आखिर सरकार का क्या मंशा है ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि असंगत हो रहा है। सरकार से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इस वक्त जयराम वर्मा जी आपके सामने हैं, सरकार सामने नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---बिल सामने है हम लोग यह जरूर जानना चाहेंगे कि आया जो दस रोज रखा है वह यहां पर काम के लिये मिलता है या यहां पर बिना कार्य किये हुये मिल जायगा यह प्रश्न सामने है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप इस पर थोड़ा ही बोलें क्योंकि यह बहुत असंगत हो रहा है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---ठीक है, उस पर बाद को ही बोल लूंगा। जहां तक जयराम जी का संशोधन है मैं उसका विरोधी हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार न करेंगे।

श्री जयराम वर्मा---मुझे श्रीमान् माननीय मंत्री जी की आपत्ति समझ में नहीं आयी कि उनका क्या मंशा है। अगर १० दिन नहीं मंजूर है तो ९ कर दें और ८ दिन तक कर दें लेकिन "तक" लगा कर इसको निश्चित बनाना आवश्यक है। कानून में आवश्यकता है निश्चित होने की और इसलिये "तक" लगा देना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष---क्या आपका ख्याल है कि पौने दस या साढ़े नौ दिन भी हो सकते और इसलिये ही आपने उसकी अनिश्चितता बताई है ?

श्री सैयद अली जहीर---जैसा माननीय जयराम वर्मा जी समझ रहे हैं उसकी मंशा नहीं है। उसकी मंशा यह है कि लोग दस दिन तक गायब न रहें। यदि १० से कम दिन गायब हैं तो उनको हक हासिल है। अगर यह मंशा होती कि १० दिन भी गायब रहें तब मैं उनकी तरमीम को मंजूर कर लेता। लेकिन गवर्नमेंट का मंशा यह नहीं है, इसलिये उसको मंजूर नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (२) में प्रस्तावित धारा २-क की पंक्ति ४ में शब्द "दस दिन से कम" के स्थान पर शब्द "दस दिन या उससे कम समय" रख दिये जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित नयी धारा २-क की पंक्ति ६ के शब्द "प्रथम श्रेणी का किराया मिलेगा" के स्थान पर शब्द "प्रथम श्रेणी के दो किराये मिलेंगे" रख दिये जायं। अध्यक्ष महोदय, खंड ६ के उपधारा ६ के १ में शब्द हैं कि ड्योढ़े के स्थान पर दूना कर दिया जाय और जो स्वीकार हो चुका है तो आने में एक दफा के लिये दो मिल जायगा और फिर जाने का केवल एक ही मिले या यह उचित नहीं होगा। इसलिये यह कर दिया है कि दोनों आने-जाने का दूना किराया मिले। आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री सैयद अली जहीर---मुझे तो यह बात बहुत लाजिकल मालूम होती है और सही है इसलिये इसको स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित नयी धारा २-क की पंक्ति ६ के शब्द "प्रथम श्रेणी का किराया मिलेगा" के स्थान पर शब्द "प्रथम श्रेणी के दो किरायें मिलेंगे," रख दिये जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

†**श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं:

"खंड ६ में प्रस्तावित धारा "२-क" के पश्चात् नई धारा २-कक निम्नरूप में बढ़ा दी जाय---

२-कक---राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गये किसी नियम को बाधित न करते हुए विधान मंडल का प्रत्येक सदस्य अपने कार्यालय की पूरी अवधि में, ऐसे परिमाण में सज्जित (Furnished) लखनऊ में समुचित किराये पर---जो किसी भी परिस्थिति में २० रु० मासिक की दर से अधिक न होगा---एक निवास स्थान के उपयोग का अधिकारी

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जोरावर वर्मा]

होगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी परिस्थिति में दो या दो से अधिक सदस्यों के लिये एक साथ रहने के लिये बाध्य न किया जायगा।"

अध्यक्ष महोदय, जो व्यवस्था हम विधायकों के रहने के लिये है वह बहुत ही करुणाजनक और कष्टप्रद है। इनमें जो सिंगिल सीटेड रूम हैं उनको डबुल सीटेड करार दे दिया गया है और डबुल कमरों के लिये सरकार की ओर से यह आदेश गये हैं कि जो सदस्य एक रहेगा उसके लिये चार रुपये दैनिक किराया देना पड़ेगा। इसके पूर्व यह व्यवस्था थी कि जो सदस्य एक कमरे में रहते थे उनको डेढ़ रुपया दैनिक किराया देना पड़ता था और दूसरा इसका प्राविजन यह था कि अगर कोई सदस्य दो या दो से अधिक रहेंगे तो उनको २२५ रुपये देना पड़ेंगे या दो से अधिक रहते हैं तो जो बिल आते हैं उन पर विचार करने के लिये समय नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि ऐसे सदस्य बहुत ही कम हैं जो एक नेचर या एक प्रकृति के हों। इसलिये उनको साथ-साथ रहने में बड़ी कठिनाई होती है और ऐसे भी सदस्य हैं जो दो के बजाय तीन या चार रहते हैं लेकिन यह मजबूरी बहुत से सदस्यों को परेशान किये हुए है। इसका परिणाम यह होता है जहां तक मेरी जानकारी है और जिसका कई बार प्रश्नों के समय उत्तर भी दिया जा चुका है पचासों सदस्य ऐसे हैं जो ५२ से लेकर आज तक अकेले कमरे में रहते हैं और उन्होंने एक सिंगिल पाई भी किराया नहीं दिया। अब सदन के सामने प्रश्न यह है कि वे सदस्य जो सरकारी नियमों का पालन करते हैं उनका किराया तो जो पे बिल मिलता है उसमें से काट लिया जाता है, लेकिन जो सदस्य नियमों का उल्लंघन करते हैं, अनियमित रूप से उनके बिलों से कमरों का किराया क्यों नहीं काटा जाता है। सरकार क्या चाहती है कि सभी सदस्य अनियमित रूप से कार्य करें। यदि ऐसा नहीं है तो जो सदस्य सरकारी नियमों के विरुद्ध रह रहे हैं उनके पे बिल से यह किराया क्यों नहीं काटा जाता? और जो सदस्य नियमित रूप से दो या दो से अधिक रह रहे हैं उनसे रुपया क्यों काट लिया जाता है? मेरी जानकारी में तो ऐसे भी सदस्य हैं जो सन् ३७ से नहीं सन् ४७ से विधायक निवासों में रह रहे हैं और संभवतः उन्होंने अभी तक किराया नहीं दिया है और ऐसे मंत्री भी रह चुके हैं जिन्होंने किराया नहीं दिया, वह मंत्रिमंडल से अलग हो चुके हैं। दोबारा चुनाव में नहीं आये हैं। लेकिन उन्होंने रुपया नहीं दिया है। तो प्रश्न जो है प्रत्येक सदस्य के लिए बड़ा विचारणीय है कि जो सदस्य यहां जनता के प्रतिनिधि बन आये हैं, जिनको कानून बनाना है तो उनके लिए क्या यह सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकती है, जहां रह कर विधायक अपना समय दे करके, जो सामग्री यहां मिलती है उसको पढ़ सकें और सुविधापूर्वक रह सकें क्योंकि बहुत से सदस्यों ने कई प्रार्थना-पत्र संबंधित मंत्री या सरकार को दिये और कई लोग सत्याग्रह करके पड़े रहे। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई ऐसी बात नहीं की गयी है कि सदस्यों को यह सुविधाएं दी जायंगी या नहीं दी जायंगी। मेरा जो संशोधन है वह इस समय की जो व्यवस्था है उसके अनुरूप है क्योंकि इस समय लगभग पौने उन्नीस रुपया मासिक लिया जाता है। मेरा मत यह है कि पौने १९ या बीस रुपया जो कुछ उचित समझें मासिक लिया जाय। लेकिन रहने के लिए चाहे वह छोटा ही कमरा क्यों न हो, लेकिन जो सदस्य एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते उनके लिए मजबूर न किया जाय।

जब हमारी सरकार छोटे मोटे अधिकारियों के लिए रहने की व्यवस्था करती है या उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं कर पाती है तो उनके लिए मासिक किराया देती है जहाँ उचित समझें अपने निवास स्थान खोज लें। जनता के जो प्रतिनिधि हैं, जो विधान सभा सावरेन बाडी कही जाती है, यह सावरेन बाडी जनता के प्रतिनिधियों की है। उनके रहने के लिए कोई स्थान नहीं है और जो राज कर्मचारी हैं उन सबके लिये रहने की व्यवस्था है। मेरी समझ में यह एक प्रकार के जनता के प्रतिनिधियों का अपमान है और उस जनता का भी अपमान है जिनके प्रतिनिधियों के रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। गवर्नमेंट की दलील हो सकती है कि जिस प्रकार प्रदेश में जनता के लिए भी कुछ शहरों में और दूसरी जगह रहने की व्यवस्था

नहीं है अगर उसी तरह से सदस्य लोग भी न रहे तो अनुचित न होगा। अगर उनकी यह दलील हो तो सचमुच बड़ी अच्छी दलील होगी और अगर वह यह उत्तर देंगे तो मैं अपने संशोधन को वापस ले लूंगा। मैं इन शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि मेरे संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—श्री रामदास आर्य और श्री कृष्णशरण आर्य के संशोधन इसी प्रकार के हैं। वह अपने संशोधनों को उपस्थित करना चाहते हों तो उपस्थित कर दें ताकि एक साथ ही इस विषय पर विचार हो जाय। इससे समय बच जायगा।

(श्री रामदास आर्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री कृष्णशरण आर्य—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (२) में प्रस्तावित धारा २–क के बाद २–ख निम्न रूप में बढ़ा दी जाय—

"२–ख—राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक सदस्य को अपनी पदावधि के पूरे कार्यकाल पर्यन्त लखनऊ में, बिना किराया दिये हुए, ऐसे भवन में आवास (accommodation) के प्रयोग का भी अधिकार होगा जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ घोषित किया गया हो।"

अध्यक्ष महोदय, मेरे इस संशोधन के बाद विरोधी दल के माननीय सदस्यगण शायद कुछ ऐसी ही बातें कहेंगे जैसी कि उन्होंने कल कही थी कि सरकारी पैसे का ज्यादा खर्चा होगा। जब कि यह माननीय सदस्यों के द्वारा कोई उक्ति सही नहीं होगी। मैं समझता हूं कि इस समय जो किराया माननीय सदस्यों को देना पड़ता है वह लगभग साढ़े नौ रुपये प्रति सदस्य के हिसाब से है, क्योंकि एक कमरे में दो के रहने की व्यवस्था है, कमरे न होने के कारण। उस हिसाब से जो किराया सरकार को मिलता है वह साढ़े नौ रुपये के हिसाब से मिलता है। जब कि उससे कई गुना ज्यादा खर्चा वहां बिजली का, पानी और मेन्टेनेंस वगैरह का हो जाता है। तो यदि देखा जाय तो माननीय मंत्री, उप-मंत्री, सभा सचिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चेयरमैन वगैरह को निकाल कर जो आमदनी इस तरह किराये से इस समय सरकार को होती है, इन आवासों से, वह लगभग कुल ५० हजार रुपया वार्षिक होती है। तो मेरे इस संशोधन के पास होने के बाद सरकार को जो हानि होगी आर्थिक वह केवल ५० हजार रुपये वार्षिक की होगी और मैंने जो अपना संशोधन रखा है वह उसी दृष्टिकोण से रखा है जो कि परसों माननीय मदनमोहन उपाध्याय जी ने व्यक्त किया था, और जिससे मैं भी सहमत हूं, कि जो माननीय सदस्य सब, इधर के अथवा उधर के हैं उनका स्तर सरकारी दृष्टि से वही है जो माननीय मंत्री गण का है। तो जब हम इसी सदन में १९५२ में दो अधिनियमों के द्वारा माननीय मंत्रियों और विधान मंडल के अधिकारियों को तथा इसी प्रस्तुत विधेयक के द्वारा माननीय सभासचिवों आदि को फ्री रेजीडेंस की बात पास कर चुके हैं तो माननीय सदस्यों को भी यह सुविधा समान स्तर स्थापित करने के लिये मिलना मैंने आवश्यक समझा। इसीलिये मैंने यह संशोधन पेश किया है और मैं समझता हूं कि यह बात देखते हुए कि समता, जो वैधानिक है, सब में स्थापित हो। मैं आशा करता हूं कि माननीय विरोधी दल के सदस्यगण उसका समर्थन करेंगे। माननीय जोरावर वर्मा जी का यह जो रिजोल्यूशन है वह यदि न होता और हम सब बिना कमरे के रहेंगे, झोपड़ी में रहेंगे, क्योंकि बहुत सी जनता ऐसे ही रहती है, अगर ऐसा किसी का संशोधन होता तब तो बात ठीक थी। लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं है इसलिये मैं समझता हूं कि सब मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय——माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस सदन में इस समय पेश हुआ है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, और इसलिए समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि इससे हमारी सरकार को काफी बचत हो जायगी। बचत इसलिए हो जायगी कि जहां हम लोग यह बातें करते हैं कि इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का एक ही स्टेट्स है, हम इस बात की कोशिश करेंगे कि जिस मकान में हम रहते हैं जो मकान हमको सरकार की ओर से मुफ्त मिलते हों उसे ठीक ढंग से रखें। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, मुझे इसका दुःख होता है कि जहां पर हम अपने हकों की बात करते हैं वहां पर अपने फर्जों की भी बात करनी चाहिए। हमारी क्या ड्यूटीज है? मैं माननीय कृष्णशरण आर्य जी की पूरी मंशा नहीं समझा, वे बाद में स्पष्ट करेंगे। उन्होंने यह कहा कि हमको एक मुफ्त मकान रहने के लिए मिलेगा। यह उद्देश्य है इसलिए मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, उस पर जो खर्चा है उसकी सरकार को बचत होगी इस बात की कि जो हमारे इन काउंसिलर्स रेजीडेंस का एक महीने का बिजली का बिल आ रहा है वह करीब ८,००० रुपये महीने के है, या ८० हजार रुपये साल की बिजली का खर्चा है! तो मकान अगर हमें मिलेगा तो जिस तरह से मंत्रियों वगैरह से, उसमें शायद बिजली का भी कुछ खर्चा वगैरह कट जाता है, और हम यहां मकान में जो बिजली खर्च करते हैं वह भी हमारे किराये में ही शामिल है। और हम बिजली का जिस तरह से दुरुपयोग करते हैं, हम बाहर चले जाते हैं और कमरों में पंखे खोल जाते हैं और अपनी कांस्टीटचूएंसी में जाते हैं और बेकार बिजली खर्च होती है इसलिये इसकी मंशा माननीय प्रस्तावक साफ तो कर ही देंगे कि उसके बाद जब हमको मकान मिलेगा तो उसके मेंटेनेंस पर अध्यक्ष महोदय, एक, डेढ़ लाख रुपये का साल का खर्चा है। नौकर रखे गए हैं, केयर टेकर है, लिफ्ट लगाने वाले हैं, झाड़ू देने वाले, क्या-क्या करने वाले लोग हैं। सुबह से यह दरवाजा खोलते हैं, वह बन्द करते हैं, पता नहीं क्या-क्या करते हैं? अगर हमें मिल जाय तो यह सारा इन्तजाम हम अपना करें। हमें यह भी देखना है कि हमारे धन का दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग हो रहा है। जो रुपया हम लोग टैक्स के रूप में कलेक्ट करते हैं उस रुपये का ठीक से उपयोग करना भी हम लोग सीख जायं। सारे प्रदेश के लोग हमें इस माने में देखते हैं कि हमारे विधान सभा के लोग कैसे रहते हैं, कैसा रास्ता दिखाते हैं? बाहर के लोग जब देखते हैं कि हम फिजूल खर्च कर रहे हैं तो उनके दिमाग में भी यह बात आती है कि सारा रुपया तो हमारा बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए यह साफ हो जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरी राय यह है कि दारुलशफा या कौन्सिलर्स रेजीडेंस फ्री दे दिया जाय रहने के लिये विधायकों को, और उसकी एक कमेटी बन जाय। और वही उसका इन्तजाम सारा करे, वही उसको देने की बात करे, वही नौकर रखने की बात करे, वही अगर जरूरत हो तो सब मीटर लगाने की बात करे क्योंकि जो ज्यादा खर्च करना चाहे वह ज्यादा खर्च करे, जो कम खर्च करना चाहे वह कम खर्च करे। अध्यक्ष महोदय, पांच-पांच हीटर लगे रहते है एक एक कमरे के अन्दर और मैं खुद लगाता हूं। मैंने आज तक कोयला नहीं खरीदा। हीटर से ही खाना बनाया क्योंकि में समझता हूं कि सब लोग खर्च करते हैं तो मैं क्यों न खर्च करूं। मैं इससे इन्कार नहीं करना चाहता अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमको फ्री निवास स्थान दिया जाय तो सरकार को भी करीब-करीब दो ढाई लाख रुपये की बचत हो सकती है। इसलिये इस पर साफ साफ बात हो जानी चाहिए। जैसे उस रोज गौतम जी ने या नवलकिशोर जी ने कहा था कि मिनिस्टर्स तीन-तीन, चार-चार हजार रुपया तनख्वाह ले लें, वह ठीक है, बजाय इसके कि इनकम टैक्स वगैरह बचा लें। और लोगों को मालूम हो कि केवल १२ सौ रुपया तनख्वाह लेते है। इसलिए हमारे मामले में भी बिल्कुल सफाई होनी चाहिए। नहीं तो फिर बाहर अभी यह हवा फैली है कि अब क्या, अब तो साहब इनको मकान भी रहने के लिए फ्री मिल रहा है! तो मैं यह

समझता हूं कि जो भी बात हो, वह उनको बिल्कुल साफ-साफ मालूम हो। इसलिए हम यह चाहते हैं कि हमको मकान दिया जाय और जो फर्नीचर इस समय है वह दे दिया जाय। इसके बाद बिजली का सारा खर्चा और बाकी सारा इन्तजाम वह खुद करें। सारा इन्तजाम विधायकों को सौंप दिया जाय। ताकि लोगों के सामने वह एक आदर्श रख सकें। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यह आवश्यक है, जैसा कि माननीय जोरावर वर्मा जी ने कहा कि एक-एक कमरे में दो-दो आदमी रहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ाई नहीं होती है। आज जो एक कमरे में एक रहते हैं उनसे चार रुपया रोज मांगा जाता है और जिसके पास फैमिली भी है वह कैसे दूसरे आदमियों को रख सकता है? मेरे पास रोज मंत्री जी का आर्डर आ जाता है कि आपके पास दूसरा रहने वाला नहीं है आप चार रुपया रोज दीजिये।

श्री अध्यक्ष---आप क्यों नहीं कह देते कि साथी है हमारे पास?

श्री मदनमोहन उपाध्याय---मैं बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी को मालूम है कि हमारी फैमिली हमारे साथ रहती है। कोई दूसरा और आना पसन्द नहीं करता है। वैसे हमने हर एक से कहा है, जो आना चाहे आये, मुझे कोई ऐतराज नहीं है लेकिन कोई आने को तैयार ही नहीं होता!

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---मैं तैयार हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---मैंने तो मंत्री जी को पत्र लिखा। जब उन्होंने कहा कि कोई दूसरा आदमी आप अपने साथ रख लें तो मैंने तो उनको यह लिखा कि मेरे यहां कोई आ नहीं रहा है, कोई आने को तैयार भी तो हो!

एक आवाज---शिवनारायण जी तैयार है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---यहां पर कह रहे हैं कि रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह आवें तो। मैं तो उन्हें दो दिन में भगा दूंगा। मैं तो चाहता हूं कि कोई लिख कर दे तो कि वह तैयार है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि चार रुपये रोज वाली बात हम लोगों को लिख कर जाती है तो मैंने उनको लिख दिया कि आप जिसे चाहें भेज दीजिए। इसलिए मैं चार रुपया रोज देने के लिए तैयार नहीं हूं। वैसे मैं अपना कुछ-कुछ रुपया जमा करता जाता हूं ताकि अगर एक साथ भरना पड़े तो दिक्कत न हो। अगर पूरा किराया भी सारे कमरे का देना पड़े तो वह भी देने के लिए तैयार रहूं।

श्री अध्यक्ष--- अब संशोधन पर आप आ जायं। संशोधन में आपका नाम नहीं है। इसलिये अपना नाम छोड़ दीजिए और अब दूसरों पर आइए।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये इसकी थोड़ी चर्चा करना चाह रहा था क्योंकि जब जनरल बहस हो रही थी तो हमारे माननीय गौतम जी ने; जो हमारे पहले मंत्री रह चुके हैं इस बात की चर्चा यहां पर की थी उनकी तनख्वाह काट ली गयी किराये की वसूली में।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अगर वह असंगत सी चीज है, इस संशोधन में नहीं आती है, तो आप वह गलती दोहरायें नहीं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---जी, दोहरा नहीं रहा हूं। अपने बारे में बता रहा हूं कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था मकान के सम्बन्ध में। क्योंकि माननीय मोहनलाल गौतम जी ने एक ऐसा चार्ज लगाया इस हाउस में कि उनकी तनख्वाह से पैसा काट लिया गया तो मैंने पता लगाने की कोशिश की कि आखिर बात क्या है? मेरी भी तनख्वाह एक दफा कटने को थी तो मैंने तो लिख दिया था कि हमारी तनख्वाह न काटी जाय तो मेरी तो नहीं कटी थी। अच्छा, तो पता लगाने पर मालूम यह हुआ कि श्री मोहनलाल गौतम जी से कुछ किराये की वसूली होनी थी। जब पहले मंत्री थे तो उसके किराये की और यहां भी ७-८ महीने का बाकी होगा।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि वह प्रश्न सामने नहीं है क्योंकि तनख्वाह कटने का तो सब को अनुभव होगा। यह कोई नयी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि कोई प्रत्यक्ष वैयक्तिक मामला उठा कर उसके ऊपर न बोला जाय बल्कि आमतौर पर बोलिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---जी अच्छा। तो समर्थन तो मैं आर्य जी के संशोधन का कर रहा हूं लेकिन चूंकि इसमें रूल्स की चर्चा है कि रूल्स बनेंगे और कांग्रेस पार्टी के अन्दर जो बात तै हुई है वह यह है कि फ्री कमरा तो देंगे लेकिन जितने दिन हम यहां रहेंगे उन दिनों तो उसमें ताला हमारा रहेगा, जिन दिनों हम यहां से चले जायंगे तो उस पर सरकार का ताला लग जायगा। तो यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। उसमें हमारा सारा सामान रहेगा, फर्नीचर रहेगा, हमारा ऐस्टैब्लिशमेंट यहां रहेगा। तो क्या हर बार हम अपना सब सामान यहां से उठा कर ले जाया करेंगे। इसलिये मैं सब बातों की चर्चा कर देना चाहता हूं कि इसमें हमें कोई शर्म नहीं है, कमरा हमें फ्री मिले, जो दो रहना चाहें वे दो रहें, हमें इसमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन वैसे एक आदमी को एक कमरा मिलना चाहिये। किसी को दो कमरे भी नहीं मिलने चाहिये। मैं तो यह चाहता हूं कि एक सा सब को मिले लेकिन यह नहीं होना चाहिये कि मजबूर किये जावें कि एक के अन्दर दो रहें। इससे न हम पढ़ सकते हैं न कुछ काम कर सकते हैं। फिर हम कहेंगे कि हमें बाहर का कोई मकान दीजिए। उसमें सरकार का किराये में बहुत ज्यादा खर्च हो जायगा। इसके साथ साथ यह भी साफ हो जाना चाहिये कि बिजली का खर्चा कौन देगा और मेन्टिनेन्स का खर्चा कौन देगा? जब रूल्स बनें तो यह साफ हो जाना चाहिये। हमें फ्री कमरा लेने में कोई शर्म नहीं मालूम होती क्योंकि हम इस प्रदेश के कानूनों को बनाने के लिये आये हैं। जो हममें खराबियां हैं उनको हम जरूर दूर करेंगे। सरकार अगर हमारी बतायी हुई स्कीम को कार्य-रूप में परिणत करे तो दो लाख रुपये की बचत उसको होगी। अगर वैसा होगा तो मैं समझता हूं कि सरकार की भी बचत होगी और हमारी भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इन शब्दों के साथ मैं जो संशोधन प्रस्तुत है उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इसे स्वीकार करेगी।

***श्री अवधेशप्रताप सिंह** (जिला फैजाबाद)---मान्यवर, मैं सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं। मैं माननीय कृष्णशरण आर्य के संशोधन के समर्थन के हेतु खड़ा हुआ हूं। यह ठीक है कि हमें फ्री कमरे दिये जायंगे, मैं इसका समर्थन करता हूं लेकिन मुझे थोड़ी सी कठिनाई मालूम पड़ रही है कि सरकार के नियम क्या होंगे? जैसे कि जोरावर जी वर्मा ने कहा कि श्रीमन्, एक अवस्था होती है जब तक कि होस्टल लाइफ का निर्वाह कर सकता है आदमी। परन्तु मैं समझता हूं कि अब कोई भी माननीय सदस्य इस अवस्था में नहीं हैं कि जब वह यह पसन्द करें कि उनके साथ एक रूम फेलो रखा जाय। श्रीमन्, यह तो अपने-अपने स्वभाव की बात है कि कौन किस समय पढ़ना चाहता है और कौन किस समय लेटना चाहता है। एक साहब चाहते हैं कि बिजली बन्द हो जाय, दूसरे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साहब चाहते हैं कि कुछ पढ़ा जाय। तो दोनों को दिक्कत होती है। इस प्रकार बोर्डिंग की तरह माननीय सदस्यों को एक ही कमरे में दो-दो, तीन तीन भर दिये जायं, यह सर्वथा अनुचित है। अतः मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करूंगा कि एक-एक सदस्य को एक-एक कमरा दिया जाय। मैं इसके लिये तैयार हूं कि यदि आप चाहें तो किराया ले लें, फ्री न देना चाहें न दीजिये लेकिन शर्त यह होना चाहिये कि एक मेम्बर के लिये एक कमरा होना चाहिये।

मान्यवर, जहां तक हमारे अधिकारों का प्रश्न उठता है, मैं मानता हूं कि हमारे अधिकार हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारा भी कुछ कर्तव्य है। मैं उपाध्याय जी के इस कथन से सहमत हूं कि सरकार हमें जो सामान देती है उसका हम विधिवत और सभ्यतापूर्वक प्रयोग करें और देखें कि सरकारी सामग्री को किसी तरह से चोट न पहुंचे, बरबाद न हो और उसको किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। श्रीमन्, एक प्रश्न हमारे उपाध्याय जी ने उठाया, मैं व्यक्तिगत नहीं जाना चाहता हूं। बात यह है कि पानी का या बिजली का खर्चा मेम्बरों से लिया जाय। श्रीमन्,, यह जो पेनाल्टी रखना चाहते हैं जरूर रख दी जाय। यह ठीक नहीं है कि कुछ लोगों ने पंखे खोल दिये या इलेक्ट्रिक स्टोव जला दिये या बिजली का दुरुपयोग किया तो हमने भी ५ स्टोव जला दिये। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को इतना तो अहसास होना चाहिये कि कोई ऐसी चीज न करें जिससे हमारी आलोचना या टीका टिप्पणी की जाय। मैं इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाना चाहता हूं कि आप उनसे बिजली का खर्चा न लें। कोई बात नहीं है, यदि आप लेना चाहें तो लीजिये, किसी को आपत्ति नहीं होगी। यदि बिजली का दुरुपयोग होगा तब तो बिल बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन यदि सदुपयोग होगा तो रकम इतनी ज्यादा नहीं होगी। जिससे मेम्बर देने में हिचकें। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय कृष्णशरण आर्य के संशोधन में एक शब्द बतौर संशोधन के बढ़ाना चाहता हूं। इसकी पंक्ति ३ में शब्द "भवन" के पहले शब्द "सज्जित" रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—यह श्री जोरावर वर्मा जी के संशोधन में मौजूद है। तो चूंकि मैं टुकड़ों में वोट लूंगा, क्योंकि मैंने यहां देखा कि यहां दो तीन तरह की रायें हैं, तो जहां मैं यह "सज्जित" वाला संशोधन ले लूंगा वहां यह जुड़ जायगा। तो इसको आपको मूव करने की जरूरत नहीं है।

श्री राजनारायण—आप इसको सुसज्जित कर दें।

श्री अध्यक्ष—आप (श्री कुंवरकृष्ण वर्मा) इसको सज्जित ही कह रहे हैं, सुसज्जित नहीं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें अफसोस है कि माननीय सदस्य दिन ब दिन इस विधेयक के दल दल में फंसते जा रहे हैं। शुरू में हमने इसलिये विरोध किया था कि हमें आपत्ति थी कि माननीय मंत्री जो, उपमंत्री और सभासचिव अपने लिये सुविधाओं पर सुविधायें बढ़ाते चले जा रहे हैं! उनके लिये किराया मकान चाहिये, सुसज्जित मकान चाहिये, दरवादारू का इन्तजाम होना चाहिये। लेकिन कैबिनेट ने प्रयत्न करके उसी दलदल में हमको भी फंसाना शुरू कर दिया। पहले यह तय हुआ था कि हमारे परिवार की बिना पैसे दिये चिकित्सा होगी...

कुछ आवाजें—परिवार की नहीं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---खैर, अच्छा है। दलदल में जितना ही कम धंसे उतना ही अच्छा। लेकिन पहले तो सरकार ने यह तय किया कि सदस्यगण १० दिन तक गैरहाजिरी में यात्रा के लिये प्रथम श्रेणी का किराया पावेंगे। बाद में दो प्रथम श्रेणी का किराया पास कर दिया गया, फिर दूसरे उन्होंने भत्ता दूना कर दिया। अब यह हुआ कि मकान भी मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इस समय जो हम किराया देते हैं वह एक सदस्य को १२०, १२५ रुपया साल भर में पड़ता है। मैं समझता हूं कि ११२ रुपया ८ आना आमतौर पर पड़ता है, और मैं समझता हूं कि यह हमारे लिये बड़ी लांछन की बात होगी अगर हम इस किराये की भी रियायत लें और यह लेकर बाद में अपना मुंह बन्द कर दें ताकि हम मिनिस्टर्स या सभासचिवों के खिलाफ कोई आवाज न उठा सकें। तो अगर हम यह त्याग नहीं कर सकते, इस लोभ को छोड़ नहीं सकते तो पता नहीं कि हम कौन-सा नमूना पेश कर सकेंगे? यह ठीक है मंत्रीगण आदि ने हमारे सामने यह नमूना पेश नहीं किया परन्तु हमें तो पीछे नहीं रहना चाहिये। कितना बड़ा लांछन होगा हमारे लिये यह कि हम यह किराया भी साल भर में देना नहीं चाहते। फिर आप देखें कि इसमें हमें कितनी सुविधायें हैं। मैं समझता हूं कि कार्लटन होटल और रायल होटल में जो सुविधायें हैं वही हमको यहां मिलती हैं। अगर किराये पर ऐसा कमरा लिया जाय तो १०, १२ रुपये रोज पर भी ऐसा कमरा नहीं मिल सकता। तो इतनी सुविधा लने के बाद हम स्वयं यह मांग करें कि यह किराया माफ कर दिया जाय और सरकार के सामने इस किस्म का संशोधन रखें, मैं समझता हूं कि यह हमारे विधान सभा के मेम्बरों के लिये अपमानजनक है। माननीय मदनमोहन जी का स्टैंड मेरी समझ में नहीं आया। अगर वह यह चाहते थे कि बिजली के बिल का खर्च लेना चाहिये तो वह इस किस्म का संशोधन रखते। माननीय कृष्ण शरण जी के संशोधन को मान लेने में और उसको स्वीकार करने में बिजली के बिल का जिक्र उसमें कहीं नहीं है। अगर वह कोई निश्चित संशोधन रखते कि बिजली का बिल वसूल किया जाय तो कोई बात हो सकती है। वह समर्थन करते हैं किराये माफी का, लेकिन बिजली के बिल का जिक्र नहीं। तो वह तो माफ हो ही जायगा और इस तरह से और भी ५०,००० रुपयों का बोझ जनता के खजाने पर पड़ जायेगा। तो मैं विधान सभा के सदस्यों से, क्योंकि कैबिनेट से यह बिल्कुल अलग है, कहूंगा कि कम से कम आप अपने ऊपर यह लांछन न लें और इस बात को कहने का मौका न दें कि आप भी मंत्रिगणों के जाल में फंस गये और इस किराये के लिये अपने हाथ बंधवा लिये।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि सदन को पूरा अधिकार है इस पर विचार करने का।

*श्री जयपालसिंह (जिला सहारनपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक माने में श्री जोरावर वर्मा जी का जो संशोधन है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं और वह यह है कि माननीय कृष्णशरण आर्य जी ने जो अपना अमेंडमेंट रखा है उसको रखते हुये उन्होंने यह कहा है कि सरकार सदस्यों, मंत्रियों और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज में कोई भेद नहीं रखना चाहती है, और सब को एक दृष्टि से देखना चाहती है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आर्य जी से कि जैसे मन्त्रियों को फरनिश्ड कोठी देने का आपने प्राविजन किया है तो वहां यह फरनिश्ड क्वार्टर देने का प्राविजन सदस्यों के लिये कर लेते, और जहां पर एकोमोडेशन शब्द लिखा है वहां पर फरनिश्ड लिख देते तो वहां पर सदस्यों को कुछ सुविधा हो सकती थी। नहीं तो जो वहां पर २,४ मेज-कुर्सी है वह वहां से हटा ली जायंगी और फिर यह कह दिया जायगा कि इसमें तो मकान ही के लिये प्राविजन है फरनिश्ड के लिये नहीं है। तो कम से कम चाहे उसका किराया ले लिया जाता लेकिन ऐसा न किया जाय कि हमारे पास कुर्सी भी न रहे और किराया भी चार्ज करें! कम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से कम मेज कुर्सी की बन्दिश तो रहना चाहिये नहीं तो उसका मतलब यह होगा कि जिस वक्त चाहें आप उसको विदड्रा कर सकते हैं। यह सरकार के लिये छोड़ दिया जायगा जब वह चाहे कह सकती है कि इतना किराया दो तब यह सामान दिया जायगा।

दूसरी बात यह है कि हम लोगों को फ्री मकान देने का प्राविजन है। वहां अगर उनको भी अच्छा से अच्छा मकान उनके रहने के लिये न दिया जाय तो फिर उनको कुछ धनराशि देने का विचार उसके एवज में इस प्राविजन में है। अगर सदस्यों को मकान नहीं मिलेगा तो क्या उसके लिये सरकार इस तरह का प्राविजन करेगी कि इस प्रकार की धनराशि दी जाय। करेंगे तो ठीक है वरना नियम में वह नहीं आता है। तब यह हो सकता है कि एक-एक कमरे में ४, ५ आदमियों को भर दिया जायगा। यह कहा जायगा कि इतना हमारे पास एकोमोडेशन है उसमें इतने आदमी रहेंगे। एकोमोडेशन न मिलने के कारण उसमें रहना पड़ेगा। नियम के अन्दर उनको बाध्य किया जायगा। अगर फ्री रहते हैं तो इस तरह से २, ३ सदस्यों को एक में रखा जायगा और उनको नहीं रखा जाता है तो जैसा मैंने कहा सामान के लिये कठिनाई हो सकती है, तो यह मुनासिब नहीं है। उनकी सुविधा का जहां तक सम्बन्ध है सरकार को खुद सोचना चाहिये जिससे सदस्य अपने फरायज को अदायगी पूरे तरीके से कर सकें। जब सदस्यों को फ्री पासेस भी नहीं मिले, क्योंकि यह सरकार कहती है कि वह केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध रखता है, हम उसको नहीं कर सकते हैं। जब यह बात है तो इस तरह से हमारे साथ यह त्रुटि बरती जायगी और इस विधेयक में अगर यह त्रुटि रह जायगी तो इससे हमारे साथ असुविधा होगी उसके लिये कौन सा प्राविजन सरकार करेगी कि हम एक सदस्य को कम से कम एक-एक कमरा देंगे जिससे वह ठीक तरीके से रह सकें, पढ़ सकें और लिख सकें। आने जाने वाले व्यक्तियों के साथ वह बातचीत कर सकें और एक सदस्य होने के नाते, लेजिस्लेचर का सदस्य होने के नाते वह अपने फरायज की अदायगी कर सकें! ऐसी अवस्था में अगर सरकार यह नहीं करती है तो फिर यह सवाल उठेगा कि सरकार एकोमेडेशन नहीं दे सकती है तो सरकार उसके एवज में क्या देगी? मेरा सवाल यह है कि इस तरीके से हमारी और सुविधा को करटेल करने की बात होगी और इससे और समस्या पैदा हो जायगी। मकान भी नहीं मिला और सुविधा भी नहीं मिली! ऐसी सूरत में मैं यह कहूंगा कि इस बात को तय होना चाहिये या यह संशोधन होना चाहिये कि इस तरह की कोई बात नहीं होगी कि सामान, मेज, कुर्सी भी नहीं हटायी जायगी और सुविधा पूरी तरह से दी जायगी जिससे सदस्य अपने फरायज की अदायगी को पूरा करने का कार्य कर सकें, और यदि किसी कारण से सदस्यगण अपने फर्ज की अदायगी नहीं कर सकते तो मैं समझता हूं कि यह लेजिस्लेचर उसको एक हिकारत की नजर से देखता है, सरकारी कर्मचारियों की निगाहों में। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी इस बात पर विचार करें कि ऐसी हालत में किस प्रकार से सदस्यगण अपने फर्ज की अदायगी कर सकते हैं। अगर सब सदस्य अपने हृदय पर हाथ रख कर देखें तो उनको इस प्रकार रहने में कितनी असुविधा होती है। पढ़ने, लिखने और मिलने-जुलने में बड़ी असुविधा होती है इसलिये वे अपने फर्ज की अदायगी नहीं कर सकते। इसलिये उनको कम से कम अपने फर्ज को अदा करने के लिये एक-एक कमरा तो अवश्य मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—उठने के पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि जो दो संशोधन एक साथ ले लिये गये थे उन पर वोट लेने का तरीका यह होगा कि कृष्णशरण जी आर्य के संशोधन पर पहले वोट ले लिया जायगा। यदि वह मंजूर हो जाता है तो उसके बाद दूसरा प्रश्न उपस्थित किया जायगा कि वे आवास "सज्जित" होंगे या नहीं होंगे?

[श्री अध्यक्ष]

क्योंकि उसमें आवास की बात है। अतः सज्जित आवास के लिये अलहदा राय ले ली जायगी।

दूसरा संशोधन का अंग यह है कि "किसी भी दशा में किराया २० रुपया की दर से अधिक न लिया जायगा" इसके ऊपर वोट ली जायगी।

तीसरी बात यह है कि "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी परिस्थिति में दो या दो से अधिक सदस्यों के लिये एक साथ रहने के लिये बाध्य न किया जायगा।" इसके ऊपर भी अलहदा राय ली जायगी। अगर इनमें से कोई संशोधन मंजूर हुआ तो वह श्री कृष्णशरण आर्य जी के संशोधन में जोड़ दिया जायगा और अगर नामंजूर हुए तो आर्य जी का संशोधन जैसा का वैसा ही रखा जायगा। अतः इस शक्ल में राय ली जायगी।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५६

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५६ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी "ठ" आगे पृष्ठ ७१७-७२६ पर)

उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५५

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था विधेयक, १९५५ पर संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(देखिये नत्थी "ड" आगे पृष्ठ ७२७-७६५ पर)

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---माननीय उपाध्यक्ष, सुबह माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह घोषित कर दिया था कि यह सदन में अभी नहीं आये हैं इसलिये हम आज इस तरह से इनका पुरःस्थापन एलाऊ नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---वे उस वक्त तक छपकर नहीं आये थे।

श्री राजनारायण---उस वक्त माननीय अध्यक्ष की ऐसी व्यवस्था थी अब आप उसके विरुद्ध इजाजत दे रहे हैं, हम ने यह प्वाइन्ट आउट कर दिया, आपको अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष---उस वक्त तक यह छपकर नहीं आये थे। उनकी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि पेश नहीं किये जायेंगे, उस वक्त पेश नहीं हो सके केवल ऐसी बात थी।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का विधेयक, १९५५

खण्ड ६ (क्रमागत)

*श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)---मान्यवर, मेरे सामने इस समय २ प्रस्ताव प्रस्तुत हैं। एक श्री जोरावर वर्मा जी का है और दूसरा श्री कृष्णशरण आर्य का है। श्री जोरावर वर्मा अपने प्रस्ताव के द्वारा चाहते हैं कि लखनऊ में जिस समय सदन के सदस्य रहें उन्हें मकान मिले सरकार की ओर से और जिस का किराया २० रुपये से अधिक न लिया जाय। और एक सदस्य को उस मकान में दूसरे सदस्य को रखने के लिये मजबूर न किया जाय। इस प्रकार की सदस्यों को सुविधा हो और उसके अनुसार २० रुपया मासिक देकर वह आसानी से अच्छे तरीके से यहां आकर रह सकें। दूसरा संशोधन जो श्री कृष्णशरण आर्य का है उसकी मन्शा यह है कि जिस समय माननीय विधायक यहां रहें उस समय उनके लिये मुफ्त रहने की व्यवस्था हो और सरकार जहां जिस रूप में हमें रहने की व्यवस्था दे वहां हम उस रूप में रहें। श्री कृष्णशरण आर्य का जो संशोधन है वह मैं पढ़े देता हूं वह यह है कि "राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुये, प्रत्येक सदस्य को अपनी पदावधि के पूरे कार्यकाल पर्यन्त लखनऊ में, बिना किराया दिये हुये, ऐसे भवन में आवास के प्रयोग का भी अधिकार होगा जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ घोषित किया गया हो।"

मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं सरकार से कि इसका क्या तात्पर्य है कि राज्य सरकार जिस मकान को इसके लिये घोषित करे उसमें वह रहने के लिये मजबूर हैं। कृष्णशरण जी आर्य के संशोधन का तो मतलब यही है कि यदि राज्य सरकार एक कमरे में दो, तीन, चार विधायकों का रहना उचित समझे और इसको घोषित करे तो उन विधायकों को वहां पर रहने के लिये मजबूर होना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि कोई विधायक यह उचित नहीं समझेगा कि सरकार घोषित करे और उसमें उसको रहने के लिये मजबूर किया जाय और इसीलिये मैं समझता हूं कि इस विधेयक का घोर विरोध होना चाहिये।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करता हूं कि हम यह देख रहे हैं कि इस विधेयक के द्वारा हमारे आने जाने का किराया दूना कर दिया गया है, और यह भी देखते हैं कि हमारे चिकित्सा के लिये मुफ्त होने की व्यवस्था भी सरकार करने जा रही है। और उसके साथ यह भी देख रहे हैं कि इस खंड के द्वारा मुफ्त निवास-स्थान देने के लिये सरकार की चेष्टा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार हम सदस्यों को मुफ्तखोर न बनावे और यदि उसने मुफ्तखोर बनाया तो वह हमारे लिये ही घातक नहीं होगा, बल्कि सरकार के लिये भी घातक होगा। मैं चेतावनी के तौर पर सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि मुफ्तखोरी की प्रवृत्ति हमारे विधायकों की बनाकर आपने इस विधेयक को अपने मनोनुकूल पास करा लिया तो याद रखिये कि ये लोग ही आपके सर का दर्द हो सकते हैं और जमाना आपके सर का दर्द हो सकता है। मान्यवर, अब तक जो लांछन हम पर लग चुका है और जो कालिमा कलंक हमारे ऊपर पुत चुकी है उसको हम अभी धो नहीं पाये हैं। यदि हमने जनता की गरीबी दूर करने के लिये कोई कदम उठाया होता, उनकी रोटी रोजी के लिये कुछ किया होता तो इस तरह की व्यवस्था अपने लिये करने में कोई आपत्ति की बात नहीं हो सकती थी। लेकिन आज तक सरकार के न्याय मंत्री बैठे हुये हैं वे बतावें कि कौन सा कानून उन्होंने ऐसा बनाया है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामेश्वरलाल]

जिससे गरीबों को रोटी रोजी मिले ? मैं यह समझता हूं और मेरा यह चैलेंज है कि इस प्रदेशीय सरकार के शासन में आने के बाद ७ वर्षों मे एक भी कानून ऐसा नहीं बना है जिससे गरीबों की गरीबी दूर हो, विद्यार्थियों की रिआयत हो और अध्यापकों को वेतन मिले ! जब हम जिनकी ठेकेदारी लेकर इस विधान सभा में आये हैं उनके लिये हमने कोई काम नहीं किया तो जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से हम अपने लिये, अपने लाभ और आराम के लिये काम करें यह बहुत ही अनुचित प्रतीत होता है । और मैं जोरदार शब्दों में माननीय कृष्णशरण आर्य जी के संशोधन का विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को प्रलोभन दे कर माननीय मंत्रियों, उपमंत्रियों की तनख्वाह और भत्ते बढ़ाने का यह विधेयक इस सदन में पास हो जाय यह सरकार की मंशा है । मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्यगण की इच्छानुकूल जो प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत हुआ है उसका वे समर्थन करें और इसीलिये माननीय जोरावर वर्मा जी का जो प्रस्ताव है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं । एक विधायक को जब तनख्वाह के रूप में साल भर में २,४०० रुपये मिल जाते हैं, कम से कम ६ महीने अगर सेशन चलता है तो १,८०० रुपये भत्ते के रूप में प्राप्त हो जाते हैं और १०,१२ बार आना जाना पड़ा तो दो हजार के करीब टी० ए० में मिल जाते हैं तो, जब ६ हजार रुपये एक विधायक को साल भर में प्राप्त होते हैं तो उसके लिये लिये कोई दूभर नहीं है कि वह २० रुपये मासिक व्यय न कर सके । एक तरफ ६ हजार रुपये और दूसरी तरफ २० रुपये न दे सकना, तो फिर २४ रुपये पर काम करने वाले चपरासी को क्यों मजबूर किया जाय कि वह माननीय मंत्रीगण की इच्छानुकूल अधिक से अधिक किराया देने की, अपने पेट की रोटी काट कर व्यवस्था करें और इसके बाद भी उसे जगह उपलब्ध न हो और सप्लाई आफिस को दौड़ना पड़े ? मैं यह समझता हूं कि माननीय जोरावर वर्मा जी का जो संशोधन है वह बहुत उपयुक्त संशोधन है। उसके अन्दर जो खास बात है वह यह कि अगर कोई आदमी अलग रहना चाहे तो अलग रह सके इसकी उसे स्वतंत्रता हो । श्रीमन्, इस समय जो विधायक निवास की व्यवस्था है उस संशोधन के पक्ष में बोलते हुये मैं कुछ बात रखना चाहता हूं । जहां तक सज्जित और सुसज्जित का प्रश्न है मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं भी इस सदन का एक सदस्य हूं और सदस्य रहने के नाते मुझे यह अधिकार है, माननीय कृष्णशरण जी ने मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के बराबर सुविधा प्राप्त करने की जिस बात का जिक्र किया तो उसके अनुसार इधर के बैठने वालों को भी उसी के अनुकूल सुविधा प्राप्त हो, लेकिन मेरा दावा है कि वह सुविधा मुझे आजतक प्राप्त नहीं हुई । मेरे कमरे में न लाइट है, न कुर्सियां हैं, न टेबिल है और मैंने स्टेट आफिसर को लिखा कि मेरे कमरे में चेचक का एक मरीज चार दिन से पड़ा हुआ है उसके इंजेक्शन लगवा दिया जाय । लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला ! मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय जोरावर वर्मा जी ने जो प्रस्ताव रक्खा है वह बहुत ही उचित प्रस्ताव है, और यह सदन इस बात का ख्याल करते हुये कि उसकी जो मर्यादा है इस सदन के अन्दर और इस सदन के बाहर वह बनी रहे, उसका समर्थन करे और माननीय कृष्णशरण आर्य जी का जो प्रस्ताव है मैं उसका दिल से विरोध करता हूं । इन शब्दों के साथ मैं माननीय जोरावर वर्मा जी के संशोधन को प्रस्तुत करता हूं ।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ:---

पक्ष में---५०
विपक्ष में---८ ।)

*श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख कि माननीय व्रजभूषण जी मिश्र ने अपना क्लोजर मूव करके माननीय मंत्री जी को जवाब नहीं देने दिया। अगर वह जवाब दे दिये होते और उसके बाद मुझे बोलने का मौका मिलता तो मैं उसके अनुसार अपने विचार प्रगट करता, या इस संशोधन के विषय में सोचता।

मेरा संशोधन जो है उसका माननीय रामेश्वरलाल जी और माननीय जयपाल सिंह जी ने समर्थन किया है और माननीय उपाध्याय जी ने इसके विषय में पूर्ण गौर नहीं किया है। उन्होंने आर्य जी का जो संशोधन है उसका बड़ा स्वागत किया और यह कहा कि इससे हम लोगों को भी सुविधा होगी और गवर्नमेंट को भी सुविधा होगी क्योंकि उसको अधिक किराया मिलेगा। पता नहीं माननीय उपाध्याय जी ने यह अंदाजा कैसे लगाया, क्योंकि आर्य जी का जो संशोधन है, उस पर भाषण देते भी इस बात की कोई चर्चा नहीं हुई कि उसमें फर्नीचर रहेगा, बिजली और पानी का जो किराया लगता है वह लगेगा या नहीं लगेगा, या नियमों में इसकी व्यवस्था होगी या न होगी? दूसरी बात यह है कि नियमों में यह व्यवस्था होगी या नहीं कि सदस्यों को दो दो या चार चार या पांच पांच, छः छः को इकट्ठा रहना पड़ेगा या एक आदमी को उसकी इच्छानुसार एक कमरा मिलेगा? यह तो ऐसे काम्पलीकेशंस हैं जिनके लिये मुझे मजबूरन अपने प्रस्ताव पर जोर देना पड़ता है क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आर्य जी का संशोधन है उसमें फर्निश्ड हाउस की व्यवस्था नहीं है। माननीय जयपाल सिंह जी ने उस ओर संकेत किया कि क्या आर्य जी का संशोधन स्वीकार होने पर यह व्यवस्था होगी कि जो भी हमारे कमरों में फर्नीचर है वह हटा दिया जायगा या हटाया नहीं जायगा। तो क्या हमको उसका किराया देना पड़ेगा या नहीं?

दूसरी चीज यह कि जो मेरे संशोधन का मुख्य मंतव्य है वह यह कि विधायकों को साथ-साथ रहने के लिये मजबूर न किया जाय, क्योंकि अभी ऐसी व्यवस्था है कि जो सरकारी आदेशों का पालन करते हैं उनको तो पनिश्मेंट मिलता है, उनको सजा मिलती है, अगर वह पे न करें तो उनके सैलरी बिल में से काट लिया जाता है। लेकिन जो ला ब्रेकर्स हैं वे फ्री हैं। मैं समझता हूं कि और किसी आदमी के लिये यह सुविधा नहीं है कि अगर कोई आदमी कायदे की पाबन्दी न करे तो फौरन जेल में बन्द कर दिया जाय। लेकिन ऐसे विधायकों के लिये यह व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है कि जो कमरों का चार्ज भी न दें उनके लिये कोई कार्यवाही भी नहीं कर सकती है और जो कानून बना हुआ है उसकी पाबन्दी नहीं कर रहे हैं। जो मेरा मन्तव्य था, जैसा मैंने कहा था कि पौने उन्नीस रुपया प्रति कमरे का चार्ज लिया जाता है जिसको डबल सीटेड कहते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुये मैंने संशोधन रखा था कि २० रु० तक आप अगर किराया कर देते हैं तो अनुचित न होगा, क्योंकि २०० रुपया जो सैलरी दी जाती है वह सम्भवतः सरकार के नियमों के अनुसार १० परसेंट के हिसाब से मकान का चार्ज लिया जाता है। उसी हिसाब से मैंने २० रु० रखा था कि अगर किराया भी हमको देना पड़े तो उसके लिये कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि बिना किराया दिये मकान में रहना बहुत ही अच्छा नहीं कहा जा सकता है। माननीय आर्य जी ने जो संशोधन रखा है जो जैसा कमरा हमको मिला है उसी ढंग से अगर वह फ्री होगा, या "फ्री" का नाम करके हमसे कहीं और अधिक चार्ज किया जाय, जैसा माननीय उपाध्याय जी ने कहा है तब तो मैं कहता हूं कि सरकार के लिये यह अच्छा होगा। लेकिन जहां तक विधेयक का प्रश्न है बड़े दुख की बात होगी क्योंकि अखबार वाले और गली चलते हुये लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि विधायक जो हैं वे अपना मनमाना बिल पास करके हर प्रकार की सुविधा ले रहे हैं और आर्य जी का संशोधन कहीं मंजूर हो गया कि फ्री मकान मिलेगा और वह व्यवस्था हुई जिसका माननीय उपाध्यय जी ने स्वागत किया बिजली का, फर्नीचर का और वाटर का और अन्य प्रकार के चार्जेज देने पड़े तब तो यह बहुत ही एक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जोरावर वर्मा]

विचित्र बात हुई कि कहने को कमरा फ्री हुआ और देने को जो देना पड़ता है उससे अधिक देना पड़ा तो इधर विधायक लोग बदनाम भी हो गये और चार्ज उससे कहीं ज्यादा देना पड़ा। तो यह पता नहीं कि हमारे मंत्री जी या सरकार का क्या मन्तव्य है? क्योंकि जैसा अभी एक समर्थक ने इस बात का इशारा किया कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, डिप्टी मिनिस्टर जो हैं इनके लिये फर्निश्ड हाउस की व्यवस्था की गई है। लेकिन यह जो संशोधन आर्य जी ने रखा है इसमें से फर्निश्ड निकाल दिया गया।

दूसरी चीज यह कि अगर सरकार कमरे हम लोगों के लिये न देगी तो क्या हम लोगों को कुछ किराया मिलेगा जो कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार रह सकेंगे या नहीं रहेंगे। यह तमाम ऐसी बातें जिनके लिये मैंने संशोधन रखा था और मैं माननीय अध्यक्ष का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने कहा था कि अगर आर्य जी का संशोधन स्वीकृत हो गया तो मेरे संशोधन के जो तीन भाग हैं वे अलग-अलग उस पर मत लेंगे। एक तो यह कि अगर फ्री कमरा दिया जायगा वह फर्निश्ड होगा या किराया भी कुछ लिया जायगा, और तीसरी बात यह कि अगर स्वीकृत हो गया तो सदस्यों के लिये मजबूरी तो नहीं होगी कि उनको दो से अधिक रहना पड़े। हमारे उपाध्याय जी ने इस बात की इच्छा प्रगट की थी कि सदस्यों के साथ-साथ रहने के लिये बड़ी असुविधा होती है। वे जब भाषण दे रहे थे तो उधर के प्रमुख वक्ता श्री शिवनारायण जी ने इच्छा प्रकट की थी कि मैं उपाध्याय जी के साथ रहूंगा। पता नहीं अभी तक कहां सोते रहे। माननीय उपाध्याय जी और राजनारायण जी ने तो कहा था कि हमारे कमरे में जो आना चाहता हो वह आये। पता नहीं आखिर उन्होंने इस प्रकार की मदद सरकार की क्यों नहीं की और यहां सदन में इस प्रकार की बातें कह देने से उनका क्या मन्तव्य था? तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन पर फिर से जोर दूंगा, क्योंकि इस समय जो विधायक निवास है उसकी अवस्था एक धर्मशाला से अच्छी नहीं कही जा सकती या उसको छात्रावास कहा जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी हालत में हम लोग रहें और हम लोगों से आशा की जाय कि सरकार जो कानून बनाये, हम उस पर ठीक ढंग से विचार करके अपनी राय दें तो यह बहुत ही नामुमकिन है। जब हमारे रहने का ही ठीक प्रबन्ध नहीं है तो हम लोग कैसे किस टाइम पर, किस प्रकार से पढ़ सकते हैं? हम लोग धर्मशाला की तरह से पड़े हैं वहां पर, किसी किसी में दो दो, तीन तीन, चार चार पड़े हैं! सिर्फ सुविधा उन्हें है जो सरकारी कानूनों की अवहेलना करके अकेले रह रहे हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि हमारा जो संशोधन है वह इस समय जो व्यवस्था विधायक निवासों की है उसको देखते हुये यह संशोधन बहुत ही उपयुक्त है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसे स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उपाध्याय जी का और उन सब सदस्यों का, जिन्होंने मेरे प्रस्ताव के समर्थन में कुछ बातें कहीं है, मैं उनका आभारी हूं। माननीय उपाध्याय जी ने जो मेरे संशोधन का समर्थन करते हुये इस बात पर प्रकाश डाला कि निवास स्थान जो हम लोगों का है आजकल उसमें बिजली का या और जो सुविधायें वहां पर हैं, उनका ठीक उपयोग नहीं होता है। वास्तव में यह बात ऐसी है जिसकी ओर कि सारे ही माननीय सदस्यों को ध्यान देना चाहिये। घर जाने पर या कमरा बन्द रहने पर पंखा चलते रहना, बिजली जलती रहना, या पावर प्लक का अनुचित प्रयोग करके अनावश्यक कार्यों के लिये हीटर आदि का उपयोग करना यह वास्तव में ऐसी बातें हैं जो हम सब के लिये विचारने की हैं। और यदि प्राप्तसुविधाओं का प्रयोग ठीक-ठीक हो तो निश्चय ही, मैं समझता हूं कि शासन पर इसका आर्थिक भार बहुत कम हो जायगा। माननीय जोरावर जी ने जो अपना संशोधन रखा है जिसका कि माननीय रामेश्वर लाल जी ने समर्थन किया और माननीय जयपाल जी ने भी, उसका मतलब यह है कि सुविधायें तो सब चाहते हैं, कमरा एक-एक प्रत्येक सदस्य के लिये सुविधाजनक, सुसज्जित, फर्निश्ड, सभी चाहते हैं। अब अगर कमरे कम हैं तो इसमें जो लगभग ४०, ४५ लाख रुपये लगे हैं उतने ही और लगाकर और कमरे बनायें, और

तब सब को एक-एक कमरा मिले। तो इसका मतलब यह है कि सरकारी खजाने पर बोझा पड़ेगा ही और फिर माननीय रामेश्वरलाल जी, जब उसके बनाने की बात सदन में आयेगी और उसके लिये पैसे की मंजूरी की बात आयेगी तो कहेंगे कि गरीब लोगों को तो मकान नहीं मिल रहे हैं, उनके लिये तो झोपड़ियां भी नहीं हैं और जनहित का एक भी काम नहीं हो रहा है, लेकिन इसके लिये इतना खर्चा चाहिये। यह क्यों दिया जाय जब कि सुविधायें वह भी सारी ही चाहते हैं। फर्नीचर की शिकायत करेंगे कि टेबुल लैम्प नहीं है, या कुरसी नहीं है, या मेजनहीं है। वास्तव में अगर नहीं है, कि ी चीज की कमी है तो पू ी की जानी चाहिये जैसी कि और कमरों में है, लेकिन शायद हमारे देश में अधिकांश लोगों के पास तो ऐसी सुविधायें नहीं हैं। मैं यह नहीं कहता कि उनको यह नहीं कहना चाहिये था, जब सबके पास वैसी सुविधायें हैं तो उनके पास भी होनी चाहिये। लेकिन इस तरह से दो तरह की बातें कहना मैं समझता हूं कि उचित नहीं लगता हर मौके पर। माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने मेरे संशोधन का विरोध करते हुये इस बात की चर्चा की कि कल जो संशोधन इसी बिल में खंड ५ में मेरा पास हुआ था चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के लिये, उसमें माननीय सदस्यों के परिवारों के लिए भी था। कुछ अखबारों में स्वतंत्र भारत में और कौमी आवाज में भी मेरा यह संशोधन गलत छपा है। मेरा संशोधन जो स्वीकार हुआ माननीय सदस्यों के लिये था न कि माननीय सदस्यों के परिवारों के लिये। एक बात जो कमरों के लिये कही गई, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी और सरकार, माननीय सदन के सभी भागों के सदस्यों की इस बात का ध्यान रखेगी कि सब चाहते हैं कि एक-एक कमरा सब को अलग-अलग मिले जिससे जो कार्य हम लोग करने के लिये आते हैं वह सुविधा और स्वतंत्रता के साथ कर सकें। लेकिन यदि हम एकोमोडेशन के साथ में सज्जित लिख देते हैं तो उसमें लिखना पड़ेगा कि कितने लैम्प हों, कितनी कुर्सियां हों, वगैरह वगैरह। इसलिये मैंने नियमों के अधीन वाली बात अपने संशोधन में लिखी है। सब बातों का ध्यान रखते हुये ये नियम बनाये जायेंगे और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी और यह सदन इसको स्वीकार करेगा।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें जो मुझे कहनी थीं वे इस सदन में मुख्तलिफ मेम्बरों ने खुद ही कह दी हैं। जहां तक सरकार की नीति का सवाल है मैं समझता हूं कि जो तरमीम श्री कृष्णशरण आर्य ने पेश की है वह ऐसी है कि जिसको सरकार मंजूर कर ले, यानी यह कि "राज्य सरकार बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुये प्रत्येक सदस्य को अपनी पदावधि के पूरे कार्यकाल पर्यन्त बिना किराया दिये हुये ऐसे भवन में आवास के प्रयोग का भी अधिकार होगा जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ घोषित किया गया हो।" जाहिर है कि जब हम कोई कानून बनाते हैं तो सारी बात उसके अन्दर नहीं आ सकतीं। कानून में तो जो मोटी-मोटी बातें होती हैं वे लिख दी जाती हैं। अब यह कि आया फी सदस्य एक कमरा देंगे या कुछ दिनों के लिये एक से ज्यादा आदमी एक कमरे में रहेंगे या क्या होगा ये सब बातें ऐसी हैं जो तफसीली हैं। इसी तरह से यह बात भी कि उनको फरनीचर दिया जायगा और अगर दिया जायगा तो कितना, जाहिर है कि यह सब कानून में नहीं लिखा जा सकता है। इसीलिये हमने यह तरमीम मंजूर की है कि "नियमोंके अधीन रहते हुये", क्योंकि इसके मुताल्लिक नियम बनेंगे और उसमें जाहिर है कि माननीय सदस्यों की हर सुविधा का ख्याल किया जायगा।

जहां तक माननीय जोरावर वर्मा की तरमीम का सवाल है, मेरे खयाल में जब यह तरमीम मंजूर हो जायगी तो गालिबन वे खुद अपनी तरमीम के ऊपर इसरार नहीं करेंगे। जैसा मैं कह रहा हूं "सज्जित" महज लिख देने से कोई बात हल नहीं होती। फरनीचर के माने तो यह भी होते हैं कि हमने एक पलंग और एक कुरसी रख दी और कह दिया कि कमरा सज्जित है। लेकिन यह मंशा तो नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा—तो मंत्रियों और उपमंत्रियों के लिये जो सज्जित रखा गया है उसमें भी न लिखा जाय तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री सैयद अली जहीर—उसमें भी रूल्स ही होते हैं। लेकिन जहां तक इसका ताल्लुक है इसमें मेरा ख्याल है कि चूंकि एक तरीका चला आ रहा है और जितने माननीय सदस्य हैं उनको एक खा.। फरनीचर के साथ कमरे दिये गये हैं, तो यह नीति किसी की नहीं है कि जो सुविधायें इस वक्त मेम्बरान को मिली हुई हैं उनको कम कर दिया जाय। सिर्फ उनसे किराया नहीं लिया जायगा, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जैसा उपाध्याय जी ने सुबह बतलाया कि बहुत से लोगों पर सन् ४६ से अब तक किराया चला आ रहा है, और वह बावजूद हर तरह की कोशिश के वसूल नहीं होता है तो इस झंझट से बचने के लिये मुनासिब समझा जाता है कि यह जो तरमीम आर्य जी ने पेश की है, आवश्यक है, इसको सरकार मंजूर करे। और मुझे उम्मीद है कि इसकी मंजूरी के बाद माननीय जोरावर जी समझ गये होंगे कि उनकी तरमीम की अब जरूरत बाकी नहीं रहती है और जो चीज वह अपनी तरमीम में चाहते थे उसका इन्तजाम नियमों के जरिये कर दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (२) में प्रस्तावित धारा २-क के बाद २-ख निम्न रूप में बढ़ा दी जाय:—

"२-ख—राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुये प्रत्येक सदस्य को अपनी पदावधि के पूरे कार्यकाल पर्यन्त लखनऊ में, बिना किराया दिये हुये, ऐसे भवन में आवास (accommodation) के प्रयोग का भी अधिकार होगा जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ घोषित किया गया हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(श्री जोरावर वर्मा के खड़े होने पर श्री उपाध्यक्ष ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि आपका संशोधन पेश किया जाय ?)

श्री जोरावर वर्मा—जी हां। फिर शायद नियमों में न हो सके। अगर यहीं हो जाय तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अभी स्वीकृत संशोधन में शब्द "भवन" के पहिले शब्द "सज्जित" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि स्वीकृत संशोधन में पूर्ण विराम के पहिले ये शब्द जोड़ दिये जायं "तथा जो किसी भी परिस्थिति में २० रूपये मासिक की दर से अधिक किराये का न होगा।"

श्री सैयद अली जहीर—उपाध्यक्ष महोदय, यह तो पेश ही नहीं हो सकता है क्योंकि इसने यह तय किया है कि बिना किराये के निवासस्थान सदस्यों को दिया जायगा, इसलिये इसका सवाल बाकी नहीं रहता है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, मुझे यह कहना है कि जहां तक मंत्री जी की आपत्ति है वह निर्मूल है क्योंकि जो सरकार नियम बनायेगी तो हो सकता है कि सरकार नियमों के अन्दर उसको फर्नीशिंग या बिजली वगैरा का ऐसा चार्ज कर दें जो २० रुपये से ज्यादा हो। परन्तु जोरावर जी चाहते हैं कि मकान की व्यवस्था में २० रुपये से ज्यादा खर्च न हो, इसलिये उनकी आपत्ति निर्मूल है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जब सदन इस बात को स्वीकार कर चुका है कि बिना किराये के सदस्यों को मकान मिलेगा तो २० रुपये वाली बात एक प्रकार से प्रवैधानिक हो जायगी। इसलिये यह वैधानिक नहीं होगी।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, हम चाहते हैं कि इसको पेश कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अगर वह चहते हैं तो उनके इस संशोधन पर भी राय ले ली जाय।

प्रश्न यह है कि स्वीकृत संशोधन में पूर्ण विराम के पहिले ये शब्द जोड़ दिये जायं। "तथा जो किसी भी परिस्थिति में २० रुपये मासिक की दर से अधिक किराये का न होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि स्वीकृत संशोधन के पश्चात् यह प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय:-

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी परिस्थिति में दो या दो से अधिक सदस्यों के लिये एक साथ रहने के लिये बाध्य न किया जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामेश्वरलाल---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

श्री कृष्णशरण आर्य---मुझे वैधानिक आपत्ति है। अभी जो मेरा संशोधन सदन ने स्वीकार किया है उसके बाद यह खंड निकाल दिया जाय, इस प्रकार का संशोधन कैसे आ सकता है?

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह वैधानिक आपत्ति उचित है क्योंकि अभी सदन इस पर विचार कर चुका है और एक फैसला दे चुका है।

श्री राजनारायण---जो धारा है उसका विरोध हम कब करेंगे, इसको निकाल देने के प्रस्ताव में ही तो।

***श्री रामेश्वरलाल**---श्रीमन्, दुख है कि जानबूझ कर समझदारी के बाद भी हमारे प्रस्ताव की अनुमति, उधर के बैठने वाले लोग नहीं दिलाना चाहते और इस प्रकार की बाधा उपस्थित करते हैं। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय।

खंड ६ का उपखंड (२) इस प्रकार है जिसे मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं:--

"२-क---जब उत्तर प्रदेश विधान मंडल का कोई सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य में कहीं भी जाने के कारण विधान मंडल के सदन के सत्रकाल में अथवा उसकी किसी समिति के अधिवेशन काल में दस दिन से कम के लिये अनुपस्थित हो तो उसे ऐसे स्थान की यात्रा पर जाने के लिये एवं वहां से वापस आने के लिये प्रत्येक यात्रा के संबंध में प्रथम श्रेणी का किराया मिलेगा, वह सदस्य चाहे जिस रीति से जाय अथवा चाहे जिस श्रेणी में यात्रा करे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यात्रा के उन भागों के लिये, जो ऐसे स्थानों के बीच की गयी हो, जो रेलवे द्वारा संयोजित नहीं है, उसे माइलेज भत्ता उस दर से मिलेगा जो प्रथम श्रेणी के गजटेड आफिसर्स को प्राप्य है :

और प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसा यात्रिक भत्ता इस कुल दैनिक भत्ते से अधिक न होगा जो उक्त सदस्य को धारा २(२) के अधीन अनुपस्थिति के दिनों के लिये मिलता यदि वह अनुपस्थित न होता।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामेश्वरलाल]

श्रीमन्, यदि आप इस उपखंड को ध्यान से देखेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि किसी भी माननीय सदस्य को जो १० दिन तक अधिवेशन काल में यहां अनुपस्थिति रहे तो उसके बाद भी उसको आने जाने का किराया फर्स्ट क्लास का दूना प्राप्त होगा। यही नहीं, श्रीमन्, अब इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि चाहे माननीय सदस्य प्रथम श्रेणी में सफर करें या न करें, चाहे वह तीसरे दर्जे में ही क्यों न सफर करें, लेकिन उनको किराया फर्स्ट क्लास का मिलेगा और इसके साथ साथ यह भी व्यवस्था की जा रही है कि यदि वह १० दिन तक गैरहाजिर रहें और आने जाने का किराया और १० दिन की गैरहाजिरी का जो भत्ता बनता है, उसमें यदि किराया अधिक न होगा तो उन्हें भत्ता ही प्राप्त होगा। इस प्रकार की व्यवस्था इस उपखंड (२) के अनुसार की जानेवाली है।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इस पूरे विधेयक में माननीय सदस्यों के लिये जो सब से ज्यादा आब्जेक्शनेबिल चीज है वह यह खंड है, क्योंकि इसके द्वारा यदि आप ऐसी आज्ञा दें तो मैं अपने लिये कहना चाहता हूं कि हमें चोरी सिखाने की व्यवस्था माननीय मंत्री जी करने जा रहे हैं। हम प्रथम श्रेणी में चलें या न चलें किन्तु किराया हमको प्रथम श्रेणी का मिलेगा ! तीसरी क्लास में चलने पर भी हमको प्रथम श्रेणी का किराया मिलेगा। मैं समझता हूं यह विधेयक जैसा कि मैंने देखा, माननीय न्याय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत हो रहा है। तो इसमें ऐसी व्यवस्था हो यह डेमोक्रेसी और खासतौर से भारत ऐसे देश के लिये यह बहुत ही लज्जास्पद बात है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और कम से कम इस खंड को वापस लेना चाहिये।

श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक के उपखंड प्रस्तुत करने की मन्शा है, अब ५७ सन् करीब है, उस समय यह विधेयक लाकर सरकार क्या करने की इच्छा रखती है इसका अन्दाजा सोचा जा सकता है। और कोई भी बुद्धिमान इसको सोचकर इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो यह हो सकता है कि माननीय सदस्यों को जो कम से कम उस पक्ष से संबंध रखते हैं भत्ता और आने जाने का किराया वृद्धि सहित देकर तीसरे दर्जे में यात्रा करने पर पहले दर्जे का किराया देकर सरकार यह चाहती है कि माननीय सदस्यों से चुनाव के समय में सहायता और सहयोग प्राप्त किया जाय।

दूसरे राजनीतिक पीड़ित लोगों को जो सहायता सरकार बिला पार्टी बेसिस पर देने जा रही है और जिसको हमारे विधान सभा के सदस्य लेने से इंकार करते हैं और जो पोलिटिकल सफरर के लिये राजनैतिक भत्ता के नाम पर लेने से माननीय सदस्य स्वीकार नहीं करते हैं तो उनके लिये राजनैतिक भत्ता देने की व्यवस्था इस उपखंड के द्वारा यह सरकार करने जा रही है। मैं समझता हूं यह माननीय सदस्यों के लिये बहुत ही अपमानजनक बात है और माननीय न्याय मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक के उपखंड की यह मंशा सभी विधेयक से अधिक लज्जास्पद है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी कम से कम विधेयक के इस खंड को वापस ले और उसको रहने दें जो सदस्यों के लिये पहले से चला आया है, और जो आज तक उन्होंने लिया है। इन शब्दों के साथ मैं अपना विरोध को सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, श्री रामेश्वरलाल जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आपके द्वारा मैं सदन के माननीय सदस्यों से भी यह निवेदन करूंगा कि वह हमारे समर्थन में अपनी सम्मति देंगे। हमारे बुजुर्ग हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब गरदन हिला रहे हैं कि हां, वह समर्थन करेंगे। यह उनकी गरदन हिलाने की जो संभावना समझता हूं, उसी के मुताबिक मैं कह रहा हूं। श्रीमन्, जब मैं रामेश्वर लाल जी के संशोधन के पक्ष में बोल रहा हूं तो हमारे लिये यह भी आवश्यक हो जाता है कि विधेयक जिस रूप में यहां पर प्रस्तुत है उसकी कमी और खामी और त्रुटियों को इस सदन के सामने प्रस्तुत किया जाय। मुझे अफसोस के साथ यहां पर यह कहना पड़ता है और कांग्रेस पार्टी

के सम्मानित सदस्यों से, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सम्मानित सदस्यों से और अन्य लोगों से भी यह निवेदन करना पड़ता है कि वे जरा अपने भावों को देखें। दुख और चिन्ता तो तब होती है जब कि वही लोग आज से साढ़े तीन बरस पहले जहां २०० रुपये तनख्वाह की बात थी, संशोधन में १५० रुपये रखे थे, १० रुपये दैनिक भत्ते की जगह साढ़े सात रुपया रखे थे, और जब आज वही लोग माननीय मदनमोहन जी, आर्य जी के संशोधन के पक्ष में बोले तो मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस सरकार का जादू शायद कुछ उनके सर पर भी चढ़ कर बोलने लगा हो। जिस रहस्य के उद्घाटन होने में शायद कुछ विलम्ब लगता अब माननीय मदनमोहन जी ने उसे प्रकट करने में जल्दी कर दी कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी का एक ही दृष्टिकोण है। मैं चाहता हूं कि यह गलत हो और मुझे खुशी हुई माननीय रामेश्वरलाल जी के साहस को देखकर कि उनकी पार्टी के नेता, जो उपनेता के पद पर थे और शायद आज नेता के पद पर हों, द्वारा व्यक्त की हुई भावना के विरोध में साहसी कदम उठाया। मैं कहूंगा कि उन्होंने सही जजबात का इजहार किया है। जिस खंड को निकालने की बात माननीय रामेश्वरलाल जी कर रहे हैं वह इस प्रकार है :—

"जब उत्तर प्रदेश विधान मंडल का कोई सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य में कहीं भी जाने के कारण विधान मंडल के सदन के सत्रकाल में अथवा उसकी किसी समिति के अधिवेशन काल में दस दिन से कम के लिये अनुपस्थित हो तो उसे ऐसे स्थान की यात्रा पर जाने के लिये एवं वहां से वापस आने के लिये प्रत्येक यात्रा के संबंध में प्रथम श्रेणी का किराया मिलेगा, वह सदस्य चाहे जिस रीति से जाय अथवा चाहे जिस श्रेणी में यात्रा करे।"

विधेयक स्वतः बोल रहा है। उसकी मंशा है कि इस सदन में १० दिन से कम यानी ९ दिन तक यदि सदन के सम्मानित सदस्य चाहें तो सदन की कार्यवाही में भाग न लेते हुये भी प्रान्तव्यापी दौरा करते रहें और ९० रुपये तक किराया ले सकें। ९० रुपये में इसलिये कहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने १० दिन से कम की बात कही। जब सदन के किसी सम्मानित सदस्य ने, जहां तक मुझे स्मरण है, श्री जयराम वर्मा जी ने संशोधन रखा था कि १० दिन या उससे कम किया जाय, उनके संशोधन को न मानते हुये माननीय मंत्री जी ने सरकार की मंशा बताई थी कि १० दिन से कम ही हम चाहते हैं कि इस सदन से सम्मानित सदस्य गैरहाजिर होना चाहें तो हो सकें। १० दिन पूरा होने में उनकी सरकार को एतराज है। यदि इस तर्क को स्वतंत्र बुद्धि की कसौटी पर कसा जाय या परतंत्रता की बेड़ी के जकड़ाव को दूर करके सोचा जाय तो मैं समझता हूं कि सरकार की बुद्धि का दिवालियेपन का सबूत इससे अधिक नहीं हो सकता है। सरकार चाहती है कि १० दिन तक तो माननीय सदस्य लगातार गैर-हाजिर रह सकते हैं मगर १० दिन पूरे न हों। ९ और १० का फर्क क्या है? सरकार के पास कौन सी वैज्ञानिक कसौटी है कि ९ दिन की गैरहाजिरी से तो क्वान्टीटेटिव डिफेन्स होगा, ९ दिन की गैरहाजिरी तो मात्राभेद रखेगी और १० दिन की गैरहाजरी से क्वान्टीटेटिव डिफेन्स विल बी टर्न्ड इन्टू क्वालीटेटिव डिफेन्स! मात्राभेद गुणभेद में परिणत हो जायगा। खैर, सरकार अपने तर्क को स्वयं समझती होगी और सरकारी पक्ष के सदस्य भी समझने की कृपा करेंगे।

जहां तक सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों का संबंध है, हम डंके की चोट पर कहना चाहते हैं कि मंत्री, उपमंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभासचिव, चेयरमैन, उपचेयरमैन को विशेष सुविधा प्राप्त कराके विधेयक हमारी बुद्धि को कुंठित नहीं कर सकता। हम उनके पदचिन्हों पर चल कर अपने लिये विशेष सुविधा प्राप्त कराके विधेयक के साथी नहीं हो सकते। आज जो सदस्य ऐसी बात करते हैं कि अपना स्तर ऊंचा करने के लिये ऐसे संशोधन पेश करते हैं कि हमें मुफ्त मकान की व्यवस्था हो, या १० दिन तक के लिये या जिस समय के लिये हम इस सदन में न रहें और प्रांतव्यापी तूफानी दौरा करके खर्चा १०० रुपये तक मिल सके, वे इस सरकार के लगी हुई कालिक को धोवेंगे, और जो अंश कम होगा वह उन्हीं के मस्तक पर विराजमान होगा।

[श्री राजनारायण]

क्यों नहीं इस सदन के सम्मानित सदस्य यह आवाज बुलन्द करते कि ये विशेष सुविधायें न दी जावें ? मगर आज कांग्रेस पार्टी का जादू औरों के सर पर चढ़ कर भी बोल रहा है और वे भी सोचने लगे कि जब हमारे विरोध करने से इनकी सुविधाओं में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो चलो हम भी अपने लिये सुविधायें मांग लें। मालूम होता है कि यह सरकार उदार भाव से बैठी हुई है और इस सदन के सम्मानित सदस्य भिक्षा की मनोवृत्ति से उसके सामने हाथ पसारे खड़े हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी घातक मनोवृत्ति को निकाल कर फेंक देना चाहिये। यह जनतंत्र पर कुठाराघात करने वाली मनोवृत्ति है। जब सरकारें अपने पक्ष को ऐसी बातों से प्रबल करने लगती हैं तो वह चाहती हैं कि दूसरे पक्ष भी उनके साथ उन्हीं भावनाओं में बहें। बहुत से लोग सोचने लगे हैं कि कौन सा दाव इस विषय में चढ़ा कर फेंका जाय, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि—

सच्चाई छिप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से,
कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से।

लोग कहेंगे कि राजनारायण जी अपने को बड़ा तीसमारखां समझते हैं और दूसरों को शायद पिछलग्गू समझते हैं। लेकिन वस्तुस्थिति अपनी जगह पर बोलती है और वस्तुस्थिति यह है कि आज विरोधी पक्ष के उपनेता श्री कृष्णशरण आर्य जी के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं! और समर्थन क्यों न करें? वे समर्थन करते हैं लेकिन दांव पेच लगा कर कैंची चलाते हैं। यह बात नहीं होनी चाहिये। इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह मनोवृत्ति अच्छी नहीं है। रामेश्वरलाल जी ने कहा कि हम कहेंगे। इस बात पर मैं माननीय रामेश्वरलाल जी को अपने सिर पर बैठाने के लिये तैयार हूं। यह होना चाहिये। अगर डेमोक्रेसी को हम पनपने देना चाहते हैं तो ऐसा होना ही चाहिये। जब लीडरशिप में बटवारा हो तो लीडर शिप मस्ट बी डिवाइडेड। अगर लीडरशिप एक व्यक्ति में प्रवेश कर जाती है तब डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। जब पार्टी के नेता कोई गलत काम करने लगते हैं तो अपने सदस्यों को दबा करके वे अपनी इज्जत रखते हैं। वे कहते हैं कि इसमें यह राज था, वह राज था। हम राजों को समझते हैं, हमने बहुत कुछ देखा है। हम सफाई के साथ कह देना चाहते हैं कि मौलिक प्रश्नों के लिये पार्टी के अन्दर डेमोक्रेसी का होना आवश्यक है। अगर उनके ऊपर पार्टी के सदस्यगण अपने लीडर के विरोध में अपनी आवाज बुलन्द नहीं कर सकते तो शासन नहीं चल सकता, वहां तो डिक्टेटरशिप चलेगी। इसका मूर्तिमान स्वरूप हमने रक्खा है और दूसरों से रखने की भी उम्मीद हम करते हैं। आज जब दूसरा सवाल आयेगा तब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। मैं आर्य जी से कहना चाहता हूं कि अगर वे धारा ६ (२—ख) का संशोधन उपस्थित करके विशेष सुविधा प्रदान करने की कृपा न करते तो सम्मानित सदस्यों का सम्मान ज्यादा होता। आज एक भ्रम माननीय सदस्यों के हृदय में घर कर रहा है कि यदि हमें सुसज्जित भवनों में रहने की सुविधा प्रदान होगी, यदि किराया कम होगा, तो हमारी प्रतिष्ठा अधिक होगी। बहुत से सदस्य इस बात को ध्यान में रख कर अधिक सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं और समझते हैं कि अगर ऐसा न हुआ तो हम सरकारी कर्मचारियों से पीछे रह जायेंगे। इस सिलसिले में मुझे एक बात याद आ गयी कि परसों जब यहां हजारों की तादाद में जन समूह उमड़ा था तो इस सदन के बाहर सोशलिस्ट पार्टी के नेता श्री चन्द्रिका सिंह करुणेश जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी के मुखारविन्द से निकला हुआ एक शेर सुनाया। वह इस प्रकार था—

सौ जूते से कम में खतबये आली नहीं होता।
इज्जत वह खजाना है जो कभी खाली नहीं होता।

यह माननीय संपूर्णानन्द जी के मुखारबिन्द से निकले हुए शब्द हैं। जब हमारे राज्य के मुख्य मंत्री अपनी इज्जत की ऐसी कल्पना करते हैं तो फिर हमारे माननीय सदस्य किस इज्जत की कल्पना करते हैं? यह अपना दृष्टिकोण नहीं है। अपने दृष्टिकोण से हर एक के सम्मान की

रक्षा होनी चाहिये। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व किसी के पीछे बंध कर नहीं चलता। यदि मकान की व्यवस्था मुफ्त हो जायगी, या किराया कम हो जायगा, या इस सदन में १० दिन तक भाग न लेने पर भी १०० रुपया तक किराया मिल जायगा, तब इस सदन के सदस्यों के व्यक्तित्व की सीमा ऊंची नहीं होगी, उनके व्यक्तित्व की सीमा नीची हो जायगी। मैं आज भी कहूंगा कि यहां इस सदन के माननीय सदस्यों ने अपने रहने की सुविधा के बारे में कहा कि हम एक-एक कमरे में दो-दो और तीन-तीन कठिनता से रखे जाते हैं और इस तरह से वे सदन के कार्य को ठीक से सम्पादित नहीं कर पाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उनको क्या कठिनाई है, कौन सा कार्य वे सम्पादित नहीं कर पाते ? और जो दिक्कत उन शिकायत करने वाले माननीय सदस्यों को है उसकी भी मुझे जानकारी है, और मैं इस सम्मानित सदन के सामने उस तरह का रहस्योद्घाटन नहीं करना चाहता, उसके बहुत से कारण हैं। बहुत से लोगों को अपने ही रहने के लिए अलग से कमरे मिले हुए हैं लेकिन किस तरह से उनका वहां आज दुरुपयोग हो रहा है, किस किस तरह से वहां के मामले थाने में गए और मुकदमे चले और वहां क्या-क्या सामाजिक और गैरसामाजिक कर्म नहीं हो रहे हैं ? इस विषय में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, इशारा काफी है लोगों के समझने के लिए इतना ही काफी है। लेकिन मैं सदन के सदस्यों को आपके द्वारा साफ बता देना चाहता हूं कि इस तरह से मुफ्त मकान लेकर और भत्ते लेकर जनता की निगाहों में आपकी अधिक इज्जत नहीं बढ़ सकती। अगर फटे हाल भी रहें और बदन पर यह ऊनी सिदरी भी न रहे तब भी अगर किसी के आचार और लक्ष्य ऊंचे हैं तो वह अधिक इज्जत करा कर जनता के बीच में रह सकता है। मैं बताता हूं कि हमारे पास भी यद्यपि एक ही कमरा है और हमारे पास भी अभी तक वही सुविधा और साधन जो इस सदन के दूसरे माननीय सदस्यों को आप्त हैं लेकिन मुझे तो शायद ही कभी अपने कमरे में चारपाई पर सोने का अवसर प्राप्त होता है....

(इस समय ३ बज कर २७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

वर्ना मेरा बिस्तर तो हमेशा जमीन पर पड़ा ही रहता है, क्योंकि वहां अधिक लोग आते जाते रहते हैं और इतनी भीड़ लोगों की रहती है और इसीलिए मैं समझता हूं कि इस राज्य के किसी मंत्री या उपमंत्री से मेरी इज्जत, किसी सरकारी कर्मचारी की निगाह में कम नहीं है। मैं जमीन पर बिस्तर बिछा कर लेटता हूं और बगैर तकिये के ही सोकर अपनी इज्जत किसी मंत्री से कम नहीं समझता और मैं यह भी बता दूं कि जितने कर्मचारी दारुलशफा में काम करने वाले हैं उनसे कोई मंत्री मेरे मुकाबले में बैलट से वोट करावें तो उनको मालूम होगा कि वह मंत्री जी को चाहते हैं या राज नारायण को चाहते हैं ! उसको वह सिर्फ इस लिए चाहते हैं कि उसमें जो खिदमत और सेवा का भाव है, उसमें निष्ठा है, उसमें कर्त्तव्य-पालन की भावना है, वह इज्जत दो कुर्सी या ३ कुर्सी पर बैठने से नहीं मिलती। एक चारपाई या ३ चारपाई से प्रष्ठिता नहीं होती, भत्ते या मकान से कोई आपके सम्मान मे कमोबेशी नहीं हो सकती। आज सदन के सदस्य अपने सम्मान की सुरक्षा चाहते हैं और चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी उनको अपने से बढ़कर मानें लेकिन उसके लिए कुछ गुणों की आवश्यकता होगी, तभी दो चार हजार रुपया पाने वाले सरकारी कर्मचारी भी सदन के सदस्यों के सामने नतमस्तक हो सकते हैं। यह तर्क भी दिया जाता है कि सरकारी कर्मचारियों से जिनको अधिक वेतन मिलता है उनसे भी वेतन का दसवां भाग किराए के रूप में लिया जाता है और हमसे ज्यादा लिया जाता है और इस तरह से प्रष्ठिता में ठेस लगने की आशंका है। इस तरह से देखे तो आज भी एक कलेक्टर को जो वेतन मिलता है तो उससे हम लोग ही कम नहीं पाते बल्कि एक उपमंत्री, सभासचिव और यहां तक कि माननीय उपाध्याक्ष को भी कम मिलता है। तो क्या इससे उनकी इज्जत उन कलेक्टरों से कम है ? इस लिए रुपए की घटती बढ़ती से किसी की इज्जत नहीं नापी जानी चाहिए, वह नापी जानी चाहिए व्यक्तित्व से, विचार से, वाणी से और कर्त्तव्य से, अगर किसी की कथनी और करनी एक है तो वह सही मानों में जनता का सेवक है। "अरि करनी करि करिय लड़ाई।" रिपु की करनी करके लड़ाई करके अपने को सेवक मानने वाले को समाज ठुकरायेगा। इन

[श्री राजनारायण]

भावों को व्यक्त करता हुआ मैं माननीय रामेश्वरलाल जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन की ताईद करता हूं और माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा इस सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे हमारे साथ हों और मेरे मत में मत मिला कर इस खंड ६ के उपखंड (२) को निकलवाने के लिये अग्रसर हों ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय रामेश्वरलाल जी ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे माननीय श्री राजनारायण जी ने इस प्रस्ताव के समर्थन में कुछ बातें ऐसी कह दी हैं, कि हम लोग भी कांग्रेस के साथ बहुत जल्दी मिल गये हैं क्योंकि हमने उनका साथ दिया है। अध्यक्ष महोदय, जो काम अच्छे हों चाहे कोई करे, चाहे सरकार करे और उसका विरोध नहीं करना चाहिये। हम इस लिये विरोधी पार्टी में तो नहीं हैं कि जो चीज भी हाउस में आवे उसका विरोध करना ही है। मुझे राजनारायण जी से कहना है कि वह हमारे नेता थे और सारा काम वे हमसे ही करवाते थे, उनकी जांच तो अब होगी। उनका कहना था कि वे असेम्बली से इस बिल के पास होने के बाद इस्तीफा देंगे। हमें अब देखना यही है कि इस बिल के पास होने के बाद वे असेम्बली से इस्तीफा देते हैं या नहीं ? या यह केवल प्रोपेगेन्डा है ? विरोधी दल का काम अवश्य है कि गवर्नमेंट कि जितनी खराबियां हैं उनको निकालने की कोशिश करे ताकि वह खराबियां दूर हों, इस उद्देश्य से हम विरोध करते हैं। सरकार को बदनाम करने के लिये हम विरोध नहीं करते ।

श्री अध्यक्ष---बाहर जो बात कही गयी हो उसका जिक्र यहां न करें, यहां जो बात कही गयी हो उसको ही कहें ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---उन्होंने मेरे लिये यहीं अभी कहा है। उनके कहने से तो हम डरते नहीं हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वे सब कुछ कह सकते हैं। यह बात मेरी भी समझ में नहीं आयी कि यह बिल जो आ रहा है और जिसमें कि यदि १० दिन अगर मेम्बरान बाहर रहें तो उनको उसका भत्ता मिलना चाहिये। इस बात का विरोध होना चाहिये, लेकिन इससे क्या वास्ता कि मैं एक कमरे में बैठ कर काम करता हूं। दरी पर सोने की बातें करके क्या वे अपनी पब्लिसिटी कराना चाहते हैं ? मेरी समझ में यह बात नहीं आयी। उनको इस विधेयक का विरोध अवश्य करना चाहिये और बातों में मैं उनकी भावनाओं के साथ हूं। १० दिन का जो भत्ता मिलने वाला है मैं यह कहता हूं कि हमें वह नहीं मिलना चाहिये। अगर हम यहां नहीं बैठते हैं तो हमें उस काल का भत्ता भी मिले मैं इसका सख्त विरोधी हूं इसलिये कि जैसा मैंने सबेरे आज कहा था कि हमारा कोरम पूरा नहीं होता। मेरे वकील भाई माफ करेंगे मैं भी एक वकील हूं, वे हाउस के अन्दर नहीं दिखाई देते और १० दिन का बिल जब पास हो जायगा तब तो एक भी नहीं दिखाई देगा। वे वकील हैं, वे बिल बनाने में हमारी सरकार की मदद करें क्योंकि कानूनी बातों में उनका रहना और सलाह देना आवश्यक है। हम कानून बनाने के लिये यहां आते हैं। मुझे अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुख होता है कि इस विधान सभा के इतिहास में ऐसा कोई दिन नहीं है जब कि ४३१ सदस्यों में से ४३० यहां पर मौजूद हों। मैं चाहता था था कि इतना विशाल प्रदेश है, सबसे बड़ी विधान सभा हमारी है। बाहर के लोग जब लखनऊ आते हैं तो पता लगाते हैं कि विधान सभा उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी है। जब वोटिंग के बारे में अखबारों में पढ़ते हैं कि एक पक्ष में ६६ थे और दूसरे में १७ थे तो दुख होता है। अगर १० दिन वाला बिल पास हुआ तो माननीय सदस्य बाहर जाना शुरू कर देंगे तो सारे बिल आध घंटे में पास हो जाया करेंगे। हर एक को अपनी कांस्टीट्युएंसी में काम है, लेकिन जिस काम के लिये जनता ने असेम्बली में भेजा है तो उस वक्त माननीय सदस्यों का समेम्बली में रहना बहुत ही आवश्यक है। इस लिये ऐसा प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये, सरकार को इसे हटा देना चाहिये। अगर माननीय मंत्री जी यह चाहते हैं कि विधान सभा का कोई माननीय सदस्य यहां न बैठा रहे

तो उन्हें मुसीबत हो जायगी, कोरम नहीं हो पायेगा। मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को इकट्ठा करना पड़ेगा। शांतिप्रपन्न शर्मा जी जो पार्टी व्हिप हैं वह भी गायब हो जायंगे, पहले तो आते ही नहीं है। इस सदन की प्रतिष्ठा में भी इस तरह से ठेस लगेगी। मैं तो फिर यह चाहता हूं कि दस दिन वाला जो यह क्लाज है उसे वापस सरकार ले ले। माननीय राजनारायण जी जब दौरे पर जाते हैं तो पैसा नहीं लेते हैं, लेते वे भी है। यह बात नहीं कि नहीं लेंगे, लेकिन मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि कोई प्रोपेगैन्डा के लिहाज से नहीं हम ऐसे आइडियलिस्टिक भी नहीं हैं कि साहब कोई पैसा मिले उसे न लें, हमसे हो नहीं सकता, हमारे सब साथी राजी हो तो हम उस पर भी राजी हैं, मिलेगा तो अवश्य लेंगे। फर्स्ट क्लास का किराया लेते हैं लेकिन जाते थर्ड क्लास में हैं। रोज रोज अपने घर जाना पड़ता है। थर्ड क्लास में खड़े खड़े ही जाते हैं, इसमें कौन शर्म की बात है? मैं छिपाना नहीं चाहता किसी बात को जब हम करते हैं तो साफ कहने में क्या हर्ज है? जहां तक दस दिन सवाल है आज तक असेम्बली से एक दो दिन भले ही गैर हाजिर रहा हूं वैसे कभी नहीं रहा मैं चाहता हूं कि जब हम यहां रहें तो सब लोग रहें। सबको तनख्वाह इसी बात की मिलती है। जिस किस्म का बैलट पेपर मेरे लिये था उसी किस्म का आपके लिये भी पड़ा। जितने लाख आदमियों ने मुझे भेजा उतने ही लाख आदमियों ने आपको भी भेजा। सबको एक काम के लिये भेजा तो क्या कारण है कि एक घर में बैठे और मैं यहां कानून बनाने में शिरकत करूं। चाहिये तो यह कि जो विधान सभा के अन्दर हाजिर न हो उसे असेम्बली से निकाल देना चाहिये। अगर उससे काम नहीं हो सकता तो फिर जिस काम को वह नहीं कर सकता है उसे वह छोड़ दे, टिकट दूसरों के लिये दे।

माननीय शांति प्रपन्न शर्मा जी ने कहा कि मेरी असेम्बली में बोलने की क्या जरूरत है। हम तो माननीय मंत्री जी को घर पर सलाह दे देते हैं तो वह चकरौता में रह कर ही सलाह दे दिया करें, यहां आने की क्या जरूरत है? यह क्लाज गलत है और सरकार हमको इसके जरिये गलत रास्ता दिखला रही है। सरकार इसे वापस ले ले और इसे बिल से निकाल दे। मैं इन शब्दों के साथ इसका विरोध करता हूं।

श्री व्रजभूषण मिश्र—मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह बिल ५ बजे सायंकाल तक समाप्त कर दिया जाय। बिजनेस कमेटी में सर्वसम्मति से तै हुआ था कि १६ तारीख की शाम तक खत्म हो जायगा। दो दिन और हो चुके हैं, इसके बाद हम उठ जायेंगे तो न जाने कब मिलना हो। इसलिये यह आवश्यक है कि यह बिल आज शाम तक समाप्त हो जाय। इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रक्खा है।

श्री राजनारायण—मैं जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रक्खा है उसके विरोध में खड़ा हो रहा हूं और मैं यह चाहता हूं कि यदि विशेष बातें और आगे की धाराओं में हों, जैसा कि मैं समझता हूं कि हैं, तो उन पर भी कुछ रोशनी सदन में पड़नी चाहिये। यों तो मैं इसके भी दिल से विरोध में हूं कि सदन की अवधि बढ़ा कर किया जाय, मगर श्रीमन्, जैसा कि कल एक प्रस्ताव आया था कि कार्यकाल थोड़ा सा बढ़ा दिया जाय तो आपने भी कल कहा था कि आज नहीं होगा। अभी उसका मौका नहीं है। तो उसमें अपने विरोध की गति को धीमी कर दूंगा। लेकिन पांच बजे ही यह खत्म कर दिया जाय इसका तो मैं विरोधी हूं। मैं माननीय मिश्र जी से इतना ही कहूंगा कि वह अपने प्रस्ताव को प्रेस न करें। अगर उनकी यही ख्वाहिश है कि थोड़ा समय दे कर भी आवश्यक विधेयक पास कराना ही है तो पास भी करवा लेंगे, लेकिन जो भी विचारधारा है वह व्यक्त हो जानी चाहिये। एक घंटा, आध घंटा, डेढ़ घंटा जो भी लगे उसके बाद पास करा लें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव व्रजभूषण मिश्र जी ने रखा है मैं उसमें थोड़ा सा संशोधन करना चहता हूं। पांच बजे जो हमारे सामने बिल है वह खत्म कर दिया जाय और उसके बाद जो समय हो उसमें जो दो हमारे बड़े बिल आये हुये हैं, जिसमें एक सेलेक्ट कमेटी में भेजने को है, उन पर आप इजाजत दे देंगे तो जनरल डिस्कशन हो जायगा। तो मेरा प्रस्ताव यह है कि हाउस का समय बढ़ा दिया जाय एक घंटे के लिये और पांच बजे इस बिल को खत्म कर दिया जाय।

श्री राजनारायण---मैं उनके दूसरे अंश का भी विरोध करता हूं। उन्होंने जो यह कहा कि दूसरे बिल भी हो जायं, सेलेक्ट कमेटी में जाने को जो होगा उस पर भी विचार हो जाय, मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इस बीच में अगर सब को यह बात पसन्द हो तो हर एक चीज प्रस्ताव से ही करना कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन जो कार्य-निर्धात्री कमेटी है उसने परसों इस विधेयक को समाप्त करने को कहा था। उस दृष्टि से दो रोज अधिक हो गये हैं। यह देखते हुये यह सदन की इच्छा होना कि आज यह समाप्त हो जाय कोई गैरवाजिब नहीं है। इसके लिये यदि आप यह समझ लें कि पांच बजे के बाद आध घंटा और बढ़ा दें, साढ़े पांच बजे तक यह समाप्त कर दें, और वैसे जो पूरा समय अन्य कार्यों की दृष्टि से बढ़ाने का प्रश्न है डेढ़ घंटा समय बढ़ा दीजिये, साढे छः बजे तक। लेकिन इस विधेयक को साढे पांच बजे खत्म कर दीजिये। उसके बाद शायद आप भूल गये। विशेषाधिकार के बारे में वित्त मंत्री जी का प्रस्ताव है। नारायणदत्त तिवारी जी से तय यह हुआ था कि वह और वित्त मंत्री बात कर लें और इसके विषय में क्या करना है उसके बारे में यहां अपना निर्णय सदन के सामने पेश कर दें। दोनों ने सलाह कर ली है और वित्त मंत्री जी अब उसको उपस्थित कर देंगे। उसके बाद दो बिल हैं उनके ऊपर विचार हो जायगा। उनके बारे में इस समय आप कोई निर्णय न कर लें। लेकिन साढ़े पांच बजे प्रस्तुत विधेयक को खत्म करने को जरूर तय कर लें। मैं समझता हूं कि सदन इसको स्वीकार करता है। (आवाजें---जी हां।)

तो साढ़े पांच बजे इस विधेयक को खत्म करने के लिये मुझे थोड़ा सा अधिकार लेना पड़ेगा इस विषय में कि मैं थोड़ा लोगों से यह कहूं कि एक ही विषय के ऊपर बहुत देर तक भाषण न करें तब तो समाप्त करना संभव होगा नहीं तो नहीं होगा। इसलिये थोड़ा बहुत मुझे नियंत्रण करना होगा।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक प्रार्थना है कि साढ़े पांच बजे अगर इस बिल को समाप्त करना है तो संशोधन पांच बजे या पांच बजे तक ले लिये जायेंगे ताकि थर्ड रीडिंग के लिये भी थोड़ा सा वक्त मिल सके।

श्री अध्यक्ष---पांच बजे तक क्लाज बाई क्लाज खत्म कर देंगे। थर्ड रीडिंग के लिये आध घंटा रह जायगा।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं एक परसनल एक्सप्लैनेशन देना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं इतना ही आपके द्वारा सदन को जानकारी कराना चाहता हूं कि माननीय मदन मोहन उपाध्याय जी ने जो यह कहा कि हमने यह कहा है कि जब यह बिल पास हो जायगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा यह बात सत्य है। हमने श्रीमन्, यह कहा है कि मैं अपनी पार्टी के पार्लियामेंटरी बोर्ड और कार्य समिति को अपनी यह इच्छा लिख कर भेज रहा हूं कि जब सरकार इस तरह से जनहित विरोधी विधेयक को कानून की शक्ल दे देती है हठवादिता पर चल कर तो हमको इजाजत दें कि हम अब यहां पर सदस्य के रूप में काम न करें।

दूसरी बात हमने यह कही है श्रीमन्, कि जिस दिन हम इस सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे चाहे हम बाहर यात्रा करें, उस दिन का न तो यात्रिक भत्ता लेंगे और न आने जाने का किराया लेंगे। जिस दिन सदन की कार्यवाही में रहेंगे उस दिन का भत्ता लेंगे। लेकिन सदन की कार्यवाही में न रहते हुये जो ९० रुपया तक मिलने वाला है वह हम नहीं लेंगे।

श्री रामेश्वर लाल---माननीय, मेरे इस प्रस्ताव पर माननीय दो सदस्यों के भाषण मुझको सुनने को मिले और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने अपने कुछ विचार व्यक्त नहीं किये। जहां तक माननीय राजनारायण का संबंध है मैं उनको बधाई देता हूं और साथ ही उपाध्याय जी को भी कि उन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। श्रीमन्, जहां तक अपने इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जोर देने वाली बातों का और इस उप-खंड से उत्पन्न होने वाली जो अनियमिततायें हैं उन पर विचार करने की बात थी उसे पहले उपस्थित कर दिया है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस प्रस्ताव को अवश्य मान लेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इसको रखना चाहता हूं।

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, खंड २ के निकाले जाने के मुताल्लिक जो बातें कही गई हैं उस पर जाहिर है मुझे कुछ बहुत कहना नहीं है। इस खंड में दो तीन बातों के लिये प्रावीजन है। एक तो यह है कि जो हाउस का मेम्बर अगर वह १० दिन के लिये कहीं जाना चाहे और ९ दिन तक यहां न रहे तो उस दौरान में उसको यह अख्तियार होगा कि या तो वह किराया आने जाने का ले ले उस जगह का जहां वह जाना चाहता है, या यह कि वह ९ दिन का जो उसका दैनिक भत्ता हो उसे वसूल करे। इसी के ऊपर ऐतराज किया गया है। यू० पी० अर्ज करूंगा कि जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है हम यह समझते हैं कि हमारे जितने लेजिस्लेटिव सदस्य हैं वे अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। वे जानते हैं कि जहां कहीं एचेम्बर्स उनको बहैसियत इस लेजिस्लेचर के मेम्बर होने के उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं (मेम्बर्स जिम्मेदारियां अक्सर ऐसी होती हैं कि जो उन्हें मजबूर करती हैं कि वे सूबे के मुख्तलिफ पार्ल्यूमेंट्स) में जायं और अपने फरायज का अन्जाम दें। यह समझना कि अगर हम उनको यह किरूल्स, १९४६ देंगे या हम उनके ऊपर यह कानून लायेंगे कि अगर आप यहां न रहें तो आपको न भत्ता में किये न किराया मिलेगा तो इसके माने यह होंगे कि हमको उनके ऊपर ऐतमाद नहीं है। गये संशोधनों समझता हूं कि जहां तक एतमाद का ताल्लुक है वह तभी पैदा हो सकता है जब उनके ऊपर का किया जाय और इस वजह से गवर्नमेंट ने यह मुनासिब समझा कि यह सुविधा उनको प्रबंधीकरण। जाय। जैसा माननीय सदस्य जानते हैं कि आजकल हमारे सूबे में बहुत बड़े २ काम मुख्तलिफ हिस्सों में हो रहे हैं और इसकी जरूरत पड़ती है कि वहां के ऊपर जाकर लोगों में हिम्मत दिलाई जाय, उनको जोश दिलाया जाय, उनको अपने कामों पर आमादा किया जाय कि जो काम हो रहे हैं उसमें वह हिस्सा लें। उसी के साथ साथ इसकी भी जरूरत है कि जनता को यह बताया जाय कि देश किधर जा रहा है, उनके लिये क्या काम किये जा रहे हैं? इन सब बातों के लिये माननीय सदस्यों को अक्सर सफर भी करना पड़ता है? और सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में जाना पड़ता है। उसी के लिये सबकी राय से, सबकी मंशा से यह सब सुविधायें उनके लिए मुहैया की गई हैं। इसलिये इस किस्म का अंदेशा कि अगर पास हो जायगा तो यहां के ऊपर कोरम नहीं होगा और यहां पर आज जो लोग आते भी हैं, वह नहीं आयेंगे, मेरे ख्याल में यह सही नहीं है। जनता के वह मेम्बरान जिनको कोई और काम नहीं है या ऐसे काम अगर हैं भी और वह यह जरूरी समझते हैं कि यहां तशरीफ लायें, यहां के इजलास में शरीक हों, तो मैं समझता हूं कि वह यकीनन यहां आयेंगे और काफी तादाद में वह यहां आयेंगे। बार बार वकीलों का हवाला दिया गया। मैं अफसोस के साथ यह कहता हूं कि मुझे भी इसका तजुरबा है कि खासतौर से वह वकील कि जिनको कि अदालतों में बहुत ज्यादा काम होता है वह बावजूद इसके कि यह दफा नहीं थी। फिर भी वह यहां नहीं आते थे, लेकिन यह समझना कि यह दफा हो जायगी तो और भी कम आयेंगे। मेरे ख्याल में इसकी कोई वजह नहीं मालूम होती। जो नहीं आते हैं किसी वजह से, वह अभी भी नहीं आते हैं लेकिन जो लोग अब आते हैं वह इस दफा के हो जाने से अब नहीं आयेंगे, मेरी समझ में यह ख्याल गलत है। और जो बातें हैं वह कोई ऐसी नहीं हैं जिनके ऊपर कोई एतराज किया जा सके। लिहाजा मैं माननीय सदन से इस्तदुआ करूंगा कि वह इसको मंजूर करे और जो इसका विरोध किया गया है उसको गिरा दे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई।)

श्री राजनारायण—श्रीमन्, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिये लाबी में जाने की इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष—नहीं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ

पक्ष में—७८,
विपक्ष में १४।)

खण्ड ७

७—यू० पी० लेजिस्लेटिव चैम्बर्स (मेम्बर्स एमाल्युमेंट्स) ऐक्ट, १९३८ की धारा ५ द्वारा राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (U. P. State Legislature) के सदस्यों को देय यात्रिक तथा दैनिक भत्तों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार दिया गया था। तदनुसार राज्य सरकार ने विधायिका विभाग (Legislature Department) की विज्ञप्ति संख्या ३५२४/१७, दिनांक ९ फरवरी, १९५० ई० द्वारा यू० पी० लेजिस्लेटिव चैम्बर्स (मेम्बर्स एमाल्युमेंट्स) रूल्स, १९४६ को संशोधित किया था, किन्तु भारत के संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् राज्य सरकार के उक्त अधिकार के बने रहने के संबंध में संदेह प्रकट किया गया, अतएव सन्देहों के निवारण के लिये एतद्द्वारा प्रख्यापित किया जाता है कि पूर्वोक्त विज्ञप्ति में किये गये संशोधन विधि की दृष्टि से ठीक और वैध हैं तथा सदा ठीक और वैध समझे जायेंगे मानों वे संविधान के अनुच्छेद १९५ के अधीन बनी विधि से अधिनियमित किये गये थे।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ की पंक्ति ७ के शब्द "किन्तु भारत" से लेकर अंतिम पंक्ति के शब्द "अधिनियमित किये गये थे" के स्थान पर शब्द "किन्तु भारत के संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् राज्य सरकार के उक्त अधिकार के बने रहने के संबंध में संदेहों के निवारण के लिये एतद्द्वारा प्रख्यापित किया जाता है कि पूर्वोक्त विज्ञप्ति में किये गये संशोधनों के संबंध में यह समझा जायगा कि वे विधि की दृष्टि से ठीक और वैध थे तथा रहे हैं, मानों वे संविधान के अनुच्छेद १९५ के अधीन बनी विधि से अधिनियमित किये गये थे" रख दिये जायं।

यह संशोधन वैधानिक है। सन् १९३८ में जो मेम्बर्स एमाल्युमेंट्स ऐक्ट बना था उसमें राज्य सरकार को यह अधिकार दे दिये गये थे कि वह सदस्यों के भत्ता इत्यादि के नियम बना सकें। भारत सरकार के संविधान के पश्चात् अब यह संदेह प्रकट किया गया कि सन् ५० में जो नियम बनाये गये थे वे वैध नहीं हैं। इसलिये यह संशोधन रखा गया है कि वे वैध माने जायं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, जो पुराना खंड ७ था और जो पंक्तियां माननीय शर्मा जी के संशोधन द्वारा संशोधित होने जा रही हैं उनमें यह स्पष्ट लिखा था कि राज्य सरकार का उक्त अधिकार के बने रहने के संबंध में संदेह प्रकट किया गया और उसमें संशोधन उस संदेह के निवारणार्थ लाया गया। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी वैधानिक अधिकारी ने किसी वैधानिक दृष्टिकोण से संदेह प्रकट किया। संदेह क्यों प्रकट हुआ यह अभी संशोधनकर्त्ता ने स्पष्ट नहीं किया। विधान के पहले जितने भी कानून बने उनको

स्वयं विधान में ही विधिवत कर दिया गया चाहे वे विधान बनने के पहले ही क्यों न पास किये गये हों। इस संबंध में मैं आपका ध्यान विधान के अनुच्छेद ३७२(१) की ओर दिलाना चाहता हूं जो इस प्रकार है--

"अनुच्छेद ३९५ में निर्दिष्ट अधिनियमितियों का निरसन होने पर भी किन्तु इस संविधान के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत राज्य-क्षेत्र में सब प्रवृत्त विधि उस में तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि सक्षम विधान मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा बदली, या निरसित या संशोधित न की जाये।"

तो सन् १९३८ का जो ऐक्ट है वह कांस्टीट्यूशन के इस आर्टिकिल द्वारा विधिवत् घोषित किया जा सकता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि फिर कौन सी ऐसी बात विशेष नियमों के संबंध में पैदा हुई जो संदेह प्रकट किया गया ?

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, इसमें जो संदेह प्रकट किया गया था वह यह था कि शायद संविधान की ३७२ ही दफा है जिसमें यह लिखा है कि जो रूल्स पहले से लागू थे वही लागू रहेंगे जब तक कि कोई कानून उसके मुताल्लिक पास न कर दिया जाय। लेकिन जब नया विधान बना और यह जरूरत महसूस हुई कि रूल्स में कुछ तब्दीली की जाय तो वह रूल्स के जरिये तब्दीली कर दी गई और उसके मुताल्लिक कोई कानून असेम्बली में नहीं आया तो लोगों का यह ख्याल हुआ क्योंकि रूल्स के जरिये चेंजेज की गई हैं इसलिये मुमकिन है कि यह जो कांस्टीट्यूशन की दफा है इसके फोर कॉर्नर्स में रूल्स न आयें और लेजिस्लेचर में कानून बनना चाहिये था तब कोई तब्दीली की जा सकती है। इसी के साथ-साथ दूसरी राय यह थी कि नहीं, जो रूल्स बने हैं वह कानून के मातहत बने हैं और कानून ने अधिकार दिया था कि वह रूल्स के जरिये तय कर दे। लिहाजा जो रूल्स बनाने की अथारिटी दी गई थी उसमें यह अधिकार है कि इसमें जो अलाउन्सेज वगैरह देने का सवाल है उसमें तब्दीली कर दें। यह भी एक राय थी। इसमें यह ख्याल हुआ कि आगे चलकर कोई दिक्कत शायद पड़े इसलिये इसको साफ करने की जरूरत पड़ी। इसलिये यह सोचा गया कि इसको तरमीम के द्वारा साफ कर दिया जाय।

यह मैं अर्ज करूंगा कि जो दफा कांस्टीट्यूशन की थी वह दफा १९५ है। उसमें यह है कि--

195. Members of the Legislative Assembly and the Legislative Council of a State shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by the Legislature of the State by law and, until provision in that respect is so made, salaries and allowances at such rates and upon such conditions as were immediately before the commencement of this Constitution applicable in the case of members of the Legislative Assembly of the corresponding Province.

सवाल यह था कि रूल्स में तब्दीली कर दी गई थी आया वह वैधानिक है या नहीं ? जो शक था या इसके दो इन्टरप्रेटेशन किये जा रहे थे, इसको खत्म करने के लिये हम चाहते हैं कि यह दफा ऐक्ट में शामिल कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ की पंक्ति ७ के शब्द "किन्तु भारत" से लेकर अन्तिम पंक्ति के शब्द "अधिनियमित किये गये थे" के स्थान पर शब्द "किन्तु भारत के संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् राज्य सरकार के उक्त अधिकार के बने रहने के सम्बन्ध में सन्देहों के निवारण के लिये एतद्द्वारा प्रख्यापित किया जाता है कि पूर्वोक्त विज्ञप्ति में किये गये संशोधनों के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वे विधि की दृष्टि से ठीक और वैध थे तथा रहे हैं, मानो वे संविधान के अनुच्छेद १९५ के अधीन बनी विधि से अधिनियमित किये गये थे" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कृष्णशरण आर्य---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ को ७ (१) के रूप में पुनः परिगणित कर नया उपखंड (२) निम्न रूप में बढ़ा दिया जाय :--

"(२) उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ की धारा ५ की उपधारा (२) के खंड (ख) के पश्चात् नये खंड (ग) के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"(ग) विषय, जिनकी व्यवस्था नियमों द्वारा की जाने वाली हो और की जाय।"

यह वैधानिक संशोधन है और जिन कारणों से पूर्व का संशोधन प्रस्तुत हुआ और स्वीकार किया गया, उसके अन्तर्गत मैंने इसको प्रस्तुत किया है और आशा है कि मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री सैयद अली जहीर--- जी हां, यह मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष --- प्रश्न यह है कि खंड ७ को ७(१) के रूप में पुनः परिगणित कर नया उपखंड (२) निम्न रूप में बढ़ा दिया जाय ---

"(२) उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ की धारा ५ की उपधारा (२) के खंड (ख) के पश्चात् नये खंड (ग) के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय ---

"(ग) विषय, जिनकी व्यवस्था नियमों द्वारा की जाने वाली हो और की जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८

उत्तर प्रदेश अधिनियम ९, १९५२ का संशोधन।

८---उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, १९५२ ई० की---

(१) धारा ३ में शब्द "६ सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "सात सौ पचास रुपये" रख दिये जायं;

(२) धारा ४ के पश्चात् धारा ४--क के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :---

"उपाध्यक्ष और उपसभापति के लिये किराया मुक्त सुसज्जित निवास स्थान (free furnished residences)

४---क---उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) तथा उपसभापति (Deputy Charinan) में से प्रत्येक को उनकी पदावधि के पूरे कार्य काल पर्यन्त लखनऊ में, बिना किराया दिये हुये, ऐसे निवास स्थान के प्रयोग का अधिकार होगा, जो ऐसे मापमान (scale) के अनुसार सुसज्जित होगा, (furnished) जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में की जायगी, और जब तक उपर्युक्त प्रकार के निवास स्थान की व्यवस्था न हो सके तब तक उन्हें एक सौ रुपये मासिक, प्रतिकरात्मक भत्ता (Compensatory allowance) पाने का अधिकार होगा :"

तथा

(३) धारा ५ के पश्चात् नई धारा ५-क के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

उपाध्यक्ष और उप-सभापति के लिये परिवहन भत्ता

५—क—उपाध्यक्ष तथा उपसभापति में से प्रत्येक को एक सौ पचास रुपया मासिक परिवहन भत्ता (Conveyance Allowance) दिया जायगा।

*श्री रामेश्वरलाल— मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ का उपखंड (१) निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, खंड ८ का उपखंड (१) यह है कि धारा ३ में शब्द ६०० रुपये के स्थान पर ७५० रुपये रख दिये जायं। श्रीमन्, यह जो बढ़ोत्तरी है वह सरकार ने मान और मर्यादा को ध्यान में रखते हुये की है और यही उद्देश्य और कारण में वर्णित है और श्रीमन्, मैं इसे बहुत बड़ा आब्जेक्शनेबिल समझता हूं। मैं यह समझता हूं कि हमारे उपसभापति या डिप्टी मिनिस्टर्स का वेतनों में तुला आंका जाना निहायत अनुचित है। श्रीमन्, अपने भाषण के दौरान में माननीय राजगोपालाचारियर जी ने इस सम्मानित सदन का ध्यान उसके सदस्यों के त्याग और तपस्या की जिन्दगी की तरफ आकर्षित करने की चेष्टा की और मैं समझता हूं कि इस पर बहुत ज्यादा कुछ कहना उचित न होगा। फिर भी श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से, जिन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है, कहना चाहूंगा कि वह जो मान और मर्यादा के नाम पर यह बढ़ोत्तरी करना चाहते हैं वह मान और मर्यादा के नाम पर न होगी। मैंने देखा है कि देश ने मान और मर्यादा किसी पैसे वाले को नहीं दी। राम और कृष्ण, राणाप्रताप आदि को जो मर्यादा मिली वह आदर्श रखने और जंगलों में भटकने के कारण मिली, देश की सेवा के कारण मिली। शिवाजी, दयानन्द सरस्वती, गांधी, गोखले और विनोबा को आप देखें तो मानना पड़ेगा कि पैसे के अंकों में हम उनकी जिन्दगी के मूल्य को नहीं आंकते। यह सही है कि पैसा कुछ खास लोगों के लिये मान और मर्यादा का कारण होता है लेकिन उसकी गणना भोग और लिप्सा के साथ जुटी हुई होती है। मैं श्रीमन्, निवेदन करूंगा और माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा कहना चाहूंगा कि इस विधान सभा के सदस्यों को जो मान और मर्यादा आजादी की लड़ाई के जमाने में प्राप्त हुई थी क्या कोई अपने दिल पर हाथ रख कर कह सकता है कि वह उनको आज भी प्राप्त है? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इस सदन के माननीय नेता और मंत्रीगणों की मीटिंगों में जहां आजादी के संघर्ष के जमाने में हजारों की भीड़ रहती थी.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि समय बचाने के लिये आप अपना दूसरा संशोधन भी साथ में रख दें तो अच्छा हो।

श्री रामेश्वरलाल—बहुत अच्छा। श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (२) में प्रस्तावित धारा ४-क की पंक्ति ७ के शब्द "की जायगी" के बाद के सब शब्द निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी और माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन कर रहा था कि क्या यह सही है कि हमारा जो सम्मान आजादी के दिनों में जब कि हम ब्रिटिश हुकूमत से संघर्ष करते थे उस वक्त था क्या आज वह मूल्य है? हमारे तमाम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामेश्वरलाल]

सदन के सम्मानित सदस्य जो आज यहां इन कुर्सियों पर विराजमान हैं उनकी मीटिंगों को देखा है जब कि संघर्ष के दिन थे। मुझे दुख होता है कि आज वही मन्त्रिगण और वही सदस्यगण जब गांवों में जाते हैं उनकी मीटिंगों में बहुत ही कम आदमी जमा होते हैं। अभी मैंने ७ तारीख को देखा कि एक मीटिंग थी जिसमें सिर्फ १०० आदमियों से ज्यादा इकट्ठा नहीं हुये। इसी से इनका मूल्य लगाया जा सकता है। भ्रम में नहीं पड़ना चाहिये। मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पैसे से हमारा मूल्य न आंका जाय। माननीय डिप्टी चेयरमैन या डिप्टी स्पीकर के लिये जो ६०० रुपये से ७५० रुपये की व्यवस्था की जा रही है, उनके लिये आने जाने के लिये किराये की व्यवस्था और सुपत मकान की जो व्यवस्था की जा रही है उन सबको मिलाकर १,५०० रुपये के ऊपर चले जाते हैं। भत्ता जो उनको दिया जायगा वह पहाड़ों पर १५ रुपये के हिसाब से और मैदानी इलाके में १० रुपये के हिसाब से दिया जायगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों को आज जनता ने अपना ट्रस्टी बना कर यहां पर भेजा है। कुछ लोगों को मंत्रियों की शक्ल में जनता का रखवाला बना कर यहां पर जनता ने ट्रस्टी बनाया है तो कम से कम मैं उनसे निवेदन आग्रहपूर्वक यह करूंगा कि सदन के सम्मान के लिये और अपने सम्मान के लिये उनकी सम्पत्ति का बटवारा अपने लिये मनमाने ढंग पर सरकार न करे नहीं तो आने वाले समय में इसकी सफ़ाई होगी। यदि आपने अध्यापकों की तनख्वाह को बढ़ाया होता, यदि आपने विद्यार्थियों की फीस को कम किया होता और देहात में रहने वाले मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोत्तरी की होती और इस तरह के काम किये होते तो आप यह कह सकते थे कि देश का स्तर उठ गया है और ऐसा होना जरूरी है। लेकिन आज देश की हालत यह है कि जो देहात में काम करने वाले लोग हैं, १९५१ के ही हिसाब से अगर हम देखें तो प्रत्येक साल ग्रामीण लोगों की मजदूरवर्ग की आय घटती चली गयी है। शहरों में कुछ बढ़ी है लेकिन वह ५२–५३ से घटी है। सन् १९५२ में जो आमदनी शहरों में व्यक्तिगत आदमी की थी वह आज नहीं है। गांवों के लोगों की आमदनी घटती चली जाती है। जो आंकड़े निकाले गये हैं उससे भी ग्रामीण जनता की आमदनी घटी है। इसमें जो टाटा, बिड़ला और डालमिया की आमदनी है और जो प्रेस की सफाई करने वाला आदमी है वह आमदनी भी शामिल है। जो बड़े बड़े अफसर हैं उनकी आमदनी और जो चपरासी २२ और २४ रुपये पाने वाले हैं उनकी आमदनी भी शामिल है। तो श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि जब अपने राज्य में और अपने प्रान्त में काम करने वाले लोगों की आमदनी घट रही है तो क्या हक है कि उन्हीं के दिये हुये और एकत्रित किये हुए उनके पैसे के लिये हमको यह अधिकार हो कि हम अपनी तनख्वाह बढ़ायें और उनको छोड़ दें। इसलिये मैं अपनी राय को सदन के सम्मुख रखता हुआ इस संशोधन को प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री राजनारायण––श्रीमन्, जो संशोधन रामेश्वरलाल जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस मनोवृत्ति से ६०० रुपये के स्थान पर ७५० रुपये रखने का प्रस्ताव पास हुआ है मैं उसका विरोधी हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि ६०० की जगह ७५० रुपये उपाध्यक्ष महोदय का वेतन मिले तो केवल १५० रुपये बढ़ जाने मात्र से ही उनके पद और सम्मान की सुरक्षा नहीं हो सकती है। हमारे दृष्टिकोण से उपाध्यक्ष का पद और सम्मान किसी भी डिप्टी मिनिस्टर, मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर से बढ़ कर है। इसलिये यदि उपाध्यक्ष को डिप्टी मिनिस्टर के समकक्ष लाकर रखना है तो जनतन्त्र की हत्या होगी। उपाध्यक्ष या जो १० अधिष्ठाता वहां पर बैठते हैं या अध्यक्ष पार्टी के ऊपर होते हैं, यदि

हम इस सदन में बैठना चाहें तो उनकी व्यवस्था से सहमत न होते हुये भी मानने के लिये बाध्य होते हैं। मुख्य मंत्री और मंत्री भी उपाध्यक्ष की व्यवस्था को मानकर ही चल सकते हैं। इसलिये केवल थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा देने की बात करके उपाध्यक्ष के सम्मान को जहां बढ़ा देने की बात कही जा रही है वहां हम समझते हैं कि उनका सम्मान घटाया जा रहा है। आज तक किसी के दिमाग में बाहर भी यह बात कभी आई नहीं होगी कि चूंकि उपाध्यक्ष ६०० रुपये तनख्वाह पाते हैं, इसलिये उनका पद या सम्मान शायद किसी मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर से कम है। मगर ऐसा विधेयक प्रस्तुत करके अब यह सरकार इस प्रकार की भावना आम जनता में भरना चाहती है। सरकार हर समय किसी व्यक्ति के पद और मर्यादा की सुरक्षा रुपये से करना चाहती है। ७५० रुपये नहीं, यदि किसी उपाध्यक्ष को साढ़े सात हजार रुपये भी तनख्वाह दी जाय और वह तमाम व्यवस्थायें गलत देता हो, उसमें यह कैपेसिटी न हो कि सदन का कंट्रोल कर सके, उसे सदन का सम्मान और आदर प्राप्त न हो तो क्या साढ़े सात हजार रुपये मासिक पाने वाला उपाध्यक्ष कभी अपने पद और सम्मान की सुरक्षा कर सकता है? मैं समझता हूं कि नहीं कर सकता। उपाध्यक्ष के पद और सम्मान की सुरक्षा है सदन के कार्य को समुचित रूप से चलाने में, उनकी व्यवस्थायें विधान के अनुकूल होती हैं या नहीं, सदन का सम्मान उनको प्राप्त है या नहीं, इन बातों में? ६०० रुपये की जगह पर ७५० रुपये तनख्वाह उपाध्यक्ष की भी डिप्टी मिनिस्टर के बराबर की जा रही है, यह नहीं होना चाहिये। उपाध्यक्ष के सम्बन्ध में जब वादविवाद हो तो उनके पद और सम्मान को रुपये से नहीं आंकना चाहिये। चाहिये तो यह था कि यदि डिप्टी मिनिस्टर साहब ज्यादा तनख्वाह पाते थे तो उनकी तनख्वाह को कम करना चाहिये था। ७५० की जगह उसे ६०० या ५०० करना चाहिये था, या जैसा कि हमने संशोधन रखा था, उनको ३०० या २५० से ज्यादा नहीं लेना चाहिये था। जो मसविदा विधेयक में ६०० के स्थान पर ७५० रुपये देने का रखा है वह हर दृष्टि से ग़लत है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस धारा को यहां पर न रखें, जिससे रुपयों में पद का सम्मान आंका जाय। इतनी ही बात कहकर मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसे वापस ले लें।

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में कोई बात ऐसी गैरमामूली नहीं हो रही है। डिप्टी मिनिस्टर्स की जो तनख्वाह करार दी गई है सरकार चाहती है कि वही तनख्वाह डिप्टी चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर की भी हो। और इसी ख्याल से कि बराबर का स्टेट्स था और इसके मुताल्लिक स्पीकर्स कान्फ्रेंस ने भी सिफारिश की थी कि उनका स्टेट्स डिप्टी मिनिस्टर के बराबर होना चाहिये। मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज्यादा तकरार की जरूरत नहीं है। माननीय राजनारायण जी ने जो बातें कहीं हैं वे वही हैं जो करीब-करीब हर धारा और हर शब्द की बहस में कही थीं और उनका बराबर जवाब दिया जा चुका है।

श्री रामेश्वरलाल---मैं सदन का समय बचाने के लिये अधिक नहीं कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि माननीय राजनारायण जी की बातें वही हैं जो हर धारा और हर पहलू पर कही गई हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल में भी तो हर धारा और हर खंड और उप-खण्ड केवल वही हैं जो माननीय मंत्री जी ने रख कर इस आम जनता की गाढ़ी कमाई को आपस में बांटने की विधि बनाई है। जब आपके बिल में ही ऐसी बात है तो हम भी मजबूर हैं कि आपकी हर धारा का विरोध करें। इसलिये माननीय राजनारायण जी ने या इधर के बैठने वालों ने इसका विरोध किया।

श्री अध्यक्ष---मैं अलग-अलग संशोधन लिये लेता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ८ का उपखंड (१) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (२) में प्रस्तावित धारा ४--क की पंक्ति ७ के शब्द "की जायगी" के बाद के सब शब्द निकाल दिये जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

उ० प्र० अधिनियम १०, १९५२ की धारा ३ का संशोधन।

९---उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप-मंत्रियों के (वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, १९५२ की धारा ३ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

"(२) प्रत्येक उपमंत्री अपने कार्यकाल की पूरी अवधि में, ऐसे परिमाण में, जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में की जायगी, सज्जित (furnished) लखनऊ में बिना किराया दिये एक निवास-स्थान के उपयोग का अधिकारी होगा और ऐसे समय तक जिसमें पूर्वोक्त निवास-स्थान की व्यवस्था न की जाय एक सौ रुपये मासिक प्रतिकर भत्ता (Compensatory allowance) पाने का अधिकारी होगा।

* **श्री रामेश्वरलाल**---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित उपधारा (२) की पंक्ति ४ के शब्द "अधिकारी होगा" के बाद पूर्ण-विराम रखकर बाद के सब शब्द निकाल दिये जायं।

खंड ९ का उपखंड (२) इस प्रकार है---

"(२) प्रत्येक उपमंत्री अपने कार्यकाल की पूरी अवधि में, ऐसे परिमाण में, जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में की जायगी, सज्जित लखनऊ में बिना किराया दिये एक निवास-स्थान के उपयोग का अधिकारी होगा"

मैं चाहता हूं, इतना रहने दिया जाय और उसमें से निम्नलिखित निकाल दिया जाय:---

"और ऐसे समय तक जिसमें पूर्वोक्त निवास-स्थान की व्यवस्था न की जाय एक सौ रुपये मासिक प्रतिकर भत्ता पाने का अधिकारी होगा।"

श्रीमन्, इसके संबंध में जब जनरल डिश्कशन हुआ था और कई माननीय सदस्यों ने जो उधर के बैठने वाले हैं अपने विचार प्रकट किये थे और उनकी उन शंकाओं का जवाब उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने दिया था तथा माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया था। हमारे प्रस्ताव की मंशा यह है कि माननीय उपमंत्री महोदयों को लखनऊ में रहने की अवश्य व्यवस्था होनी चाहिये और सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिये, चाहे वह सज्जित हो या सुसज्जित हो, इसमें हमारा कोई ऐतराज नहीं है। जब माननीय विधान सभा के सदस्यों को सज्जित आवास का अधिकार प्राप्त हो गया है तब माननीय डिप्टी मिनिस्टर साहब के बारे में कोई बात नहीं कहना चाहता। हां, इतना जरूर कहता हूं कि १०० रुपया प्राप्त करने वाली बात जरूर गलत है। जहां तक "सज्जित" की व्याख्या का प्रश्न है सारे विधेयक को देखने के बाद भी मैं नहीं समझ सका कि उसका क्या मतलब है? दूसरी बात यह है कि सरकार के पास मंत्रियों, उपमंत्रियों, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रहने के लिये व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये, क्योंकि सरकार ने विधायकों के लिये मुफ्त रहने की व्यवस्था कर दी है। इससे यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिद्ध होता है कि स्थान की कमी नहीं है। इसलिये अब जब कि सबके लिये सुसज्जित भवन मिल सकता है तब किराये के रखने की आवश्यकता क्या है? कहीं ऐसा न हो कि किसी की बिजली का तार टूट गया है, किसी की चारपायी टूट गयी है और सज्जित भवन के होते हुये भी उसे १०० रुपया मिलता रहे। इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारी इस शंका को दूर कर दिया जाय और जो मेरा प्रस्ताव है उसको मंजूर किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत करता हू।

श्री राजनारायण—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर! यहां पर सज्जित और सुसज्जित दो प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है और अंग्रेजी में केवल "फर्निश्ड" शब्द है। जब हमने असज्जित शब्द का प्रयोग किया था तो श्रीमन् ने कहा था कि इसमें अनफरनिश्ड शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इसलिये इसको साफ कर दिया जाय कि क्या भाषा मानी जायगी।

श्री अध्यक्ष (माननीय न्याय मंत्री से)—दोनों जगह फर्निश्ड शब्द का प्रयोग हुआ है तो आप सज्जित और सुसज्जित इन दोनों शब्दों में से किस शब्द को उसके अनुवाद के रूप में पसंद करेंगे?

श्री सैयद अली जहीर—सुसज्जित ठीक मालूम पड़ता है।

श्री अध्यक्ष—तो दूसरी जगह भी सुसज्जित रहेगा। मैं उसको कर दूंगा।

श्री सैयद अली जहीर—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह का क्लाज पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के लिये पास हो चुका है और इसी तरह से डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन के लिये भी हो चुका है। उसी तरह से इसमें भी है कि डिप्टी मिनिस्टर को भी इसी तरह का मकान पाने का हक होगा और अगर वह उनको न मिलेगा उसके एवज में उनको १०० रुपया मिलेगा। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है और जो प्राविजन किया जा रहा है कि वह कोई गैर मामूली नहीं है, सब जगह ऐसा ही होता है इसमें भी वही बात रही जो है, और इसलिये इसमें कोई बहस की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—उनका प्वाइन्ट यह था कि यह इन एडीशन तो सौ रुपया नहीं मिलेगा, यानी यह कि मुफ्त मकान में रहेंगे और सौ रुपया भी पायेंगे?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, यह मतलब नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं जरा माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता था कि यह "फरनिश्ड" का जो सुसज्जित अनुवाद हुआ है तो अंग्रेजी में यह "फर्निश्ड" की जगह मुझे डर है कि "वेल फर्निश्ड" न हो जाय! दूसरे प्रक्रमणात्मक भत्ता जो है, कम्पेनसेटरी अलाउन्स जो रखा गया है वह एक तरह से मकान का किराया ही होगा इसलिये उसे अगर हाउस अलाउन्स ही कहा जाय तो उचित होगा, या वह पदाधिकारियों की शोभा बढ़ाने के लिये ही किया गया है तो मंत्री जी इसका विश्लेषण कृपा कर के कर दें कि यह नाम उसको क्यों दिया गया है?

श्री अध्यक्ष—वह यह जानना चाहते हैं कि हाउस अलाउन्स न कहकर इसको कम्पेनसेटरी अलाउन्स क्यों यहां कहा गया है?

श्री सैयद अली जहीर—कम्पेनसेटरी अलाउन्स के माने यह है कि जब तक उन को मकान नहीं मिलेगा तब तक उनको मुआवजे में १०० रुपया मिलेगा और जब मकान मिल जायगा वह बन्द हो जायगा, वह मेटीरियली किसी हाउस अलाउन्स के पाने के एनटाइटिल्ड न होंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित उपधारा (२) की पंक्ति ४ के शब्द "अधिकारी होगा" के बाद पूर्ण विराम रख कर बाद के सब शब्द निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड—१०

कतिपय भुगतानों का विनियमन।

१०—इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किसी मंत्री, अध्यक्ष, सभापति, उपमंत्री, उपाध्यक्ष, उप-सभापति और सभासचिव या उनके परिवार के किसी सदस्य के, राज्य सरकार द्वारा पोषित किसी अस्पताल में आवास के संबंध में या चिकित्सा के निमित्त किये गये या भुगतान किये गये सभी परिव्यय और उक्त प्रारम्भ से पूर्व धारा ६ में अभिदिष्ट विज्ञप्ति के अनुसार यात्रिक भत्ते तथा दैनिक भत्ते के रूप में किसी सदस्य को दिये गये सभी भुगतान तथावत किये गये (properly incurred) भुगतान किये गये और दिये गये समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड—११

नियुक्ति इत्यादि से सम्बद्ध विज्ञप्ति निश्चायक प्रमाण होगी।

११—वह दिनांक जिस पर कोई व्यक्ति मंत्री, उपमंत्री या सभा-सचिव होगा या न रहेगा, सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायगा और कोई ऐसी विज्ञप्ति इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिये इस बात का निश्चायक प्रमाण होगी कि उक्त व्यक्ति उस दिनांक पर मंत्री, उपमंत्री या सभा सचिव हो गया या न रहा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड—१२

नियम बनाने का अधिकार।

१२—इस अधिनियम, के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा—(जिला सुल्तानपुर) अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के अन्त में निम्न वाक्यांश बढ़ा दिया जाय:—

"और यू० पी० लेजिस्लेटिव चैम्बर्स (मेम्बर्स एमालुमेंट्स) रूल्स, १९४६ के नियम ४,१३ व १४ के वाक्य जो इस अधिनियम के विरुद्ध हों संशोधित कर देगी।"

मेरे पास लेजिस्लेटिव चेम्बर्स (मेम्बर्स एमालुमेंट्स) रूल्स अंग्रेजी के हैं, वही मैं पढ़े देता हूं, हिन्दी के मौजूद नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—आप जरा रुकें। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस विधेयक के पास हो जाने के बाद जो कुछ भी नियम इसके विरुद्ध होगा वह तो अपने आप आटोमेटिकली खत्म नहीं हो जायगा न?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, यह तो है ही।

श्री अध्यक्ष—तो फिर इसको रखने की आवश्यकता कहां रह जाती है? इस अधिनियम के बन जाने के बाद जो कुछ भी इसके विरुद्ध होगा वह अपने आप खत्म हो जायगा।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा—लेकिन इसी अधिनियम के जो नियम बने हुये हैं उसको हम लोगों ने वैध माना है और वह है.....।

श्री अध्यक्ष—वह तो ठीक है कि जब तक वह अधिनियम नहीं पास होता तब तक वह जारी रहेगा, लेकिन उसके स्वीकृत हो जाने के बाद वह विरोधी नियम अपने आप खत्म हो जायेगा। क्या आप उसको रिट्रास्पेक्टिव ऐफेक्ट देना चाहते हैं, यानी जितना आपने अभी तक पाया है उसके हिसाब से पुराने वक्त का भी आप डबल चाहते हैं?

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा—जी मैं रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट से नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ यह निवेदन कर रहा था कि इसके जो कुछ भी नियम बने हुये हैं उन सबको हम वैध मान लें।

श्री अध्यक्ष—वह तो जारी रहेंगे, क्योंकि जब तक यह अधिनियम के रूप में स्वीकार नहीं हुआ है तब तक वह वैध रहेंगे। बाद में वे अपने आप रद्द हो जावेंगे। उसके लिये संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा—मैंने तो सिर्फ इसलिये कहा कि कहीं ऐसा न हो.....।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह रिडंडेंट है। जब पुराने विरोधी नियम आटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं तो यह रिडंडेंट सी चीज है और आगे सरकार को नियम बनाने का भी अधिकार है। यदि कोई ऐसे नियम होंगे तो उन नियमों को परिवर्तित करके सरकार ठीक कर देगी नहीं तो वह अवैध समझे जायेंगे।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा—मैंने तो इसी संदेह को दूर करने के लिये पेश किया था।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह संशोधन रिडंडेंट है और आप इसको पेश नहीं कर सकते।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड—१

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों और सभा-सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना

सभा-सचिवों को दिये जाने वाले वेतन और भत्तों तथा विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों और उप-मंत्रियों से सम्बद्ध कुछ विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

सभा सचिवों (Parliamentary Secretaries) को दिये जाने वाले वेतन और भत्तों की तथा विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों तथा मंत्रियों और उप-मंत्रियों से सम्बद्ध आगे चलकर प्रतीत होने वाले कुछ विषयों की व्यवस्था करना आवश्यक है,

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभासचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि शीर्षक इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सैयद अली जहीर—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभासचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का विधेयक, १९५५, को पारित किया जाय।

* श्री नारायणदत्त तिवारी—प्वायंट आफ आर्डर, सर! मेरे विचार से यह विधेयक जहां तक उपमंत्रियों और सभासचिवों का सवाल है पारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह संविधान के प्रतिकूल जाता है और संविधान के आधार पर हमें इस प्रकार का कोई कानून सभासचिवों और उपमंत्रियों के लिये बनाने का अधिकार नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में आपका ध्यान स्टेट लिस्ट के आइटम ३८, ३९ और ४० की तरफ दिलाना चाहूंगा, क्योंकि उसके अनुसार हमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, मेम्बर्स आफ दी लेजिस्लेचर्स और स्टेट मिनिस्टर्स के वेतन तथा उनके भत्ते के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, और संविधान के अनुच्छेद २४६ (३) के अनुसार हम केवल उन्हीं विषयों पर कानून बना सकते हैं जिनका कि जिक्र स्टेट लिस्ट के आइटम ३८, ३९ और ४० में है। स्टेट लिस्ट में कहीं भी सभासचिवों और उपमंत्रियों का जिक्र नहीं है। जिस विधान की धारा १६४ का जिक्र किया गया है इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में, इसमें केवल मंत्रियों का जिक्र है। मिनिस्टर्स की नियुक्ति कर सकते हैं लेकिन डिप्टी मिनिस्टर्स एण्ड पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज की नियुक्ति नहीं कर सकते। अब प्रश्न उठता है कि डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज मिनिस्टर्स के अन्दर आते हैं? मेरा विचार है कि मिनिस्टर्स की परिभाषा के अन्दर डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज नहीं आते, क्योंकि मिनिस्टर वह होता है जिसको गवर्नर मुख्य मंत्री की सिफारिश से नियुक्त करता है, और अनुसूची तीन के अनुसार गवर्नर के सामने वह शपथ लेता है। उसमें एक शपथ दी हुई है वह केवल गवर्नर के सामने ली जाती है। गवर्नर ही मिनिस्टर्स की नियुक्ति करता है। डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज की नियुक्ति यू० पी० में गवर्नर के द्वारा नहीं होती और न गवर्नर के सामने वे शपथ ही लेते हैं जब कि शपथ विधान में गवर्नर के सामने ली जाती है। जो केन्द्र में डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज की नियुक्ति हुई है तो उनकी नियुक्ति प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पर प्रेसीडेंट ने की है और शपथ भी प्रेसीडेंट

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने ही उनकी ली है। यू० पी० में वह नहीं हुआ है। बम्बई और बंगाल के डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज की नियुक्ति चीफ मिनिस्टर ने नहीं की और न शपथ ही ली। गवर्नर ने उनकी नियुक्ति की और उसी ने शपथ ली। यू० पी० में डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज की नियुक्ति जो हुई है यह अवैधानिक हुई है और उन्हें इस्तीफा देना चाहिये और गवर्नर के सामने जाकर शपथ लेनी चाहिये, यदि केन्द्र और बंगाल, बम्बई की परम्परा को हम मानते हैं।

अब प्रश्न यह है कि अगर मान लिया जाय कि मिनिस्टर, डिप्टी मनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी एक ही होता है तो आज डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव कौंसिल में नहीं जा सकता, सवालों का जवाब नहीं दे सकता, जब कि मिनिस्टर जा सकता है। साथ ही साथ यदि किसी मिनिस्टर का स्थान रिक्त होता है तो ६ महीने तक बगैर चुनाव के वह अपने पद पर रह सकता है, लेकिन अगर डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज का स्थान रिक्त हो जाय तो संविधान के अनुसार उसका पद तुरन्त रिक्त हो जायगा। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी "मिनिस्टर" शब्द की परिभाषा के अन्दर निहित हैं। ब्रिटेन में जहां भी डिप्टी मिनिस्टर और मिनिस्टर आफ स्टेट होते हैं वहां लिखा हुआ विधान नहीं है। हमारे यहां लिखा हुआ विधान है। इसलिए ब्रिटेन की परिपाटी को जहां तक डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज का संबंध है हम नहीं मान सकते। ब्रिटेन के सम्बन्ध में भी, हरबर्ट मारिसन की एक किताब है जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज हैव नो कांस्टीट्यूशनल पावर्स। उनको कोई वैधानिक सत्ता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—वह सत्ता नहीं है, तो क्या उनको तनख्वाह भी वहां नहीं मिलती है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—मिलती है। लेकिन उनको कोई कांस्टीट्यूशन पावर्स नहीं हैं। और मेरे कहने का मतलब यह है कि ब्रिटेन में कोई लिखा हुआ विधान नहीं है, यहां लिखा हुआ विधान है। उसके अनुसार चलना है। जिन्होंने तृतीय अनुसूची के अनुसार शपथ ली है वही मिनिस्टर हैं। यदि मिनिस्टर के अन्दर डिप्टी मिनिस्टर का शब्द आ जाता तो संविधान में आप देखेंगे कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लिखा हुआ है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन अलग लिखा हुआ है। प्रेसीडेंट और वाइस प्रेसीडेंट अलग लिखा हुआ है। अगर संविधान बनाने वालों का यह मंशा होता कि मिनिस्टर के अन्दर डिप्टी मिनिस्टर भी आ जायं तो वह अलग "डिप्टी मिनिस्टर" लिखते जिस प्रकार उन्होंने स्पीकर से अलग डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन से अलग डिप्टी चेयरमैन और प्रेसीडेंट से अलग वाइस प्रेसीडेंट लिखा है। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि "मिनिस्टर" के अन्दर डिप्टी मिनिस्टर भी शामिल है। पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वह मिनिस्टर शब्द के नाम से भी नहीं मिलता। इसके अलावा इस अधिनियम को भी आप देखेंगे कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के बारे में १९५२ में जो कानून आया था उसमें सरकार स्वयं पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के बारे में कानून नहीं लायी क्योंकि स्वयं सरकार इस बात से संदिग्ध थी कि उसे कोई अधिकार है या नहीं ? तो जो कार्य स्वयं सरकार को १९५२ में अवैधानिक मालूम होता था आज मैं जानना चाहता हूं कि किस विधान के अनुसार वह लाना चाहते हैं ? या तो संविधान में संशोधन हो, मैं यह नहीं कहता कि डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज नहीं होने चाहिए। लेकिन विधान में कोई गुंजाइश तो है नहीं। यह बड़ा गम्भीर और विचारणीय विषय है। मैं चाहूंगा कि आप इस सम्बन्ध में अवश्य एक निश्चित रूलिंग देने की कृपा करें। कम से कम एक बात यहां अवश्य करवा दें कि यहां जो डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज बिना संविधान में कोई व्यवस्था हुए, अवैधानिक रूप से कार्य कर रहे हैं, उनसे इस्तीफा दिलवाएं

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

और उनको गवर्नर महोदय के द्वारा नियुक्त करवाएं और गवर्नर महोदय द्वारा उनको शपथ दिलवाएं और जो अब तक अवैधानिक कार्य सिद्ध हुआ है उसके लिए सरकार क्षमा प्रार्थी हो या जो दंड हो उसके लिये आप नियत करें। मैं पिछले दो तीन दिन से अध्ययन करने के बाद बिलकुल इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यू० पी० में जो डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज काम कर रहे हैं, और जिनके सम्बन्ध में यह कानून पास हो रहा है इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, संविधान में। अनुच्छेद २४८ के अनुसार पार्लियामेंट को यह अधिकार हैं, रेजिडुअल पावर्स जो हैं वह पार्लियामेंट के पास हैं। २४८ (१) देखें। अगर तीसरी सूची में जिन विषयों का निर्धारण न हो उसके विषय में पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है। अगर उन को तनख्वाह देनी ही है तो पार्लियामेंट ही कानून बनाये। तब उन लोगों को तनख्वाह मिल सकती है। लेकिन हम कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते। अगर हम चाहें भी तो नहीं दे सकते।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---मैं जनाब की नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं कि यह जो सवाल इस वक्त उठा है यह इस बिल के प्रोग्रेस के बीच में अब से एक दो रोज पहले भी उठा था। उस वक्त श्री बेचनराम गुप्त साहब चेयरमैन थे। उस वक्त उन्होंने इस सब गुफ्तगू को सुनकर करके यह तय कर दिया था कि यह हाउस बना सकता है। और चले यह कानून .....

श्री अध्यक्ष---फैसला हो चुका है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी हां, फैसला हो चुका है, आप सेक्रेटरी साहब से पूछे, मुझे नहीं मालूम। मैं जो समझा यही समझा।

श्री अध्यक्ष---(राजनारायण जी के उठने पर) जो प्रश्न इस वक्त उठाया गया है इसके बारे में सदन में फैसला यहां अधिष्ठाता जी ने दे दिया था यह वित्त मंत्री जी का कहना है। आपको इसके बारे में कुछ कहना है ?

श्री राजनारायण---श्रीमान्, जहां तक माननीय मंत्री जी ने बेचनराम जी की बात की है, जहां तक मुझे स्मरण है मैं समझता हूं कि उन्होंने पूरे विधेयक के संबंध में व्यवस्था नहीं दी है। उस समय डिप्टी मिनिस्टर्स या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी का जो क्लाज चल रहा था उस क्लाज के सम्बन्ध में उन्होंने कोई बात कही थी। मगर पूरे विधेयक के बारे में नहीं। लेकिन मुझे यह कहना है कि यह ऐसा प्रश्न नहीं है, यह थर्ड रीडिंग है। अगर किसी अधिष्ठाता ने कोई गलत रूलिंग दी है और उस दिन उस रूलिंग को मान लिया गया, मगर आप अध्यक्ष महोदय सर्वाधिकार सम्पन्न हैं उस गलत रूलिंग को ओवर रूल करने के लिये। अध्यक्ष ऐसा कर सकते हैं और ऐसी कई नजीरें हैं। और श्रीमान्, यों अगर माननीय नारायण दत्त जी ने बहुत बातें कह दी हैं और अगर माननीय मंत्रीगण कोई नई रोशनी लायेंगे तो मैंने भी लीगल ऐक्सपर्ट्स से इलाहाबाद से ओपीनियन आज मंगाई है। हम लोग इस बात से सहमत हैं कि इसको चैलेन्ज करके नल ऐंड वौइड डिक्लेयर कराया जा सकता है।

श्री जोरावर वर्मा---श्रीमन्, जहां तक मुझे जानकारी है कि सभा सचिवों के विषय में रूलिंग दी गई थी।

श्री अध्यक्ष---उसी के बारे में प्रश्न उठाया गया है कि सभा सचिव और डिप्टी मिनिस्टर्स के बारे में कानून नहीं बना सकते, यही प्रश्न है। उसी की वजह से वे कहते हैं कि पूरे बिल का वह भाग जो सभा सचिव से संबंधित है और डिप्टी मिनिस्टर से संबंधित है वह अवैध है, यह उनका कहना है, यही प्रश्न उठाया गया है।

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, जहां तक कांस्टीट्यूशन का ताल्लुक है जैसा अभी कहा गया जो स्टेट लिस्ट है उसमें तीन आइटम्स हैं कि जिसके मातहत इस तरह के बिल आते हैं । एक ३८ है :--

38. Salaries and allowances of members of the Legislature of the State, of the Speaker and Deputy Speaker of the Legilslative Assembly and, if there is a Legislative Council, of the Chairman and Deputy Chairman thereof.

३९ है :--

39. Powers, privileges and immunities of the Legislative Assembly and of the members and the committees thereof, and, if there is a Legislative Council, of that Council and of the members and the committees thereof; enforcement of attendance of persons for giving evidence or producing documents before committees of the Legislature of the State.

मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां तक इन क्लाजेज का ताल्लुक है बिल्कुल ऐसे ही क्लाजेज दफा (७५) में भी जो लिस्ट (i) की है वह सेन्टर के लिये क्लाजेज ७३ और ७५ में कहा गया है :

73. Salaries and allowances of members of Parliament, the Chairman and Deputy Chairman of the Council of States and the Speaker and Deputy Speaker of the House of the People.

और ७५ यह है कि :

75. Emoluments, allowances, privileges, and rights in respect of leave of absence, of the President and Governors; salaries and allowances of the Ministers of the Union ; the salaries, allowances and rights in respect of leave of absence and other conditions of service of the Comptroller and Auditor-General.

तो मैं अर्ज करूंगा कि जाहिर है कि सेन्टर में भी डिप्टी मिनिस्टर्स मौजूद हैं और इससे यह जाहिर होता है कि वहां भी जो इंटरप्रीटेशन इसका किया गया है वह यही किया गया है कि मिनिस्टर्स का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ७५ में उसी का यह राइट है, डिप्टी मिनिस्टर्स भी उसी में आते हैं और उनकी प्रीविलेजेज और ऐमोल्यूमेंट्स उसी तरह से तय हो सकती है जिस तरह से मिनिस्टर्स के लिये कानून बनता है । जहां तक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का ताल्लुक है उनकी हैसियत यह है कि वे लेजिस्लेचर के मेम्बर होते हैं और जब उनको एक स्पेशल ड्यूटी दी जाती है तो उसके लिये उनकी प्रीविलेजेज और उनके राइट्स और उनकी ड्यूटीज और उनके ऐमोल्यूमेंट्स ये सब फिक्स किये जाते हैं । तो इस हिसाब से दफा १९५ जो है उसमें यह पावर दे दी गई है असेम्बली को कि उनकी सेलरीज और एलाउन्सेज लेजिस्लेचर के मेम्बर्स डिटरमिन करें ।

"195. Members of the Legislative Assembly and the Legislative Council of a State shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by the Legislature of the State by law, and, until provision in that respect is so made, salaries and allowances at such rates and upon such conditions as were immediately before the commencement of this Constitution applicable in the case of members of the Legislative Assembly of the corresponding Province."

तो बहरहाल इसी के जरिये से और जो मैंने यह क्लाज पढ़ा, इसके जरिये से मेम्बर्स आफ दी लेजिस्लेचर को जो सैलरीज वगैरह हैं वह उनके फिक्स करने की पावर इस लेजिस्लेटिव असेम्बली को है । तो अगर किसी मेम्बर को कोई मखसूस काम दिया जाय और उसके एवज में कोई उसकी सैलरीज फिक्स हों, एलावेंसेज फिक्स किये जायं तो उसकी पावर लेजिस्लेटिव असेम्बली को यकीनन हासिल है और इस वजह से पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के लिए भी हासिल है और जहां तक इसका ताल्लुक है कि शपथ कौन दिलाता है या इनका अप्वाइंटमेंट कैसे होता है, इसका ताल्लुक इस क्लाज से नहीं है । वह तो अलग चीज है और उसके लिए जो रूल्स और

[श्री सैयद अली जहीर]

रेगुलेशंस होंगे कि किन लोगों की ओथ्स गवर्नर के सामने होंगी, किनकी चीफ मिनिस्टर के सामने होंगी, वह तो एक सेपरेट क्वेश्चन है। लेकिन जहां तक उनके पावर का सवाल है वह कांस्टीच्यूशन में हासिल है और उसमें कोई दिक्कत कानूनी नहीं मालूम होती है।

श्री मोहनलाल गौतम---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का फैसला करने के वक्त एक बात का और ख्याल रखने की जरूरत है और वह यह है कि सेंटर में डिप्टी मिनिस्टर को अप्वाइंट करता है प्रेसीडेंट आफ दी रिपब्लिक, और उन्हीं के सामने उनकी ओथ्स होती हैं, और सेंटर मे डिप्टी मिनिस्टर दोनों में हाउसेज में जा सकता है। यहां पर डिप्टी मिनिस्टर को कौन अप्वाइंट करता है, यह सोचने की बात है और क्या वह दोनों हाउसेस में जा सकता है? अब तक तो यही देखने में आता है कि नहीं जा सकता। तो यहां और वहां का कुछ फर्क जरूर है जिसको देखने की जरूरत है जब आप इस पर व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि उन्होंने यह बात नहीं कही माननीय न्याय मंत्री ने कि मिनिस्टर शब्द में इन्क्लूड होता है पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी भी, उनका कहना है कि केवल डिप्टी मिनिस्टर इन्क्लूड होता है और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी नहीं होता है।

श्री सैयद अली जहीर---जी हां। वह तो मेम्बर में आता है। और मिनिस्टर में जैसा यहां का है वैसा ही वहां का भी है। सो मेनी अदर टाइप्स आफ मिनिस्टर्स जो भी वहां अप्वाइंट होते हैं, वह कैटेगरी आफ दी मिनिस्टर में आते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम---एक और सवाल पैदा हो गया कि अगर पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी मेम्बर है और उसकी सैलरी मुकर्रर कर दिया तो आफिस आफ प्राफिट होकर वह कहीं डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो जायगा?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि एक ऐक्ट पास हो चुका है इसके बारे में।

श्री राजनारायण---श्रीमान कुछ मौका मुझे दिया जाय। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जो प्रश्न यहां उठाया गया किसी भी प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी की ओर से नहीं आया। पहले तो यह होना चाहिये कि कौंसिल आफ मिनिस्टर डज इन्क्लूड डिप्टी मिनिस्टर आर नाट? कौंसिल आफ मिनिस्टर में डिप्टी मिनिस्टर आता है या नहीं, इसके बारे में कोई स्पष्ट उत्तर सरकार की ओर से नहीं आया। हमारा यह कहना है कि जबकि स्टेट लिस्ट में बाकायदे मन्त्रियों का नाम लिखा हुआ है और कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में जो आता है उसकी ज्वाइन्ट रेस्पांसिबिलिटी की बात है, और यहां पर जब यह लिखा है कि उनको गवर्नर के यहां शपथ लेनी होती है तो डिप्टी मिनिस्टर को हरगिज कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में इन्क्लूड नहीं कराया जा सकता। अगर अनरिटेन कांस्टीच्यूशन कहीं पर है जो कि रिटेन कांस्टीच्यूशन से भी ज्यादा फोर्स रखता है तो वहां की बात दूसरी है, लेकिन यहां पर तो कांस्टीच्यूशन लिखा हुआ है। क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए इसके लिए जो हमारा कांस्टीच्यूशन है उसी को इंटरप्रेट करना चाहिए। दूसरी जो शंका उठाई गई नारायणदत्त जी की ओर से उस बात को मैं कहना चाहता हूं और माननीय गौतम जी ने भी उसको साफ किया कि यहां और सेंटर दोनों को एक स्तर पर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यहां में और वहां में बड़ा फर्क है वहां पर शपथ प्रेसीडेंट के सामने होती है। यहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि शपथ गवर्नर के सामने हो। वहां के डिप्टी मिनिस्टर्स दोनों हाउसेज में जाते हैं यहां के डिप्टी मिनिस्टर्स आज तक इसी सदन में रहे हैं, दूसरे हाउस में नहीं गये हैं। और यदि पुरानी बात आप कहते हैं तो मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि हमारी ओर से आपत्ति उठायी गयी थी। यह सही है कि उस वक्त हम चूक गये बाद में हाई कोर्ट में चैलेन्ज नहीं किया, लेकिन यह मैं बता दूं कि परसों हमने एक स्पेशल मैसेन्जर भी भेजा था, और कल १२ मिनट तक फोन पर बात

भी हुई । कांस्टीच्यूशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह विधेयक जो आया हुआ है यह अवैधानिक है, और किसी भी तरीके से खींच खांच कर भी पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी को मिनिस्टर साहब कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में नहीं ला सकते ।

अब एक और अजीब व गरीब बात न्याय मंत्री जी ने कह दी । उनकी वह बात अन्यायपूर्ण मालूम होती है । उन्होंने कहा कि इस सदन के सदस्यों की तनख्वाह और उनके भत्ते के बारे में विधेयक पास करने का अधिकार इस सदन को है । तो क्या इस सदन के सदस्यों की कई कैटेगरीज होंगी ? कुछ सदस्य दो सौ पायेंगे, कुछ ६ सौ और कुछ ७५० ? चूंकि जब सदन के सदस्यों की सैलरी के बारे में इस सदन को कानून बनाने का अधिकार है इसलिये वह किसी सदस्य को पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के पद पर रख कर उनको ७५० रुपये की तनख्वाह दिला सकता है ? ये सब बिल्कुल थोथी बातें हैं । इसमें सदन का अपमान है । इसी तरह से स्पेशल पावर्स ऐक्ट के बारे में सरकार की हठवादिता सिद्ध हुई ।

श्री अध्यक्ष---यह कांस्टीटूयूशनल सवाल है, इसलिये यहां सरकार के ऊपर हमला करने का या उसकी हठवादिता का कोई सवाल नहीं है ।

श्री राजनारायण---ठीक है । माननीय मंत्री जी ने जो तर्क सरकार के द्वारा प्रस्तुत विधेयक के पक्ष में दिया है उसी पर हमको यह निवेदन करना है कि ऐसे तर्कों से इस वक्त काम नहीं चल सकता । इसमें सदन का अपमान है ।

श्री अध्यक्ष---इसके नतीजे से कोई मतलब नहीं है । आपका जो प्वाइन्ट था वह आपने कह दिया । अब उसके नतीजे क्या होंगे इसके कहने की जरूरत नहीं है ।

श्री राजनारायण---श्रीमान, यह मैं इसलिये बता रहा हूं ताकि सरकार इसको वापस ले ले । इस विधेयक के पास होने से हम संविधान की अवहेलना करेंगे और संविधान की कसौटी पर कस कर यदि इस विधेयक को देखा जायगा तो हर माने में इसे अवैधानिक करार देना चाहिये ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---श्रीमान्, माननीय मंत्री ने एक बात पार्लियामेन्ट के बारे में भी कही है । तो जहां तक मेरी सूचना है दिल्ली में पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज को कोई तनख्वाह अलग से नहीं दी जाती है । जो तनख्वाह वहां के एम० पीज० को मिलती है वही वहां के पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी को मिलती है । अगर मेरी इस इत्तला के खिलाफ कोई दूसरी इत्तला मंत्री जी को है तो वे बतावें ।

श्री अध्यक्ष---उससे कोई सम्बन्ध इस प्रश्न से नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---एक बात मैं और कह दूं ।

श्री अध्यक्ष---अब नहीं ।

श्री अधिष्ठाता जी ने जो उस रोज फैसला दिया था वह इस प्रकार है---

"मेरा इसके बारे में निश्चित मत है कि जहां तक डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज की तनख्वाह के बारे में इस बिल में दिया हुआ है वह इस हाउस को अधिकार है कि उनके बारे में वह कानून बना सकता है । डेफनीशन तो नहीं दी हुई है, जहां तक मैंने संविधान और रूल्स देखे, लेकिन मिनिस्टर इन्क्लूड्स डिप्टी मिनिस्टर । इसके अलावा मैं आज तो नहीं लेकिन किसी दिन पेश कर दूंगा कि सेन्ट्रल पार्लियामेन्ट में कहीं इस तरह की कोई चीज है कि मिनिस्टर इन्क्लूड्स डिप्टी मिनिस्टर ? तो जो व्यवस्था आपने मांगी है उसके बारे में मेरा निर्णय है कि इस हाउस को अधिकार है कि वह पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी और डिप्टी मिनिस्टर्स के वेतन के बारे में बिल पास कर सकता है ।"

[श्री अध्यक्ष]

यह फैसला उस रोज भी अधिष्ठाता जी ने दिया था । खैर चूंकि अब इसके ऊपर खासतौर से बहस इस वक्त छिड़ गयी और चूंकि इसकी वजह से शायद मेम्बरों के दिल में सन्देह पैदा हुआ जो भी अधिष्ठाता जी ने कहा कि "मैं आज तो नहीं लेकिन किसी दिन पेश कर दूंगा कि सेन्ट्रल पार्लियामेन्ट में कहीं इस तरह की कोई चीज है कि मिनिस्टर इन्क्लूड्स डिप्टी मिनिस्टर" इसलिये मैंने थोड़ी सी इजाजत इस विषय में सदन में चर्चा करने की दी थी क्योंकि ऐसी कोई चीज भी अधिष्ठाता जी के दिमाग में थी जिस वक्त यह प्रश्न सदन में उठाया गया था ।

मैंने अब इसको देखा है यानी उनके शब्दों को। मैं यह बात सदन के सामने रख देता हूं कि संविधान बनाते वक्त यह प्रश्न कांस्टीटूएंट असेम्बली के सामने आया था और श्री के० टी० शाह ने यह अमेन्डमेंड भी मूव किया था कि जिसमें डिप्टी मिनिस्टर शब्द स्पष्टता विधान की धाराओं में आ जाय । इस पर उस समय जो जवाब मिला था वह यह था कि जो संशोधन है, उसे इसलिये स्वीकार नहीं करना चाहिये, क्योंकि डिप्टी मिनिस्टर जो है वह इन्क्लूड होता है मिनिस्टर शब्द में । इसलिये चूंकि कौंसिल आफ मिनिस्टर्स शब्द आ चुका है तत्पश्चात फिर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि डिप्टी मिनिस्टर शब्द भी अलहदा से इस्तेमाल किया जाय, क्योंकि वह इंक्लूड होता है मिनिस्टर शब्द में और डिप्टी मिनिस्टर का अर्थ भी होता है कि जो डिप्यूटाइज करे, और एवज में काम करे तो डिप्टी मिनिस्टर को मिनिस्टर में इंक्लूड समझा जाना चाहिये ।

इसी किस्म का प्रश्न बम्बई असेम्बली में पैदा हुआ था। वहां भी अध्यक्ष ने यही फैसला दिया कि डिप्टी मिनिस्टर मिनिस्टर शब्द में आ जाता है अन्तर इसमें केवल यह है कि इस प्रदेश में डिप्टी मिनिस्टर की शपथ शायद मुख्य मंत्री के सामने होती है और गवर्नर के सामने नहीं होती है। बम्बई में और सेन्टर में ऐसा नहीं है । जहां तक ख्याल है सेन्टर में प्रेसीडेन्ट के सामने और बम्बई में गवर्नर के सामने शपथ होती है। तो जो १६४ के अनुच्छेद में मिनिस्टर के संबंध में व्यवस्था दी है उसमें ऐसा बतलाया है कि :—

आफिस में एन्टर करने से पहले हर मिनिस्टर को गवर्नर के सामने शपथ लेना होगा यह अनुच्छेद १६४(३) है जिसे मैं पढ़कर सुना रहा हूं कि:-

"Before a Minister enters upon his office, the Governor shall administer to him the oaths of office and secrecy according to the forms set out for the purpose in the Third Schedule."

दूसरे हाउस आफ पीपुल्स में यही प्रश्न प्रीवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट के संबंध में उपस्थित हुआ था और उस समय प्राइम मिनिस्टर ने यह शब्द कहे थे कि:

"So far as we are concerned in Government there is no lacuna and as the Constitution is framed we thought and we still think that Minister of State and Deputy Minister belong to the Council of Ministers. We are quite clear about that and therefore, it never struck at that time to make any provision in the Constitution."

यानी कांस्टीटयूशन बनाते समय क्योंकि हम बहुत क्लिअर थे कि कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में डिप्टी मिनिस्टर आता है, इसलिये हमने इस चीज को कांस्टीट्यूशन में नहीं रखा। पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। श्री डिप्टी स्पीकर ने इस कारण वह प्रश्न स्वयं उपस्थित किया और तब प्राइम मिनिस्टर ने उसके जवाब में यह कहा:

"Apart from that, in parliamentary procedure as it prevails in the United Kingdom and in such other countries where there is democracy, such grades of Ministers and Secretaries do exist. I think it is a right thing for them to exist because if you have an efficient parliamentary democratic machinery, there must be these grades for training purposes".

सवाल हो सकता है कि यह संविधान से स्पष्ट नहीं हुआ । तो भी हमारे यहां की जो प्रथा है उसके अनुसार हम यही ठीक समझते हैं। यूनाइटेड किंगडम की प्रथा को हमने बहुत कुछ स्वीकार किया है । पावर्स और प्रिविलेजेज के बारे में जो कि संविधान के १९४ अनुच्छेद के अनुसार आपने देखा होगा उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि इन अदर मैटर्स वे पावर्स और प्रिविलेज सब हमारे वही हैं जो कि बृटिश पार्लियामेन्ट के है। वहां की प्रथा के अनुसार यह भी प्रथा मान ली गयी । १९४ अनुच्छेद में स्पष्ट हमारा यह लिखित संविधान है और यद्यपि संविधान में कहीं डिप्टी मिनिस्टर शब्द स्पष्ट नहीं है तो भी यह मान लिया गया कि डिप्टी मिनिस्टर उसमें इन्क्लूड करते हैं जसा कि इंगलैन्ड में तरीका है पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी की नियुक्ति की भी आवश्यकता होती है जैसा कि इग्लैन्ड में होता है चाहे वह कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में इंक्लूड होता हो या नहीं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो इस सदन का सदस्य है वह पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हो सकता है और उसको पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी होकर पूरा काम दिया जाता है । तब अन्य सदस्यों से उसमें एक भिन्नता आ जाती है और विशेष तनख्वाह देने का भी सवाल आजाता है सदस्य होने के नाते । तो जहां तक यह वैधानिक प्रश्न है कि डिप्टी मिनिस्टर इन्क्लूड होते हैं या नहीं, इसके लिये हमारे देश की प्रथा भी है कि डिप्टी मिनिस्टर इन्क्लूड होते हैं । पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी होते हैं या नहीं, इस विषय में कई मत हो सकते हैं । मेरा मत इस विषय में यह है कि पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी भी चूंकि यहां संविधान में उसका कुछ जिकर नहीं है और संविधान के बनाते वक्त भी समझा गया कि इसकी आवश्यकता होती है तो यह दृष्टिकोण उस समय भी रहा होगा कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी उसके मातहत आ जायगा अर्थात कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के सिलसिले में वह आ जायगा। तो वह भी आता है लेकिन उसके बारे में कुछ कानूनी व्यक्तियों को कुछ शक हो सकता है अगर कुछ शक भी हो सकता हो तो भी यह बात तो समझी ही जा सकती है किसी सदस्य को कोई विशेष ड्यूटी दी जाती है तो उसको उसके लिये कोई विषेश तनख्वाह भी दी जा सकती है। यह सिद्धान्त भी अगर डिप्टी मिनिस्टर के लिये लागू किया जाता है और उसके लिये यह सिद्धान्त लागू न किया जाय कि वह "मिनिस्टर" शब्द में सम्मिलित है तो भी जैसी पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी की हैसियत है उसी तरह से उसकी हैसियत भी हो जायगी कि वह एक सदस्य है और उसके लिये मिनिस्टर अपने अधिकारी से डिपुटाइज करने के लिये विशेष अधिकार दे देता है । जब मिनिस्टर का काम लिया जाता है तो उसके लिये तनख्वाह देना चाहिये। वह तनख्वाह देने का अधिकार एक मेम्बर की हैसियत से जैसे पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी के बारे में होगा उसी प्रकार डिप्टी मिनिस्टर के बारे में वह अधिकार हो सकता है। इसके सम्बन्ध में श्री हरबर्ट मौरिसन जिनका जिक्र नारायणदत्त तिवारी जी ने अपने भाषण में किया उनकी यह इंगलिश में किताब है और इसका नाम "गवर्नमेन्ट एन्ड पार्लियामेंट "है उसमें यह ५८ पृष्ठ पर मिनिस्टर आफ स्टेट के सम्बन्ध में लिखा हुआ है।

"The Minister of State usually has a status intermediate between that of a full Minister and of a Parliamentary Secretary.

The first Minister of State was Lord Beaverbrook, who held that office for a time from 1 May, 1941."

तो उसमें यह दिया हुआ है कि पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी की तरह मिनिस्टर आफ स्टेट भी ऐसा पद होते हैं जिनका स्थान मिनिस्टर तथा पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के बीच का होता

]श्री अध्यक्ष]

है । उनकी यह प्रथा कई तरह के मिनिस्टर बनाने की पूर्वापर से चली आयी है । संविधान में उन्हें नियुक्त करने के बारे में या उन्हें बनाने का कोई विधान नहीं है । अब जिस प्रकार से "स्पीकर" तथा "डिप्टी स्पीकर" शब्द स्पष्ट दिये हुये हैं वह स्पष्ट तथा अलहदा क्यों संविधान में दिये हुये हैं इसका कारण यह है कि वे एक एक ही होते उनकी तादाद ज्यादा या कम नहीं की जा सकती । एक ही स्पीकर होगा और एक ही डिप्टी स्पीकर होगा "कौंसिल आफ मिनिस्टर्स" में पदों की जैसे आवश्यकता होती है उसके अनुसार उनके नामनक्लेचर होते आये हैं और उनका अधिकार भी अलग-अलग होता है । कुछ तो कैबीनेट रैंक के होंगे, कैबीनेट में बैठेंगे । अगर ५० मिनिस्टर मुकर्रर होते हैं तो व्यवस्था करते समय इतने आदमियों का कैबीनेट में बैठना अनावश्यक होगा । इसलिये कैबीनेट के बाहर भी मिनिस्टर्स रहते हैं । तो इस तरह के बहुत से मिनिस्टर्स शासन व्यवस्था के लिये आवश्यक होते हैं । जो नाम पहिले से मौजूद हैं उनके अतिरिक्त भी नये नामों द्वारा मिनिस्टर्स भी नियुक्त किये जा सकते हैं । लिहाजा नाम कुछ भी रक्खा जाय कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की भांति ही उनको सुविधा दी गयी है कि हर एक तरह के मिनिस्टर्स काउंसिल आफ मिनिस्टर्स शब्द में इंगित हो सकते हैं । इसलिये जहां तक संविधान का संबंध है, यह स्पष्ट दिखायी देता है कि इसमें पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और डिप्टी मिनिस्टर भी काउंसिल आफ मिनिस्टर्स से इंगित हैं । मेरी समझ में यदि संदेह हो सकता है तो पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के बारे में हो सकता है जैसा कि माननीय न्याय मंत्री जी ने कहा कि मेम्बरों में से किसी से कोई काम यदि लिया जाता है, कुछ मदद ली जाती है तो उनकी तनख्वाह के बारे में भी हमको फैसला करना चाहिये । किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाय इस सदन को इसका अधिकार है कि उनकी तनख्वाह निश्चित करे ।

तीसरी बात अंत में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस सदन का सबसे बड़ा जो अधिकार है वह यह है कि हम यहां पर कोई विधान बना कर, कोई कानून बना कर, प्रदेश में उसके द्वारा शासन करें उस अधिकार के बारे में, जहां तक मैं समझता हूं हमारा दृष्टिकोण विस्तीर्ण ही होना चाहिये, उसको संकुचित दायरे में नहीं देखना चाहिये। कानून का भी यही सिद्धान्त है कि "Anything which is not forbidden is permitted" जो चीज फारबिड नहीं की गयी है वह परमिटेड है ऐसा ही समझना चाहिये और इस सदन में यह नहीं होना चाहिये कि सदन के सदस्य ही यह कहें कि हमें यह अधिकार नहीं है । जो स्पष्ट बात हो संविधान के अनुसार जिसे न कर सकते हों उसे न करें । लेकिन जहां कुछ शक हो वहां के लिये मैं यह आम सिद्धान्त बता देना चाहता हूं उसको हमें कार्यरूप में लाना चाहिये और वह यह है कि हम यह समझें कि इस सदन को कोई भी कानून बनाने का अधिकार है, सदैव रहेगा और है जब तक संविधान द्वारा स्पष्टतया उसका अधिकार सीमित न किया गया हो और कभी भी जहां संदेह गहरा हो, दो मजबूत कानूनी रायें हों तब तो हम यही मानकर चलें कि हमें उसका अधिकार है। जहां तक संविधान का संबंध है उसके अर्थ के बारे में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है उस विषय में मुझे अधिकार नहीं है । वह अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट ही इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मत है कि अपने अधिकार को हमें संकुचित नहीं करना चाहिये । अतः मेरा यह निश्चित मत है कि सदन को इस तरह के कानून पास करने का पूरा अधिकार है । इस दृष्टिकोण से मिनिस्टर में डिप्टी मिनिस्टर भी शामिल है और पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी भी शामिल है। दूसरे दृष्टिकोण से यदि एक मेम्बर की हैसियत से भी किसी से अगर कोई काम लिया जाता है तो उसकी तनख्वाह के नियत करने का भी अधिकार इस सदन को है । अतः यह जो आक्षेप श्री तिवारी जी द्वारा उठाया गया है वह अवैधानिक और निरर्थक है ।

*श्री मोहनलाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के बारे में आपने जो शक जाहिर किया, यह तो ठीक है कि आप चाहे जो फैसला करें लेकिन जब तनख्वाह वसूल करने का प्रश्न आता है उसमें मुझे एक आपत्ति दिखाई दे रही है कि अगर पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को मेम्बरों की हैसियत में रक्खा गया और उनको ऐसा पद दे दिया गया जिसमें मेम्बरों से अधिकार भी अधिक हो और तनख्वाह भी अधिक हो, तो मेरी राय यह है कि वह आफिस आफ़ प्राफिट हो जायगा। उसके लिये यह जरूरी है कि ला में यह ऐक्जेम्प्शन कर दिया जाय कि इस तरह का आफिस आफ प्राफिट पाने से कोई मेम्बर डिसक्वालिफाई न होगा। मुझे डर है कि आफिस आफ प्राफिट की बिना पर वे डिसक्वालीफाई न कर दिये जायं।

श्री अध्यक्ष---वह तो मैंने अपनी राय दे ही दी कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और डिप्टी मिनिस्टर्स दोनों मेरी समझ में 'कौंसिल आफ मिनिस्टर्स' वाक्य में इन्क्लूड होते हैं या शामिल हैं लेकिन चूंकि मंत्री जी स्वयं पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को शामिल नहीं करते और उन्होंने कहा था कि वह मेम्बर की हैसियत से हैं तो ऐसी हालत में मैंने शक जाहिर किया, लेकिन वैसे मैं स्वयं तो इसमें स्पष्ट हूं और मुझे कोई शक नहीं है इसमें कि वह कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में आते हैं। दूसरे यह भी एक कानूनी सवाल है कि उनको डिसक्वालिफिकेशन से इन्डेमनीफ़ाई किया है या नहीं। उस विषय में भी अब फैसले की आवश्यकता नहीं है। मैं यह कह चुका हूं कि उसका कानून भी जहां तक मैं समझता हूं बन चुका है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, आपने डिप्टी मिनिस्टर्स को शामिल करने की रूलिंग जो दी है तो क्या आप सरकार को इस सम्बन्ध में आदेश भी देने की कृपा करेंगे कि वर्तमान डिप्टी मिनिस्टर्स गवर्नर महोदय के सामने जा कर अब शपथ ले लें ?

श्री अध्यक्ष---मतलब यह है कि मैंने इस विषय को स्पष्ट कर दिया, अक्लमंदों को इशारा काफी होता है, मैंने बता दिया कि बम्बई में ऐसा होता है, मैंने इसलिये लोक सभा के बारे में भी कह दिया, अब और अधिक कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है।

(कुछ ठहर कर)

अब यह वैधानिक प्रश्न यहीं समाप्त होता है।

श्री मोहनलाल गौतम---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक छोटा सा बिल है, बहुत थोड़ी सी इसमें चीजें हैं और इस पर सदन में काफी वादविवाद हो चुका है और सख्त नुक्ताचीनी भी इस पर हुई और मेरी जो पहली राय थी वही इसके बारे में अब भी है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप ३-४ मिनट में खत्म कर दें, क्योंकि साढ़े ५ बजे इसे समाप्त करना है।

श्री मोहनलाल गौतम---श्रीमन्, काफी समय तो वैधानिक आपत्ति में लग गया, कुछ अधिक समय मिलता। खैर, मैं सात आठ मिनट में खत्म करने की कोशिश करूंगा। कहीं अच्छा होता कि अगर यह बिल इस समय न लाया गया होता, यह ठीक नहीं है कि खामख्वाह इस सदन में और बाहर इस बात पर नुक्ताचीनी हुई जब कि हम जानते हैं कि एलेक्शन नजदीक है। जो कुछ इसमें किया जा रहा है उस का नाजायज फायदा लोग न उठावें और इसको ले कर बहुत ज्यादा हमारे खिलाफ प्रचार न किया जाय इसलिये यह मुनासिब होगा कि अब मिनिस्टर इन्चार्ज यह एलान कर दें कि जो सुविधायें इसमें हैं जैसे कि मिनिस्टर्स वगैरा को मेडिकल एड वगैरह की बात है, उन सब का एक मैगजिमम मुकर्रर कर दें रूल्स में, तो इस तरह से वह पब्लिक की नुक्ताचीनी से बच सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

इसी तरह से हाउस रेन्ट के बारे में भी डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के सम्बन्ध में कह दिया जाय तो ऐसी नुक्ताचीनी न होगी। इसके अलावा अभी यह भी साफ नहीं हुआ कि डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन होलटाइमर होंगे या नहीं, वह अलग काम कर सकेंगे या नहीं, इसकी सफाई की जरूरत है। इसके अलावा दफा १० में जो रिट्रास्पेक्टिव इफ़ेक्ट दिया गया है उसके बारे में भी....

श्री अध्यक्ष---आप केवल स्वीकृत संशोधनों के परिणाम पर ही बोल सकते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम---यह जो श्रीमन्, रिट्रास्पेक्टिव अफ़ेक्ट वाली बात है वह केवल थोड़े से हो रुपये आने पाई की बात है, कोई बड़ी रकम की बात नहीं है इसलिये जो रुपया अब तक खर्च हो चुका है उसको लीगलाइज करने का अधिकार भले ही रहे लेकिन बहुत अच्छा हो कि मिनिस्टर साहब इस वक्त एलान कर दें कि आगे उसका इस्तेमाल न होगा। यह चीज अगर हो जाय तो.....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि थर्ड रीडिंग में इन सुझावों की गुंजायश नहीं है। थर्ड रीडिंग में तो जो संशोधन स्वीकृत हो चुके हैं और उनका क्या परिणाम होगा इसी विषय पर बहस हो सकती है, लेकिन थर्ड रीडिंग में इसके अलावा और सुझाव नये तरीके से देने का मौका नहीं है। यह मैं आप को नियम पढ़ कर सुनाये देता हूं :---

"The discussion on a motion that the Bill be passed shall be confined to the submission of arguments with regard to the effect of amendments made in the Bill. In making his speach a member shall not refer to the details of the Bill further than is necessary for the purpose of his argument".

तो यह जितने इस विधेयक में अमेंडमेंट्स हुये हैं उनमें अगर कोई आपत्ति है तो कहिये नहीं तो सदन का समय क्यों लिया जाय।

श्री मोहनलाल गौतम---माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मसला जिस पर मैं आप की इजाजत चाहूंगा कि थोड़ा सा आप मुझे आज्ञा दें कहने के लिये कि कुछ बातें सदन में कही गई जिसके लिये पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---पर्सनल एक्सप्लेनेशन है तो वह दूसरी बात है, वह आप दे सकते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम---जी, मैं उसी को शुरू कर रहा हूं। परसों मैं बदकिस्मती से यहां नहीं था। मैंने सुना कि इस सदन के सबसे पुराने मिनिस्टर और सबसे बड़े, सबसे ज्यादा उम्ररसीदा मिनिस्टर.....

श्री अध्यक्ष---आप किसी मिनिस्टर की तारीफ करने को तो पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं कह सकते। आपको जो कहना है वह कहिये।

श्री मोहनलाल गौतम---तारीफ कर के ही बताऊंगा कि उन्होंने कैसे इतना गलत काम किया, इतना होते हुये भी कैसा गलत काम किया।

श्री अध्यक्ष---नहीं, आप कौन सी बात पर्सनल कहना चाहते हैं वह बात कहिये।

श्री मोहनलाल गौतम---उन्होंने जो कहा वह मैंने अखबारों में पढ़ा क्योंकि मैं उस रोज मौजूद नहीं था, इसलिये मैं सब बातें नहीं कह सकता। उन्होंने दो बातें मेरे बारे में कहीं हाउस रेंट के सिलसिले में। मैंने एक सवाल उठाया था। मैं यह चाहता था कि हाउस अच्छी तरह से इस पर विचार कर ले।

श्री अध्यक्ष---मैं इसको पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं कहता। मैं आप से बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं। पर्सनल एक्सप्लेनेशन तो यह है कि कोई आप की बात जो आप ने यहां पर कही उसको यहां पर मिसरेप्रिजेंट कर दिया हो या समझ में बात न आयी हो तो वह चीज आप कहिये कि यह चीज मिनिस्टर साहब कहते हैं और मैंने यह नहीं कहा तो यह चीज तो पर्सनल एक्सप्लेनेशन हुई, लेकिन उस पर टीका-टिप्पणी तो नहीं हो सकती। पहले पर्सनल एक्स्प्लेनेशन दीजिये कि उन्होंने आप की कही हुई कौन-सी बात मिसरिप्रेजेंट की है।

श्री मोहनलाल गौतम---अगर मैं यह कह दूं कि उन्होंने मुझे गलत समझा।

श्री अध्यक्ष---आप कहें कि किस गलत बात को उन्होंने कहा।

श्री मोहनलाल गौतम---उन्होंने क्या कहा वह तो मेरे पास पूरा नहीं है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि पर्सनल एक्सप्लेनेशन किसी दूसरे रोज दीजिये। आप के सम्बन्ध में उनकी स्पीच का जो वह अंश है वह मैं आप के पास भिजवा दूंगा उसको देखने के बाद फिर शायद किसी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी।

श्री मोहनलाल गौतम---लेकिन अर्ज यह करना है कि एक महीने के लिये हाउस उठ रहा है।

श्री अध्यक्ष---लेकिन बगैर जाने हुये मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन का मौका दे दूं तो कैसे दे दूं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री राजनारायण को बुलाने पर)

श्री मोहनलाल गौतम---आपने मुझे मौका नहीं दिया तो क्या मेरी स्पीच भी खत्म हो गयी।

श्री अध्यक्ष---आप अपनी स्पीच जारी रख सकते हैं अगर आप चाहें। अमेंडमेंट्स के बारे में आप स्पीच दे सकते हैं।

(इसके बाद श्री मोहनलाल गौतम ने भाषण नहीं दिया।)

श्री राजनारायण---जो श्री कृष्ण शरण जी आर्य का संशोधन स्वीकार किया गया है उसी के सम्बन्ध में कुछ थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। इस संशोधन को स्वीकार करके सही मानों में जो भाव हम लोगों की ओर से व्यक्त किये गये हैं उनकी ओर सरकार ने कतई ध्यान नहीं दिया है। एक तो मैं यह चाहता था कि राज्य सरकार या माननीय आर्य जी जो भी चाहते हों क्या प्रबन्ध रहे उसे पहले ही बतला देते। ये तो यह कहने जा रहे हैं कि इस सदन के सम्मानित सदस्यों को बिना किराया दिये हुए ऐसे भवन में आवास के प्रयोग का भी अधिकार होगा जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ घोषित किया गया हो। ऐसा संशोधन है जिसे इस सरकार ने माना है। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तो जिस रूप में यह संशोधन है मैं उसका घोर विरोध करता हूं और दूसरे इस संशोधन के जरिये ऐसी बात कर दी गई है जो स्पष्ट नहीं है और उस बात के स्पष्ट न रहते हुए भी सदन के माननीय सदस्यों ने माननीय आर्य जी के संशोधन पर अपनी स्वीकृति दे दी। माननीय कृष्ण शरण आर्य जी के संशोधन के मुताबिक इस सम्मानित सदन के सदस्य जब तक वे इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं तब तक लखनऊ में रहें, बिना

[श्री राजनारायण]

किराया देते हुये उनको मकान मिलेगा और उसमें रहने के वे अधिकारी होंगे। मगर रहने का अधिकार होगा राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन। अब वह नियम क्या राज्य सरकार बनायेगी जो माननीय उपाध्याय जी ने इसका समर्थन करते हुए अपनी शंका पेश की? माननीय राजनारायण जी ने कहा था कि माननीय मदन-मोहन जो कोई संशोधन रख दें और संशोधन रख कर यदि इसका समर्थन करें तो बात साफ हो सकती है। सरकार नियम बना दे कि हम कमरे में मुफ्त रहेंगे मगर पंखे का खर्चा, बिजली का खर्चा या फर्नीचर का खर्चा या चारपाई का किराया हम वसूल करेंगे और यह सारी बातें कर के जो वर्तमान जमाने में सदस्यों को देना पड़ता है उसके समक्ष सरकार ला दे तो एक तरफ से सदन के सम्मानित सदस्य जो यह समझ कर समर्थन किये हुए हैं कि उनको सुभीता मिलेगा उनको उल्टे असुविधा हो जायगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस संशोधन के विरोध में जो माना गया है मूवर की ओर से उसको न रक्खा जाय क्योंकि यह सदन के सम्मानित सदस्यों के लिये एक बड़ा बोझ होगा। मैं यही चाहता हूं कि सरकार ऐसा नियम न बनाये जिससे कि वर्तमान समय में जो सदस्यों को संकुचित फैसिलिटीज हैं या जितना किराया माननीय सदस्यों को देना पड़ता है उससे ज्यादा देना पड़े। माननीय सदस्यों को आज जो किराया देना पड़ता है उससे हम कम भी नहीं चाहते, उतना ही देना पड़े। इस संशोधन के अन्दर यदि नियम और उप नियम बनाते वक्त इस बात का ध्यान रक्खें तब तो कुछ अर्थ होगा वर्ना अर्थ का अनर्थ हो जायगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---इस अमेंडमेंट का असर क्या होगा उस पर हम अपने विचार तो प्रकट कर ही सकते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। माननीय राज-नारायण जी ने जो बात कही बिल्कुल ठीक कही और उसका असर अवश्य होने वाला है कि हमको ज्यादा रुपया देना पड़ेगा और देना चाहिये। मैं खुद इस बात को जानता हूं और मैंने उसे संशोधन के समय कहा था कि इसका क्या नतीजा होगा। हमको अगर फ्री मकान मिल गया और बिजली का चार्ज हमसे लिया गया तो नतीजा यही होगा कि जिनको हम अपनी गैर हाजिरी में रख जाते हैं वे उस कमरे में नहीं रहने पायेंगे क्योंकि बिजली का खर्चा पड़ेगा और जिनको रख जाते हैं उनसे वह वसूल होना मुश्किल हो जायगा। इस वजह से दारुलशफा साफ रहेगा। जो नियम माननीय मंत्री जी ने बनवाया था कि बाहर वाले न रहें वह भी कार्य रूप में परिणत हो जायगा। हम चाहते हैं कि हमारा स्टेटस हमारी पोजीशन आज यह डिमान्ड करती है कि जहां पर विधायक निवास में हम लोग रहते हैं ठीक तरह से रहें और इसी से राजनारायण जी ने ऐसी बात कह दी। एक तरफ तो वे गरीब जनता की बात करते हैं कि उसे नुकसान होगा और उसी गरीब जनता का ढाई लाख रुपया हम बचाना चाहते हैं जिसको वह भी बचाना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी उन नियमों को बनाते वक्त यह ध्यान में रक्खें कि धर्म-शाला वगैरह में भी बिजली का किराया, चारपाई का किराया पड़ जाता है। चारपायी अलग लेते हैं तो पैसा अलग देना पड़ता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि मकान अवश्य फ्री मिलें लेकिन जनता का ढाई लाख रुपया जो बिजली में बरबाद कर रहे हैं और दूसरी चीजों में जो जनता का रुपया खर्च हो रहा है वह कम हो सके। इसलिये मकान तो फ्री हो जाय, लेकिन बिजली का खर्चा जरूर हमसे लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा सचिवों का (वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उप-बन्धों का) विधेयक, १९५५ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश मंदिर तथा धार्मिक निबन्ध (प्रशासन) विधेयक, १९५५

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मंदिर तथा धार्मिक निबन्ध (प्रशासन) विधेयक, १९५५ को जनता की राय प्राप्त करने के लिये घुमाया जाय।

मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में ज्यादा समय सदन का नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस विधेयक के बारे में माननीय सदस्यगण सभी सहमत होंगे कि इस तरह का विधेयक हमारी इस विधान सभा में आना चाहिए और इसकी उपयोगिता और इसकी आवश्यकता के बारे में भी मैं समझता हूं कि मुझ से सहमत होंगे।

इसका इतिहास यह है कि १९४९ में जो पुराना सदन था उसमें एक प्रस्ताव रखा गया था जिसको गवर्नमेन्ट ने उस वक्त आश्वासन देकर वापस करवा लिया था कि इस तरह का विधेयक लाने की कोशिश की जायगी और जांच की जायगी कि आज इन धार्मिक संस्थाओं की क्या स्थिति है। इस सम्बन्ध में एक स्पेशल आफिसर भी गवर्नमेंट ने नियुक्त किया था और वह स्पेशल आफिसर यद्यपि पूरी रिपोर्ट अपनी नहीं दे सका कुछ जिलों में ही जा सका और थोड़ी सी रिपोर्ट दी। उसके आधार पर यह मालूम पड़ा कि इस तरह का विधेयक लाने की आवश्यकता है। इसी कारण यह विधेयक लाया जा रहा है। इसके अलावा आमतौर से सभी माननीय सदस्य जानते होंगे और मैं समझता हूं कि सभी सदस्य सहमत होंगे कि कुछ न कुछ सुधार इन संस्थाओं में करने की जरूरत, कुछ न कुछ नियन्त्रण करने की आवश्यकता है जिससे जिस भाव से प्रेरित होकर दानी पुरुष ऐसी संस्थाओं को धन देते हैं वह भावना जागरित रहे और उसको पूरा किया जाय। यह मेरा विचार है। जांच के दौरान में भी मालूम हुआ और वैसे भी हम लोगों का कुछ न कुछ सम्बन्ध ऐसी संस्थाओं से रहता है इनमें कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं, जो अच्छा काम करती हैं लेकिन बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो धन का व्यय जिस उद्देश्य के लिये उसका व्यय होना चाहिए नहीं करतीं। तो सभी की राय है कि ऐसी संस्थाओं पर कुछ न कुछ नियन्त्रण अवश्य हो। मैं यहां साफ कह देना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि उनके ऊपर कोई कब्जा किया जाय और उनके धन का किसी और कार्य के लिए प्रयोग किया जाय। सिर्फ इतनी ही मंशा है जैसा कि बिल के देखने से माननीय सदस्यों को मालूम पड़ेगा कि जहां ऐसा दुरुपयोग होता है उसकी जांच की जाय और उसके नियमों को ऐसा बनाया जाय जिससे उस धन का उपयोग जिस कार्य के लिये होना चाहिए उसी के लिए वह हो सके। यह इसका उद्देश्य है। सम्भव है कि गलतफहमी पैदा हो इस विधेयक के लाने से कि गवर्नमेन्ट का कोई इरादा इस तरह की संस्थाओं के ऊपर कब्जा करने का है या इसका धन किसी और काम में लगाने का। यह गलतफहमी दूर करने के लिये मैंने मुनासिब समझा कि इसका मैं ऐलान कर दूं। इसमें चार चैप्टर हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि विधेयक सबके सामने है।

आचार्य जुगलकिशोर—मैं चाहता हूं कि इस को जनता की राय लेने के लिए घुमाया जाय और इसके बाद जो कुछ उसकी राय होगी उस पर विचार होगा और हम उस समय इस के ऊपर ज्यादा विस्तार से बहस कर सकते हैं।

---

*१९ अगस्त, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव में संशोधन रखने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपसे और माननीय मंत्री महोदय से चाहता हूं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और जल्दी में यह जनमत के लिए चला जायगा। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इस पर बाद में काफी वादविवाद करने का मौका मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष---यह तो सेलेक्ट कमेटी में जाता तो यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता था जनमत के लिए जाता है उसमें जो जनमत बाद में आयेगा उसके ऊपर भी विचार सदस्य कर सकते हैं।

श्री गंगाधर मैठाणी---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश मन्दिर तथा धार्मिक निबन्ध (प्रशासन) विधेयक, १९५५ पर जनमत तीन महीने के अन्दर संग्रहीत कर लिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने जो विधेयक रखा है यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह आज से नहीं बल्कि बहुत परम्परा से और इसी देश में नहीं बल्कि अन्य देशों में भी एक विवादास्पद विषय रहा है। अभी जब माननीय मंत्री महोदय ने विधेयक प्रस्तुत किया है उसके उद्देश्य और कारण में हम देखते हैं यह लिखा है कि सन् १९३९ से सरकार का ध्यान इसके ऊपर गया है। लेकिन इसके इतिहास को हम देखते हैं तो बहुत पहले से सरकार का ध्यान इस पर था क्योंकि इसके पहले बद्रीनाथ मन्दिर ऐक्ट १९३९ में पास हो चुका था। क्योंकि वह एक धार्मिक संस्था है और उसके बाद भी केदार नाथ और अन्य सम्बन्धित मन्दिरों को बद्रीनाथ ऐक्ट के अधीन जोड़ दिया गया था। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय अभी हमारे पास एक छोटी सी शायद सरकार की तरफ से, विज्ञप्ति मिली है, जो कि यहां पर हमें बंटी है। यद्यपि उसमें किसी के दस्तखत नहीं हैं, उसके देखने से मालूम हुआ शायद सरकार की तरफ से बंटी है क्योंकि न तो उसमें किसी का नाम है और न यह लिखा गया है कि किसकी तरफ से बंटी है। यह दुख का विषय है। जहां तक मंदिर का इसमें विषय लिखा गया है....

श्री अध्यक्ष---यह क्या आप पढ़ रहे हैं ?

श्री गंगाधर मैठाणी---अध्यक्ष महोदय, यह एक पर्ची गवर्नमेन्ट की तरफ से बंटी है। लेकिन ऐसा विदित होता है कि माननीय मंत्री महोदय की तरफ से बांटी गई है यद्यपि इसमें दस्तखत होने चाहिये थे। उसी से हम अन्दाज लगाते हैं कि इस विधेयक पर उतना ध्यान सरकार की ओर से नहीं दिया गया है जितना दिया जाना चाहिये था। उसमें लिखा हुआ है कि सन् १९५० में एक स्पेशल आफिसर.....

श्री अध्यक्ष---मैं जानना चाहता हूं कि यह पर्ची कहां बंटी है।

आचार्य जुगलकिशोर---यह विभाग की तरफ से बंटी है। मुझे खेद है कि इसमें किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं। यह अभी २ बजे के करीब बांटा गया था और उसी वक्त छापेखाने से आया था।

श्री गंगाधर मैठाणी---अध्यक्ष महोदय, यह मन्दिर और धार्मिक निबन्ध विधेयक बनने जा रहा है और जब इसको सूक्ष्म रूप दिया तो हम यह देखते हैं कि उद्देश्य और कारण से यह मालूम पड़ता है कि यह समस्त उत्तर प्रदेश में जितने भी धार्मिक सम्प्रदाय होंगे उनके लिये यह विधेयक बनाया जा रहा है। लेकिन जब इसके प्रारम्भ के दूसरे खंड को देखते हैं उससे यह मालूम होता है कि सिर्फ हिन्दू धार्मिक संस्थाओं पर लागू होगा ऐसा इसमें लिखा गया है। वास्तव में इसके उद्देश्य और जो हेडिंग है और उसके बाद जो दूसरा चैप्टर दिया गया है उसमें अन्तर हो जाता है। यह चीज माननीय मंत्री को देखने की आवश्यकता है क्योंकि यह जनमत के लिये जायगा और इसमें कोई भ्रम

न हो जाय क्योंकि हिन्दुस्तान के अन्दर हिन्दुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य लोगों की धार्मिक संस्थायें भी हैं। इससे हम समझते हैं कि इसके उद्देश्य और कारण में यह बात साफ हो जानी चाहिये थी। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत संविधान के अन्दर धारा २५ और २६ में जो धार्मिक बातों का जिक्र किया गया है उसमें एक बात देखते हैं कि जहां तक धार्मिक साइड है क्योंकि समय कम है इसलिये पढ़ना नहीं चाहता हूं लेकिन अध्याय २५ और २६ में धार्मिक संस्थाओं के मामलों के विषय में भारतीय संविधान ने अपना कानून दिया है। यह सही है कि जहां तक उसका आर्थिक पक्ष है उसके लिए यह सरकार अपना कानून बना सकती है और नियन्त्रण कर सकती है। लेकिन जहां तक उसका दूसरा धार्मिक पहलू है उस पर यह सरकार अपना कोई कानून नहीं बना सकती है। उसके लिये व्यवस्था इस विधेयक में की गई है, हम चाहते हैं और इसका हम स्वागत करते हैं कि माननीय मंत्री महोदय मन्दिर और मठों की व्यवस्था के लिये विधेयक लाये हैं। लेकिन जिस रूप में यह विधेयक लाया गया है उससे हम समझते हैं कि यह भारत के संविधान के विरुद्ध जाता है। यह मामला ऐसा नहीं है जैसे कि अन्य मामले हों क्योंकि इससे काफी लोगों पर असर पड़ेगा जैसे कि बहुत से मठों के अधिकारी हैं और महन्त लोग हैं जो कि आगे इसमें लिटिगेशन कर सकते हैं और यही विधेयक चैलेन्ज भी हो सकता है और अल्ट्रावायरिस भी डिक्लेयर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से यह विधेयक बनाया गया है उससे यह सम्भावना उठ सकती है। पहले मैंने एक बात कही थी कि यह विधेयक जैसा कि इसका टाइटिल है और उद्देश्य और कारण में लिखा गया है और जो दूसरे पेज में लिखा गया है समस्त हिन्दुओं के लिये लागू होगा। लेकिन हिन्दुओं की परिभाषा जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद २५ के एक्सप्लेनेशन २ में दी गई है, उसमें बुद्ध, जैन, सिख सभी आते हैं। लेकिन यहां पर इस विधेयक के अन्दर बुद्ध सम्प्रदाय और अन्य सम्प्रदाय छोड़ दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त जहां तक हिन्दू शब्द का अर्थ है मैं समझता हूं कि जो हिन्दू मैरिज ऐक्ट, १९५५ बना है उसमें हिन्दू शब्द की जो परिभाषा की गई है वह परिभाषा ले ली जाती तो ज्यादा उपयुक्त होता। हिन्दू के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है, बहुत से लोग आर्यसमाजी होंगे, अगर यह बात आयेगी कि यह कानून उनके ऊपर लागू कर दिया जाना चाहिए.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जब इसके ऊपर विचार होगा तब आप यह सब बातें रख सकते हैं। अभी तो विचार नहीं हो रहा है। अभी तो केवल इतना है कि इस तरह के अगर बिल की आवश्यकता आप समझते हैं तो यह जनमत के लिये भेज देना चाहिए और आपका संशोधन भी यही है और अगर आप आवश्यकता नहीं समझते हैं तो आप इसके बारे में टीका कर सकते हैं कि यह बात गलत है लेकिन उसके डीटेल्स पर आप नहीं विचार कर सकते।

श्री गंगाधर मैठाणी—अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने इसका समर्थन किया है कि इसको पास होना चाहिए। हम इसको मानते हैं कि ऐसा एक कानून बनना चाहिए और जो मैंने संशोधन रखा है वह इसलिये रखा है क्योंकि इसके उद्देश्य और कारण में जो लिखा गया है उसकी तरफ गवर्नमेन्ट का ध्यान पहले से ही रहा है। हमने देखा कि एक एन्डाउमेन्ट कमेटी बैठी थी और उस कमेटी की रिपोर्ट जो सन् २८ में बैठी थी, उसकी रिपोर्ट सन् २९ में पेश हुई। बड़ी एग्जास्टिव रिपोर्ट है। उससे पूर्व भी हमने देखा कि डाक्टर सुखवीर जी ने भी एक बड़ी लम्बी चौड़ी पुस्तक लिखी है और उसमें काफी हिन्दुओं के धर्मादायों पर जिक्र किया है। उसके डीटेल्स में मैं इस समय नहीं जाना चाहता क्योंकि वह बहुत विस्तृत है और इस समय शीघ्रता है। लेकिन दो चार बातें मैं कहना चाहता हूं। यह तमाम उत्तर प्रदेश में लागू होगा और तमाम हिन्दू सम्प्रदाय के लिए लागू होगा। अगर ऐसी बात है तो सब सम्प्रदाय अलग-अलग

[श्री गंगाधर मैठाणी]

लिखने चाहिए थे। मान लीजिए आर्य समाजी हों या कोई दूसरे हों अगर वह चैलेंज करें कि वह हिन्दू नहीं हैं तो शायद यह साबित हो जाय कि वह हिन्दू नहीं हैं। दूसरी बात जो इस परचे में कही गई है वह यह है कि कौन से धर्मादय हैं और कौन से नहीं हैं। जहां तक मैंने इसके अन्दर देखा धर्मादय में सिर्फ मठ और मन्दिरों को ले लिया गया है लेकिन उसके अतिरिक्त बहुत से और धर्मादा क्षेत्र भी हैं, गौशालायें हैं, वह सब इसमें आने चाहिए थे। इसके बाद एक बात अध्यक्ष महोदय, चूंकि शीघ्रता की जा रही है और कहकर समाप्त करूंगा कि जो कानून उत्तर प्रदेश के लिए बने, वह एक यूनिफार्म कानून सबके लिये हो क्योंकि बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए कानून बनाया गया है, अगर उस इलाके का जनमत भी आप लें तो वहां के लोगों की भी यही भावना आपको मिलेगी कि जो कानून बने वह सबके लिए एक ही हो। दूसरी बात यह है कि ऐसा मालूम पड़ता है इस विधेयक को देख करके कि इस राज्य का धर्म जो है वह एक हिन्दू धर्म हो गया है क्योंकि इसके लिए एक कमिश्नर नियुक्त होगा जो सब काम करेगा। चाहिए तो यह था कि हिन्दू धर्म का एक रिप्रिजेंटेटिव बोर्ड बना दिया जाता जो बोर्ड इस कानून के अनुसार समस्त धर्मादयों का कार्य करता रहता। इतना कहते हुए मैं माननीय मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं कि वह इस प्रकार का एक कानून लाये हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कहीं यह न आ पाये, इसलिये मैं यह कह रहा हूं कि मेरा जो संशोधन है वह स्वीकार कर लिया जाय।

(इस समय ५ बजकर ५१ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता श्री महीलाल पीठासीन हुये।)

आचार्य जुगल किशोर---श्रीमन् मैं यह कह देना चाहता हूं कि जो संशोधन माननीय सदस्य ने रखा है वह मैं स्वीकार करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, चूंकि माननीय मंत्री जी ने संशोधन स्वीकार कर ही लिया है इसलिये वे बधाई के पात्र हैं, लेकिन जहां तक विधेयक का प्रश्न है मुझे ऐसा लगता है कि जब यह जनमत के सम्मुख जायेगा तो जनमत इसके सिद्धान्तों को स्वीकार करते हुये भी बड़ी कठोरतापूर्वक इसे ठुकरायेगा। पहला विधेयक जो इस सदन के द्वारा जनमत के लिये भेजा जाय वह इतना अधकचरा हो यह बड़े आश्चर्य की बात है। ज्यादा न कहकर मैं केवल एक बात की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उनको अच्छी तरह से पता है कि १८६३ में चैरिटेबिल और रेलिजस एन्डाउमेंन्ट्स के बारे में एक ऐक्ट केन्द्र में बना था जो कि अभी तक प्रचलित है और उस ऐक्ट के अनुसार केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने इस नीति को मान लिया है कि वे रेलिजस और चैरिटेबिल एन्डाउमेंट्स में स्टेट इंटर-फियरेन्स नहीं करेंगी। बद्रीनाथ ऐक्ट में स्पष्टतः लिखा हुआ है कि १८६३ का ऐक्ट जहां पर इसके खिलाफ जाता है वहां वह लागू नहीं होगा लेकिन इस विधेयक में जो १८६३ के ऐक्ट के खिलाफ बन रहा है यह कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप बताइये कि यह कितना बड़ा अवैधानिक कार्य है।

इसके अलावा दो चार बातें और हैं। सारे प्रान्त में जो वक्फ के मामले होते हैं उनको वक्फ बोर्ड तय करता है। इस विधेयक में कोई बोर्ड बनाने की व्यवस्था नहीं है। एक कमिश्नर को इसमें सारे अधिकार दे दिये गये हैं। तो मुसलमानों में जहां वक्फ का सवाल आता है उसको तो तय करता है वक्फ बोर्ड और जहां जैन, सिख और हिन्दू, इन तीनों के रेलिजस और चैरिटेबिल एन्डाउमेंट्स का सवाल होगा उसके लिये कोई बोर्ड नहीं। तो ऐसे सिद्धान्त जिनको जनमत कभी भी स्वीकार नहीं करेगा आप इस विधेयक के द्वारा प्रतिपादित करने जा रहे हैं। असिस्टेन्ट कमिश्नर इस

विधेयक पर छाया हुआ है वह एरिया कमेटीज पर हावी है । १८६३ के ऐक्ट को भी रिपील नहीं किया गया है । इसलिये मैं इन तमाम बातों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुये यह निवेदन करता हूं कि वे इस विधेयक को ऐसा बनायें जिससे जनमत उसे ठुकराये नहीं ।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---मैं चाहता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन् मैं पहले भी खड़ा हो चुका था और माननीय अध्यक्ष मुझे बुलाने जा रहे थे ।

अधिष्ठाता---अच्छा बोलिये ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जल्दी में संशोधन को स्वीकार कर लिया । मैं चाहता था कि हमारा भी संशोधन प्रस्तुत हो जाता और उस पर भी वे विचार करते तब समझते कि किस तरह से संशोधन को स्वीकार किया जाय । मैं इस संशोधन पर संशोधन रख रहा हूं । माननीय गंगाधर मैठाणी ने जो संशोधन रखा है उसमें उन्होंने तीन माह का समय तो अवश्य निर्धारित किया है यानी माननीय मंत्री जी का जनमत संग्रह करने के लिये विधेयक को भेजने के लिये उनका कुछ इम्प्रूवमेंट है अवश्य, इसमें कोई सन्देह नहीं है ।

अधिष्ठाता---आपने लिखित संशोधन भेजा नहीं है ।

श्री राजनारायण---लिखा हुआ रखा है श्रीमन्, अभी सेवा में उपस्थित करता हूं । मैं चाहता हूं कि काफी विलम्ब हो चुका है यदि तीन महीने में जनमत संग्रह के लिये यह विधेयक भेजा जायगा तो यह निश्चित नहीं है कि सदन की अगली बैठक में आ सके विचार विनिमय के लिये, इसलिये मेरा संशोधन यह है कि :-"सदन निश्चित करता है कि अगली बैठक के पूर्व ही इस विधेयक पर जनमत संग्रह कर लिया जाय ताकि अगली बैठक में विधेयक पर अवश्य विचार हो ।" श्रीमन्, आप और सदन के सम्मानित सदस्य इस बात से सहमत हैं कि इस विधेयक के लाने की चर्चा कर के सरकार ने बहुत से लोगों पर इस कार्यवाही पर रोकथाम लगाने की कोशिश की जैसे कि प्रसंगवश काशी में विश्वनाथ मन्दिर की बात कही जाती है और जब आन्दोलन चला और हरिजनों के मन्दिर में प्रवेश करने के लिये कहा और बहुत से कांग्रेसी एम० एल० एज० जो हरिजन हैं उन्होंने समाचार पत्रों में चर्चा की कि वह अगुआई करेंगे । लेकिन वहां किस तरह का पुलिस का व्यवहार हुआ और किस तरह से उनके कार्यों में बाधा उपस्थित की, उसकी शिकायत माननीय मंत्री जी की सेवा में रखी गई थी । उस समय उन्होंने यह कहा था कि हम एक ऐसा विधेयक लाना चाहते हैं । जिसमें हमारे मन्दिर या धार्मिक संस्थायें हैं जिनमें कुप्रबन्ध हुआ है जिनमें बुराइयां और खामियां हैं, उनका निराकरण हो सके । इसका उन्होंने बार बार आश्वासन दिया है और श्रीमन्, मैं आप की जानकारी के लिये बतला दूं कि.....

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---अपना संशोधन तो पढ़ दीजिये ।

श्री राजनारायण---संशोधन पढ़ दिया गया, जिनके कान होंगे, सुना होगा ।

अधिष्ठाता---आप अपना वक्तव्य जारी रखें ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, इस तरह की बहुत सी बुराइयां हो रही हैं और जो मंदिरों में हरिजनों का प्रवेश निषिद्ध है उसकी रोकथाम होनी चाहिये या तो सरकार साफ़ कहे कि सरकार की मंशा है कि हरिजन मंदिरों में प्रवेश न करें तो माना जा सकता है ।

[श्री राजनारायण]

सरकार साफ़ कहे कि जो कुप्रबन्ध है या मन्दिरों तथा धार्मिक संस्थाओं की आमदनी का दुरुपयोग हो रहा है उस पर सरकार रोकथाम लगाना नहीं चाहती है, बस कहना चाहती है कि ऐसा विधेयक आयेगा, फिर जो चाहे करें। बहुत सा समय व्यतीत हो चुका है, और सात साल हो चुके हैं और सरकार का ध्यान इधर नहीं गया। सरकार ने अब तक जनमत संग्रह करने की कोशिश क्यों नहीं की? सरकार ने ऐसे विधेयक को कानून में परिणत करने की कोशिश क्यों नहीं की? यह सरकार की उदासीनता और लापरवाही का सबूत है। इसलिये इसकी धाराओं की विवेचना किये बिना मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार अब अपने को तनिक बांधे और इतना निश्चित कर दे कि सदन की जो अगली बैठक होगी तो उसमें सबसे पहले यह विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत होगा और इस पर विचार किया जायगा वरना एक महीना, दो महीने और तीन महीने की परिधि बांधने से कोई अर्थ नहीं होगा।

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि १४ विद्यार्थी जो हरिजन हैं उनका दस्तखत किया हुआ पत्र हमारे पास मौजूद है। यह चार दिन से लखनऊ में पड़े हैं, यह कानपुर के रहने वाले हैं, उनको छात्रवास में भोजनालय में नहीं जाने दिया जाता है और जब उनको शिक्षा मंत्री और मुख्य मंत्री के पास भेजा जाता है जैसा कि उन्होंने लिखा है कि वह शिक्षा मंत्री माननीय हरगोविन्द सिंह और डिप्टी मिनिस्टर श्री सीताराम, वह सब के पास हो आये हैं माननीय मुख्य मंत्री के पास हो आये हैं। मगर आज विधान को कार्य रूप में तोड़ा जा रहा है। इसलिये यहां काफी बातें देखी जाती हैं। हर तरीके से ऐसे काम सरकार की ओर से नहीं होने देना चाहिये जिनसे छुआछूत और जातिपांति का नंगा स्वरूप प्रकट होता हो।

श्रीमन्, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अब इस तरह का विधेयक जरूर यहां पर सरकार प्रस्तुत करे जिससे कि जो यह समाज के अन्दर अलगाव की भावना बढ़ने की कोशिश हो रही है, जो समाज के अन्दर कोई मन्दिर बना कर यह रखा जाता है कि यह सवर्ण के लिये है, यह अछूत है इसको आने न दिया जाय, इस तरह की बातें समाप्त हो जायं। इस तरह से कोई बात अब नहीं होनी चाहिये और इनको ज्यादा समय तक बरदाश्त नहीं करना चाहिये। इसके लिये काफी समय बीत चुका है। अब हमको अविलम्ब यह काम करना चाहिये ताकि समाज के अन्दर छुआछूत तुरन्त बन्द की जा सके। अब इस तरह के प्रश्न सामने नहीं होने चाहिये जिनसे यह मालूम हो कि आज सवर्णों के अन्दर किसी प्रकार से छुआछूत है। यह अछूत है, यह सवर्ण है, इस प्रकार की भावना समाप्त होनी चाहिये। हम सब इन्सान हैं। सबको बराबर सदैव अवसर प्राप्त होना चाहिये। प्रत्येक को बराबर का अवसर मिलना चाहिये। आज तो हमारे प्रदेश में छुआछूत का भूत मूर्तिमान स्वरूप में खड़ा हुआ है। सरकार ने जो इसमें देर की है वह काफी देर हो चुकी है। अब कोई देर नहीं होनी चाहिये। इसलिये हम अपने संशोधन के द्वारा सरकार से यह निवेदन करेंगे कि वह इतने ही समय के लिये जनमत प्राप्त करने हेतु इस विधेयक को भेज दे जब तक यह सदन फिर से मिले। जनमत प्राप्त होने के बाद इस पर जो विचार किया जायगा तो वह सुचारुरूप से विचार हो सकेगा। तब यहां पर उसको कानून की शकल देनी चाहिये?

(इस समय ६ बजकर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आचार्य जुगलकिशोर---अब मुझे ज्यादा इसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है जब कि यह जनमत प्राप्त करने के लिये जा रहा है। जो आपत्ति होगी उसके सम्बन्ध में तब विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चित करता है कि उत्तर प्रदेश मन्दिर तथा धार्मिक निबन्ध (प्रशासन) विधेयक, १९५५ को तीन महीने के अन्दर जनमत संग्रहीत करने के लिये घुमाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी संबंधी विशेषाधिकार तथा विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट पर विवाद समाप्त करने के संबंध के संकल्प

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जनाबवाला, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उन परिस्थितियों को जिनके कारण श्री नारायण दत्त तिवारी विशेषाधिकार का प्रश्न सदन में लाये तथा विशेषाधिकार समिति को सम्बोधित श्री बी० एन० टंडन भूतपूर्व एस० डी० एम० काशीपुर के २८ मई, १९५४ के पत्र के आशय को ध्यान में रखते हुये सदन संकल्प करता है कि अब विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट पर जो संकल्प सदन में वादविवाद के लिये उपस्थित है उस संकल्प पर विवाद तथा विशेषाधिकार के प्रश्न को समाप्त किया जाय। इस बात की चर्चा एक दफ़ा सदन में हो चुकी है और .....

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि जिस समय यह रिपोर्ट आयी थी उस समय आप ने कहा था कि आप इसके ऊपर रूलिंग देंगे।

श्री अध्यक्ष---यह बात तय हो गई थी कि नारायणदत्त तिवारी जी और माननीय वित्त मंत्री जी आपस में बात कर लेंगे और यदि उनके समझौते से कोई संकल्प लाया जाय तो फिर मेरी रूलिंग की जरूरत नहीं रहेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, श्री अब्दुल मुईजखां ने एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाया था और आपको उस सम्बन्ध में रूलिंग देनी थी।.....

श्री अध्यक्ष---मैंने वित्त मंत्री जी के कहने पर यह कहा था और उसी हिसाब से यह प्रस्ताव आया है।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि उन परिस्थितियों को जिनके कारण श्री नारायण दत्त तिवारी विशेषाधिकार का प्रश्न सदन में लायें तथा विशेषाधिकार समिति को सम्बोधित श्री बी० एन० टंडन, भूतपूर्व एस० डी० एम०, काशीपुर, के २८ मई, १९५४, के पत्र के आशय को ध्यान में रखते हुये सदन संकल्प करता है कि अब विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट पर जो संकल्प सदन में वाद-विवाद के लिये उपस्थित है उस संकल्प पर विवाद तथा विशेषाधिकार के प्रश्न को समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार स्वीकृत हुआ :---

पक्ष में---६१

विपक्ष में---१।)

वाराणसीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५ को विचारार्थ लेने का सुझाव

श्री नारायणदत्त तिवारी---अध्यक्ष महोदय, वाराणसीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष---उसे वे अभी उपस्थित नहीं कर रहे हैं ।

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)---उपस्थित न किये जाने का कारण यह है कि ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के नामों की सूची अभी तैयार नहीं है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अलमोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि अभी १५ मिनट का समय बाक़ी है, माननीय मंत्री जी बिल को पेश कर दें और माननीय नारायण दत्त जी तिवारी का प्रस्ताव कि वह सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय वह पास हो जाय और सेलेक्ट कमेटी से आने के बाद उस पर बहस हो सकती है ।

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)---दिक्कत यह है कि ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के लिये कौंसिल और यहां से दोनों जगहों से नाम पास होने चाहियें । इसलिये उसके इस वक्त पेश करने में दिक्कत है ।

श्री अध्यक्ष---उनका तो प्रस्ताव प्रवर समिति के बारे में है ।

श्री मंगलाप्रसाद---मेरी माननीय शिक्षा मंत्री से बातचीत हुई थी । उनका विचार है कि इसमें ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी होनी चाहिये । क्योंकि कौंसिल वाले भी डिमांड कर सकते हैं । ऐसा मुनासिब नहीं होगा । यदि आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है तो हमें पेश करने में कोई एतराज नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---तो फिलहाल इसको रहने दीजिये ।

सत्रावसान की घोषणा

श्री अध्यक्ष---आज की बैठक के समाप्त होने के पहले मैं इस बात को बता देना चाहता हूं कि सत्रावसान भी होगा । इसके बारे में राज्यपाल महोदय से जो संदेश आया है वह इस प्रकार है ---

"भारत के संविधान के अनुच्छेद १७४ के खंड (२) के उपखंड (ए) द्वारा मिले अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा का सत्रावसान १८ जनवरी, १९५६ की बैठक की समाप्ति से करते हैं ।"

(इसके बाद सदन ६ बजकर १६ मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गया ।)

मिटठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
१८ जनवरी, १९५६ ।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१८ पर)

जिलों की सूची

१—इलाहाबाद
२—सहारनपुर
३—वृन्दावन
४—देहरादून
५—हाथरस
६—गोरखपुर
७—फैंजाबाद
८—शाहजहांपुर
९—कानपुर
१०—रामपुर
११—लखनऊ

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ट ६२६ पर)

सूची (क)

सबसिडी योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त ऐलोपैथिक डाक्टरों की सूची

स्थान	जिला	कब से
१—बाराचीना	अल्मोड़ा	सन् १९४८ से
२—रामगंज	प्रतापगढ़	,,
३—जयहारीखाल	गढ़वाल	,,
४—रामगढ़	नैनीताल	,,
५—ज्योलीकोट	.. .. ..	..
६—ऐहार	रायबरेली	,,
७—शेरगढ़	मथुरा	,,
८—वरहपुर	बिजनौर	,,
९—लालधंग	.. .. ..	..
१०—नूरपुर	.. .. ..	..
११—पाली	कानपुर	,,
१२—मतियार	बलिया	,,
१३—रागतलाब	बनारस	,,
१४—बेनीगंज	हरदोई	,,
१५—साहसपुर	देहरादून	,,
१६—कालसी	.. .. ..	..
१७—बुधी	.. .. ..	..
१८—मऊऐमा	इलाहाबाद	,,

सूची (ख)

सबसिडी के अन्तर्गत सहायता प्राप्त होमियोपैथिक डाक्टरों की सूची

स्थान	जिला	कब से
१—रशीदाबाद	फर्रुखाबाद ..	सन् १९५५से
२—अगवानपुर	मुरादाबाद	,,
३—धामनगंज	इलाहाबाद	,,
४—मछरहटा	सीतापुर	,,
५—चिरियाकोट	आजमगढ़	,,
६—जटाहा	देवरिया	,,
७—विलाटीकरके	झांसी	,,
८—मीरक नगर	लखनऊ	,,
९—ईंट गांव	..	..
१०—जलालपुर	आगरा	,,
११—नेतवार कोठी	गोरखपुर	,,
१२—मझावन	बलिया	,,
१३—कौव्या ..	इटावा	,,

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे ६२७ पर ।)

वैद्यों व हकीमों की सूची

स्थान			जिल
१—कुचेसार रोड (हापुड़)	..	वैद्य	.. मेरठ
२—नानपुर ..	..	वैद्य	.. मेरठ
३—इबराहिमाबाद ..	..	हकीम	.. बाराबंकी
४—मऊ अमिया ..	..	हकीम	.. इलाहाबाद
५—बसेरा (रानिका)	..	वैद्य	.. मुजफ्फरनगर
६—बहुबांदन ..	..	वैद्य	.. बस्ती
७—उमारदा ..	..	वैद्य	.. फर्रुखाबाद
८—बैकुण्ठपुर ..	..	वैद्य	.. देवरिया
९—तिरा ..	..	वैद्य	.. जौनपुर

संसद भवन

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२९ पर)

प्रदेश में क्षय रोग के विशेष इलाज की व्यवस्था वाले स्थानों का नाम

स्थान	शय्यायें
१—के० ई० भुवाली सेनीटोरियम	३२०
२—डाकपाथर सेनीटोरियम	८८
३—गेथिया सैनीटोरियम	६५
४—श्री ब्रजसेवा समिति सेनीटोरियम, वृन्दावन	५६
५—कस्तूरबा टी० बी० क्लिनिक तथा अस्पताल, लखनऊ	६०
६—टी० बी० सेनीटोरियम, फिरोजाबाद	२६
७—टी० बी० अस्पताल, इटावा	२८
वार्ड्स	
१—सदर अस्पताल, मैनपुरी	३
२—सदर अस्पताल, सीतापुर	४
३—सदर अस्पताल, मुजफ्फरनगर	८
४—सदर अस्पताल, बस्ती	६
५—सदर अस्पताल, बदायूं	१४
६—सदर अस्पताल, अलीगढ़	१२
७—सदर अस्पताल, बरेली	६
८—लाला लाजपतराय अस्पताल, कानपुर	२२
९—सरोजनी नायडू अस्पताल, आगरा	२०
१०—लवेट अस्पताल रामनगर, बनारस	२६
क्लिनिक्स	
१—टी० बी० क्लिनिक, मेरठ	६
२— ,, ,, मुरादाबाद	४
३— ,, ,, सहारनपुर	४
४— ,, ,, कानपुर	१२
५— ,, ,, रामपुर	६
६— ,, ,, मथुरा	
७— ,, ,, गोरखपुर	
८— ,, ,, बनारस	
९— ,, ,, देहरादून	
१०— ,, ,, इलाहाबाद	
११— ,, ,, बरेली	केवल आउट
१२— ,, ,, गोन्डा	डोर रोगियों
१३— ,, ,, कानपुर	के लिये ।
१४— ,, ,, बुलन्दशहर	
१५— ,, ,, हरदोई	
१६— ,, ,, लखनऊ	
१७— ,, ,, झांसी	
१८— ,, ,, सीतापुर	

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३१ पर)

सूची (अ)

शाहाबाद तहसील के रामगंगा के पार वाले ग्रामों तथा शाहाबाद कस्बे में दवाइयों का वितरण

१—.३ ग्राम वाली पैलूड्रीन टेबलेटें	..	..	२१,०००
२—.१ ग्राम वाली पैलूड्रीन टेबलेटें	..	..	८७,०००
३—क्योनाक्रीन टेबलेटें	..	..	२,७००
४—एक्लोकलोर टेबलेटें	..	..	३,०००
५—क्यूनीन सल्फ	..	..	६ पौंड

सूची (ब)

शाहाबाद अस्पताल में मलेरिया के सम्बन्ध में प्रयोग में लायी गयी दवाइयों का व्योरा

१—कामाक्यून टेबलेटें	..	..	५००
२—मेपाक्रीन टेबलेटें	..	..	६,०००
३—पामाग्यून	..	..	५,०००
४—क्यूनीन सल्फ	..	..	५ पौंड
५—सिनकोना फेवरीक्यूज	..	..	४ पौंड
६—पैलूड्रीन टेबलेटें	..	..	७,०००

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३५ पर)

उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिये निम्न चिकित्सालय है :—

	स्थान	शय्या संख्या	सरकारी अनुदान
१—कुष्ट चिकित्सालय	नैनी इलाहाबाद	३००	६२,६००
२— ,,	अलमोडा	१३०	१७,५००
३— ,,	चंडाल अलमोडा	११०	११,२००
४— ,,	जमूरतगंज, फैजाबाद	२५०	१४,७००
५— ,,	देहरादून	८८	२७,८००
६— ,,	रूरकी सहारनपुर	२१	२,९००
७— ,,	कानपुर	५०	१६,९००
८— ,,	मुरादाबाद	५०	५,०००
९— ,,	हलद्वानी, नैनीताल	७२	१८,१३२
१०— ,,	खीरी	१०	१,५५०
११— ,,	बहराइच (सरकारी)	२४	..
१२— ,,	श्रीनगर	२९	४,१००
१३— ,,	आगरा	५०	..
१४— ,,	लखनऊ	३५	..
१५— ,,	गोरखपुर	५०	१२,२००
१६— ,,	बनारस	४५	६,२००
१७— ,,	मुनी की रेती	११०	४,५००
१८— ,,	मेरठ (सरकारी)	४०	..
		जोड़	२,२१,२८२

इसके अतिरिक्त गोरखपुर में एक लेपरासी यूनिट कार्य कर रही है। यूनिट के डाक्टर गांव गांव जाकर कुष्ठ रोगियों का इलाज करते हैं तथा लोगों को इस रोग से बचने के तरीके समझाते हैं। इसी प्रकार की एक यूनिट बहराइच में खोलने के लिये आदेश दिये जा चुके हैं। भारतीय सरकार के पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस प्रदेश में एक स्टेडी तथा ट्रीटमेन्ट सेन्टर देहरादून में खोला जा चुका है और एक सबसीडियरी सेन्टर बनारस में भी चालू कर दी गई है। प्रदेश में ऐसे और चार सेन्टर गोरखपुर बहराइच मुरादाबाद तथा खीरी में खोलने के विषय में सरकार विचार कर रही है। ऐसे स्थान जहां पर कुष्ठ रोगियों की संख्या अधिक है वहां पर चिकित्सा संबधित सुविधाओं को उपलब्ध करने के लिये सरकार प्रयत्नशील है। सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पांच और कुष्ठ सेन्टर खोलने का प्रबन्ध किया है। इसमें से एक अगले साल अलमोडा में खोला जायगा। यह प्रस्ताव शेड्यूल के अन्तर्गत विचाराधीन है। इसके उपरान्त राजा काली शंकर घोशाल कुष्ठ आश्रम के प्रान्तीयकरण का प्रश्न भी शेड्यूल के अन्तर्गत विचाराधीन है। लखनऊ में एक कुष्ठ कालोनी खोलने का प्रबन्ध नगरपालिका की ओर से हो रहा है जिसके लिये सरकार ने २०,००० रु० का आवर्त्तक अनुदान तथा १०० एकड़ भूमि निःशुल्क प्रदान किया है।

इस वर्ष शेड्यूल में कुष्ठ आश्रम फैजाबाद, मुरादाबाद गोरखपुर तथा मुनी की रेती के अनुदान में वृद्धि का प्रस्ताव चल रहा है। यदि ये प्रस्ताव स्वीकृत हो गये तो फैजाबाद का अनुदान १४,७०० से ३६,००० मुरादाबाद का ५,००० से ७,२०० रु० गोरखपुर का १२, २०० से १६,४०० तथा मुनी की रेती का ४, २०० से १०,००० हो जायगा कुष्ठ आश्रम आगरा को इस समय कोई आवर्त्तक अनुदान नहीं मिलता है। अगले साल से इसे १५,००० रु० का आवर्त्तक अनुदान देने का प्रश्न विचाराधीन है।

लखनऊ में कुष्ठ आश्रम विश्वविद्यालय द्वारा संचालित होता है जिसके लिये लखनऊ विश्वविद्यालय को सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है।

इस समय कुष्ठ आश्रम देहरादून, बहराइच तथा गोरखपुर में शय्याओं की संख्या में वृद्धि करने का कार्य चल रहा है। कुष्ठ आश्रम देहरादून में और १२५ शय्याओं का प्रबन्ध होगा जिसके लिये सरकार ने २,२३,००० रु० का अनावर्त्तक अनुदान वर्तमान वर्ष में दिया है। कुष्ठ आश्रम बहराइच में भी २४ से बढ़ाकर १०० शय्याओं का प्रबन्ध होने जा रहा है जिसके लिये सरकार ने १,१२,००० रु० दिया है। गोरखपुर आश्रम को भी सरकार ने इस साल २७,००० रु० का अनावर्त्तक अनुदान दिया जिससे इस आश्रम में ५० और शय्याओं का प्रबन्ध होगा।

कुष्ठ चिकित्सा के प्रति सरकार प्रति वर्ष २,२२,००० रु० खर्च करती और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिये ११ लाख रुपये का प्रबन्ध है।

कुष्ठ रोग के रोकथाम के लिये १४ वैद्यों को जिला टेहरी गढवाल में ट्रेनिंग दी गई है। अल्मोड़ा जिले में राजकीय चिकित्सालयों के वैद्यों को ट्रेनिंग दिये जाने का प्रबन्ध हो रहा है।

गोरखपुर कुष्ठ आश्रम में ट्रेनिंग की बातचीत चल रही है। कुष्ठ रोग में प्रशिक्षित वैद्यों तथा हकीमों को उपयोग में लाने की योजना सरकार के विचाराधीन है।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३८ पर)

खर्चे का ब्योरा	आगरा मेडिकल कालेज					लखनऊ मेडिकल कालेज				
	१९५१–५२	५२–५३	५३–५४	५४–५५	५५–५६	१९५१–५२	५२–५३	५३–५४	५४–५५	५५–५६
१—आवर्त्तक व्यय—										
(अ) वेतन व भत्ता	४७,१७,४२	४४,६२,३७	४९,१९,५७	५३,५०,००	५८,२०,००	६४,६८,९४	७१,४६,१३	७५,२०,३८	८०,८३,०४	..
(ब) अन्य ..	१४,५९,००	२०,३९,५७	१८,१७,०८	१४,५६,६४	१६,०७,६४	५१,६५,०६	४७,५२,५६	५१,६१,५७	४७,६८,०२	..
योग आवर्त्तक व्यय	६१,७६,४२	६५,०१,९४	६७,३६,६५	६८,०६,६४	७४,२७,६४	११,६३,४००	११,८९,८६९	१२,६८,१९५	१२,८५,१०६	
२—अनावर्त्तक व्यय—										
(अ) साज सज्जा ..	२००	१७००	१,००,०००	८२,०००	६९,०९७	६२,५७	२०,६१८	३९,९९०	..	
(ब) निर्माण कार्य ..	..	..	४६,०००	३०,०००	४०,१५	२३,९२,४	५८,९८७	४५,९१९	..	
(स) आकस्मिक व्यय ..	..	..	..		२७,१५	..	..	२९५	..	
योग अनावर्त्तक ..	२००	१७००	१,४६,०००	११,२०,००	७५,८२,७	३०,१८,१	७९,६०५	८६,२०४	..	
पूर्ण योग	६१,७६,४२	६५,०३,९४	६७,५३,६५	८,२६,६६४	८५,४७,६४	१२,३९,२२७	१२,२०,०५०	१३,४७,८००	१३,७१,३१०	..

नत्थी "ज"

(देखिये तारांकित प्रश्न ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३६ पर)

जौनपुर जिले में मुख्यतः निम्नलिखित गृह उद्योग चल रहे हैं--

खादी उद्योग, करघा उद्योग, गुड़ उद्योग, चर्म उद्योग, ऊनी कालीन का काम, बीड़ी बनाने का काम, रंगाई और छपाई का काम, सुगंधित तेल का काम, कृषि औजार सम्बन्धी काम ।

सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई :

१--ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत ६,५०० रुपये की आर्थिक सहायता दी गई ।

२--खादी विकास योजना के अन्तर्गत २ खादी विकास केन्द्र खोले गये और इस उद्योग की उन्नति के लिये ४१,००० रुपया व्यय किया गया ।

३--करघा योजना के अन्तर्गत २६ बुनकर सहकारी समितियां स्थापित की की गई । १ सेल्स डिपो और रंगाईघर खोले गये ।

४--गुड़ उद्योग का कार्य इस जिले के ७२ गांवों में फैला है । उन्नत प्रकार के १२, ५२६ रुपये के मूल्य के ३६ कोल्हू तकावी के रूप में दिये गये ।

५--चर्म विकास योजना के अन्तर्गत एक चर्म शोधन केन्द्र खोला गया । चर्म शोधकों की एक सहकारी समिति बनाई गई जिसे २३,००० रुपये की आर्थिक सहायता दी गई ।

६--औद्योगिक शिक्षालय योजना के अन्तर्गत एक चर्म औद्योगिक शिक्षालय खोला गया जिसमें शिक्षार्थियों को ट्रेनिंग दी जाती है ।

७--जौनपुर में एक पोलीटेक्निक खोला गया जिसपर ५५,००० रुपये की धनराशि व्यय की गई ।

नत्थो "झ"

(देखिये तारांकित प्रश्न ७१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४० पर)

फर्रूखाबाद जिले में मुख्यतः निम्नलिखित उद्योग चल रहे है : रंगाई व छपाई का उद्योग, पीतल के बर्तन बनाने का उद्योग, चर्म उद्योग, सुगंधित तेल व इत्र उद्योग, चाकू-छुरी उद्योग, करघा उद्योग, ताड़ गुड़ उद्योग ।

गत दो वित्तीय वर्षों में सरकार द्वारा निम्नलिखित सहायता दी गई :

आर्थिक सहायता

१—ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत ३,५०० रुपये की आर्थिक सहायता दी गई ।

२—चर्म विकास योजना के अन्तर्गत ४५,००० रुपये की आर्थिक सहायता दी गई ।

३—हस्त कर्घा उद्योग योजना के अन्तर्गत २९,१८९ रुपये २ आना ६ पाई की आर्थिक सहायता दी गई ।

४—ताड़-गुड़ विकास योजना के अन्तर्गत ४,००० रुपये की आर्थिक सहायता दी गई ।

अन्य सहायता

१—चर्म विकास योजना के अन्तर्गत २ चर्मशोधन केन्द्र खोले गये हैं और चर्मकारों की सहकारी समितियां बनाई गई हैं ।

२—औद्योगिक शिक्षालय योजना के अन्तर्गत ४ शिक्षा केन्द्र चाकू बनाने, मोजा बनियान बनाने ,चर्म कला और सिलाई के काम के लिये खोले गये हैं।

३—कर्घा योजना के अन्तर्गत ५४ करघा सहकारी समितियों का संगठन किया गया है । एक सेल डिपो और एक रंगाईघर खोला गया है ।

४—क्वालिटी मार्किंग योजना लागू की गई है जिसके अन्तर्गत ३१,९४,७४८ रुपये के मूल्य के छपे हुये वस्त्रों पर क्वालिटी मार्क लगाई गई ।

५—ताड़-गुड़ योजना के अन्तर्गत १३ व्यक्तियों को शिक्षित किया गया ।

नत्थी "ञ"

(देखिये तारांकित प्रश्न ८० का उत्तर पीछे पृष्ठ पर ६४१ पर)

एन० ई० एस० ब्लाक, बाह जिला आगरा में (Loans) और (subsidy) के लिये निश्चित तथा व्यय किये गये धन की सूची :

मद	बजट में उपलब्ध धनराशि	वितरित धनराशि	विवरण
१—नियोजन विभाग के अन्तर्गत	रु०	रु०	
ऋण (Loans) ..	१,००,०००	२८,७१५	शेष रुपये को व्यय करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।
अनुदान (subsidy) ..	१,५०,०००	६७,८१५	शेष अनुदान निर्माण कार्यों के पूरे हो जाने की रिपोर्ट मिलने पर वितरित किया जायगा ।
२—सहकारी विभाग के अन्तर्गत			
ऋण (subsidy)	३,००,०००	१,६०,७७८	शेष ऋण आवश्यकतानुसार सहकारी विभाग द्वारा दिया जायगा ।
३—केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया हुआ			
ऋण (subsidy) ..	३५,७००	३५,७००	—

नत्थी "ट"

(देखिये तारांकित प्रश्न ८१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४१ पर)

एन० ई० एस० ब्लाक वाह, जिला आगरे में श्रमदान द्वारा होने वाले कामों की सूची :

(कार्य) जो श्रमदान से हुआ

क्रम सं०	कार्य के आंकड़े	कार्य जो हुआ	मूल्यांकन
			रु०
१	पक्की सड़क :		
	जो बन चुकी है	.. २ मी० ३ फ० १४६ ग०	२४,०५०
	जो बन रही है	.. ५ मी०	
२	कच्ची सड़क :		
	जो नव निर्माण हुई	३२ मी० ५ फ० १३० ग०	६५,४००
	जो मरम्मत हुई	.. १२८ मी० ३ फ०	८९,९००
३	पुलिया		
	नई बनाई गई	१०	५,०००
	पुरानी मरम्मत की गई	१	१००
४	सार्वजनिक भवन		
	बहुधन्धी भवन	.. १२	४८,०००
	बहुधन्धी भवन जो बन रहे हैं	१२	३०,०००
	प्राइमरी स्कूल	.. २	४,०००
	जू० हा० स्कूल	१	८,०००
	इन्डस्ट्रियल हाल	.. १	८,०००
	पुस्तकालय जो बन रहे हैं	.. १	२,५००
	पंचायत घर	३	६,०००
५	भूमि संरक्षण		
	बबूल वन	.. ३५० एकड़	८७,५००
	बन्धी पक्की	.. ५	२,५००
	बन्धी कच्ची ..	.. १०	२,०००
	बेकार भूमि खेती योग्य बनाई गई	१०० एकड़	१०,०००
६	जन स्वास्थ्य		
	पानी पीने के कूप	.. ३५	१,०५,०००
	पानी पीने के कूप जो मरम्मत किये गये	७२	३६,०००
	तालाब खोदे गये	.. २	२,०००
	तालाब गहरे किये गये	.. ८	२,४००
	पक्की नाली निर्माण	.. ६८२ गज	१,०००
	खड़न्जा निर्माण	.. ७७२ गज ..	३,५००
	सोख्ते के गढ़े	.. ८६२	
	खाद के गढ़े	.. ७६६	३,४००
		योग ..	५,४६,२५०

नत्थी "ठ"

(देखिये पीछे पृष्ठ ६५८ पर)

उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५६

१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) तथा भौमिक अधिकारों से संबद्ध अन्य विधियों को संशोधित करने का

विधेयक

यह आवश्यक है कि आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) तथा भौमिक अधिकारों से संबद्ध अन्य विधियों को संशोधित किया जाय :

अतएव, भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार उन क्षेत्रों को छोड़ कर समस्त उत्तर प्रदेश में होगा जो ७ जुलाई, १९४९ ई० को यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ के उपबन्धों के अधीन किसी म्युनिसिपैलिटी अथवा नोटीफाइड एरिया के अन्तर्गत, अथवा कैन्टूनमेन्ट ऐक्ट, १९२४ के उपबन्धों के अधीन किसी कन्टूनमेन्ट के अन्तर्गत अथवा यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ के उपबन्धों के अधीन किसी टाउन एरिया के अन्तर्गत थे,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है की धारा २ में निर्दिष्ट क्षेत्रों में उसके प्रवर्तन (application) के सम्बन्ध में, इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसे अपवादों अथवा परिष्कारों के अधीन, जिनसे मूल तत्वों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो तथा जिन्हें राज्य सरकार इस सम्बन्ध में सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर के निर्दिष्ट करे, प्रभावी होंगे।

(३) यह अधिनियम, मूल अधिनियम की धारा २ में निर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़ कर जहां वह उपधारा (२) के अधीन किये गये किसी अपवाद (exception) अथवा परिष्कार (modification) के अधीन रहते हुये उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में एतदर्थ विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे, तुरन्त प्रचलित होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ३ का संशोधन।

२—मूल अधिनियम की धारा ३ में:—

(१) उपधारा (६) के पश्चात् नयी उपधारा (६-क) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"(६-क) संहत क्षेत्र (consolidated area) का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसके संबंध में चकबन्दी की क्रियाएं समाप्त होने पर उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा ५२ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी गई हो।"

(२) उपधारा (८) के पश्चात् नयी उपधारा (८-क) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय ---

"(८-क) 'टुकड़ा' (fragment) का तात्पर्य:---

(क) निम्नलिखित में ६.२५ एकड़ से कम भूमि से है—

(१) बुन्देलखंड;

(२) इलाहाबाद, इटावा, आगरा, तथा मथुरा के जिलों के यमुनापारी भाग;

(३) मिर्जापुर जिले का वह भाग जो कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है;

(४) मिर्जापुर जिले की तहसील सदर के टप्पा उपरौध और टप्पा चौरासी (बालाये पहाड़);

(५) मिर्जापुर जिले की तहसील राबर्ट्सगंज का वह भाग, जो कैमूर पर्वत श्रेणी के उत्तर में स्थित है; और

(६) मिर्जापुर जिले की चुनार तहसील का परगना सकटेशगढ़ और परगना अहरौरा और भागवत की पहाड़ी पट्टियों के गांव जो अनूसूची ६ की सूची "क" और "ख" में उल्लिखित हैं; और

(ख) कुमायूं डिवीजन को छोड कर शेष समस्त उत्तर प्रदेश में ३.१२५ एकड़ से कम भूमि से है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम २०, १९५४ की धारा ६ का प्रारम्भ।

३---(१) उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५४ की धारा ६, जिससे धारा २३ की उपधारा (१) के खंड (ख) को निकाला गया था, के बारे में प्रतिकर अथवा पुनर्वासन अनुदान के निर्धारण, (assessment) तथा भुगतान के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह मूल अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से ही प्रभावी थी।

(२) प्रतिकर अधिकारी, स्वत: एक संशोधित प्रतिकर तालिका (amended compensation roll) तैयार कर सकेगा और इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से तीन महीने के भीतर सम्बद्ध मध्यवर्ती द्वारा प्रार्थनापत्र दिये जाने पर, ऐसा अवश्य करेगा, मानों उपधारा (१) सभी महत्वपूर्ण (material) दिनांकों पर प्रभावी रही हो, और मूल अधिनियम के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे मुख्य प्रतिकर तालिका के उपबन्ध में लागू होते हैं।

(३) धारा ३३५ के उपबन्धों के अधीन सदैव रहते हुए, यदि प्रार्थी से भिन्न किसी व्यक्ति को किसी आस्थान (estate) के सम्बन्ध में प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया हो तो प्रार्थी उस व्यक्ति से, जिसे उक्त प्रतिकर का भुगतान किया गया हो, ऐसी धनराशि वसूल करने का अधिकारी होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की, जहां तक वह भूतपूर्व बनारस राज्य पर लागू होता है, धारा १० का संशोधन।

४---मूल अधिनियम की, जैसा वह भूतपूर्व बनारस राज्य के राज्य-क्षेत्रों (territories) में लागू होता है, धारा १० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"१०---(१) सीर के काश्तकार ऐसी भूमि का, जो किसी मध्यवर्ती की सीर अभिलिखित हो, प्रत्येक काश्तकार, निहित होने के दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर उसके द्वारा देय लगान की दरों पर उस भूमि का मौरूसी काश्तकार समझा जायगा ;

(२) यदि सीर के किसी काश्तकार का क्षेत्रपति काश्तकारी प्रारम्भ होने के समय तथा निहित होने के दिनांक पर—

(१) स्त्री,

(२) अवयस्क,

(३) पागल,

(४) जड़,

(५) अन्धेपन या शारीरिक दुर्बलता (physical infirmity) के कारण खेती करने में असमर्थ हो, अथवा

(६) भारतीय संघ का सैनिक, नौसैनिक या वैमानिक सेना में नौकर रहा हो तो उपधारा (१) की कोई बात उसे लागू न होगी।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा १३१ का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा १३१ के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(ग) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के निदेशों के अधीन अथवा अनुसार, किसी अन्य प्रकार से सीरदार के अधिकार प्राप्त कर ले।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा १३२ का संशोधन।

६—मूल अधिनियम की धारा १३२ के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(ग) ऐसी भूमि जिसके विषय में राज्य सरकार ने गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर दिया हो कि उसमें टौंगिया रीति से बन या सामुदायिक फलोद्यान लगाने या म्युनिसिपल सलेज फार्म, या गड्ढों में मैला या कूड़ा-करकट जमा करने की भूमि (trending ground) जो इस रूप में किसी स्थानीय प्राधिकारिकी के स्वामित्व में हो, बनाने का विचार है या वह इसलिये अलग कर दी गयी है।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ में नयी धारा १६८-क का रक्खा जाना।

७—मूल अधिनियम की धारा १६८ के पश्चात् नयी धारा १६८-क के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"टुकड़ों का निवारण (Prevention of fragmentation)

"१६८-क—(१) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के होते हुये भी, टुकडों का संक्रामण कोई भी व्यक्ति किसी भी संहत क्षेत्र (Consolidated area) में स्थित किसी टुकड़े को विक्री, दान (gift) अथवा विनिमय (exchange) द्वारा संक्रामित नहीं करेगा उन दशाओं को छोड़ कर जब ऐसा संक्रामण किसी ऐसे खातेदार के पक्ष में हो जिसका कोई गाटा (plot) उक्त टुकड़े से संलग्न (Contigous) अथवा यदि संक्रामण ऐसे खातेदार के पक्ष में न हो तो वह पूरा गाटा, जिसका वह टुकडा एक भाग है, एद्द्वारा संक्रामित किया जाय।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों के प्रतिकूल किया गया किसी भूमि का संक्रामण निरर्थक (void) होगा।"

८—धारा १९० में शब्द और संख्या "धारा १७२ और १७३" के स्थान पर शब्द तथा संख्या "धारा १७२" रखे जायं।

९—मूल अधिनियम की धारा २१२ में शब्द "तालाब" और "रास्ता" के बीच में शब्द "पोखरा" (pond) रख दिया जाय।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा २२५ का संशोधन ।

१०—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २२५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"२२५—लगान, सायर अथवा अन्य देय (dues) की बकाया, जो

सरकारी सम्पत्ति और गांव समाज की सम्पत्ति के संबंध में बकाया लगान, सायर तथा अन्य देयों की वसूली।

किसी ऐसी सम्पत्ति के संबंध में हों जो केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा गांव समाज में निहित हो अथवा ऐसे क्षेत्र के संबंध में हो, जो धारा २८९ के उपबन्धों के अधीन कुर्क हुआ हो (attached) मालगुजारी की बकाया के रूप में (as arrears of land revenue) वसूल किये जा सकते हैं"।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा २२९ का संशोधन ।

११—(१) मूल अधिनियम की धारा २२९-ख के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"२२९-ख—(१) कोई भी व्यक्ति, जो अकेला या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्तरूप से असामी होने का दावेदार हो इस बात का प्रख्यापन के लिये कि—

(क) वह खाते का असामी है, अथवा

(ख) उसका खाते में कोई अंश है,

खातेदार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकता है।

(२) उपधारा (१) के अधीन किसी वाद में अन्य व्यक्ति को, जो खातेदार को अधीन असामी होने का दावेदार हो, प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित किया जायेग।

(३) उपधारा (१) और (२) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाये गये वाद पर लागू होंगे जो सीरदार होने के दावेदार हो किन्तु उस दशा में यह संशोधन किया जायगा कि इन उपधाराओं में शब्द "खातेदार" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार और गांव सभा" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा २४०-ज का संशोधन ।

१२—धारा २४०-ज की उपधारा (२) के खंड (ख) में शब्द "प्रतिकर अधिकारी" और "उस प्रश्न को" के बीच में शब्द "उन मामलों को छोड़कर जिन पर धारा २४० जज प्रवृत्त होती हो" बढ़ा दिये जायं ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ में नई धारा २४०-जज का रखा जाना।

१३—मूल अधिनियम की धारा २४०-ज के पश्चात् नई धारा २४०-जज के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय:—

चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत स्थित भूमि के आगम का प्रश्न मध्यस्थ को अभिदिष्ट होगा।

"२४०—जज—यदि धारा २४०—ज की उपधारा (२) के खंड (ख) में अभिदिष्ट आगम का प्रश्न किसी ऐसी भूमि के संबंध में हो जो उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५४ की धारा ५ के अर्थ में चकबन्दी क्रियाओं के अधीनस्थ क्षेत्र में सम्मिलित हो तो प्रतिकर अधिकारी इस प्रश्न को अवधारणार्थ अधिक्षेत्र रखने वाले सिविल जज के पास अभिदिष्ट करेगा जो तत्पश्चात् उसे उक्त अधिनियम की धारा ३७ की उपधारा (१) के अधीन नियुक्त मध्यस्थ (arbitrator) के

पास अवधारणार्थ अभिदिष्ट करेगा तथा उस अधिनियम एवं तदन्तर्गत निर्मित नियमों के उपबन्ध इस प्रकार किये गये अभिदेश पर उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानों वह उसी अधिनियम के अधीन होने वाली कार्यवाहियों में उठाया गया तथा अभिदिष्ट कोई प्रश्न हो।"

१४—मूल अधिनियम की धारा २४६ की उपधारा (१) में खंड (ग) के पश्चात् नये खंड (घ) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा २४६ का संशोधन।

"(घ) यदि वह इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के अन्तर्गत, अथवा उसके अनुसार, सीरदार के अधिकार प्राप्त करे (acquires) तो उसके अनुसार अवधारित धनराशि।"

१५—मूल अधिनियम की धारा ३३२-क-३३२-ख में जहां-जहां शब्द "अधिवासी अथवा असामी" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "सीरदार, अधिवासी अथवा असामी" रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ३३२-क तथा ३३२-ख का संशोधन।

१६—मूल अधिनियम की वर्तमान अनुसूची २ के स्थान पर आगे दी हुई अनुसूची रख दी जाय।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की अनुसूची २ का संशोधन।

१७७—मूल अधिनियम की अनुसूची ५ में:—

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की अनुसूची ५ का संशोधन।

(१) अनुच्छेद (para.) २ के उप-अनुच्छेद (sub para.) (१) में शब्द "उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम १९५४ के प्रारम्भ से १ वर्ष के भीतर" के स्थान पर शब्द "३०, सितम्बर, १९५६ के पूर्व" रख दिये जायं तथा सदैव रखे गये समझे जायं।

(२) अनुच्छेद ४ के उप-अनुच्छेद (१) में शब्द "उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५४ के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर" के स्थान पर शब्द "३० सितम्बर, १९५६ के पूर्व" रख दिये जायं।

(३) अनुच्छेद ४ के पश्चात् नये अनुच्छेद ४-क के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय—

"४—क अनुच्छेद ४ के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, उस व्यक्ति पर, जो धारा २० के खंड (क) के अधीन अधिवासी हो गया हो, इस प्रकार लागू होंगे, मानों

(क) शब्द "उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५४" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५५" तथा "लगान के २० गुना" के स्थान पर शब्द "लगान के १५ गुना" रख दिये गये हों, तथा

(ख) खंड (ख) के अभिदेश (references) खंड (क) के भी अभिदेश हों।

(५) वर्तमान अनुच्छेद ६ को पुनः परिगणित करके अनुच्छेद ६ के उप-अनुच्छेद (१) के रूप में रख दिया और तत्पश्चात् नये उप-अनुच्छेद (२) तथा (३) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:—

"(२) यदि किसी ऐसे भूमि संबंधी वाद या कार्यवाही (Suit or proceeding) में जो उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५५ के आरम्भ के पश्चात् किसी दीवानी या माल न्यायालय में चलायी गयी हो अथवा यदि वह उक्त प्रारम्भ के पूर्व चलायी गयी हो तो उसमें डिक्री अथवा आज्ञा न दी गई हो, यह प्रश्न उठे अथवा उठाया जाय कि वाद अथवा कार्यवाही का कोई पक्ष भूमि का सीरदार अधिवासी अथवा असामी है या नहीं अथवा किसी महत्वपूर्ण (material) दिनांक को था या नहीं और ऐसा प्रश्न किसी क्षेत्राधिकार प्राप्त समर्थ न्यायालय अथवा कस्टोडियन द्वारा पहले से निर्णीत न हुआ हो, तो न्यायालय कार्यवाही को स्थगित कर देगा तथा उस पक्ष को, जो सीरदार अथवा असामी होने का दावा करे, कस्टोडियन द्वारा उक्त अधिकार को अवधारित कराने के आदेश देगा।

(३) कस्टोडियन का निर्णय, ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, १९५० में उल्लिखित अपीलों, पर्यालोकनों (reviews) तथा पुनरीक्षणों (revisions) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, निश्चायक होगा।"

धारा ३३२—ख की उपधारा (२) तथा (४) के उपबन्ध तत्पश्चात् इस प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों शब्द "कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "कस्टोडियन" रख दिया गया हो।

अपवाद

१८—(१) इस अधिनियम द्वारा किया गया कोई भी संशोधन पहले से की गई अथवा हुई किसी बात की वैधता, अवैधता, प्रभाव अथवा परिणाम (validity, invalidity, effect or consequence) को तथा किसी अधिकार आधान, आभार (obligation) अथवा दायित्व को, जो पहले से अर्जित, प्रोद्भूत अथवा उपगत हो गये हों, अथवा पहले से प्रयुक्त किसी अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) को प्रभावित नहीं करेगा तथा इस अधिनियम के आरम्भ से पूर्व किसी न्यायालय में अथवा प्राधिकारी (authority) के समक्ष चलायी या आरम्भ की गयी किसी कार्यवाही पर, यहां किये गये किसी संशोधन के होते हुये भी ऐसे न्यायालय अथवा प्राधिकारी (authority) द्वारा पूर्ववत् सुनवाई एवं निर्णय होता रहेगा।

(२) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किसी न्यायालय, अथवा प्राधिकारी के समक्ष चलाये अथवा आरम्भ किये गये किसी वाद अथवा किसी कार्यवाही (Suit or proceeding) के विरुद्ध कोई अपील, पर्यालोकन (review) अथवा पुनरीक्षण (revision) के किसी संशोधन के होते हुये भी, उसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष किया जा सकेगा, जिसके समक्ष वह उक्त प्रारम्भ के पूर्व चलाये अथवा प्रारम्भ किये जाने की दशा में किया जा सकता था।

संक्रमण

१९—(१) राज्य सरकार किसी कठिनाई, विशेषतः मूल अधिनियम के उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा संशोधित उस अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण (transition) से सम्बद्ध कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन से आज्ञा द्वारा निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् आगामी १२ मास की अवधि तक उपर्युक्त प्रकार से संशोधित मूल अधिनियम ऐसे अनुकूलनों (adaptations) चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन अथवा लोप (omission) के रूप में हों, के अधीन रहते हुये प्रभावी होगा, जिन्हें राज्य सरकार उचित और आवश्यक समझे।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गयी प्रत्येक आज्ञा यथाशीघ्र विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रक्खी जायगी।

अनुसूची

मूल अधिनियम की अनुसूची २ के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जाय—

अनुसूची २

(धारा ३३१)

क्रम संख्या	धारा	व्यवहारों (Proceedings) का ब्योरा	मूल अधिकार क्षेत्र का न्यायालय	प्रथम अपील का न्यायालय	द्वितीय अपील का न्यायालय
१	२	३	४	५	६
१	१२	कब्जे की वापसी का प्रार्थना-पत्र	असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी	कमिश्नर	बोर्ड
२	१३	भूमि के प्रदान (grant) अथवा काश्तकारी की अवधि बढ़ाये जाने के लिये ठेकेदार का प्रार्थना-पत्र	कलेक्टर	,,	..
३	१४	बंधकी द्वारा रुपया जमा करने का प्रार्थना-पत्र	असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी	,,	..
४	३३	अधिकार अभिलेख के संशोधन की कार्यवाही	प्रतिकर अधिकारी	,,	..
५	१०४	रुपयों की वापसी का प्रार्थना-पत्र	असिस्टेंट कलेक्टर	,,	..
६	११७	उन्नति (development) के कारण प्रतिकर के भुगतान का प्रर्थना-पत्र	परगने का इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर	,,	..
७	१३४	भूमिधरी अधिकारों के	असिस्टेंट कलेक्टर	कमिश्नर	..
	१३९	उपार्जन का प्रार्थना-पत्र	,,	,,	..
८	१३७-क	प्रमाण-पत्र रद्द (cancellation) करने का प्रार्थना-पत्र	,,	,,	बोर्ड

क्रम संख्या	धारा	व्यवहारों (Proceedings) का ब्योरा	मूल अधिकार क्षेत्र का न्यायालय	प्रथम अपील का न्यायालय	द्वितीय अपील का न्यायालय
१	२	३	४	५	६
९	१३८	खातों (holdings) के बटवारे के लिये वाद	असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी	कमिश्नर	बोर्ड
१०	१४०	रुपये वापसी (refund) का प्रार्थना-पत्र	असिस्टेंट कलेक्टर	,,	,,
११	१४०-क	क्षेत्रपति (land holder) को जमा की गई धनराशि तृतीयांश वापस करने का प्रार्थना-पत्र	,,	,,	,,
१२	१४३ १४४	प्रख्यापन (declaration) का प्रार्थना-पत्र	परगने का इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर	,,	बोर्ड
१३	१५७ (२)	पट्टा देने वाले (lessor) के अंश (share) के अवधारण तथा बटवारे का प्रार्थना-पत्र	असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी	,,	,,
१४	१६१	विनिमय करने की अनुज्ञा का प्रार्थना-पत्र	असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी	,,	,,
१५	१६३	जिस व्यक्ति के पक्ष में हस्तान्तरण (transfer) किया गया हो उसकी बेदखली का वाद,	परगने का इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर	,,	,,
१६	१६७— २०१ अथवा २०२ (क) सहित पठित	सीरदार अथवा असामी ने जिस व्यक्ति के पक्ष में हस्तान्तरण किया गया हो उसकी बेदखली का वाद	असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी	,,	बोर्ड
१७	१७६	सीरदार के खाते के बटवारे का वाद	,,	,,	,,
१८	१८३ १८४	समर्पण (Surrender) का प्रार्थना-पत्र	तहसीलदार	,,	,,
१९	१८६	परित्यक्त खाते के संबंध में नोटिस तामील करने का प्रार्थना-पत्र	तहसीलदार	कमिश्नर	,,
२०	१९१ २०२ (क) सहित पठित	असामी की बेदखली का वाद	असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी	,,	बोर्ड

क्रम संख्या	धारा	व्यवहारों (proceedings) का ब्योरा	मूल अधिकार क्षेत्र का न्यायालय	प्रथम अपील का न्यायालय	द्वितीय अपील का न्यायालय
१	२	३	४	५	६
२१	१९८	भूमि उठाने के संबंध में गांव सभा की आज्ञा के विरुद्ध आपत्ति	परगने का इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर	कमिश्नर	..
२२	२०२ (ख) (ज)	असामी की बेदखली के बाद	असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी	,,	बोर्ड
२३	२०६, २०१, अथवा २०२ (क) सहित पठित	सीरदार या आसामी की बेदखली का वाद	असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी	,,	,,
२४	२०८	बर्बादी (waste) अथवा क्षति (damage) की मरम्मत अथवा समादेश (injection) का वाद	,,	,,	,,
२५	२०९	बिना आगम (title) के भूमि पर कब्जा रखने वाले व्यक्तियों की बेदखली का वाद	,,	,,	,,
२६	२११	सीरदार की बेदखली का वाद	,,	,,	,,
२७	२१२	सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि से व्यक्तियों की बेदखली का वाद	कलेक्टर	,,	,,
२८	२१२ (ख)	भूमि के कब्जे अथवा अवैध बेदखली (wrongful dispossession) के प्रतिकर के निमित्त वाद	असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी	,,	,,
२९	२१३	गांव सभा द्वारा निश्चित किये लगान के विरुद्ध आपत्ति	परगने का इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर	,,	,,
३०	२१५	लगान के अवधारण और बकाया लगान के लिये वाद	परगने का इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर	कमिश्नर	बोर्ड
३१	२१८	लगान के नकदी में परिवर्तन का वाद	,,	,,	,,
३२	२२०	बकाया लगान की वसूली और बेदखली का प्रार्थना-पत्र	तहसीलदार	,,	,,
३३	२२२ (५)	बकाया लगान की वसूली के लिये वाद	असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी	,,	,,

क्रम संख्या	धारा	व्यवहारों (proceedings) का ब्योरा	मूल अधिकार क्षेत्र का न्यायालय	प्रथम अपील का न्यायालय	द्वितीय अपील का न्यायालय
१	२	३	४	५	६
				कमिश्नर	बोर्ड
३४	२२७	नहर संबंधी देयों की वसूली के लिये वाद	तहसीलदार	,,	,,
३५	२२९-ख, २२९-ग	अधिकारों के प्रख्यापन का वाद	असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी	,,	,,
३६	२३२	उस अधिवासी द्वारा कब्जे की वापसी का प्रार्थना-पत्र जिस पर धारा २० का खंड (ख) लागू होता हो	परगने का इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर	,,	,,
३७	२३३	अधिवासी के लगान को अवधारित करने का प्रार्थना-पत्र	असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी	,,	,,
३८	२३३-क	लगान के नकदी में परिवर्तन का प्रार्थना-पत्र	असिस्टेंट कलेक्टर	,,	,,
३९	२३४	अधिवासी की बेदखली का वाद	,,	,,	,,
४०	२४४	मालगुजारी की प्रतिपूर्ति (re-imbursement) के लिये भूमिधर अथवा सीरदार द्वारा वाद	असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी	,,	,,

उद्देश्य और कारण

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश, जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) की कार्यान्विति के अध्ययन से जोतों की चकबन्दी योजना तथा निष्क्रांत कृषि भूमियों के प्रशासन के संबंध में कुछ दोषों और न्यूनताओं का पता चला है; इसके अतिरिक्त गांव समाज के देयों की वसूली में भी कठिनाइयों का अनुभव हुआ है। खातेदारों के लिये, जिनमें से अधिकांश साधारण स्थिति के व्यक्ति हैं, माल न्यायालयों में मुकदमेबाजी करना अधिक सुविधाजनक और मितव्ययितापूर्ण होगा। इन तथा अन्य छोटी मोटी कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन से यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

चरण सिंह,
माल मन्त्री।

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६५८ पर)

उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५५ पर संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट

प्रवर समिति को उत्तर प्रदेश नागर–क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक विचार के लिये सौंपा गया था। उस पर हम लोगों ने, जो उक्त समिति के सदस्य हैं और जिनके हस्ताक्षर नीचे हैं, विचार कर लिया है और अब हम अपनी रिपोर्ट संशोधित विधेयक के साथ प्रस्तुत करते है।

समिति ने अपनी बैठकें ७ और ८ नवम्बर, ३ और ३० दिसम्बर, १९५५ और ९ जनवरी, १९५६ को विधान भवन में कीं।

हमने विधेयक के एक–एक खंड पर विचार किया और उसमें कुछ संशोधन किये हैं। हमने विधेयक में जो मुख्य परिवर्तन किये हैं वे निम्नलिखित है:–

(१) हमारा विचार है कि शब्द "कृषि-क्षेत्र" में जैसी कि उसकी परिभाषा खंड २ (१) में की गयी है, ऐसी भूमि भी सम्मिलित होनी चाहिये जो इमारतें बनाने के प्रयोजन के लिये १ जुलाई, १९५५ के पहले यथावत् निष्पादित (duly executed) पट्टे पर हों और ऐसी भूमि भी जो १ जुलाई, १९५४ को या इससे पहले किसी कृषि क्षेत्र का भाग रही हो, किन्तु ऐसे व्यक्ति के कब्जे में चली गयी हो जो मध्यवर्ती पट्टेदार, उप-पट्टेदार, काश्तकार, माफीदार शिकमी काश्तकार या भोगबन्धकी न हो, तदनुसार हमने खंड २ में और अन्य खंडों में आवश्यक परिवर्तन कर दिये हैं।

(२) हम समझते हैं कि कमिश्नरों के पदों की फिर से व्यवस्था हो जाने के कारण कमिश्नरों के लिये इस विधेयक में परिच्छेद आयुक्तों के लिये निश्चित किये गये कर्त्तव्यों का पालन करना संम्भव होना चाहिये। तदनुसार हम लोगों ने इस विधेयक में से परिच्छेद आयुक्त की नियुक्ति के लिये की गयी व्यवस्था निकाल दी हैं और उसके स्थान पर यह व्यवस्था की है कि परिच्छेद आयुक्त के कर्त्तव्यों का पालन कनिश्नरों द्वारा किया जायगा।

(३) हमारा विचार है कि कृषि क्षेत्रों के परिच्छेद संबंधी प्रस्तावों में होने वाली लेख तथा गणना संबंधी भूलों को ठीक करने के लिये इस विधेयक में व्यवस्था की जानी चाहिये। तदनुसार हम लोगों ने विधेयक में एक नये खंड ५–क का समावेश करने के लिये सुझाव दिया है।

(४) विधेयक के खंड ६ में यह व्यवस्था की गयी है कि सरकार यदि वह किसी नागर क्षेत्र के संबंध में ऐसा करना आवश्यक समझे, यह आज्ञा दे सकती है कि ऐसे क्षेत्र के अधिकार अभिलेख यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के निर्देशों के अनुसार तैयार या संशोधित किये जायं। यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में इस विषय के संबंध में बहुत विस्तृत प्रक्रिया दी गयी हैं और पूरी तरह से उसके अनुसार कार्यवाही करने में अधिकारों के अभिलेख तैयार करने में कठिनाइयां उत्पन्न होंगी और देर भी लगेगी। इन कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से हमारा विचार है कि नागर क्षेत्रों के अधिकार अभिलेख, जहां तक संभव हो सके, यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के निदेशों के अनुसार तैयार या संशोधित किये जायं। इस बात को स्पष्ट करने के लिये हमने खंड ६ का संशोधन कर दिया है।

(५) हम समझते हैं कि उस क्षेत्र की सीमा जो जमींदारी विनाश के बाद ठेकेदार अपने पास रख सकेगा ३० एकड़ से, जिसकी व्यवस्था खंड १४ में की गयी है, घटाकर १२१/२ एकड़ कर दी जानी चाहिये और इस सीमा में उस कृषि-क्षेत्र का भी, जो स्वयं उसके पास या उसके परिवार के सहित संयुक्त रूप से हो, समावेश होना चाहिये। अतः हमने उक्त खंड में आवश्यक संशोधन कर दिये हैं।

(६) हम समझते हैं कि इमारत बनवाने के प्रयोजन से पट्टे पर ली गयी भूमि का शिकमी पट्टेदार ऐसा आसामी माना जाना चाहिये जो निहित होने के दिनांक के एक वर्ष के भीतर पट्टेदार के प्रार्थना-पत्र देने पर बेदखल किया जा सके। यदि ऐसा प्रार्थना-पत्र विहित अवधि (prescribed period) के भीतर प्रस्तुत न किया जाय अथवा ऐसे प्रार्थना-पत्रों पर प्राप्त की गयी आज्ञा ऐसी आज्ञाओं के निष्पादन के लिये निश्चित अवधि के भीतर, निष्पादित न की जाय, तो हम समझते हैं कि उस आसामी को उस भूमि का सीरदार हो जाना चाहिये और पट्टेदार के अधिकार; आगम और स्वत्व के संबंध में यह समझा जाना चाहिये कि वे सरकार द्वारा हस्तगत कर लिये गये हैं। हमने इसी उद्देश्य से एक नया खंड १९-क बढ़ा दिया है।

(७) हमारा यह विचार है कि खंड २४ और २५ को, जिसमें अंतरिम प्रतिकर देने की व्यवस्था की गयी है, निकाल देना चाहिये। शहरी क्षेत्रों के संबंध में प्रतिकर के निर्धारण का कार्य उतना जटिल नहीं होना चाहिये जितना कि ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में प्रतिकर का निर्धारण था। इस कारण शहरी क्षेत्रों में प्रतिकर के भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिये। अतः हम लोगों की राय है कि अंतरिम प्रतिकर देने के लिये व्यवस्था करना आवश्यक नहीं है।

(८) हम समझते हैं कि पक्की निकासी का हिसाब लगाने के लिये खंड ३३ के निदेश, जिसके अनुसार किसी मध्यवर्ती द्वारा, उसके कब्जे के कृषि क्षेत्र के संबंध में दिये गये कृषि आयकर का भी विचार किया जाता है, निकाल दिये जाने चाहिये, क्योंकि शहरी सीमा के भीतर छोटे-छोटे कृषि क्षेत्रों के सम्बन्ध में कृषि आयकर का निकालना कठिन काम है। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में कृषि-आयकर के निमित्त देय धनराशि, किसी अकेले मध्यवर्ती की दशा में, इतनी कम होगी कि उसके अवधारण में जितना परिश्रम करना पड़ेगा उसके अनुरूप लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।

(९) हम देखते हैं कि इस विधेयक में गुजारेदारों को देय प्रतिकर की धनराशि निश्चित करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। हम समझते हैं कि इस विधेयक में भी उ० प्र० जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ७१ की व्यवस्था के अनुरूप व्यवस्था की जानी चाहिये। अतः हम लोगों ने एक नया खंड ५५-क बढ़ाने का सुझाव दिया है।

(१०) हमारा विचार है कि ऐसे वक्फों, न्यासों और निबन्धों को, जो पूर्णतः या अंशतः धर्मोत्तर या दानोत्तर हों, वार्षिक वृत्ति पाने का अधिकार होना चाहिये, जैसी कि उ० प्र० जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के निदेशों में भी व्यवस्था है। इस उद्देश्य से हम लोगों ने एक नया अध्याय ५-क बढ़ा दिया है।

(११) हम समझते हैं कि इस विधेयक में इस बात की व्यवस्था होनी चाहिये कि सार्वजनिक प्रयोजन या सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य के लिये कब्जे

में रखे गये या अध्यासित (occupied) क्षेत्र इस विधेयक के क्षेत्र (scope) से निकाल दिये जायं। अतः हमने विधेयक की अनुसूची में आवश्यक संशोधन कर दिये हैं।

यह विधेयक ६ अगस्त, १९५५, के असाधारण गजट में प्रकाशित किया गया था। हमारी राय है कि यह विधेयक, जैसा कि हमने अब उसका संशोधन किया है, फिर से प्रकाशित किया जाय।

चरण सिंह
चतुर्भुज शर्मा
पुत्तू लाल
गेंदा सिंह (असहमति टिप्पणी देने का अधिकार सुरक्षित रखते हुये)
बालकराम वैश्य
महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव
हरदयाल सिंह पिपल
सूर्यप्रसाद अवस्थी
बृजलाल वर्मन हकीम (मथुरा)
ज्योति प्रसाद गुप्त
कुंवर कृष्ण वर्मा
वंशीधर शुक्ल
गणेश प्रसाद जायसवाल
द्वारका प्रसाद मौर्य (संशोधन का अधिकार सुरक्षित)
तेलूराम
प्रताप चन्द्र "अजाद"
नरोत्तम दास टंडन (विमति टिप्पणी के अधीन)
पद्मनाथ सिंह
उम्मेद सिंह
रामनरेश शुक्ल (प्रतापगढ़)
नारायग दत्त तिवारी (असहमति वक्तव्यों का अधिकार रखते हुये)
शिव प्रसाद सिन्हा (विमति टिप्पणी के अधीन)

NOTE OF DISSENT

I have put my signature on the report of the Select Committee and while agreeing with the amendment regarding compensation to be paid to the ex-intermediaries at the rate of sixteen times. I still feel that when a fixed rate of compensation is determined to be paid to the Zamindars of Urban Areas instead of different rates prescribed in the abolition of Zamindari in rural areas which varies from eight times to twently-eight times the equitable rate for payment of compensation in Urban Areas should be twenty times instead of sixteen as proposed in the report as no rehabilitation or intermediary compensation will be paid to the Zamindars of the Urban Areas.

SHIVA PRASAD SINHA,
M. L. C.

NAROTTAM DAS TANDON,
M. L. C.

January 9, 1956.

हमने जिस आशा से इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का आग्रह किया था वह पूरी न हो सकी और हम इस समय यह कहने का साहस करते हैं कि जिस प्रकार से नगरों में जमींदारी समाप्त की जा रही है उससे बेहतर यही है कि सार्वजनिक धन तथा समय का अपव्यय इसमें न किया जाय । हम यह समझने में असमर्थ हैं कि आखिर इस कानून के बनाने का उद्देश्य क्या है । जब देहात की जमींदारी समाप्त की गयी थी उस समय उसका जो उद्देश्य बतलाया गया था उसे भी सरकार ध्यान में रखती है या नहीं, कहना कठिन है ।

विधेयक का केवल उसी भूमि से संबंध है जिस पर खेती होती हो । यदि खेती भी हो रही हो पर कागज में गैरमजरुआ लिखा हुआ है तो जोतने वाले को कोई हक नहीं होगा । कितनी भूमि पर खेती हो रही है इसके लिये सरकार के पास कोई प्रामाणिक आधार नहीं है, यह बार-बार सरकार की ओर से कहा जा रहा है । वर्षों से सरकार के तथाकथित कठोर परिश्रम करने के बाद केवल २२ जिलों के कुछ भूमि संबंधी आंकड़े मिल सके । वह आंकड़े भी अधूरे हैं। उसमें यह बतलाया गया है कि २२ जिलों की भूमि में से ६८,२०९ एकड़ भूमि का कागज में अस्तित्व नहीं है । यह तो हमने केवल कागजात की वजूद के संबंध में कहा है, इन कागजात में भी कितनी गलतियां हैं, बतलाना कठिन है । सरकार कोई बन्दोबस्त कराने को न अभी तैयार है न पहिले कोई बन्दोबस्त गत कई दशकों से हो पाया है। प्रदेश के ५१ जिलों में से कुमायूं डिवीजन के कागजात पर भरोसा किया नहीं जा सकता, इसे सरकार भी मानती है । शेष नगरों में से जिनकी संख्या ४२७ होगी उसके कागजात की क्या दशा है, सरकार को पता नहीं । अब ऐसी हालत में किस भूमि पर जमींदारी रहेगी और किस भूमि पर नहीं रहेगी, यह भी बतलाना कठिन है । फिर इस कानून बनाने के क्या कारण उत्पन्न होंगे, अनुमान करके भय लगता है ।

सबसे बड़ी भूल जो हो रही है वह यह है कि केवल उसी भूमि से मध्यवर्तियों का अधिकार लिया जा रहा है जिस पर दूसरे लोग खेती करते हैं । शेष भूमि जमींदारी बनी रहेगी । शहरों में जो भूमि खाली है अथवा उस पर मकानात बन सकते हैं उसका मूल्य उस भूमि की अपेक्षा अधिक है जिस पर खेती होती है। इस मामले में हम यह कहने में संकोच नहीं करते कि सरकार शहर के जमींदारों के दबाव में आकर इस प्रकार का कानून बनाने जा रही है । शहर के जमींदारों ने उन सारी जमीनों को अपने घेरे या अपने मकान बनाने के काम में लगाने के लिये साजिश कर रखा है जिसे लेकर शहरों में मकान बनाने अथवा शहरी जीवन को सुखमय बनाने में सहायता मिलती । लोअर इनकम वाले कर्मचारियों तथा शहर के मेहतर भाइयों के मकान बनवाने के लिये भूमि की बड़ी भारी आवश्यकता है, परन्तु इस प्रकार की भूमि को छोड़कर सरकार अपने ही कार्यों को न चलने देने के चक्कर में फंस रही है ।

दूसरी बात मुआवजा देने की है । यहां के जमींदारों को देहाती जमींदारों से एक प्रकार अधिक मुआवजा मिलेगा । मुआवजा देने का सिद्धान्त तो गलत है ही परन्तु वैधानिक कठिनाइयों के कारण यदि ऐसा करना अनिवार्य भी हो तो यह रकम केवल उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिये जिनका जीवन-यापन चालाना इसके बिना असंभव हो जायं, परन्तु सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है ।

इस कानून के बनने के बाद नगरों में बेदखली का भी धूम-धाम रहेगा । कागजात का न होना एक भारी कारण तो कब्जा के झगड़े हुये हैं । कानून में जो बेदखल करने की गुंजाइश रखी गयी है उससे बड़ी भयानक स्थिति उत्पन्न हो जायगी । जो कोई भी जोतने वालों को बेदखल करना चाहेगा वह पट्टा किसी व्यक्ति के नाम पहिले से लिखकर, जिसमें मकान बनाने की आज्ञा होगी, जोतने वाले को बेदखल कर देगा ।

यह कुछ बहुत ही ज्वलन्त उदाहरण हमने सामने रखे हैं । कई और ऐसे मामले हैं जिससे इस विधेयक को भूमि सुधार के नाम से पुकारना उचित नहीं है ।

हम आशा करते हैं कि सदन इन भारी भूलों को करने से सरकार को रोकेगा ।

(हस्ताक्षर) गेंदा सिंह ।

(हस्ताक्षर) नारायणदत्त तिवारी ।

उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५५

जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया। संयुक्त प्रवर समिति द्वारा बढ़ाया हुआ विषय रेखांकित है और निकला हुआ विषय कोष्ठकों "[ ]" में है।

उत्तर प्रदेश के नागर-क्षेत्रों में स्थित कृषि-क्षेत्र जमींदारी प्रथा के विनाश तथा ऐसे क्षेत्रों में कृषक और राज्य के बीच मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व (rights, title and interest) के अर्जन (acquisition) तथा वहां भूमि सुधारों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश के नागर-क्षेत्रों में स्थित कृषि-क्षेत्रों में जमींदारी प्रथा का विनाश तथा ऐसे क्षेत्रों में कृषक और राज्य के बीच मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व (rights, title and interest) का अर्जन तथा वहां भूमि सुधारों की व्यवस्था की जाय;

अतएव भारतीय गणतन्त्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है —

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५५, कहलायेगा।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२४।

यू० पी० ऐक्ट २,१९१४।

[(२) (क) इसका प्रसार उन क्षेत्रों में होगा जो ७ जुलाई, १९४९, को यूनाइटेड प्रांविसेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६, के अधीन किसी म्युनिसिपैलिटी या नोटीफाइड एरिया के अथवा कैन्टूनमेन्ट ऐक्ट, १९२४, के अधीन किसी कैन्टूनमेन्ट के अथवा यूनाइटेड प्रांविसेज टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४, के अधीन किसी टाउन एरिया के अन्तर्गत थे।]

"इसका प्रसार उन क्षेत्रों में व्यय होगा जो :—

(क) अनुसूची के भाग क में उल्लिखित राज्य क्षेत्र (territory) की दशा में ३० जून, १९५४, को किसी म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया अथवा कैन्टूनमेन्ट के वहां प्रवृत विधि के अधीन, अन्तर्गत थे, और

(ख) उत्तर प्रदेश के शेष भाग की दशा में ७ जुलाई, १९४९, का, यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६, के अधीन किसी म्युनिसिपैलिटी या नोटीफाइड एरिया के अथवा कैन्टूनमेन्ट ऐक्ट, १९२४, के अधीन किसी कैन्टूनमेन्ट के अथवा यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४, के अधीन किसी टाउन एरिया के अन्तर्गत थे।"

(ख) इसका प्रसार अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों में भी होगा किन्तु वहां इसका प्रभाव ऐसे अपवादों (exceptions) अथवा परिष्कारों (modifications) के अधीन होगा, जिन्हें राज्य सरकार उचित समझे और जिनसे कोई तात्विक अंतर न पड़ता हो (not affecting the substance)।

[(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा किन्तु उन क्षेत्रों में, जो उपधारा (२) के खंड (ख) में उल्लिखित हों, ऐसे दिनांक पर प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस सम्बन्ध में निश्चित करे; तथा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों (provisions) के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।]

"(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा किन्तु अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों में ऐसे दिनांक पर और ऐसे अपवादों अथवा परिष्कारों के साथ प्रचलित होगा जिनसे कोई मौलिक अन्तर न पड़ता हो, और जिन्हें राज्य सरकार इस सम्बन्ध में गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे, तथा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांकों और भिन्न-भिन्न अपवादों अथवा परिष्कारों की व्यवस्था की जा सकती है।"

परिभाषाएं

२—विषय या प्रसंग (subject or context) में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में:

(१) "कृषि क्षेत्र" का तात्पर्य, जहां तक इसका सम्बन्ध किसी नागर-क्षेत्र से हो, ऐसे क्षेत्र से है जो उस दिनांक को जिसे राज्य सरकार उस सम्बन्ध में विज्ञापित करे—

(क) किसी मध्यवर्ती की सीर, खुदकाश्त अथवा मध्यवर्ती के बाग के रूप में उसके कब्जे में हो, उसके पास हो, (held by him) अथवा उसके पास समझा जाता हो;

(ख) जो, अवध, के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी (permanent lessee in Avadh) के पास बाग के रूप में अथवा उसकी निजी खेती (personal cultivation) में हो; अथवा

(ग) निम्नलिखित के खाते (holding) में सम्मिलित हो और उसके खातेदार द्वारा कृषि अथवा उद्यानकरण (agriculture or horticulture) के प्रयोजनों के निमित्त प्रयुक्त होता हो—

(१) शरहमुअय्यन काश्तकार (fixed-rate tenant),

(२) साकितुलमिल्कियत काश्तकार (exproprietory tenant),

(३) दखीलकार काश्तकार (occupancy tenant),

(४) अवध में विशेष शर्तों वाला काश्तकार (tenant holding on Special terms in Avadh),

(५) माफीदार (rent free grantee),

(६) रियायती लगान का काश्तकार (grantee at a favourable rate of rent),

(७) मौरूसी काश्तकार (hereditary tenant),

(८) बाग़दार (grove-holder), अथवा

(९) यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ की धारा ४७ की उपधारा (४) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार (Sub-tenant) हो; अथवा

(१०) यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ की धारा ३० की उपधारा (३) में अभिदिष्ट भूमि से भिन्न भूमि का गैर-दखीलकार काश्तकार (non-occupancy tenant)।

किन्तु सदैव प्रतिबन्ध यह है कि वह भूमि, जिस पर उपर्युक्त दिनांक पर ऐसी इमारतें हों, जो यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ की धारा ३ में परिभाषित (improvement) (उन्नति) न हों, तथा ऐसी इमारतों से संबद्ध भूमि, कृषि-क्षेत्र (agricultural area) नहीं मानी जायगी।

"(घ) इमारतें बनाने के प्रयोजनों के लिये १ जुलाई, १९५५ के पूर्व यथावत् निष्पादित (duly made) लिखित पट्टे पर हो, किन्तु उस पर काबिज़ व्यक्ति (holder) या ऐसे अन्य व्यक्ति जो उस व्यक्ति के आधार पर स्वत्व रखने का दावा करता हो, उसको उसकी कृषि के प्रयोजनों के लिये काम में लाता हो।

(ङ) अध्यासी के पास हो अथवा उसके द्वारा अध्यासित।

"स्पष्टीकरण—ऐसे क्षेत्र के संबंध में, जो किसी काश्तकार के खाते का भाग हो, केवल इस कारण से कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले के ७ वर्षों में फसलें अथवा अन्य कृषि-उपज उत्पन्न करने के लिये काम में नहीं लाया गया है, यह नहीं समझा जायगा कि वह कृषि-क्षेत्र (Agricultural area) नहीं रहा है।"

(२) "केन्द्रीय सरकार" का वही अर्थ होगा जो जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १८९७ में सेंट्रल गवर्नमेंट (Central Government) का है,

(३) "प्रतिकर आयुक्त" (Compensation Commissioner) का तात्पर्य धारा ६३ के अधीन नियुक्त प्रतिकर आयुक्त से है ;

(४) "प्रतिकर अधिकारी" (Compensation Officer) का तात्पर्य धारा ६३ के अधीन नियुक्त प्रतिकर अधिकारी से है ;

(५) "डिक्री" का वही अर्थ है, जो 'decree' का कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में है;

(६) ["परिच्छेद, आयुक्त (Demarcation Commissioner) तथा "परिच्छेद अधिकारी" (Demarcation Officer) का तात्पर्य धारा ६३ के अधीन नियुक्त क्रमशः परिच्छेद आयुक्त तथा परिच्छेद अधिकारी से है,]

(६) "परिच्छेद अधिकारी" का तात्पर्य धारा ६३ के अधीन नियुक्त किये गये परिच्छेद अधिकारी से है।"

(७) "मध्यवर्ती (intermediary)" का तात्पर्य, जब उसका सम्बन्ध किसी कृषि-क्षेत्र से हो, निम्नलिखित से है और इसके अन्तर्गत उपमध्यवर्ती (sub-intermediary) भी है—

(क) स्वामी (proprietor),
(ख) मातहतदार (under-proprietor),
(ग) अदना मालिक (sub-proprietor),
(घ) ठेकेदार,
(ङ) अवध का पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी (permanent lessee in Avadh), तथा
(च) किसी क्षेत्र अथवा उसके भाग का दवामी काश्तकार (permanent tenure-holder),

(८) "विधिक प्रतिनिधि" (legal representative) का वही अर्थ है, जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में "legal representative" का है, ऐक्ट ५, १९०५

"(८क) 'अध्यासी (occupier)' का तात्पर्य किसी कृषि-क्षेत्र के प्रसंग में, ऐसी भूमि के मध्यवर्ती, पट्टेदार, शिकमी पट्टेदार, काश्तकार, माफीदार (Grantee), बागदार, शिकमी काश्तकार, या भोगबन्धकों (Mortgagee in possession) से भिन्न व्यक्ति, से है जो १ जुलाई, १९५४ से या उससे पूर्व ऐसे क्षेत्र में किसी भूमि के कृषि सम्बंधी कब्जे (Cultivatory possession) में हो।

(९) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है,

(१०) "पूर्व कृषि वर्ष (previous agricultural year)" का तात्पर्य उस कृषि वर्ष से है, जो उस कृषि वर्ष से ठीक पहले हो, जिसमें निहित होने का दिनांक पड़ता हो,

(११) "स्वामी" (proprietor) का तात्पर्य, जब उसका संबंध किसी कृषि क्षेत्र से हो, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी (Central government, State Government or Local authority) से भिन्न ऐसे व्यक्ति से है जो न्यासी के रूप में (in trust) या अपने ही लाभ के लिये किसी कृषि-क्षेत्र का स्वामित्व रखता हो और उसके अन्तर्गत स्वामी के दायाधिकारी (heirs) और स्वत्व के उत्तराधिकारी (successors in-interest) भी हैं,

(१२) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है,

(१३) ["उप-मध्यवर्ती" (sub-intermediary) का तात्पर्य धारा २ की उपधारा (१) के खंड (ग) के उपखंड (६) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार से भिन्न शिकमी काश्तकार के क्षेत्रपति (land holder) से है,]

(१३) "उप-मध्यवर्ती" (sub-intermediary) का तात्पर्य किसी ऐसे शिकमी काश्तकार के क्षेत्रपति (land holder) से है, जो निम्नलिखित से भिन्न हो :—

(१) बाग-भूमि का शिकमी काश्तकार,

(२) यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १६३६ की धारा ४७ की उपधारा (४) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार, और

(३) यू० पी० टेनेन्सी (अमेन्डमेंट) ऐक्ट, १६४७ की धारा २७ की।

(१४) ["नागर क्षेत्र (urban area)" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो ७ जुलाई, १६४६ को यूनाइटेड प्राविंसेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १६१६ के अधीन म्युनिसिपैलिटी या नोटीफाइड एरिया अथवा यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन एरियाज ऐक्ट, १६१४ के अधीन टाउन एरिया अथवा कैन्टूनमेन्ट ऐक्ट, १६२४ के अधीन कैन्टूनमेंट था,]

यू० पी० ऐक्ट, २, १६१६।
यू० पी० ऐक्ट, संख्या २, १६१४।
यू० पी० ऐक्ट २, १६२४।

(१४) "नागर-क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो—

(क) अनुसूची के भाग क में उल्लिखित राज्य-क्षेत्रों की कला में ३० जून, १६५५ को, किसी म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया अथवा कैन्टूनमेन्ट के, वहां प्रवृत विधि के अधीन थे, और

(ख) उत्तर प्रदेश के शेष भाग की दशा में ७ जुलाई, १६४६ को यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १६१६ के अधीन किसी म्युनिसिपैलिटी या नोटीफाइड एरिया के अथवा कैन्टूनमेंट ऐक्ट, १६२४ के अधीन किसी कैन्टूनमेन्ट के अथवा यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन एरियाज ऐक्ट, १६१४ के अधीन किसी टाउन एरिया के अन्तर्गत थे।"

(१५) शब्दों और पदों (words and expressions) "अबवाब" "साकितुल्मिल्कियत काश्तकार", "बाग", "बागदार", "शरह मुअय्यन काश्तकार", "मौरूसी काश्तकार", "खाता", "खुदकाश्त", "क्षेत्रपति", "गैर दखीलकार काश्तकार", "दखीलकार काश्तकार" या "अवध का पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी", "दवामी काश्तकार", "लगान", "माफीदार", "सायर", "सीर", "शिकमी काश्तकार", "काश्तकार" और "ठेकेदार" के [जो इस अधिनियम में

परिभाषित नहीं हैं, किन्तु] जिनके पर्याय का प्रयोग यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ में हुआ है, वही अर्थ होंगे जो उक्त टेनेन्सी ऐक्ट में क्रमशः :—

"cess", ex-proprietory tenant "grove", "grove-holder", "fixed rate tenant", "hereditary tenant" "holding", khudkast" "landholder", "non-occupancy tenant", "occupancy tenant", "permanent lessee in Avadh", "permanent tenure holder" "rent", "rent free grantee", "sayar", "sir", "Sub-tenant", "tenant", और "thekedar" के हैं,

(१६) शब्द और पद (words and expressions) "परगने के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर", "[माल] बोर्ड", "कलेक्टर", "अवयस्क", "मालगुजारी", "अदना मालिक" और "मातहतदार" के, [जो इस अधिनियम में पारिभाषित नहीं है, किन्तु] जिनके पर्याय का प्रयोग यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में हुआ है, वही अर्थ होंगे जो उक्त ऐक्ट, में क्रमशः "Assistant Collector incharge sub-division", "Board of Revenue", "Collector","minor","revenue", "sub-proprietor", तथा "under-proprietor" के हैं।

अध्याय २

कृषि-क्षेत्रों का परिच्छेद

कृषि-क्षेत्रों के परिच्छेद की आज्ञा देने का अधिकार।

३—(१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नागर-क्षेत्रों में मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व (rights title and interest) अर्जन (acquisition) करने के प्रयोजन से सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा आदेश दे सकती है कि ऐसे किसी क्षेत्र में स्थित कृषि-क्षेत्र का परिच्छेद किया जाय।

(२) उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात् यथाशीघ्र परिच्छेद अधिकारी नियत रीति से जांच करेगा तथा नागर-क्षेत्रों में स्थित ऐसे कृषि-क्षेत्रों का अवधारण तथा परिच्छेद करेगा।

प्रारम्भिक प्रस्तावों का प्रकाशन तथा उन पर आपत्तियां।

४—(१) परिच्छेद अधिकारी, धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक से तीन मास अथवा ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जिसे राज्य सरकार किसी मामले में निश्चित करे, कारण बतलाते हुए अपने प्रस्तावों को परिच्छेद आयुक्त (Demarcation Commissioner) के पास प्रस्तुत करेगा जो उसमें ऐसे परिष्कार (modifications) कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(२) उक्त प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात् परिच्छेद आयुक्त नियत आकार में नोटिस गजट में तथा अन्य किसी ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, इस आशय की प्रकाशित करायेगा कि प्रस्ताव जहां तक कि उनका सम्बन्ध कृषि-क्षेत्रों के परिच्छेद से है, सूत्रित (formulated) हो चुके हैं और उक्त नोटिस में निर्दिष्ट स्थानों पर निरीक्षण के लिये उपलब्ध हैं।

(३) कोई भी स्वत्व रखने वाला व्यक्ति अथवा स्थानीय प्राधिकारी (local authority) उपधारा (२) के अधीन नोटिस प्रकाशित होने के दिनांक से तीन मास के भीतर ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी के समक्ष, और ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

अन्तिम परिच्छेद (final demarcation)।

५—(१) धारा ४ की उपधारा (३) में उल्लिखित तीन मास की अवधि समाप्त होने के पश्चात् परिच्छेद आयुक्त नियत रीति से आपत्तियों के निर्णय करने की कार्यवाही करेगा और तत्पश्चात् कृषि-क्षेत्र का अन्तिम रूप से परिच्छेद करेगा।

(२) परिच्छेद आयुक्त द्वारा उपधारा (१) के अधीन कृषि-क्षेत्र की अन्तिम परिच्छेद हो जाने के पश्चात् वह गजट में तथा ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, इस आशय का नोटिस प्रकाशित करायेगा कि कृषि-क्षेत्रों का अन्तिम रूप में परिच्छेद हो गया है तथा उसके ब्योरे (details) नोटिस में निर्दिष्ट स्थानों पर निरीक्षण के लिये उपलब्ध हैं।

(३) धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन परिच्छेद आयुक्त द्वारा पारित आज्ञा के विरुद्ध [माल] बोर्ड (Board) [of Revunue] में अपील हो सकेगी।

"५—क-कृषि क्षेत्रों में परिच्छेद सम्बन्धी प्रस्तावों में अथवा अन्ततः परिच्छिन्न (final demaraed) कृषि क्षेत्रों के ब्योरों में अथवा धारा ३, ४ अथवा ५ के अधीन किसी आज्ञा या कार्यवाही में लेख अथवा गणना की अशुद्धियां अथवा ऐसी अशुद्धियां, जो उनमें संयोगवश किसी भूल के कारण हो गई हो, परिच्छेद अधिकारी अथवा कमिश्नर द्वारा, जैसी भी दशा हो, स्वतः या स्वत्व रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, ठीक की जा सकती है"।

अधिकार अभिलेख (record of rights) का पुनरीक्षण।

६—[राज्य सरकार, यदि वह किसी नागर-क्षेत्र के सम्बन्ध में यह आवश्यक समझे, आज्ञा द्वारा निर्देश दे सकती है कि ऐसे क्षेत्रके सम्बन्ध मे अधिकार अभिलेख (record of rights) यूनाइटेड प्रॉविंसेज लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के उपबन्धों के अनुसार तैयार अथवा पुनरीक्षित किया जाय।]

"६—यदि राज्य सरकार परिच्छेद (demarcation) के प्रयोजन के लिये किसी नागर-क्षेत्र के सम्बन्ध में ऐसा करना आवश्यक समझे तो वह यह आज्ञा देगी कि उक्त क्षेत्र के सम्बन्ध में अधिकार अभिलेख तैयार अथवा पुनरीक्षित (revised) किया जाय और तत्पश्चात् यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अनुसार जहां तक हो सकेगा वैसा ही किया जायगा।"

अध्याय ३

मध्यवर्तियों के स्वत्वों का अर्जन और उसके परिणाम

कृषि क्षेत्रों का राज्य में निहित होना।

७—धारा ५ के अधीन कृषि-क्षेत्र का परिच्छेद होने के पश्चात् किसी भी समय राज्य सरकार प्रख्यापित कर सकेगी कि निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से नागर-क्षेत्र में स्थित ऐसे सभी क्षेत्र राज्य में निहित हो जायंगे (shall vest in the State) और इस प्रकार निर्दिष्ट दिनांक के आरम्भ से [जिसे आगे निहित होने का दिनांक (date of vesting) कहा जायगा], ऐसे समस्त कृषि-क्षेत्र राज्य को हस्तान्तरित (transfer) होकर, उस दशा को छोड़कर जिसकी आगे व्यवस्था की गई है सब भारों से मुक्त (free from all encumbrances) हो, उसमें निहित हो जायंगे।

वज्ञप्ति का गजट में प्रकाशित किया जाना।

८—धारा ७ में अभिदिष्ट विज्ञप्ति सरकारी गजट में प्रकाशित की जायगी और इस प्रकार का प्रकाशन इस बात का निश्चायक प्रमाण (conclusive proof) होगा कि उसका यथाविधि प्रकाशन हो गया है।

निहित होने के परिणाम।

९—किसी कृषि-क्षेत्र के सम्बन्ध में धारा ७ के अधीन विज्ञप्ति सरकारी गजट में प्रकाशित हो जाने पर, किसी संविदा (contract), लेख्य (document) या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि (any other law for the time being in force) में किसी बात के रहते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम में किसी भिन्न व्यवस्था के न होने पर (save as otherwise provided in this Act) निहित होने के दिनांक के प्रारम्भ से ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में आगे लिखे परिणाम उत्पन्न होंगे, अर्थात्—

(क) खानों और खनिज पदार्थों में यदि कोई अधिकार हों तो उनके सहित ऐसे क्षेत्र में तथा अधोभूमि (Sub-soil) में सभी मध्यवर्तियों के समस्त अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जावेंगे और समस्त भारों से मुक्त होकर वे राज्य में निहित हो जायेंगे।

(ख) इस प्रकार अर्जित क्षेत्र की भूमि के, या उसमें, अथवा ऐसी भूमि से सम्बद्ध किसी अधिकार अथवा विशेषाधिकार के या में, अथवा मध्यवर्ती के पक्ष में उसकी मालगुजारी के, समस्त अनुदान तथा आगम-प्रदान (confermation of title), चाहे वे वापस लिये जा सकते हों या नहीं, समाप्त हो जायंगे,

(ग) (१) इस प्रकार अर्जित क्षेत्र से सम्बन्धित ऐसे सभी लगान, अबवाब, स्थानिक कर (local rates) और सायर, जो निहित होने के दिनांक के पश्चात् किसी भी कालावधि के लिये हों, और जो क्षेत्र अर्जित न किये जाने की दशा में मध्यवर्ती को देय होते, राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे और उसको देय होंगे न कि मध्यवर्ती को, और यदि इस खंड का उल्लंघन करते हुए कोई भुगतान किया जायगा तो देने वाला अपने दायित्व से वैध रूप मुक्त होगा।

(२) यदि निहित होने के दिनांक से पहले किये गये किसी अनुबन्ध (agreement) या संविदा (contract) के अधीन उक्त दिनांक के पश्चात् किसी अवधि का कोई लगान, अबवाब या स्थानिक-कर मध्यवर्ती को दे दिया गया हो, या उसके द्वारा अभिसंधित (compounded), अथवा अभित्यक्त (released) किया गया हो, तो उक्त अनुबन्ध या संविदा के होते हुए भी वह राज्य सरकार द्वारा मध्यवर्ती से वसूल किया जा सकेगा और वसूली के किसी अन्य ढंग को बाधित न करते हुए, ऐसे मध्यवर्ती को अध्याय ४ के अनुसार मिलने वाले प्रतिकर में से काटकर वसूल किया जा सकेगा।

(घ) इस प्रकार अर्जित क्षेत्र से सम्बद्ध ऐसी सभी मालगुजारी (revenue) अबवाब अथवा अन्य देयों की समस्त बकाया, जो मध्यवर्ती से, निहित होने के दिनांक से पहले की किसी अवधि

के लिये प्राप्य हों, ऐसे मध्यवर्ती से वसूल किये जाने योग्य बने रहेंगे और वसूली के अन्य ढंगों को बाधित न करते हुए ऐसे मध्यवर्ती को अध्याय ४ के अनुसार मिलने वाले प्रतिकर की धनराशि से काट कर वसूल की जा सकेगी,

(ङ) ऐसी सब धनराशियां, जिन्हें राज्य सरकार को देने के लिये यू० पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ की धारा २७ और २८ के अधीन किसी मध्यवर्ती को आज्ञा हुई हो या जो लैन्ड इम्प्रूवमेंट लोन्स ऐक्ट, १८८३ अथवा एग्रीकल्चरिस्ट्स लोन्स ऐक्ट, १८८४ के अधीन उससे प्राप्य हों, उपर्युक्त अधिनियमों में किसी बात के रहते हुये भी, तुरन्त देय हो जायेंगी और, यदि उनकी वसूली का कोई अन्य ढंग निर्दिष्ट हो तो उसे बाधित न करते हुए, ऐसे मध्यवर्ती को अध्याय ४ के अधीन मिलने वाले प्रतिकर में से काटकर वसूल की जा सकेगी; यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४।

(च) इस प्रकार अर्जित क्षेत्र में मध्यवर्ती का स्वत्व किसी दीवानी या माल (civil or revenue) न्यायालय की किसी डिक्री या अन्य प्रसर (process) के निष्पादन (execution) में कुर्क या नीलाम नहीं हो सकेगा और निहित होने के दिनांक पर वर्तमान (existing) प्रत्येक कुर्की और उस दिनांक से पहले दी गयी कुर्की की आज्ञा ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ७३ के उपबन्धों को बाधित न करते हुये, ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में निष्प्रभाव हो जायगी (shall cease to have force) ;

(छ) (१) ऐसा प्रत्येक भोगबन्धक (mortgage with possession) जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर इस प्रकार अर्जित क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग पर हो, धारा ७ के अधीन राज्य सरकार के अधिकारों, को बाधित न करते हुये, उस धनराशि के लिये, जो उस पर सुरक्षित हो, दृष्टि-बंधक में (simple mortgage) परिवर्तित (substituted) समझा जायगा ;

(२) बंधक-पत्र (mortgage deed) या किसी दूसरे अनुबन्ध (agreement) में किसी बात के रहते हुये भी, उपखंड (१) के अनुसार परिवर्तित (substituted) दृष्टिबंधक के संबंध में प्रख्यापित देय धनराशि पर ब्याज ऐसी दर और ऐसे दिनांक से चलेगा जो नियत किया जाय ;

(ज) किसी ऐसे रुपये के लिये, जो इस प्रकार अर्जित किसी ऐसे क्षेत्र या उसके भाग के बंधक से सुरक्षित (secured) अथवा उस पर भार-रूप (charged) हो, कोई दावा दायित्व, जो निहित होने के दिनांक से पहले मध्यवर्ती द्वारा या उसके विरुद्ध किया जा सकता हो या उपगत (incurred) किया गया हो, उस दशा को छोड़कर जिसकी व्यवस्था ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ७३ में की गयी है, क्षेत्र में उसके स्वत्व (interest) के विरुद्ध व्यवहार में नहीं लाया जा सकेगा (shall not be enforceable); ऐक्ट ४, १८८२।

(झ) नियत किये जाने वाले प्रकार (nature) के ऐसे सब वाद (suits) और कार्यवाहियां (proceedings) जो निहित होने के दिनांक पर किसी न्यायालय में विचाराधीन (pending) हों और निहित होने के दिनांक से पूर्व ऐसे किसी वाद या कार्यवाही में हुई डिग्री या आज्ञा से संबंध रखने वाली सब कार्यवाहियां, स्थगित कर दी जायंगी (shall be stayed); तथा

(ङ) प्रत्येक ठेका ऐसे क्षेत्र की आयति तक (to the extent of) प्रभावशील नहीं रहेगा ।

"(ट) निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर विद्यमान सभी महाल तथा अन्य उप-विभाग (sub-divisions) और मालगुजारी या लगान की अदायगी के लिये किसी मालिक (proprietor), मातहतदार (under--proprietor) अथवा अदना मालिक (sub-proprietor), हिस्सेदार (co-sharer) या लम्बरदार द्वारा इसी नाते किये गये सब संकेत (engagement's) समाप्त और निष्प्रभाव हो जायंगे ।"

कुछ अधिकारों के सम्बन्ध में अपवाद ।

१०—इस अध्याय में कही गयी किसी बात का प्रभाव किसी व्यक्ति के निम्नलिखित अधिकारों पर नहीं होगा:—

(क) इस अधिनियम के पूर्वोक्त उपबन्धों के अनुसार अर्जित किसी कृषि-क्षेत्र के अन्तर्गत किसी खान को चलाते रहने का अधिकार, जो तत्समय प्रचलित (for the time being in force) विधि द्वारा नियमित होगा,

(ख) निहित होने के दिनांक से पहले के लगान, अबवाब, सायर या अन्य देयों की बकाया की वसूली का अधिकार जो इस अधिनियम में किसी बात के रहते हुये भी पहले की तरह ऐसे व्यक्ति द्वारा वसूल किये जा सकेंगे, जिसे उन्हे वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि लगान की बकाया की कोई डिक्री अथवा लगान की बकाया न देने के कारण बेदखली की आज्ञा वाद ऋणी (judgement) (debtor) की उसके खाते से बेदखली द्वारा अथवा उसके खाते की बिक्री द्वारा निष्पादित नहीं की जायगी:

और यह भी प्रतिबन्ध है कि यदि कोई मध्यवर्ती लगान, स्थानिक कर (local rates), सायर अथवा पूर्वोक्त अन्य देय धनराशियों (dues) का देनदार है और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उस मध्यवर्ती का उस क्षेत्र में स्वत्व (interest) अर्जित कर लिया गया है, जिसकी बकाया देय है, तो लगान, स्थानिक-कर, सायर अथवा पूर्वोक्त अन्य देय धनराशियां, प्राप्तिकर्ता द्वारा वसूली के अन्य साधनों को बाधित न करते हुये, मध्यवर्ती को मिलने वाले प्रतिकर में से वसूल किये अथवा चुकाये जा सकते हैं ।

खान और खनिज पदार्थ ।

११—१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) के अध्याय ६ के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित (mutatis mutandis) इस अधिनियम के अधीन अर्जित कृषि क्षेत्र में खानों

और खनिज पदार्थों (mines and minerals) पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन अर्जित आस्थानों (estates) की खानों और खनिज पदार्थों के संबंध में लागू होते हैं ।

भरण-पोषण के लिये दी गई सीर या खुदकाश्त ।

१२—यदि किसी कृषि-क्षेत्र के सीरदार या खुदकाश्तदार ने अपनी सीर या खुदकाश्त किसी दूसरे व्यक्ति को भरण-पोषण (maintenance) के लिए दे रक्खी हो तो ऐसा दूसरा व्यक्ति उस भूमि का आसामी समझा जायगा और उसको वह भूमि उस अवधि तक रखने का अधिकार होगा जब तक कि उसको भरण-पोषण पाने का अधिकार रहे।

कुछ अवस्थाओं में ठेकेदारों का मौरूसी काश्तकार होना।

[१३—(१) यदि किसी कृषि-क्षेत्र में कोई भूमि १ जुलाई, १९५५ को किसी व्यक्ति की निज जोत में ठेकेदार की हैसियत से रही हो और ठेका इस आशय से दिया गया हो कि वह व्यक्ति उस भूमि में स्वयं खेती करेगा तो किसी विधि, लेख्य या न्यायालय की आज्ञा में किसी बात के रहते हुये भी उसके विषय में यह समझा जायगा कि वह उस भूमि का ऐसा मौरूसी काश्तकार (hereditary tenant) है, जिसे उस भूमि को अपने कब्जे में मौरूसी काश्तकार की हैसियत से रखने और, यदि पूर्वोक्त दिनांक के पश्चात वह बेदखल हो गया हो तो, उसको उस हैसियत से फिर कब्जा पाने का अधिकार है और वह उस भूमि के लिये मौरूसी दर से लगान का देनदार होगा।

(२) ठेके की भूमि का ठेके के प्रारम्भ से ठेकेदार की निज जोत में रहना, इंडियन एवीडेंन्स ऐक्ट, १८७२ की धारा ९१ और ९२ में किसी बात के रहते हुये भी, इस बात के प्रमाण में ग्राह्य होगा कि ठेका उपधारा (१) में उल्लिखित आशय से दिया गया था ।]

आस्थान जो ठेकेदार के कब्जे में हों ।

१४—(१) [धारा १३ तथा इस धारा की उपधारा (२) के उपबन्धों को बाधित न करते हुये, किसी कृषि-क्षेत्र की भूमि के ठेकेदार को, निहित होने के दिनांक से, ऐसे क्षेत्र की किसी भूमि को ठेकेदार के रूप में अपने पास या कब्जे में रखने का अधिकार न रह जायगा।

(२) जहां निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर ऐसी कोई भूमि ठेकेदार की निज जोत में रही हो, उस दशा में —

(क) यदि वह भूमि ठेका दिये जाने के दिनांक पर ठेका देने वाले की सीर या खुदकाश्त थी, तो धारा १७ के प्रयोजनों के लिये, निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर, वह ठेका देने वाले की सीर या खुदकाश्त समझी जायगी तथा निहित होने के दिनांक से ठेकेदार उसका आसामी हो जायगा और निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर लागू मौरूसीदरों से लगान का देनदार होगा तथा भूमि पर, ठेके की शेष अवधि या निहित होने के दिनांक से पांच वर्ष, दोनो में से जो कम हो उस अवधि के लिये, उसी रूप में काबिज रहने का अधिकारी होगा;

(ख) यदि वह ठेका दिये जाने के दिनांक पर ठेका देने वाले की सीर या खुदकाश्त नहीं थी, और

(१) [उसका क्षेत्रफल तीस एकड़ से अधिक नहीं है,] तो धारा १८ के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायगा कि वह भूमि ठेकेदार के पास मौरूसी काश्तकार के नाते ऐसे लगान पर नहीं है, जो निहित होने के दिनांक

से ठीक पहले के दिनांक पर लागू मौरूसी दरों से लगाये गये लगान के बराबर हो;

"उसका क्षेत्रफल जिसके अन्तर्गत ऐसा कृषि-क्षेत्र भी है जिस पर या तो वह स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के सहित संयुक्त रूप से कब्जा रखता हो, १२॥ एकड़ से अधिक नहीं है।"

(२) [उसका क्षेत्रफल तीस एकड़ से अधिक है, तो यह समझा जायगा कि उसके पास उसमें से तीस एकड़ भूमि] धारा १८ के प्रयोजनों के लिये पूर्वोक्त प्रकार से मौरूसी काश्तकार के नाते रही है और शेष खाली भूमि समझी जायगी और ठेकेदार अध्याय ७ के उपलब्धों के अनुसार उससे बेदखल हो सकेगा।

"उसका क्षेत्रफल जिसके अन्तर्गत ऐसा कृषि-क्षेत्र भी है जिस पर या तो वह स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के सहित संयुक्त रूप से कब्जा रखता हो, १२॥ एकड़ से अधिक है, तो यह समझा जायगा कि उसके पास १२॥ एकड़ भूमि"

"स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये किसी व्यक्ति के परिवार में, यदि उसके सदस्य संयुक्त रूप से रहते हों, स्वयं वह व्यक्ति, उसकी अवयस्क संतान, यथास्थिति उसकी पत्नी अथवा उसका पति और यदि वह व्यक्ति स्वयं अवयस्क हो तो उसका पिता तथा माता होंगे।"

भोग बंधकी के कब्जे का आस्थान।

१५—(१) उपधारा (२) के उपबन्धों को बाधित न करते हुये, किसी कृषि-क्षेत्र या उसके अंश (share) के किसी भोगबंध की (mortgagee with possession) को, निहित होने के दिनांक से, उस क्षेत्र की किसी भूमि को भोगबंधकी के नाते अपने पास या कब्जे में रख सकने का अधिकार नहीं रह जायगा।

दिनांक पर बंधकी

(२) जहां ऐसी कोई भूमि निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर बंधकी (mortgagee) की निज जोत में रही हो, उस दशा में—

(क) यदि उक्त भूमिबंधक (mortgage) के दिनांक पर बंधककर्त्ता की सीर या खुदकाश्त थी तो धारा १७ के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायगा कि वह बन्धककर्त्ता या उसके विधिक प्रतिनिधि (legal representative) की सीर या खुदकाश्त है, और

(ख) यदि बंधक के दिनांक पर वह बधककर्त्ता (mortgagor) की सीर या खुदकाश्त नहीं थी तो बन्धकी द्वारा निहित होने के दिनांक से छः मास के भीतर राज्य सरकार को ऐसी धनराशि दे दिये जाने पर जो, निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर लागू मौरूसी दर से लगाये गये लगान का पांचगुना हो, धारा १८ के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायगा कि वह भूमि-बन्धकी के पास पूर्वोक्त दिनांक पर और उक्त दर के लगान पर मौरूसी काश्तकार के नाते थी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि बंधकी दिये गये समय के भीतर उपर्युक्त धनराशि न दे तो ऐसी भूमि में उसके सब अधिकार समाप्त हो जायेंगे और वह भूमि खाली भूमि समझी जायगी तथा अध्याय ७ के अधीन कलेक्टर द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर बन्धकी इस प्रकार बेदखल हो सकेगा मानो वह उक्त भूमि पर इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल काबिज रहा हो।

स्पष्टीकरण---(१) इस धारा के प्रयोजनों के लिये भोगबन्धकी के अन्तर्गत उसके भोगबन्धक संबंधी अधिकारों का ठेकेदार भी होगा।

स्पष्टीकरण---(२) जब कोई भूमि भोगबन्धक हो और बंधककर्त्ता उसी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में उस भूमि का द्वितीय अथवा पर्वती (subsequent) बंधक कर देता है, तब "पद-बंधक का दिनांक पर (on the date of the mortgage)" का तात्पर्य बंधक के उस दिनांक से होगा जिसके अनुसार बंधककर्त्ता ने सर्वप्रथम बंधकी को कब्जा संक्रमित (transferred) किया हो।

ऐसी सीर, खुदकाश्त इत्यादि का परिच्छेद जो संयुक्त रुप से कब्जे में हो।

१६---(१) यदि निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर किसी कृषि-क्षेत्र में ठेकेदार से भिन्न किसी मध्यवर्ती के पास अन्य व्यक्तियों के साथ, उसके संयुक्त स्वामित्व वाली कोई भूमि, संबद्ध क्षेत्र में उसके अनुपातिक अंश से अधिक (अंश में) उसकी निज जोत में अथवा सीर, खुदकाश्त अथवा मध्यवर्ती के बाग (काश्तकार के पास की भूमि से भिन्न) के रूप में रही हो तो यथाशीघ्र नियत प्राधिकारी (prescribed authority) ऐसे मध्यवर्ती के अंश के अनुपात में उस भूमि का परिच्छेद कर देगा।

(२) (क)---धारा १७ के प्रयोजनों के लिये केवल उतनी भूमि जिसका इस प्रकार परिच्छेद किया जाय, उसकी सीर, खुदकाश्त या मध्यवर्ती का बाग समझी जायगी, और

(ख) वह भूमि, जो उसके पास उसके अंश से अधिक हो, धारा १८ के प्रयोजनों के लिये उसके पास साकितुलमिल्कियत काश्तकार (exproprietory tenant) की भूमि के रूप में रही समझी जायगी और उसे निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर लागू साकितुलमिल्कियत काश्तकारों के दर से लगान देना होगा।

मध्यवर्ती या काश्तकारों के साथ भूमिधर के नाते कुछ भूमियों का बन्दोबस्त किया जाना।

१७---(१) धारा १६ और १८ के उपबन्धों को बाधित न करते हुये---

(क) किसी कृषि-क्षेत्र की ऐसी सब भूमि, जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर---

(१) किसी मध्यवर्ती के पास या कब्जे में सीर, खुदकाश्त या मध्यवर्ती के बाग के रूप में हो, या समझी जाती हो,

(२) अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी के पास बाग के रूप में या निज जोत में हों,

(३) शरहमुयन काश्तकार के पास शरहमुयन काश्तकार होने के नाते या माफीदार के पास माफीदार होने के नाते हो, अथवा

(४) खाते को बेचने का अधिकार रखने वाले किसी---

(१) दखीलकार काश्तकार,

(२) मौरूसी काश्तकार, या

(३) काश्तकार पट्टा दवामी या इस्तमरारी के पास, अथवा

(ख) किसी कृषि-क्षेत्र में ऐसी समस्त भूमि जो उस पर भवन निर्माण के प्रयोजनार्थ १ जुलाई १९५५ के पूर्व विधिवत निष्पादित पट्टे पर थी,

(५) बागदार (grove-holder) के पास हो, और सरकार के विषय में यह समझा जायगा कि राज्य द्वारा ऐसे मध्यवर्ती पट्टेदार, काश्तकार, माफीदार अथवा बागदार जैसी भी दशा हो, के साथ उसका बन्दोबस्त कर दिया गया है और ऐसे व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह उस भूमि को, इस अधिनियम के उपबन्धों को बाधित न करते हुये, भूमिधर के नाते अपने कब्जे में ले ले या रखे।

स्पष्टीकरण---खंड (१) में "सीर" के अन्तर्गत काश्तकार के पास की सीर नहीं है,

(२) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के विषय में, जो १९४९ ई० के संयुक्त प्रांतीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान (ऐक्ट) की धारा ३ में उल्लिखित वर्ग का हो और जिसे किसी खाते या उसके किसी अंश के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा ६ में अभिदिष्ट प्रख्यापन प्रदान कर दिया गया हो, जब तक कि उक्त प्रख्यापन बाद को निरस्त (set aside) न हो जावे, यह समझा जायगा कि वह उस खाते या बाग का, जैसी भी दशा हो भूमिधर है।

स्पष्टीकरण---इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये पूर्वोक्त धारा ६ के अधीन अधिकारों के कथित (purported) प्रयोग के अधीन किये गये प्रख्यापन का अर्थ इस प्रकार लगाया जायगा मानों १९४९ ई० का संयुक्त प्रांतीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान (ऐक्ट) उस क्षेत्र में प्रवृत्त (applicable) था जहां वह भूमि जिसके संबंध में प्रख्यापन किया गया था, स्थित है।

खाते की भूमि का उसके काश्तकार के साथ सीरदार के नाते बन्दोबस्त।

१८---(१) धारा १९ के उपबन्धों को बाधित न करते हुये किसी कृषि-क्षेत्र में ऐसी सब भूमि के विषय में, जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर किसी व्यक्ति के पास नीचे लिखे रूप में हो या रही समझी जाय, केवल उन दशाओं को छोड़कर जिनकी व्यवस्था धारा १७ की उपधारा (१) के खंड (घ) में की गयी है, यह समझा जायगा कि उसका बन्दोबस्त राज्य सरकार ने उस व्यक्ति के साथ कर दिया है और इस अधिनियम के उपबन्धों को बाधित न करते हुये उस व्यक्ति को अधिकार होगा कि सीरदार के रूप में वह भमि अपने कब्जे में ले ले या रखे :

(१) अवध में विशेष शर्तों वाला काश्तकार (tenant holding on special terms in Avadh) ;

(२) साकितुलमिल्कियत काश्तकार (exproprietory tenant) ;

(३) दखीलकार काश्तकार (occupancy tenant) ,

(४) मौरूसी काश्तकार (hereditary tenant) ;

(५) काश्तकार रियायती लगान (grantee at favourable rate of rent) ;

(६) यूनाइटेड प्रांविंसेज टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा ३० की उपधारा (५) के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति में (tea estates) के नाम से विज्ञप्ति चाय आस्थानों का गैरदखीलकार काश्तकार,

(७) यूनाइटेड प्रांविंसेज टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा ४७ की उपधारा (४) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार ।

(२) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निम्नलिखित था या समझा गया हो :

(क) सीर का काश्तकार, अथवा

(ख) बाग भूमि से भिन्न किसी भूमि का ऐसा शिकमी काश्तकार (sub-tenant) जो यू० पी० टेनेंसी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४७ की धारा २७ की उपधारा (३) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार से भिन्न हो,

जब तक धारा १९ के खंड (ज) के अधीन असामी न हो जाय तब तक वह सीरदार की हैसियत से कब्जा पाने और बनाये रखने का अधिकारी होगा तथा यह समझा जायगा कि उसके साथ राज्य सरकार द्वारा भूमि का बन्दोबस्त कर दिया गया है ।

गैरदखीलकार काश्तकारों, बाग-भूमि के शिकमियों और काश्तकारों के बन्धकियों का असामी होना

१९—प्रत्येक व्यक्ति, जिसके पास या दखल में निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर किसी कृषि-क्षेत्र में कोई भूमि निम्नलिखित के नाते रही हो, इस अधिनियम में किसी बात के रहते हुए भी, उस भूमि का असामी समझा जायगा :

(क) किसी मध्यवर्ती का बाग भूमि (grove land) का गैर-दखीलकार काश्तकार (non-occupancy tenant),

(ख) बाग-भूमि का शिकमी काश्तकार (sub-tenant),

(ग) यूनाइटेड प्रांविंसेज टेनेंसी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४७ की धारा २७ की उपधारा (३) के प्रतिबन्धात्मक खंड (proviso) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार,

(घ) धारा १७ की उपधारा (१) के खंड (२) से (६) तक तथा धारा १८ के खंड (१) से (७) तक में उल्लिखित वर्गों में से किसी वर्ग के व्यक्ति का वास्तविक भोगबन्धकी (mortgagee in actual possession),

(ङ) पशुचर-भूमि (pasture land) का या ऐसी भूमि का, जिस पर पानी हो और जो सिंघाड़ा या किसी दूसरी उपज पैदा करने के काम में आती हो अथवा ऐसी भूमि का जो नदी के तल (bed of a river) में हों और कभी-कभी खेती के काम में आती हो, गैर दखीलकार काश्तकार,

(च) ऐसी भूमि का गैरदखीलकार काश्तकार, जिसके विषय में राज्य सरकार ने गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर दिया हो कि उसमें टौंगिया रीति से वन लगाने का विचार है या वह उसके लिये अलग कर दी गई है,

(छ) ऐसी भूमि का काश्तकार, जिसके विषय में राज्य सरकार ने गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर दिया हो कि वह स्थायी या अस्थिर (shifting or unstable) खेती के क्षेत्र का भाग है,

(ज) सीर का काश्तकार अथवा धारा १८ की उपधारा (२) के खंड (ख) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार यदि सीरदार (sir-holder) अथवा क्षेत्रपति (land-holder) जैसी भी दशा हो, अथवा यदि एक से अधिक सीरदार अथवा क्षेत्रपति हों तो वे सब,—

(१) यदि भूमि २० जनवरी, १९५० से पूर्व उठायी गयी हो अथवा कब्जे में आई हो, तो उठाये जाने या कब्जा किये जाने के दिनांक पर, जैसी भी दशा हो, तथा २० जनवरी, १९५० को, और

(२) यदि भूमि २० जनवरी, १९५० के पश्चात् उठायी गयी हो या कब्जे में आयी हो, तो उठाये जाने अथवा कब्जा किये जाने के दिनांक पर

ऐसे अनुकूलों (adaptations), परिष्कारों (modifications), परिवर्तनों (alterations) अथवा अपवादों (exceptions) के अधीन, जो अध्याय ७ के अधीन निर्दिष्ट किये जांय, १९५० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) की धारा १५७ की उपधारा (१) में उल्लिखित एक या अधिक वर्गों के हों, और

(झ) यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ की धारा १५२ की उपधारा (१) के अधीन न्यायालय द्वारा दिए गए पट्टे के अन्तर्गत काबिज पट्टेदार, और

(ञ) धारा १७ की उपधारा (१) के खंड (ख) में अभिदिष्ट पट्टे की भूमि रखने वाले किसी व्यक्ति का शिकमी पट्टेदार (sub-lessee) ।

स्पष्टीकरण—"टौंगिया रीति से वन लगाने" का तात्पर्य वन लगाने की उस रीति (system of afforestation) से है, जिसमें प्रारम्भिक अवस्था में पेड़ लगाने के साथ-साथ खेती की फसलें भी बोई जाती हैं और जिसमें फसलों का बोना उस समय बन्द हो जाता है जब इस प्रकार लगाये गये पेड़ ऐसी छतरी के रूप में हो जाय जिससे खेती की फसलों का बोना असम्भव हो जाय ।

खंड १९ के पश्चात् निम्नलिखित खंड १९ क के रूप में बढ़ा दिया जाय

ऐसी भूमि के, जो इमारत बनवाने के प्रयोजनों के लिए कब्जे में हो, शिकमी पट्टेदारों की बेदखली ।

"१९—क(१) धारा ६० के उपबन्धों या उसके अधीन जारी की गयी किसी आज्ञा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किन्तु उपधारा (४) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए धारा १७ की उपधारा (१) के खंड (ख) में अभिदिष्ट भूमि का भूमिधर, निहित होने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर, धारा १९ के खंड (ञ) में उल्लिखित वर्ग के आसामी की बेदखली के लिये इस आधार पर कि वह उस भूमि को, जो असामी के कब्जे में है, इमारत बनाने के काम में लाना चाहता है परगना के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर को प्रार्थना-पत्र दे सकता है ।

(२) यदि प्रार्थना-पत्र नियमानुसार दिया गया हो और असिस्टेंट कलेक्टर का ऐसी जांच के पश्चात् जो नियत की जाय, यह समाधान हो जाय कि प्रार्थी भूमि को इमारत बनाने के काम में लाना चाहता है तो वह ऐसा भूमि से असामी की बेदखली के लिये आज्ञा दे सकता है :

(३) यदि उपधारा (२) के अधीन असामी उक्त भूमि से बेदखल किया गया हो तो भूमिधर बेदखली की आज्ञा के दिनांक से तीन वर्षों के भीतर उस भूमि पर इमारत बनायेगा ।

(४) यदि भूमिधर उपधारा (१) के अधीन बेदखली के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत न करे या यदि ऐसे प्रार्थना-पत्र पर दी गई बेदखली की आज्ञा तत्संबंधी कालावधि के भीतर निष्पादित न की जाय तो असामी उस भूमि का सीरदार हो जायगा और भूमिधर के अधिकार आगम और स्वत्व के संबंध में यह समझा जायेगा कि वे धारा ९ के प्रवर्तन उस प्रकार उपांतरित कर दिये गये हैं मानों निहित होने के दिनांक पर उक्त भूमिधर मध्यवर्ती था ।

(५) यदि भूमिधर उपधारा (३) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर इमारत न बनावाये तो वह असामी को या असामी द्वारा (through) दावा करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को बेदखली के समय असामी द्वारा देय लगान के पांच गुने के बराबर धनराशि का देनदार होगा ।

(६) उपधारा (२) के अधीन दी गई आज्ञा के विरुद्ध अपील कमिश्नर को की जा सकेगी "।

२०—यद्यपि इस अधिनियम के अधीन अर्जित क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भूमि के संबंध में १ जुलाई, १९४८ ई० को या उसके पश्चात् किसी मध्यवर्ती या काश्तकार द्वारा या उसकी ओर से कोई संविदा (contract) किया गया हो या कोई बात की गई या होने दी गई हो, तब भी उस भूमि के सम्बन्ध में निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर काश्तकार द्वारा देय लगान उस लगान को धनराशि के बराबर समझा जायगा, जिसका वह काश्तकार या उसका पूर्वाधिकारी (predecessor-in-title) उक्त दिनांक पर देनदार रहा हो और यदि उक्त दिनांक के पश्चात् किसी न्यायालय की डिग्री या आज्ञा के अतिरिक्त किसी और प्रकार से उसमें कोई कमी या छूट की गई हो तो उस पर विचार नहीं किया जायगा । १ जुलाई, १९४८ ई० को या उसके बाद हुए लगान-परिवर्तन का मान्य न होना।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त डिक्री या आज्ञा के अनुसार कम किया हुआ लगान, उपर्युक्त सर्किल रेट के अनुसार लगाये गये लगान से कम हो तो इस प्रकार लगाया गया लगान ही देय लगान होगा ।

"२०-क—१ जुलाई १९४८ को अथवा उसके पश्चात् किसी मध्यवर्ती और किसी व्यक्ति के बीच हुआ कोई ऐसा संविदा अथवा करार, जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव, पूर्णतः या अंशतः किसी भूमिधर या सीरदार को, किसी ऐसी भूमि के, जो उसकी जोत में सम्मिलित हो, मालगुजारी अदा करने के दायित्व से मुक्त करना हो शून्य होगा और एतद्द्वारा शून्य घोषित किया जाता है ।" इस अधिनियम के उपबन्धों को विफल करने का संविदा या करार शून्य होगा ।

कलेक्टर द्वारा आस्थानों का अवधान में लिया जाना।

२१—धारा ७ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर, कलेक्टर या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किसी अधिकारी के लिये यह वैध (lawful) होगा कि वह—

(क) इस अधिनियम के अधीन कोई क्षेत्र या क्षेत्र का भाग तथा सभी ऐसे स्वत्व (interests) अपने अवधान (charge) में ले लें जो इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार राज्य में निहित हो गये हों और ऐसे कार्य करे या कराये और ऐसा बल प्रयोग करे या कराये जो कलेक्टर या इस प्रकार नियुक्त अधिकारी के मतानुसार इस प्रयोजन के लिये आवश्यक हो,

(ख) इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार अर्जित क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भूमि, इमारत या दूसरे स्थान में प्रवेश करे, और उसका पर्यालोकन (survey) या पैमाइश (measurement) करे या कोई दूसरा ऐसा कार्य करे, जो उसके विचार से इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो,

(ग) किसी व्यक्ति को, किसी कृषि-क्षेत्र या उसके भाग से सम्बद्ध (relating to) बही (books), हिसाब (accounts) या अन्य लेख्य (documents) निर्दिष्ट (specified) प्राधिकारी के सामने प्रस्तुत करने की और ऐसे प्राधिकारी को ऐसी और सूचना, जो निर्दिष्ट की जाय या मांगी जाय, देने की आज्ञा दे, और

(घ) यदि बही, हिसाब और अन्य लेख्य आज्ञा के अनुसार प्रस्तुत न किये जायं तो किसी भूमि, इमारत या दूसरे स्थान में प्रवेश करे और ऐसी बही, हिसाब तथा दूसरे लेख्य अपने कब्जे में कर ले ।

अध्याय ४

प्रतिकर का निर्धारण

स्वत्वों के अर्जन के कारण मध्यवर्ती का प्रतिकर पान का अधिकारी होना।

२२—प्रत्येक मध्यवर्ती, जिसका किसी कृषि क्षेत्र में अधिकार (right), आगम (title) या स्वत्व (interest) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अर्जित कर लिया जाय, आगे की गई व्यवस्था के अनुसार प्रतिकर पाने का अधिकार होगा और उसको प्रतिकर दिया जायगा ।

प्रतिकर देय होने का दिनांक ।

२३—(१) प्रतिकर निहित होने के दिनांक से देय हो जायगा, किन्तु यह बात उसकी मात्रा के अवधारण पर उपाश्रित रहेगी।

(२) इस प्रकार अवधारित मात्रा पर राज्य सरकार, निहित होने के दिनांक से:—

(१) नगद दी जाने वाली प्रति कर मात्रा के विषय में, उसके अवधारण के दिनांक तक, और

(२) बन्धों (bonds) के रूप में दी जाने वाली मात्रा के विषय में, उक्त बन्धों की मुक्ति (redemption) के दिनांक तक २ १/२ प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज देगी ।

[२४—(१) राज्य सरकार ऐसी मात्रा में और ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, अन्तरिम (interim) प्रतिकर देने का निर्देश कर सकती है । अंतिरम प्रतिकर।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि निहित होने के दिनांक से नौ मास के भीतर मध्यवर्ती को देय प्रतिकर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अवधारित न किया जा सके तो मध्यवर्ती की प्रार्थना पर राज्य सरकार को उसे ऐसा अन्तरिम प्रतिकर दिये जाने का निर्देश करना होगा ।

(२) यदि किसी कृषि क्षेत्र या उसके भाग में किसी मध्यवर्ती के अधिकार, आगम अथवा स्वत्व पर कोई व्यक्ति विवाद करता हो तो ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में अन्तरिम प्रतिकर (interim compensation), प्रतिभूति (security), पुनर्भुगतान (repayment). अथवा अन्य किसी बात के संबंध में उस व्यक्ति को, ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रतिबन्धों और निरोधों (conditions and restrictions) के अधीन, जो नियत किये जायं, दिया जायगा ।]

[२५—धारा २४ के अधीन दिया गया अन्तरिम प्रतिकर इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर का भाग समझा जायगा और उसी में से काट कर संधानित (adjusted) कर दिया जायगा ।] अन्तरिम प्रतिकर का संधान ।

२६—प्रतिकर निर्धारण तथा पाने के अधिकारी मध्यवर्ती को उसके भुगतान से सम्बन्धित सब कार्यवाही ऐसे प्रतिकर अधिकारी के सामने होंगे, जिसके अधिक्षेत्र में अर्जित किया गया कृषि क्षेत्र स्थित हो । प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान की प्रक्रिया ।

२७—प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान के लिये, प्रतिकर अधिकारी एक ऐसी प्रतिकर निर्धारण तालिका (Compensation Assessment Roll) तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित बातें दिखाई जायेंगी:— प्रतिकर निर्धारण तालिका ।

(क) प्रत्येक मध्यवर्ती की कृषि–क्षेत्र के संबंध में कच्ची और पक्की निकासी (gross assets and net assets,),

(ख) निहित होने के दिनांक से पूर्व किसी भी अवधि के लिए क्षेत्र के संबंध में मध्यवर्ती द्वारा देय लगान, मालगुजारी, अबवाब (cess) तथा दूसरों देयों की बकाया (arrears),

(ग) क्षेत्र में अपने अंश (share) या स्वत्व के संबंध में प्रत्येक मध्यवर्ती द्वारा देय पिछले कृषि-वर्ष की मालगुजारी, और

(घ) ऐसे दूसरे ब्योरे जो नियत किये जायं ।

२८—धारा २७ के अधीन तैयार की गयी, प्रतिकर निर्धारण तालिका पर प्रतिकर अधिकारी के हस्ताक्षर होंगें और उक्त तालिका में उन बातों के प्रमाण में ग्राह्य होगी जो उसमें लिखी हो (shall be receivable as evidence of the facts stated therein) । प्रतिकर अधिकारी के हस्ताक्षर होना ।

२९—यूनाइटेड प्रांविंसेज लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ या समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के रहते हुए भी, यदि प्रतिकर अधिकारी को यह संतोष हो जाय कि अधिकार–अभिलेख में कोई लेख या गणना की अशुद्धि (clerical or arithmetical) अथवा ऐसी कोई भूल (mistake or error) है, जो बिल्कुल प्रत्यक्ष हो (apparent on the face) तो वह स्वयं अथवा किसी स्वत्व रखने वाले व्यक्ति को प्रार्थना पर उसको शुद्ध कर सकता है । अधिकार-अभिलेखों में लेख या गणना की अशुद्धि का ठीक किया जाना ।

दीवानी न्यायालय में स्वत्व स्थापित करने का अधिकार ।

३०—धारा २९ में कही गयी किसी बात का प्रभाव किसी व्यक्ति के उस अधिकार पर नहीं होगा, जो किसी अधिक्षेत्रयुक्त न्यायालय में यथावत व्यवहार (due process of law) द्वारा इस अधिनियम के अधीन अर्जित किये गये कृषि क्षेत्र में अपना स्वत्व स्थापित करने के संबंध में हो ।

कच्ची निकासी की संगणना (calculation)

३१—कृषि क्षेत्र के संबंध में किसी मध्यवर्ती की कच्ची निकासी (gross assets) का तात्पर्य उसके अंश अथवा स्वत्व की कुल कच्ची आय (aggregate gross income) से है, साथ ही इसका तात्पर्य शिकमी काश्तकार, काश्तकार या माफीदार या बागदार जो धारा २ की उपधारा (१) के खंड (ग) में अभिदिष्ट है, "या कोई पट्टेदार जो उक्त उपधारा के खंड (घ) में अभिदिष्ट हैं, अथवा कोई अध्यासी जो उक्त उपधारा के खंड (ङ) में अभिदिष्ट हैं ।" मातहतदार, अदना मालिक, दवामी काश्तकार तथा अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी द्वारा अथवा उनकी ओर से—

(१) नकदी के रूप में, अथवा

(२) यदि लगान जिन्सी है अथवा अंशतः नकदी और अंशतः जिन्सी है, तो उस लगान के रूप में जो यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ के उपबन्धों के अनुसार लगाया जाय, और

(३) यदि लगान देय हो, किन्तु अवधारित न हुआ हो तो मातहतदार अदना मालिक और साकितुलमिल्कियत काश्तकारों के संबंध में साकितुलमिल्कियत दरों से अवधारित लगान और अन्य के संबंध में मौरूसी दरों से अवधारित लगान के रूप में देय लगान जिसमें अबवाब (cesses) और स्थानिक-कर (local rates) सम्मिलित हैं, से भी है ।

ठेकेदार की कच्ची निकासी ।

३२—जहां तक निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर किसी कृषि क्षेत्र में किसी मध्यवर्ती का स्वत्व या अंश किसी ठेकेदार के पास था उस दशा में धारा ३१ में दिये सिद्धान्तों के अनुसार लगायी जाने वाली उस ठेकेदार की कच्ची निकासी, चाहे वह मध्यवर्ती को अन्यथा देय न भी हो, ऐसे क्षेत्र के संबंध में उस मध्यवर्ती की कच्ची निकासी समझी जायगी ।

पक्की निकासी की संगणना ।

३३—प्रतिकर निर्धारण तालिका तैयार करने में मध्यवर्ती की पक्की निकासी (net assets) ऐसे मध्यवर्ती की कच्ची निकासी में से निम्नलिखित को घटाकर निकाली जायगी:—

(क) ऐसी धनराशि जिसकी नियत रीति से गणना की जायगी और जो मध्यवर्ती द्वारा पिछले कृषि वर्ष में राज्य सरकार या प्रवर क्षेत्रपति (superior land-holder) को कृषि के संबंध में मालगुजारी अथवा लगान तथा अबवाब अथवा स्थानिक-कर के निमित्त देय थी;

[(ख) प्रबन्ध व्यय (cost of managment) और लगान की ऐसी बकाया जो वसूल न हो सकती हो दोनों मिलकर कच्ची निकासी के १५ प्रतिशत के बराबर,

(ग) मध्यवर्ती द्वारा किसी कृषि क्षेत्र के संबंध में पिछले कृषि वर्ष के लिये दिये गये अथवा दिये जाने वाले कृषि-आय-कर के, यदि कोई हो, निमित्त ऐसी धनराशि जिसकी नियत रीति से गणना की जाय ।]

स्पष्टीकरण---इस धारा के प्रयोजन के लिये ऐसी मालगुजारी जो राज्य सरकार या किसी दूसरे समर्थ प्राधिकारी (competent authority) के द्वारा या उ की ओर से ऐसे मध्यवर्ती के पक्ष में दिये गये नुदान (grant) या किये गये पुष्टीकरण (confirmation) के कारण अभ्यर्पित (assigned) अभित्यरित (released), अभिसंधित (compounded) अथवा निष्क्रीत (redeemed) की गयी हो, राज्य सरकार को मालगुजारी के रूप में देय धनराशि नहीं समझी जायगी ।

मातहतदारों, दवामी काश्तकारों और अवध के (पट्टेदार दवामी) या इस्तमरारी की कच्ची और पक्की निकासी निकालना।

३४---ऐसे स्वामियों पर, जिन्हें यूनाइटेड प्रांविंसेज लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ७८ लागू होती है या जिन्हें मालगुजारी अभ्यर्पित (assigned) है और जिनके नाम उक्त अधिनियम की धारा ३२ के खंड (ए) और (डी) के अनुसार रक्खे गये अधिकार-अभिलेखों (records of rights) में दर्ज हैं तथा मातहतदारों (under-proprietors), अदना मालिकों (sub-proprietors), दवामी काश्तकारों (permanent tenure-holders), अवध के पट्टेदारों, दवामी या इस्तेमरारी (Permanent lessees in Avadh), तथा उप-मध्यवर्तियों (sub-intermediaries) पर धारा ३१ और ३३ के उपबन्ध ऐसे आनुषंगिक (incidental) परिवर्तनों (changes) और परिष्कारों (modifications) के साथ, जो नियत किये जायं लागू होंगे और फिर ऐसे मध्यवर्तियों की कच्ची और पक्की निकासी तदनुसार लगाई जायगी ।

प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका का प्राथमिक प्रकाशन।

३५---(१) किसी मध्यवर्ती के विषय में प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका तैयार हो जाने पर, प्रतिकर अधिकारी---

(क) गजट में और अन्य रीति से, जो नियत की जाय इस आशय का नोटिस प्रकाशित करेगा, और

(ख) प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका की प्रति (copy) के साथ पूर्व नोटिस की एक प्रति संबंधित मध्यवर्ती पर तामील करेगा या करायेगा ।

(२) स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को उपधारा (१) के अधीन नोटिस द्वारा आज्ञा दी जायगी कि वे उपस्थित हो कर दो मास के भीतर ऐसी तालिका के विषय में आपत्ति प्रस्तुत करें,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई आपत्ति इस आधार पर ग्राह्य नहीं होगी, (shall not be entertained) कि कृषिक्षेत्र में मध्यवर्ती का अधिक या कम अंश है अथवा उसका कोई भी अंश नहीं है जब तक और जहां तक वह धारा २९ के अधीन दी गयी किसी डिक्री अथवा आज्ञा से उत्पन्न न होता हो ।

आपत्ति-पत्र की सुनवाई का दिनांक।

३६---दिये गये समय के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत होने पर, प्रतिकर अधिकारी उसको रजिस्टर में दर्ज करेगा और उसकी सुनवाई के लिये दिनांक निश्चित करके उसकी सूचना संबंधित मध्यवर्ती को और स्वत्व रखने वाले ऐसे प्रत्येक व्यक्ति (person interested) को देगा, जो धारा ३५ के अधीन नोटिस के प्रतिवाद (reply) में उपस्थित हुआ हो।

आपत्ति-पत्रों की सुनवाई और निर्णय ।

३७---धारा ३५ के अधीन प्रस्तुत की गयी आपत्तियों की सुनवाई और निर्णय करने में प्रतिकर अधिकारी को दीवानी न्यायालय (civil court) के सभी अधिकार, जहां तक वे लागू हो सकें और इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत (inconsistent) न हों, प्राप्त होंगे और ऐसे परिष्कारों (modifications) के साथ जो नियत किये जायं, वह उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो कोड आफ

सिविल प्रोसीजर, १९०८ में अचल सम्पत्ति (immovable property) सम्बन्धी वादों (suits) की सुनवाई और निस्तारण (disposal) के लिये दी गयी है ।

धारा ३७ के अधीन आज्ञा का दीवानी न्यायालय की डिक्री समझा जाना ।

३८—प्रतिकर अधिकारी द्वारा किसी आपत्ति के संबंध में धारा ३७ के अधीन दी गयी निर्णयात्मक आज्ञा दीवानी न्यायालय की डिक्री समझी जायगी और उसमें मुकद्दमें का संक्षिप्त विवरण, विचारणीय विषय, उनका निर्णय और ऐसे निर्णय के कारण दिये जायेंगे ।

डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष अपील ।

३९—किसी विधि (law) में किसी बात के रहते हुये भी, धारा ३७ के अधीन प्रतिकर अधिकारी द्वारा दी गयी किसी आज्ञा के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष अपील हो सकेगी ।

हाईकोर्ट में अपील

४०—धारा ३९ के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा दी गई अपील की डिक्री के विरुद्ध कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ की धारा १०० में दिये गये आधारों में से किसी आधार पर हाईकोर्ट में अपील हो सकेगी ।

पुनरीक्षण (Revision) ।

४१—प्रतिकर अधिकारी द्वारा निर्णित किसी भी वाद के अभिलेख (record) की जिसमें अपील हो सकती हो, हाईकोर्ट मंगवा सकता है और यदि उसे यह प्रतीत हो कि प्रतिकर अधिकारी ने—

(क) ऐसे अधिक्षेत्र का प्रयोग किया है, जो उसमें विधि द्वारा निहित (vested) नहीं है, अथवा

(ख) इस प्रकार निहित अधिक्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है, अथवा

(ग) अपने अधिक्षेत्र के प्रयोग के सम्बन्ध में अवैध, अथवा ऐसी जिसका कोई महत्व हो अनियमितता (with material irregularity) से कार्य किया है । तो हाई- कोर्ट ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उचित समझे ।

अंतिम प्रतिकर निर्धारण तालिका ।

४२—(१) यदि धारा ३५ के अधीन नोटिस जारी होने पर प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी हो या यदि ऐसी आपत्ति प्रस्तुत होने पर उनका निस्तारण (disposal) हो गया हो और तदनुसार प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका में संशोधन, परिवर्तन या परिष्कार कर दिया गया हो, तो प्रतिकर अधिकारी उस पर अपने हस्ताक्षर कर देगा और अपनी मुहर भी लगा देगा ।

(२) इस प्रकार हस्ताक्षर किये और मुहर लगाये जाने पर प्रतिकर निर्धारण तालिका अंतिम हो जायगी ।

तालिका की प्रतिलिपि का मध्यवर्ती को दिया जाना ।

४३—प्रतिकर अधिकारी प्रतिकर निर्धारण तालिका की एक प्रति बिना शुल्क संबंधित मध्यवर्ती को दे देगा और एक प्रति उस प्रतिकर निर्धारण तालिका से सम्बद्ध कृषि क्षेत्र के परगने के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर (Assistant Collector-in-charge of the sub-division) के कार्यालय के सूचना-पट्ट (notice board) पर भी लगवा देगा ।

मध्यवर्ती को देय प्रतिकर की मात्रा ।

४४—प्रतिकर निर्धारण तालिका से सम्बद्ध कृषि क्षेत्र में किसी मध्यवर्ती के स्वत्वों के निमित्त उसे प्रतिकर रूप में देय धनराशि, ऐसी दशा को छोड़ कर जहां मध्यवर्ती का स्वत्व ठेकेदार के पास हो या जहां मध्यवर्ती स्वयं ठेकेदार हो, धारा ४२ के अधीन निर्मित प्रतिकर निर्धारण तालिका में लिखित पक्की निकासी के सोलह गुने के बराबर होगी ।

ठेकेदार को देय प्रतिकर की मात्रा।

४५—यदि अर्जित कृषि क्षेत्र में मध्यवर्ती का स्वत्व किसी ठेकेदार के पास हो तो मध्यवर्ती की प्रतिकर निर्धारण तालिका में दी हुयी पक्की निकासी पर धारा ४४ में दिये सिद्धान्तों के अनुसार लगाया गया प्रतिकर उक्त क्षेत्र में मध्यवर्ती और ठेकेदार के स्वत्वों के सम्बन्ध में उन दोनों को संयुक्त रूप में देय प्रतिकर होगा और प्रतिकर अधिकारी उक्त धनराशि को निम्नलिखित बातों पर ध्यान में रखते हुये उन दोनों में बांट देगा:

(क) नजराना (premium), यदि ठेके के प्रारम्भ में कोई दिया गया हो,

(ख) ठेके की कुल अवधि तथा उसकी शेष अवधि,

(ग) ठेके के अन्तर्गत क्षेत्र किस सीमा तक अर्जित हो चुका है;

(घ) ठेके के अन्तर्गत अवशेष (balance) की कच्ची और पक्की निकासी,

(ङ) ठेकेदार द्वारा प्रतिवर्ष देय धनराशि,

(च) अन्य ऐसे विषय जो नियत किये जायं।

मध्यवर्ती और ठेकेदार के बीच प्रतिकर का विभाजन।

४६—मध्यवर्ती और ठेकेदार के बीच प्रतिकर विभाजित करने में प्रतिकर अधिकारी ऐसी प्रतिक्रिया का अनुसरण करेगा जो नियत की जाय।

धारा ४६ के अधीन आज्ञा का दीवानी न्यायालय की डिक्री समझा जाना।

४७—(१) मध्यवर्ती और ठेकेदार के बीच प्रतिकर विभाजित करने के सम्बन्ध में प्रतिकर अधिकारी की आज्ञा अधिक्षेत्र-युक्त (Civil Court of compentent Jurisdiction) दीवानी न्यायालय—की डिक्री समझी जायगी।

(२) समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के रहते हुये भी उपधारा (१) में उल्लिखित डिक्री के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष अपील हो सकेगी तथा अपील में दी हुयी आज्ञा, उस व्यवस्था को छोड़कर जो उपधारा (३) में की गयी है, निश्चायक (conclusive) होगी।

(३) हाईकोर्ट उपधारा (१) के अधीन पारित किसी आज्ञा को धारा ४१ में अभिलिखित (क) से (ग) तक के किसी आधार पर पुनरीक्षित (revise) कर सकता है।

अपील के स्मरण-पत्र पर देय न्याय-शुल्क।

४८—कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० में किसी बात के रहते हुये भी धारा ३६, ४० अथवा धारा ४७ की उपधारा (२) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली अपील के स्मरण-पत्र (memorandum) पर देय न्याय शुल्क (Court fee) वह होगा जो नियत किया जाय।

ऐसी अशुद्धियों का ठीक किया जाना जो अकामतः हुयी हों।

४९—(१) प्रतिकर निर्धारण तालिका के अंतिम (final) हो जाने पर, ऐसी दशा को छोड़ कर, जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा या अधीन की गयी हो, उसमें कोई संशोधन नहीं किया जायगा।

(२) अधिक्षेत्र युक्त प्रतिकर अधिकारी प्रतिकर दिये जाने के समय से पूर्व किसी समय भी चाहे स्वतः या स्वत्व रखने वाली किसी व्यक्ति (a person Interested) की प्रार्थना पर अंतिम रूप से प्रकाशित प्रतिकर निर्धारण तालिका में किसी लेख संबंधी या गणना सम्बन्धी अशुद्धियों (clerical of arithmetical errors) को या किसी ऐसी अशुद्धि को जो उसमें किसी आकस्मिक भूल या चूक (accidental slip or omission) से हो गयी हो, ठीक कर सकता है।

अध्याय ५

प्रतिकर का भुगतान

तालिका में दर्ज प्रतिकर का दिया जाना।

५०—मध्यवर्ती को इस अधिनियम के प्रवर्तन अर्जित कृषि क्षेत्र में उसके अधिकार, आगम और स्वत्व के अर्जित किये जाने के निमित्त प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि दी जायगी, जो धारा ४४ के अधीन इस संबंध में प्रख्यापित की गयी हो ।

तालिका में दर्ज मध्यवर्ती का प्रतिकर पाना।

५१—धारा ५४ के उपबन्धों को बाधित न करते हुए इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर पाने का अधिकारी वह मध्यवर्ती होगा, जिसका नाम प्रतिकर निर्धारण तालिका में दर्ज हो ।

विधिक प्रतिनिधि को देय प्रतिकर।

५२—यदि प्रतिकर पाने का अधिकारी मध्यवर्ती प्रतिकर पाने के पहले ही मर जाय तो प्रतिकर उसके विधिक प्रतिनिधि को देय होगा।

प्रतिकर के भुगतान का रूप।

५३—इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर नगदी में बन्धों (bonds) के रूप में अथवा अंशत: नगदी और अंशत: बन्धों के रूप में जैसा भी नियत किया जाय, दिया जायगा ।

कुछ दशाओं में बैंक या अन्य प्राधिकारी के पास प्रतिकर का जमा किया जाना।

५४—(१) यदि प्रतिकर पाने का अधिकारी वक्फ, न्यास (trust) या धर्मस्व (endowment) हो अथवा कोई अवयस्क हो, अथवा किसी व्यावहारिक अक्षमता (legal disability) के अधीन कोई व्यक्ति हो अथवा कोई सीमित स्वाम्य वाला व्यक्ति (limited owner) हो तो किसी विधि (law) में किसी बात के रहते हुये भी, किन्तु राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले सामान्य निर्देशों (general directions) के अधीन प्रतिकर उस व्यक्ति के लिये और उसकी ओर से ऐसे प्राधिकारी या बैंक के पास जो नियत किया जाय, जमा कर दिया जा सकेगा ;

(२) ऐसे किसी व्यक्ति के जिसके लिये या जिसकी ओर से प्रतिकर जमा किया गया हो, उक्त प्रतिकर के उपयोग (utilization) और विन्यास (disposal) के अधिकारों को नियमित करने वाली विधि के अनुसार उसका उपयोग और विन्यास करने का अधिकार उपधारा (१) में कही गयी किसी बात से बाधित होता नहीं समझा जायगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति केवल इस कारण सीमित स्वाम्यवाला व्यक्ति नहीं समझा जायगा कि अवध सेटेल्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९१७ या यूनाइटेड प्राविन्सेज इस्टेट्स ऐक्ट, १९२० के उपबन्धों के अधीन उन आस्थानों के सम्बन्ध में, जिनके लिये प्रतिकर देय है, प्रख्यापन कर दिया गया है ।

५५—यदि किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के सामने ऐसा कोई वाद या व्यवहार विचाराधीन हो, जिसका किसी व्यक्ति के अध्याय ४ के अधीन अवधारित कुल प्रतिकर अथवा उसका भाग पाने के अधिकार पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हो तो उक्त न्यायालय या प्राधिकारी को अधिकार होगा कि प्रतिकर अधिकारी को आदेश दे कि इस प्रकार देय धनराशि को उसके अधिकार में दे दे (place at his disposal) और तब उस धनराशि का विन्यास (disposal) ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी की आज्ञा के अनुसार ही किया जायगा।

५५-क---यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो गुजारेदार होने के नाते इस अध्याय के अधीन किसी मध्यवर्ती को दिये जाने वाले प्रतिकर के किसी भाग को किसी गुजारे के कारण पाने का अधिकारी होने का दावा करता हो, उक्त भाग को दिये जाने के लिये प्रतिकर अधिकारी को प्रार्थना पत्र दे, तो प्रतिकर अधिकारी १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ७१ में विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा और उक्त धारा के निदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे ।

गुजारेदारों को देय प्रतिकर को धनराशि का निश्चित किया जाना ।

अध्याय ५-क

कुछ वक्फों, न्यासों या धर्मस्वों के लिये वार्षिक वृत्तियां

५५-ख---राज्य सरकार प्रत्येक वक्फ, न्यास (trust) या धर्मस्व (endowment) को जो पूर्णतः या अंशतः धर्मोत्तर या दानोत्तर प्रयोजनों के लिये हो, और जिसके अधिकार आगम और स्वत्व इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अर्जित कर लिये गये हों, ऐसी वार्षिक वृत्ति (annuity) देगी, जिसकी यहां आगे व्यवस्था की गई है ।

वार्षिक वृत्ति का भुगतान।

५५-ग---धारा ५५-ख के अधीन देय वार्षिक वृत्ति निहित होने के दिनांक से देय समझी जायगी ।

दिनांक जिससे वार्षिक वृत्ति देय होगी ।

५५-घ---१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अध्याय ५ की धारा ७६,७९ से ८९ तक, ९१ से ९७ तक, ९९, १०१, १०२, १०४ तथा १०५ के तथा उक्त अध्याय की धारा १०५ के , अधीन निर्मित नियमों के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन देय वार्षिक वृत्तियों पर, आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों वार्षिक वृत्ति इस अधिनियम के अधीन अस्थानों के अर्जन के निमित्त पुनर्वासन अनुदान हो ।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ के अध्याय ५ की धाराओं की प्रवृत्ति ।

अध्याय ६

भूमि-प्रबन्ध

५६---(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निहित होने के दिनांक से राज्य सरकार के लिये तथा उसकी ओर से ऐसी समस्त भूमियों और वस्तुओं के जो धारा ९ के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गयी हों, साधारण अधीक्षण (general suprintendence) प्रबन्ध, संरक्षण तथा नियंत्रण का भार कलक्टर पर होगा ।

भूमि का अधीक्षण, प्रबंध और नियंत्रण ।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों को बाधित न करते हुये,सरकार द्वारा गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके आदिष्ट (directed) किये जाने पर किसी स्थानीय प्राधिकारी को निर्दिष्ट दिनांक से, राज्य सरकार के लिये, तथा उसकी ओर से, धारा ९ के अधीन राज्य सरकार में निहित सभी या किसी भूमि या वस्तु के साधारण प्रबन्ध का भार सौंपा जा सकता है ।

५७---(१) यदि किसी स्थानीय प्राधिकारी को धारा ५६ के अधीन भूमि तथा अन्य वस्तुओं के साधारण प्रबन्ध का भार सौंपा गया हो तो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये एक भूमि प्रबन्ध कोष (Land management fund) की स्थापना करेगा ।

भूमि प्रबन्ध कोष

(२) कोष में निम्नलिखित जमा किये जायेंगे--

(क) वे कुल धन जो इस अधिनियम के अधीन स्थानीय प्राधिकारी को राज्य सरकार के लिये या उसकी ओर से मिलें; और

(ख) ऐसे अन्य धनराशियां जो नियत की जायं ।

(३) स्थानीय प्राधिकारी को अधिकार होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों के पालन और कार्यों के सम्पादन के संबंध में होने वाले परिव्ययों (charges) के लिये कोष को नियत रीति से उपयोग में लाये।

स्थानीय प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार की आज्ञाओं और निर्देशों का कार्यान्वित किया जाना।

५८---(१) किसी विधि में किसी बात के रहते हुये भी राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी को ऐसी आज्ञायें और ऐसे निदश दे सकती है, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक प्रतीत हों।

(२) स्थानीय प्राधिकारी और उसके पदाधिकारियों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे तुरन्त ऐसी आज्ञायें कार्यान्वित करें और निदेशों का पालन करें।

भूमि प्रबंध की वैकल्पिक व्यवस्था।

५९---(१) यदि किसी समय राज्य सरकार को यह संतोष हो जाय कि:

(क) स्थानीय प्राधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन या द्वारा निर्देशित अपने कर्त्तव्यों का पालन या सौंपे गये कार्यों का सम्पादन, किसी उपयुक्त कारण या अपदेश के न रहते हुये भी (without reasonable cause or excuse), नहीं किया है, अथवा

(ख) ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है कि इस अधिनियम के अधीन या द्वारा निदशित कर्त्तव्यों का पालन या सौंपे गये कार्यों का सम्पादन करने में स्थानीय प्राधिकारी असमर्थ हो गया है या हो जा सकता है, अथवा

(ग) और कारणों से ऐसा करना उपयुक्त या आवश्यक है, तो गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके राज्य सरकार प्रख्यापित कर सकती है कि इस अधिनियम के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के कर्त्तव्यों, अधिकारों और कार्यों का पालन, प्रयोग और सम्पादन ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी (authority) द्वारा ऐसी अवधि के लिये और ऐसे निरोधों (restrictions) के साथ जो नियत किये जायं, किया जायगा।

(२) राज्य सरकार ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध कर सकती है जो इस प्रयोजन के निमित्त आवश्यक जान पड़े।

अध्याय ७

भौमिक अधिकार तथा मालगुजारी

१९५१ ई० के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १ के अध्याय ८ और १० के उपबन्धों का कृषि क्षेत्रों पर लागू होना।

६०—१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) के अध्याय ८ और १० एवं उसके अधीन बनी नियमावली के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन अर्जित कृषि क्षेत्रों पर लागू होंगे किन्तु राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा मूल तत्वों पर कोई प्रभाव डाले बिना ऐसे अनुकूलन (adaptation), परिष्कार (modification), परिवर्तन (alteration) अथवा अपवाद (exception) कर सकती है जो उसके विचारानुसार आवश्यक प्रतीत होते हों, और ऐसे किसी अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन अथवा अपवाद पर किसी न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी।

यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ ई० का कृषि क्षेत्रों पर लागू होना।

६१—१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) द्वारा संशोधित यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के उपबन्ध एवं उसके अधीन बनी नियमावली इस अधिनियम के अधीन अर्जित कृषि क्षेत्रों पर लागू होगी किन्तु राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा मूल तत्वों पर कोई प्रभाव डाले बिना ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन अथवा अपवाद कर सकती है जो राज्य सरकार के विचारानुसार आवश्यक प्रतीत हों और ऐसे किसी अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन अथवा अपवाद पर किसी न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी।

धारा ६० तथा ६१ के अधीन दी गयी आज्ञाओं का राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।

६२—(१) इस अध्याय के अधीन दी गई कोई आज्ञा दिये जाने के पश्चात् यथा शीघ्र, कम से कम चौदह दिन तक राज्य विधान मंडल के समक्ष रक्खी जायगी तथा ऐसे परिष्कारों के अधीन होगी जिन्हें विधान मंडल उस सत्र में करे जिसमें वह आज्ञा उसके समक्ष रखी गयी हो।

(२) प्रत्येक ऐसी आज्ञा इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से प्रभावी होगी।

अध्याय ८

प्रकीर्ण (Miscellaneous)

अधिकारियों आदि की नियुक्ति।

६३—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारी नियुक्त कर सकती है—

(क) एक प्रतिकर आयुक्त (Compensation Commissioner),

[(ख) एक परिच्छेद आयुक्त (Demarcation Commissioner)],

(ग) प्रतिकर अधिकारी (Compensation Officers), और

(घ) परिच्छेद अधिकारी (Demarcation Officers)।

अतिरिक्त प्रतिकर कमिश्नर।

६४—राज्य सरकार एक या अधिक अतिरिक्त प्रतिकर आयुक्त को नियुक्ति कर सकती है और वे प्रतिकर आयुक्त के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जिसका राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा निर्देश करे।

अतिरिक्त परिच्छेद आयुक्त।

[६५—राज्य सरकार एक या अधिक अतिरिक्त परिच्छेद आयुक्त की नियुक्ति कर सकती है और वे परिच्छेद आयुक्त के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जिसका राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा निर्देश करे]

अधिकार और कर्त्तव्य।

६६—(१) प्रतिकर आयुक्त और [परिच्छेद] आयुक्त ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे और प्रतिकर अधिकारियों और परिच्छेद अधिकारियों के कार्य के पर्यवेक्षण (supervision) और अधीक्षण (superintendence) के विषय में ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेंगे जो नियत किये जायं।

(२) प्रतिकर अधिकारी और परिच्छेद अधिकारी ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे, जो इस अधिनियम, या इसके अधीन बने नियमों, के द्वारा या अधीन उन्हें दिये गये या उन पर लगाये गये हों।

अधिकारों का प्रतिनिधान (Delegation)।

६७—राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा मिले अपने अधिकारों में से कोई भी अधिकार अपने अधीन किसी भी अधिकारी (officer) अथवा प्राधिकारी (authority) को गजट में विज्ञप्ति द्वारा, उक्त विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जाने वाले किन्हीं भी प्रतिबन्धों (conditions) और निरोधों (restrictions) के अधीन, प्रयोग करने के लिये सौंप सकती है।

साक्षियों आदि को उपस्थित कराने का अधिकार।

६८—निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी भी प्रतिकर अधिकारी तथा [परिच्छेद] आयुक्त को ऐसे सब सामर्थ्य (powers) अधिकार (rights) और विशेषाधिकार (privileges) प्राप्त होंगे, जो किसी व्यवहार (action) के संबंध में दीवानी न्यायालयों (civil courts) को प्राप्त हैं—

(क) साक्षियों को उपस्थित कराना और शपथ देकर प्रकथन (affirmation) कराके, या अन्य प्रकार से उनके वक्तव्य लेना और अपने अधिक्षेत्र से बाहर साक्षियों का वक्तव्य लेने के लिये कमीशन या निवेदन-पत्र (request) जारी करना;

(ख) किसी को कोई लेख्य (document) प्रस्तुत करने को बाध्य करना;

(ग) नोटिस की तामील कराना; तथा

(घ) न्यायालय के अवमान (contempt of court) के लिये लोगों को दंड देना;

और किसी भी व्यवहार (action) में साक्षियों को उपस्थित और लेख्यों को प्रस्तुत कराने के लिये दीवानी न्यायालय द्वारा जारी किये जा सकने वाले किसी भी रीतिक प्रसर (formal process) के स्थान पर ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ समन भेजा जा सकता है और वह उक्त प्रसर के ही बराबर समझा जायगा,

लेख्य इत्यादि प्रस्तुत कराने का अधिकार।

६९—(१) नियत किये जाने वाले प्रतिबन्धों या निरोधों के, अधीन प्रतिकर अधिकारी या परिच्छेद अधिकारी, लिखित आज्ञा द्वारा, किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह ऐसे लेख्य, पत्र और रजिस्टर प्रस्तुत करे या ऐसी सूचना दे जिसे ऐसा अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपने अधिकारों का उचित प्रयोग या कर्त्तव्यों का उचित पालन करने के लिये आवश्यक समझे।

(२) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिसे इस धारा के अधीन कोई लेख्य, पत्र या रजिस्टर प्रस्तुत करने या कोई सूचना देने का आदेश दिया गया हो, यह समझा जायगा कि वह इंडियन पैनल कोड की धारा १७५ और १७६ के अर्थ में विधितः ऐसा करने को बाध्य (legally bound) है। ऐक्ट ४५, १८६०

भूमि पर प्रवेश करने और पर्यवि-लोकन इत्यादि का अधिकार।

७०—ऐसे प्रतिबन्धों या निरोधों के अधीन रहते हुये जो नियत किये जायं, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये किसी समय किसी भूमि पर, ऐसे जनसेवकों (public servants) सहित, जिन्हें वह आवश्यक समझे, प्रवेश कर सकता है और उसका पर्यावलोकन (survey) या पैमाइश (measurements) कर सकता है अथवा अन्य ऐसा कार्य कर सकता है जिसे वह इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों के पालन के लिये आवश्यक समझे।

प्रतिकर अधिकारी और परिच्छेद आयुक्त के सामने व्यवहारों का वैचारिक व्यवहार माना जाना।

७१—किसी प्रतिकर अधिकारी या [परिच्छेद] आयुक्त के सामने होने वाली कार्यवाही के संबंध में यह समझा जायगा कि वह इंडियन पैनल कोड की धारा १९३ और २२६ के अर्थ में और धारा १९६ के प्रयोजनों के लिये एक वैचारिक व्यवहार (judicial proeeeding) है।

वाद-व्यय

७२—इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर अधिकारी या [परिच्छेद] आयुक्त द्वारा वाद-व्यय (costs) के संबंध में दी गई आज्ञा, ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उक्त वाद-व्यय पाने का अधिकारी हो, उस आज्ञा की एक प्रतिलिपि सहित अधिक्षेत्र युक्त मुंसिफ को प्रार्थनापत्र दे कर कार्यान्वित करायी जा सकती है और मुंसिफ उसे इस प्रकार निष्पादित करेगा मानों उक्त प्रार्थना पत्र उस मुंसिफ द्वारा दिये गये रुपये की डिक्री के निष्पादन का प्रार्थना-पत्र हो।

लेख्यों, विवरणों और रजिस्टरों के निरीक्षण करने और प्रतिलिपि लेने का अधिकार।

७३—इस अधिनियम या इसके अधीन बने नियमों के अनुसार रक्खे जाने वाले सब लेख्यों, विवरणों और रजिस्टरों का निरीक्षण ऐसे समय पर, ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन और ऐसा शुल्क देने पर जो नियम किये जायं किया जा सकेगा, और नियत शुल्क देने पर प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह किसी ऐसे लेख्य, विवरण या उसके किसी अंश की प्रतिलिपि पा सके।

व्यवहार का संक्रामण।

७४—(१) किसी पक्ष (party) के प्रार्थनापत्र पर और दूसरे फरीकों को नोटिस दे कर और ऐसे पक्ष की सुनवाई करके, जो अपनी सुनवाई चाहता हो अथवा बिना नोटिस दिये स्वतः डिस्ट्रिक्ट जज किसी समय अपने अधिक्षेत्र में किसी प्रतिकर अधिकारी के सामने चल रहे किसी व्यवहार (proceeding) को अपने यहां मंगा सकता है और उसे अपने अधिक्षेत्र में नियुक्त और उस व्यवहार के निस्तारण में समर्थ (competent to dispose of) किसी अन्य प्रतिकर अधिकारी को जैसी भी दशा हो, निस्तारण (disposal) के लिये संक्रमित (transfer) कर सकता है।

(२) उपधारा (१) के अधीन किसी व्यवहार के संक्रामित होने पर उस अधिकारी को, जो उसके पश्चात् उस व्यवहार का निस्तारण करे, अधिकार होगा कि यदि संक्रामण (transfer) की आज्ञा में कोई विशेष निर्देश हों तो उन्हें बाधित न करते हुये चाहे वह उसकी कुल सुनवाई आदि से फिर करे या उस अवस्थान (point) से सुनवाई प्रारम्भ करे जिस पर वह व्यवहार संक्रामित हुआ था।

कुछ विषयों में दीवानी न्यायालयों का अधिक्षेत्र न होना ।

७५---उस दशा को छोड़कर जिसकी स्पष्ट व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी अन्य प्रकार से की गई हो, ऐसा कोई वाद या दूसरा व्यवहार, जिसका संबंध प्रतिकर निर्धारण तालिका में किसी इन्दराज के होने या न होने से या इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी आज्ञा से हो, किसी दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा ।

इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों के संबंध में परित्राण ।

७६---(१) इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बने किसी नियम के अधीन किया गया कोई कार्य यदि सद्भाव से और इस अधिनियम के द्वारा या अधीन लगाये गये कर्त्तव्यों के पालन अथवा सौंपे गये कार्यों के सम्पादन में किया गया हो, तो उसके विषय में किसी अधिकारी या सरकारी सेवक पर कोई दीवानी या फौजदारी व्यवहार न चल सकेगा ।

(२) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के कारण या इस अधिनियम के या उस के अधीन बने किसी नियम के अनुसार सद्भाव से की गयी या की जाने को अभिप्रेत किसी बात से हुई या हो सकने वाली क्षति (damage) अथवा अन्य हानि (injury) के संबंध में राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या कोई विधिक व्यवहार नहीं चल सकेगा ।

राज्य सरकार के दायित्व की भरपाई ।

७७---इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर प्रदान कर देने पर राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति को, जो उसका वास्तविक अधिकारी हो, प्रतिकर देने के अपने दायित्व से पूर्णतया मुक्त हो जायगी, किन्तु यदि किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसे प्रतिकर के संबंध में कोई ऐसा अधिकार प्राप्त हो, जिसे वह उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसे प्रतिकर दिया गया है, यथावत् व्यवहार द्वारा कार्यान्वित कर सकता है तो प्रतिकर के ऐसे प्रदान का उस दूसरे व्यक्ति के अधिकारों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अध्याय ४ तथा ५ तक के अधीन व्यवहारों में राज्य सरकार का फरीक होना ।

७८---(१) प्रतिकर अधिकारी के सामने अध्याय ४ और ५ के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रत्येक व्यवहार में राज्य सरकार एक पक्ष होगी और समझी जायगी और राज्य सरकार पर तामील किये जाने के लिये अभिप्रेत (intended) प्रत्येक को नोटिस कलेक्टर या उसके द्वारा नामांकित (nominated) अन्य प्राधिकारी (authority) पर तामील किया जा सकेगा ।

(२) उक्त अध्यायों या धारा ८२ की उपधारा (३) के खंड (४) में किसी बात के रहते हुये भी, राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से अपील प्रस्तुत करने की कालावधि (period of limitation) उस आज्ञा के दिनांक से, जिसके विरुद्ध अपील की जाय, नब्बे दिन होगी ।

वाद, प्रार्थनापत्र तथा व्यवहार ।

[७९---इस अधिनियम के अधीन वादों, प्रार्थना पत्रों या व्यवहारों के संबंध में १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) की धाराओं ३३१, ३३२, ३३२-क, ३३२-ख तथा ३३३ के उपबन्ध यथा-परिस्थिति ऐसे अनूकूलनों (adaptations) परिष्कारों (modifications) अथवा परिवर्तनों (alterations) सहित, जिनसे मूल तत्व पर कोई प्रभाव न पड़ता हो, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे उक्त अधिनियम के अधीन किये जाने वाले वादों, प्रार्थना-पत्रों अथवा व्यवहारों के संबंध में लागू होते हैं ।]

वाद प्रार्थना-पत्र तथा व्यवहार ।

"७९---इस अधिनियम के अधीन वादों, प्रार्थना-पत्रों और व्यवहारों के संबंध में १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धाराओं ३३१, ३३२, ३३२-क, ३३२-ख तथा ३३३ के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे उक्त अधिनियम के अधीन किये जाने वाले

वादों, प्रार्थना पत्रों अथवा व्यवहारों के संबंध में लागू होते हैं किन्तु राज्य सरकार सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके ऐसे अनुकूलन (adaptation) परिष्कार (modifica ion) परिवर्तन (alteration) या अपवाद (exception) कर सकती है जिनसे मूल तत्वों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो, और जो उसकी राय में आवश्यक प्रतीत हों, और ऐसे किसी अनुकलन, परिष्कार, परिवर्तन अथवा अपवाद पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।"

अनुकूलनों तथा कठिनाइयों का दूर किया जाना।

८०--इस अधिनियम के संबंध में १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ३३८ तथा ३४२ के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ (*mutatis mutandis*) इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे उक्त अधिनियम के संबंध में लागू होते हैं।

"८०-क--निहित होने के दिनांक से यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ जैसा कि वह नागर क्षेत्रों में लागू है, निर्वतित हो जायगा और एतद्द्वारा निवर्तित (repealed) किया जाता है।"

इस अधिनियम के अधीन व्यवहारों में अन्य अधिनियमों को लागू करना।

८१--जब तक स्पष्ट रूप से इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन व्यवस्था न की गई हो, इंडियन कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ और इंडियन लिमिटेशन १९०८ के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन किये जाने वाले व्यवहारों पर लागू होंगे।

नियम बनाने का अधिकार।

८२--(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकारों की व्याप्ति को बाधित न करते हुये ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकती है --

(१) रीति, जिसके अनुसार परिच्छेद अधिकारी धारा ३ के अधीन कृषि-क्षेत्रों का अवधारण तथा उनका परिच्छेद करेगा;

(२) परिच्छेद के प्रस्तावों का आकार (form);

(३) आकार तथा रीति, जिसके अनुसार परिच्छेद के प्रस्ताव तथा अन्तिम रूप से परिच्छेदित कृषि-क्षेत्रों के विवरण क्रमशः धारा ४ और धारा ५ के अधीन निरीक्षण के लिये उपलब्ध होंगे;

(४) रीति, जिसके अनुसार धारा ४ के अधीन आपत्तियां प्रस्तुत की जायंगी और धारा ५ के अधीन उनका विन्यास किया जायगा (bispo,ed off);

(५) धारा ७ के अधीन कृषि-क्षेत्रों के निहित होने के दिनांक से पहले की कार्यवाहियां;

"(५-क) धारा ६ के अधीन अधिकार अभिलेखों का तैयार किया जाना और उनका पुनरीक्षण;"

(६) इस अधिनियम के अधीन स्थगित किये गये वादों तथा व्यवहारों का विन्यास (disposal);

(७) धारा २१ के अधीन कृषि-क्षेत्रों को हस्तगत करने (taking over) से सम्बद्ध विषय;

(८) रीति तथा आकार, जिसके अनुसार धारा २७ के अधीन प्रतिकर निर्धारण तालिका तैयार की जायेगी ;

(९) रीति तथा आकार, जिसके अनुसार धारा ३५ के अधीन आपत्तियां प्रस्तुत की जायेंगी;

(१०) प्रक्रिया, जिसकी धारा ५५ के अधीन किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी को प्रतिकर की धनराशि सौंपे जाने के सम्बन्ध में अनुसरण किया जायगा ;

(११) धारा ६६ के अधीन किसी धनराशि की अदायगी की प्रक्रिया;

(१२) अध्याय ६ के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कर्त्तव्यों के पालन, कृत्यों के संपादन तथा अधिकारों के प्रयोग की रीति और प्रक्रिया ;

(१३) भूमि प्रबन्ध निधि की स्थापना और रखरखाव से संबद्ध विषय ;

(१४) इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त भूमि प्रबन्ध निधि के उपयोग तथा उसमें किये जाने वाले भुगतानों की रीति और प्रक्रिया ;

(१५) विषय तथा रीति, जिसके अनुसार राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये किसी स्थानीय प्राधिकारी को अध्याय ६ के अधीन निर्देश दे सकेगी ;

(१६) प्रक्रिया तथा कार्यवाही, जिसका संबंध अध्याय ६ के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के कर्त्तव्यों तथा कार्यों को सम्पन्न करने के निमित्त की जाने वाली किसी वैकल्पिक व्यवस्था (alternative arrangement) से हो;

(१७) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये बहियों तथा लेखों (books and accounts), अन्य रजिस्टरों, विवरणों (statements), विवरण-पत्रों (returns) तथा आकार-पत्रों (forms) के रखने की प्रक्रिया और उनका आकार (form);

(१८) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किये जाने वाला पत्र-व्यवहार तथा लेखों (documents) और संविदाओं (contracts) का निष्पादन (execution);

(१९) इस अधिनियम के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उसके विरुद्ध वादों तथा व्यवहारों (proceedings) का चलाया जाना।

(३) नियम बनाने के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा दिये गये अधिकार के विषय में यह समझा जायगा कि उसके अन्तर्गत निम्नलिखित की व्यवस्था करने का भी अधिकार है —

(१) ऐसी कालावधि (time-limits) लगाने के निमित्त जिनके भीतर नियमों के प्रयोजनों के लिये की जाने वाली बातें अवश्य की जायं, लगायी हुई अवधि को बढ़ाने के सम्बन्ध में नियमों में निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी को अधिकार देकर या न दे कर :

(२) ऐसी दशाओं में, जिनके विषय में इस अधिनियम में कोई विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है, इस अधिनियम के अधीन किसी प्रार्थना-पत्र, वाद अथवा दूसरे व्यवहार में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(३) इस अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिक्षेत्र वाले किसी अधिकारी या प्राधिकारी के कर्त्तव्य और ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(४) ऐसी दशाओं में , जिनके विषय में इस सम्बन्ध में, इस अधिनियम में कोई विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है, इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्र देने और अपील करने की कालावधि;

(५) ऐसी दशाओं में, जिनके विषय में इस सम्बन्ध में, इस अधिनियम में कोई विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है, इस अधिनियम के अधीन अपीलों और प्रार्थना-पत्रों पर देय शुल्क;

(६) इस अधिनियम के अधीन दिये जाने वाले प्रार्थन -पत्रों (applications), अपीलों और व्यवहारों पर इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ के उपबन्धों को लागू किया जाना;

(७) इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार को दिये गये अधिकारों का किसी दूसरे प्राधिकारी, अधिकारी (officer) अथवा व्यक्ति को प्रति-निधान (delegation); तथा

(८) एक प्राधिकारी अथवा अधिकारी के यहां से दूसरे प्राधिकारी अथवा अधिकारी के यहां व्यवहारों का संक्रामण (transfer)

(४) नियम बनाने के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा दिया गया प्रत्येक अधिकार इस प्रतिबन्ध (condition) के अधीन रहेगा कि नियम पूर्वक प्रकाशन के बाद ही बनाये जायं।

(५) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम गजट में प्रकाशित किये जायेंगे, और यदि कोई आगे का दिनांक (later date) निर्दिष्ट न कर दिया जाय तो, वे ऐसे प्रकाशन के दिनांक ही पर प्रचलित हो जायेंगे (come into force)।

(६) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य के विधान मंडल के समक्ष कम से कम चौदह दिन तक रखे जायंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे, जिन्हें विधान मंडल अपने उस अधिवेशन में करे जिसमें वे एतदर्थ रखे जायं।

अनुसूची

(धारा १)

क्षेत्र जिसमें आरम्भ में यह अधिनियम लागू न होगा।

भाग (क)

[६] (१) क्षेत्र, जो ३० जून, १९५४ को निम्नलिखित में स्थित किसी म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया अथवा कैंटूनमेंट में थे:—

(क) बनारस स्टेट (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ में दी हुई परिभाषा के अनुसार बनारस स्टेट,

(ख) रामपुर (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ में दी हुई परिभाषा के अनुसार रामपुर,

(ग) टेहरी-गढ़वाल (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ में दी हुई परिभाषा के अनुसार टेहरी-गढ़वाल,

(घ) प्राविंसेज ऐड स्टेट्स (ऐब्जार्प्शन आफ़ एन्क्लेव्स) आर्डर, १९५० में दी हुई परिभाषा के अनुसार 'एन्क्लेव' (अन्तरक्षेत्र), जो उक्त आर्डर के अधीन उत्तर प्रदेश में अन्तर्भूत (absorbed) हो गया हो।

भाग (ख)

(१) कुमायूं डिवीजन,

(२) बनारस जिले का परगना कसवार राजा,

(३) देहरादून जिले का परगना जौनसार बावर,

(४) कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में मिर्ज़ापुर जिले का भाग,

(५) कोई भी आस्थान या उसका भाग, जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्व में हो।

भाग (ग)

(१) कोई क्षेत्र जो सार्वजनिक प्रयोजन (public purpose) के लिये या सार्वजनिक उपयोगिता (public utility) के कार्य के लिये कब्जे और अध्यासन में हो (held and occupied) और जिसे राज्य सरकार ने इस रूप में घोषित किया हो अथवा जो लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४, संयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों को बसाने के लिये भूमि प्राप्त करने का ऐक्ट, १९४८ ई०, १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (अस्थायी अधिकार) ऐक्ट, या इस अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधायन, जो सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि अर्जन करने के सम्बन्ध में है, के अधीन अर्जित किया गया हो।

स्पष्टीकरण--कोई क्षेत्र जो ७ जुलाई, १९४९ की कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ के अधीन पंजीबद्ध सहकारी समिति (co-operative society) अथवा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० के अधीन पंजीबद्ध समिति (society) अथवा इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, १९१३ के अधीन लिमिटेड लाएबिलिटी कम्पनी द्वारा गृह निर्माण योजना के प्रयोजन के निमित्त कब्जे में हो (held) सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य के लिये कब्जे में रखी गई समझी जायगी।

उद्देश्य और कारण

१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, ऐसे कृषि क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, जो म्युनिसिपैलिटी, कैन्टूनमेन्ट, नोटीफाइड एरिया तथा टाउन एरिया की सीमाओं में हों। ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में विधायन बनाने का प्रश्न विगत कुछ काल से सरकार के विचाराधीन रहा है। सन् १९५० में विधान मंडल के समक्ष एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था जिसका उद्देश्य अभिदिष्ट क्षेत्रों में मध्यवर्तियों के अधिकारों का अर्जन करना था। इस विधेयक में भूमि सुधार संबंधी व्यवस्था नहीं की गयी थी, अतः सरकार ने उसे वापस लेने का और इस पुनरीक्षित विधेयक को प्रस्तुत करने का निश्चय किया है।

२—इस विधेयक में उन भूमियों में मध्यवर्तियों के अधिकार अर्जित करने की व्यवस्था की गयी है जो नागर-सीमाओं में स्थित हैं तथा जो काश्तकारों, माफीदारों, रियायती काश्तकारों तथा बागदारों के अधिकार में अथवा मध्यवर्तियों के अधिकार में सीर, खुदकाश्त अथवा बागों के रूप में हों। इस विधेयक में उक्त क्षेत्रों में भी वैसे ही भूमि सुधारों की व्यवस्था है जो ग्राम क्षेत्रों में किये गये हैं? जिन क्षेत्रों में भवन बने हुये हैं अथवा जहां खेती नहीं की जाती उन क्षेत्रों के कब्जे अथवा अधिकारों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना इस विधेयक का उद्देश्य नहीं है। ऐसे पट्टेदारों की कठिनाइयां दूर करने के लिये, जिन्होंने भवन निर्माण के लिये किसी दिनांक विशेष के पश्चात् भूमि के पट्टे लिये हैं किन्तु जिन्होंने उस भूमि को कृषि-प्रयोजनों के लिये अस्थायी रूप से उठा दिया है, विधेयक में यह व्यवस्था की गयी है कि ऐसे पट्टेदार अपने शिकमी काश्तकारों को बेदखल कर सकेंगे और भवन निर्माण के लिये भूमि का उपयोग कर सकेंगे।

चरण सिंह,
माल मन्त्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२०३ एल० ए०—१९५६—७९६।